ा माला, खंड 26, अंक 17

मंगलवार, 20 मार्च, 2007
29 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 1 May 2008

(खण्ड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 17, मंगलवार, 20 मार्च, 2007/29 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320	3-44
अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 से 3072	45-404
सभा पटल पर रखे गए पत्र	404-424, 456-462, 464-466
राज्य सभा से संदेश	424
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	425
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
इक्कीसवा प्रतिवेदन	426
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	426
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन	426
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	427
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ चौबीसवां और एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन	428
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ दसवां प्रतिवेदन	428
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
श्री मणी कुमार सुब्बा, संसद सदस्य की नागरिकता से संबंधित मुद्दा	429-431
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
बजट सत्र के द्वितीय भाग का पुनः समय निर्धारण	431

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य	432-434
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) ग्रामीण विकास मंत्रालय की दसवीं योजनावधि की उपलब्धियां	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	434-437
(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के क्रियान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	438-440
सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007	440-441
(दो) सूक्ष्म वित्तीय सेक्टर (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007	441-444
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) तमिलनाडु के पिछड़े जिलों को बढ़ावा देने के लिए एक विकास परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	444
(दो) गुजरात में मेहसाणा और वीरमगांव के बीच अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	444-445
(तीन) गुजरात में बनासकांठा के पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 पर शेड का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	445
(चार) असम के धुबरी जिले के सोनाहाट में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोले जाने की आवश्यकता	
श्री अनवर हुसैन	445-446
(पांच) कर्नाटक के किसानों और रील कर्मियों के हितों का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	446
(छह) अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के मूल नाम में संशोधन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता	
श्री कीरेन रिजीजू	447

विषय कॉलम

(सात) मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने तथा डा. सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 447-448

(आठ) उड़ीसा के जिला मुख्यालयों में थल सेना भर्ती केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम मांझी 448

(नौ) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटैरिया 448

(दस) महाराष्ट्र में गैर-अधिसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ 449

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु देव साय 449-450

(बारह) दिल्ली में तमिल श्रोताओं के लिए रेनबो एफ एम पर प्रतिदिन एक घंटे का रेडियो प्रोग्राम तमिल में प्रसारित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन 450

(तेरह) पश्चिम बंगाल के मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

प्रो. बसुदेव बर्मन 451

(चौदह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नहरों के रख रखाव और उससे गाद निकालने में स्थानीय लोगों को काम पर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 452

(पंद्रह) बिहार के समस्तीपुर में फल और सब्जी विक्रेताओं को सुलभ ढुलाई सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से वहां बूढ़ी गडंग नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 452

सोलह) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमियों के कल्याण और विकास हेतु नई वित्तीय योजनाओं की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन. 452-453

(सत्रह) केरल के वायनाड में कृषि खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 453-454

(अठारह) किसानों की जनसंख्या के अनुपात में कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 454

(उन्नीस) सिक्किम राज्य को "शांति बोनस" दिए जाने की आवश्यकता

श्री नकुल दास राई 454-455

(बीस) केरल सरकार द्वारा दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों के आलोक में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 455-456

नियम 193 के अधीन चर्चा

कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम आदेश के संबंध में

श्री अनंत कुमार 463-464, 466-468

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 469-470

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 470-476

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 477-478

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 477-480

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 20 मार्च, 2007/29 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, एक नए सदस्य द्वारा शपथ ली जानी है। कृपया उन्हें अनुमति दें। अब, महासचिव श्री मानिक सिंह का नाम पुकारेंगे।

श्री मानिक सिंह (सीधी)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मैम्बर द्वारा साइन करने के बाद आप अपनी बात कहिए। आप इस बात को भूल गए हैं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पंजीका में हस्ताक्षर करने दीजिए। वे नए सदस्य हैं। उन्हें औपचारिक रूप से सदस्य बनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी कार्य स्थगन प्रस्ताव का समय नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह केन्द्र के एक प्रोजैक्ट से जुड़ा हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में 12 बजे आपको बोलने के लिए टाइम देंगे, अभी नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर लोक सभा की कार्यवाही चलाने का कोई मतलब नहीं होगा। हमने यह बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। इस पर कोई चर्चा किये बिना लोक सभा की कार्यवाही चलाने का कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 301.

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आजकल, अध्यक्षपीठ को बोलने का कोई अवसर नहीं मिलता है। कृपया सुनिए। कृपया बैठ जाइए। आप बहुत ही वरिष्ठ एवं जिम्मेदार सदस्य हैं। स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न सभा के शुरू में नहीं लिया जाता है तथा इसे अपराह्न 12.00 बजे लिया जाएगा। मुझे प्रश्न काल पूरा करने दीजिए तथा उसके बाद आप इसे उठाइए। मैं अपनी बात कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का सवाल है, इसलिए आपसे आग्रह किया है कि प्रश्न काल को स्थगित करते हुए मेरी बात सुनने की आवश्यकता है। हमने क्वैश्चन ऑवर स्थगित करने का निवेदन किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, आपने पहले भी इसकी अनुमति दी है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इसे बारे में विनिर्णय दिया है। इसकी अनुतति कैसे दी जा सकती है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब, हमें प्रश्नकाल शुरू करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, हमें प्रश्नकाल शुरू करना चाहिए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री संतोष गंगवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नक्सली गतिविधियां

***301. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :**
श्रीमती रुपाताई डी. पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में विशेषकर देश के उत्तरी भाग में नक्सली गतिविधियों के मद्देनजर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तरी राज्यों, में ऐसे कितने संगठन सक्रिय हैं;

(घ) क्या सरकार नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए विशेषकर उत्तरी राज्यों में कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) देश के कुछ भागों में चल रही नक्सलवाद की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति का गठन किया गया है। सितम्बर, 2005 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता, केन्द्रीय गृह मंत्री ने और अप्रैल, 2006 में हुई दूसरी बैठक की अध्यक्षता, प्रधान मंत्री ने की थी। नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इन बैठकों में भाग लिया। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में फरवरी, 2007 को हुई मंत्रियों के शक्ति प्राप्त ग्रुप की बैठक में नक्सल प्रभावित कतिपय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था।

इन बैठकों में लिए गए निर्णयों में सुरक्षा और विकासात्मक क्षेत्रों में राज्य द्वारा विस्तृत समयबद्ध कार्य योजनायें तैयार किया जाना, राज्य पुलिस के साथ-साथ आसूचना नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना तथा उनका उन्नयन करना; नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्थापना करना; पूरे राज्य में समन्वित और सहयोजित नक्सल विरोधी अभियान को सुकर बनाने के लिए अंतर-राज्य संयुक्त कार्य बल की स्थापना करना; विशेष परिस्थितियों में हताहतों को हटाने और पुलिस कार्मिकों को लाने-ले-जाने के लिए हवाई सहायता प्रदान करना और सशस्त्र वाहनों का इस्तेमाल करना शामिल है।

राज्यों से कहा गया है कि वे आत्मसमर्पण और पुनर्वास की कारगर नीतियां तैयार करें ताकि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; नक्सली क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब लोगों को अधिशेष भूमि का वितरण करने सहित वे भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राथमिकता प्रदान करें; राज्य और जिला स्तरों पर विशेष और स्थिर प्रशासनिक ढांचा स्थापित करें ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर शासन और तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके; पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पी ई एस ए), 1996 का प्रभावी और तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। राज्य इस बात पर सहमत थे कि पुलिस आधुनिकीकरण और एस आर ई तथा अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जा रही राशि को राज्य गृह विभागों को पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जाएगा और उनका तदनुरूपी अंशदान भी सुनिश्चित किया जाएगा तथा इन राशियों का भी पूर्ण और अर्थपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

कई वामपंथी अलगाववादी (एल डब्ल्यू ई) संगठन और उनके प्रमुख संगठन, देश के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं।

नक्सल प्रभावित राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार की कई योजनाएं हैं। सुरक्षा और विकास, दोनों क्षेत्रों में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए इन योजनाओं के तहत राज्यों को वित्तीय, तकनीकी और मानवशक्ति से संबंधित सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत, भारत-नेपाल सीमा की रक्षा करने के लिए सीमा सशस्त्र बल (एस एस बी) की तैनाती की जाती है। राज्य पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33 बटालियनें प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, गत छः वर्षों में नक्सल प्रभावित राज्यों को राज्य पुलिस बलों के हथियारों, संचार उपकरणों और आधारभूत ढांचे का उन्नयन करने के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, पुलिस कार्मिकों का बीमा करने और जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है उनका पुनर्वास आदि करने के लिए राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए से अधिक की सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के घटक पिछड़ा जिला पहल (बी डी आई) के तहत लगभग 1600 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की गई है।

साक्षरता लक्ष्य

***302. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, प्रतिशत में साक्षरता लक्ष्य प्राप्त करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है, जहां क्षेत्रीय, सामाजिक और लिंग-भेद के कारणों से साक्षरता लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2006-07 के अंत तक निरक्षर लोगों की संख्या का आकलन किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य वर्ष 2007 तक 75% साक्षरता को प्राप्त करना है। इस उपलब्धि के संबंध में अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश की साक्षरता दर में कुल वृद्धि 12.63% थी जो स्वतंत्रता के पश्चात् अधिकतम दशकीय वृद्धि है। महिला साक्षरता दर में 14.38% की दर से तीव्र वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में पुरुष साक्षरता दर 11.13% रही। जबकि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने बिना किसी अपवाद के वर्ष 1991-2001 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि दर्शाई है, फिर भी कुछेक राज्यों तथा राज्यों के कुछ क्षेत्रों/जिलों में प्रगति की गति संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों पर विशेष बल दिया गया है। देश के निम्न महिला साक्षरता दर तथा अवशिष्ट निरक्षरों वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा में है अतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों के निम्न महिला साक्षरता वाले 35 जिलों की निरक्षर महिलाओं पर केंद्रित विशेष साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इनमें 63.80 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 12 राज्यों के 113 जिलों तथा 163.79 लाख अवशिष्ट निरक्षरों को शामिल करके अवशिष्ट निरक्षरता के लिए परियोजनाओं को भी संस्वीकृत किया गया है। इसके साथ-साथ विशेष साक्षरता अभियान के लिए देश के उन 150 जिलों, जिनमें साक्षरता दरें बहुत कम हैं, को अभिचिन्हित किया गया है।

[अनुवाद]

समुद्र-तल का मानचित्रण

***303. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने समुद्र-तल के मानचित्रण का कार्य शुरू किया है और गत तीन वर्षों के दौरान मैंगनीज नाड्यूलों और हाइड्रेटों के लिए समुद्र-तल अवसाद के नमूने एकत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपतटीय खनन और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता की क्या संभावनाएं हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने गुजरात (2190 वर्ग कि.मी.), महाराष्ट्र (2710 वर्ग कि.मी.), तमिलनाडु (4405 वर्ग कि.मी.) तथा उड़ीसा (1735 वर्ग कि.मी.) के 11,040 वर्ग कि.मी. अपतटीय क्षेत्र का समुद्र-तल मानचित्रण किया है। इस अवधि के दौरान जी.एस.आई. ने मैंगनीज नोड्यूल्स और हाइड्रेट्स के नमूने एकत्र नहीं किए हैं।

(ग) खनिज संसाधनों के लिए अपतटीय क्षेत्रों में अच्छी सम्भावना है। तथापि, वर्तमान में अपतटीय खनन की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना कठिन है जो उपयुक्त तकनीक की उपलब्धता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

चाय का निर्यात

***304. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 के दौरान विशेषकर अप्रैल और अक्तूबर, 2006 के बीच चाय के निर्यात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है जबकि इससे होने वाली आय के कम रहने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें चाय का निर्यात किया जाएगा और चाय का निर्यात बढ़ाने में कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। चाय का निर्यात अप्रैल-अक्तूबर, 2006 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.15 मिलियन कि.ग्रा. तक बढ़ गया है। तथापि, इसी अवधि के दौरान निर्यात आय में मामूली गिरावट आई है। चाय निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:—

अवधि/वर्ष	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)
1	2	3
अप्रैल से अक्तूबर, 2006*	114.27	1048.50
अप्रैल से अक्तूबर, 2005	107.12	1052.66
वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में आईएनसी (+) या (-)	(+) 7.15	(-) 4.16

*अनंतिम एवं संशोधन के अध्यधीन

तथापि, चाय निर्यात में सुधार हुआ है यदि अवधि अप्रैल से दिसम्बर, 2006 तक ली जाए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गुणवत्ता और मूल्य दोनों के अनुसार बढ़ी है जिसे नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

अप्रैल-दिसंबर, 2006	158.90 मि. कि.ग्रा.	1453.63 करोड़ रु.
अप्रैल-दिसंबर, 2005	151.72 मि. कि.ग्रा.	1416.24 करोड़ रु.

भारत सरकार ने टी बोर्ड के जरिए चाय के निर्यात को बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, मीडिया प्रचार क्रेता-विक्रेता बैठकें, चाय आयातक देशों और भारत के बीच चाय प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक मदद देना आदि शामिल है। भारत विश्व चाय निर्यातों में अपना हिस्सा बनाए रख सका है।

टी बोर्ड पर्याप्त मात्रा में निर्यात की गुणवत्ता वाली पारंपरिक चाय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) जो असम के अमीनगांव में है, के जरिए निर्यातित चाय के लिए खर्च किए गए अतिरिक्त परिवहन और प्रहस्तन प्रभारों को पूरा करने के लिए चाय निर्यातकों की सहायता भी कर रही है।

(ग) लगभग 20 देशों को वर्ष 2002-07 में निर्यातों के लिए फोकस बाजारों के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय चाय का निर्यात निष्पादन पाकिस्तान, मिश्र के अरब गणराज्य, सऊदी अरब, अमरीका, ईरान, सीरिया, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2006 के दौरान बढ़ा है।

विशेष आर्थिक जोन

***305. श्री उदय सिंह :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की स्वीकृति प्रदान करने की मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण और इन विशेष आर्थिक जोनों को अन्य प्रोत्साहन देने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना की स्वीकृति देने के संबंध में आगे की कार्रवाई स्थगित करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार की विशेष आर्थिक जोनों के लिए कर और प्रशुल्क रियायतों की समीक्षा करने की कोई योजना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन्हें अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के समक्ष रख दिया गया है। इनमें विस्थापित व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास, एसईजेड का अधिकतम आकार, एसईजेड के भीतर भूमि का उपयोग किया जाने वाला पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, एसईजेड के भीतर श्रमिक कानून, एसईजेड की अवसंरचना आवश्यकताएं, अनुमोदन बोर्ड की पुनर्संरचना, एसईजेड द्वारा विनिर्माण और निर्यातों पर बल दिया जाना, राज्य सरकारों की पूर्व सिफारिश प्राप्त करने की आवश्यकता और विभिन्न श्रेणियों में एसईजेडों की अधिकतम संख्या आदि शामिल हैं। जहां तक भूमि अधिग्रहण का संबंध है प्रत्येक राज्य का अपना मुआवजा और संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार राहत और पुनर्वास उपाय है और एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी लागू हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय एक संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, 2007 तैयार कर रहा है।

(ङ) और (च) ईजीओएम के अगले निर्देश प्राप्त होने तक नए एसईजेड स्थापित करने के लिए इस समय नए अनुमोदन रोके हुए हैं।

(छ) से (झ) एसईजेड रियायतों से संबंधित प्रावधान विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में दिए गए हैं जो विशेष आर्थिक जोन नियमावली के साथ-साथ 10 फरवरी, 2006 से ही लागू हुआ था। एसईजेड के लिए कर और टैरिफ रियायतों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय

***306. श्री अर्जुन सेठी :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार कितने नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गयी और कितनी राशि इन विद्यालयों द्वारा उपयोग में लाई गई तथा प्रति छात्र कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) छात्रों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विद्यालयों में वर्तमान में प्रत्येक बच्चे के आहार (डाईट) पर कितना खर्चा किया जाता है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बच्चों के आहार (डाईट) के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार बच्चों के आहार (डाईट) की धनराशि में वृद्धि करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां पर वर्तमान में दो नवोदय विद्यालय हैं;

(झ) क्या सरकार का विचार अन्य जिलों में भी दो नवोदय विद्यालय खोलने का है; और

(ञ) यदि हां, तो इन विद्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय देश में 539 जवाहर नवोदय विद्यालय और 916 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। इन जवाहर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों को संस्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन संस्वीकृत और उपयोग की गई निधियों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है। जवाहर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान प्रतिछात्र आवर्ती व्यय (योजनागत और योजनेतर दोनों मिलाकर) इस प्रकार हैं:—

वर्ष	जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रत्येक छात्र पर प्रतिव्यक्ति व्यय (योजनागत + योजनेतर)	केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक छात्र पर प्रतिव्यक्ति व्यय (योजनागत + योजनेतर)
2003-04	22,939/-रु.	9,249/-रु.
2004-05	24,177/-रु.	8,880/-रु.
2005-06	27,039/-रु.	8,874/-रु.

(ग) जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क भोजन, कपड़े, पाठ्यपुस्तकें, दैनिक उपयोग की मदें, परिवहन एवं चिकित्सा व्यय शामिल हैं। छात्रों को प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, खेलकूद आदि जैसी स्कूल सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। चूंकि केन्द्रीय विद्यालय दिवा स्कूल हैं, अतः केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, खेलकूद आदि जैसी स्कूल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(घ) और (ङ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन के लिए प्रतिमाह प्रतिछात्र 600 रु. का व्यय किया जाता है। हालांकि कठिन एवं दुर्गम स्थानों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों के संबंध में भोजन के लिए प्रतिमाह प्रतिछात्र 750/-रु. का व्यय किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालय समिति के बच्चों पर भोजन के लिए किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	व्यय की गई राशि
2003-04	72.86 करोड़ रुपये
2004-05	78.62 करोड़ रुपये
2005-06	89.94 करोड़ रुपये

केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को कोई भोजन प्रदान नहीं किया जाता है।

(च) और (छ) उपभोज्य मदों के दामों में वृद्धि के आधार पर नवोदय विद्यालय समिति समय-समय पर छात्रों के भोजन के लिए आवंटित व्यय संबंधी मानकों की समीक्षा करती है जिससे छात्रों को पर्याप्त एवं संतुलित आहार प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ज) से (ञ) देश के किसी भी जिले में दो जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं हैं। वर्तमान स्कीम में प्रत्येक जिले में केवल एक जवाहर नवोदय विद्यालय की अभिकल्पना की गई है।

विवरण-I

देश में चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	22	41
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	13
4.	असम	24	48
5.	बिहार	37	38
6.	चंडीगढ़	1	5

1	2	3	4
7.	छत्तीसगढ़	16	22
8.	दादर व नगर हवेली	1	1
9.	दमन और दीव	2	1
10.	दिल्ली	2	40
11.	गोवा	2	5
12.	गुजरात	18	41
13.	हरियाणा	19	27
14.	हिमाचल प्रदेश	11	20
15.	जम्मू व कश्मीर	14	36
16.	झारखंड	21	25
17.	कर्नाटक	27	33
18.	केरल	14	26
19.	लक्षद्वीप	1	1
20.	मध्य प्रदेश	48	75
21.	महाराष्ट्र	31	51
22.	मणिपुर	9	5
23.	मेघालय	7	7
24.	मिजोरम	3	2
25.	नागालैंड	10	5
26.	उड़ीसा	29	29
27.	पुडुचेरी	4	2
28.	पंजाब	17	39
29.	राजस्थान	32	55
30.	सिक्किम	4	2
31.	तमिलनाडु*	0	31
32.	त्रिपुरा	3	5
33.	उत्तर प्रदेश	66	93
34.	उत्तराखंड	12	42
35.	पश्चिम बंगाल	14	48
	कुल	539	916

*तमिलनाडु राज्य ने नवोदय विद्यालय स्कीम नहीं अपनायी है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06) के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों को संस्वीकृत एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संस्वीकृत निधियां	उपयोग की गई निधियां	नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संस्वीकृत निधियां	उपयोग की गई निधियां	नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संस्वीकृत निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.50	2.47	1.57	1.50	5.63	5.55

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	21.50	21.22	22.47	22.46	30.80	30.58
3.	अरुणाचल प्रदेश	19.33	19.29	19.04	18.77	13.65	13.23
4.	असम	40.20	39.73	37.08	36.91	26.61	26.61
5.	बिहार	44.46	43.78	40.62	40.03	48.25	47.94
6.	छत्तीसगढ़	7.37	7.08	10.72	10.71	18.78	18.73
7.	दादर व नगर हवेली	0.48	0.48	0.45	0.43	0.75	0.41
8.	दमन	0.37	0.35	0.42	0.41	1.11	0.79
9.	दिल्ली	2.02	1.99	2.34	2.26	2.65	2.63
10.	दीव	0.48	0.49	0.56	0.53	0.56	0.50
11.	गोवा	1.92	1.83	2.42	2.39	2.11	1.68
12.	गुजरात	13.46	13.44	18.65	18.30	10.08	9.81
13.	हरियाणा	13.12	12.79	16.18	15.84	22.64	22.51
14.	हिमाचल प्रदेश	10.16	10.03	12.88	12.71	12.54	12.43
15.	जम्मू व कश्मीर	15.76	15.53	15.26	15.15	18.64	18.27
16.	झारखंड	15.73	15.43	18.31	18.13	31.70	31.63
17.	कर्नाटक	38.74	38.66	33.43	33.15	38.33	37.72
18.	केरल	17.55	17.51	16.78	16.34	20.71	20.50
19.	लक्षद्वीप	0.63	0.59	0:67	0.66	1.18	1.17
20.	मध्य प्रदेश	42.34	41.60	47.58	47.06	58.42	58.22
21.	महाराष्ट्र	30.80	30.76	33.23	32.61	34.11	33.93
22.	मणिपुर	11.32	11.15	12.92	12.88	15.35	15.23
23.	मेघालय	8.02	8.01	10.28	10.25	12.66	12.06

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मिजोरम	1.32	1.30	3.18	3.18	4.68	4.60
25.	नागालैंड	8.75	8.50	10.58	10.39	7.26	7.11
26.	उड़ीसा	16.78	16.66	21.21	20.78	25.37	25.02
27.	पुडुचेरी	3.31	3.31	3.17	3.15	4.38	4.32
28.	पंजाब	17.69	17.56	19.37	19.32	24.75	24.56
29.	राजस्थान	29.21	28.71	30.12	29.69	38.75	38.42
30.	सिक्किम	2.45	2.43	5.67	5.64	5.99	5.79
31.	त्रिपुरा	4.28	4.15	4.17	4.10	3.68	3.64
32.	उत्तर प्रदेश	67.48	66.90	66.11	65.53	97.52	97.09
33.	उत्तराखंड	12.58	12.53	14.95	14.78	17.72	17.66
34.	पश्चिम बंगाल	0.63	0.50	1.29	1.20	4.78	4.77
	कुल	522.74	516.76	553.68	547.24	662.14	655.11

[हिन्दी]

घुसपैठियों की पहचान

***307. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों से भारत में घुसपैठ करके आए व्यक्ति राशन कार्ड तथा चुनाव पहचान पत्र आदि प्राप्त करने में सफल रहे हैं तथा भारत में विवाह करने के बाद उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि पड़ोसी देशों से कुछ अवैध प्रवासी राशन कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र इत्यादि प्राप्त करने में सफल हुए हैं क्योंकि ये अवैध प्रवासी वंशीय तथा भाषायी समानताओं के कारण आसानी से स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं। चूंकि अवैध प्रवास चोरी-छिपे किया जाता है इसलिए ऐसे प्रवास का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) (ग) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध प्रवासियों का पता लगाने, अभियोजन चलाने और उन्हें वापस भेजने के लिए सरकार ने विदेशियों की घुसपैठ निवारण/गतिशील कार्य बल (पी आई एफ/एम टी एफ) योजनाओं के अंतर्गत असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में विभिन्न रैंकों में 3656 पदों की संस्वीकृति भी की है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा

*308. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री हंसराज ग. अहीर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिए अवसर हमारी आवश्यकताओं की तुलना में पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार क्या रणनीति अपनाने जा रही है;

(ग) क्या देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) हमारे देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कुछ अन्य देशों की तुलना में कम है तथा सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि के लिए उच्चतर शिक्षा में दाखिला क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिए, मानकों को बनाए रखते हुए समाज के सभी वर्गों की पहुंच के अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ दाखिला क्षमता में वृद्धि करने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा में दाखिला क्षमता में वृद्धि करना राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार का संयुक्त प्रयास है। उच्चतर शिक्षा में निजी गैर-सहायता-प्राप्त संस्थाओं को भी अनुमति दी जाती है, बशर्ते शिक्षा का व्यापारीकरण न हो अथवा मानकों में गिरावट न आए। तकनीकी शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004-05 से बजटीय प्रावधान में व्यापक वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थायें स्थापित की जा सकी हैं।

खादी वस्तुओं पर छूट

*309. श्री टी.के. हमजा :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विषु, ईस्टर आदि त्यौहारों से पूर्व अप्रैल, 2007 के महीने से खादी और खादी से जुड़ी वस्तुओं पर सामान्य और विशेष छूट प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के लिए छूट संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और खादी से जुड़ी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) विगत वर्षों की भांति रिबेट निर्धारित करने की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में खादी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कुछ कदम उठाए हैं:—

(i) राष्ट्रीय/मंडलीय/जिला स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(ii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(iii) संशोधित डिजाइनों और खादी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन इंटरवेन्शन और पैकेजिंग स्कीम (प्रोदीप) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(iv) खादी फैब्रिक को आधुनिक डिजाइन के सिलेसिलाए वस्त्रों में परिवर्तित करने के लिए "मिशन खादी" शुरू करना।

(v) खादी उत्पादों के लिए खादी इंडिया का ब्रांड नाम चलाना।

(vi) 2005-06 से शुरू करते हुए पांच वर्षों में 25 खादी क्लस्टरों में कार्यान्वयन के लिए उनके संपूर्ण विकास हेतु परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ करना।

(vii) केवीआईसी ने देश में नवयुवकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किये हैं। 38 बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा विपणन विकास पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं जो कालेजों और स्कूलों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को खादी और ग्रामोद्योग के विपणन योजना एवं खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं की जानकारी देता है। विद्यालयों में खादी के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(viii) लोगों में विशेषकर युवाओं में खादी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देश के सभी भागों में केवीआईसी द्वारा लोक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिससे

खादी और हाथ से बने वस्तुओं के प्रति उनकी जानकारी बढ़ती है।

(ix) खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न मिशन विद्यार्थी वर्ग सहित नवयुवकों की पसन्द को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे हैं।

(x) रेल, रक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा खादी का उपयोग हो रहा है।

उपरोक्त कदमों के अलावा, कुछ और विशेष कदम खादी के उपयोग को बढ़ाने के लिए केवीआईसी के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

*310. श्री दैविदास पिंगले :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायतों का निवारण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों का निवारण किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत नामांकित बच्चों पर धनराशि को किस आधार पर खर्च किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र बच्चों को गरम पका हुआ भोजन मिले, एक सुव्यवस्थित मानी रन और पर्यवेक्षण तंत्र है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में शिकायतों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन शिकायत तंत्र मौजूद है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आने वाली शिकायतों को सुधारात्मक और उपचारी कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचारार्थ भेजा जाता है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है:—

(i) 100 ग्राम प्रति छात्र/स्कूल दिवस की दर से नि:शुल्क खाद्यान्न;

(ii) विशेष श्रेणी के 11 राज्यों के लिए 100 रु. प्रति क्विंटल की उच्चतम सीमा और अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 रु. प्रति क्विंटल की उच्चतम सीमा दर से खाद्यान्नों के परिवहन में होने वाली वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति;

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 1.80 रु. प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.50 रु. प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भोजन पकाने की लागत के लिए सहायता बशर्ते इस लागत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य 0.20 रु. प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस और अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 0.50 रु. प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस का न्यूनतम अनिवार्य अंशदान करें;

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ''सूखाग्रस्त'' घोषित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को ग्रीष्मावकाश के दौरान पके हुए मध्याह्न भोजन के लिए सहायता;

(v) 60,000 रु. प्रति इकाई की अधिकतम सीमा में रसोई-सह-भण्डार के निर्माण के लिए सहायता;

(iv) 5000 रु. प्रति स्कूल की अधिकतम सीमा में रसोई उपकरणों को खरीदने/बदलने के लिए सहायता;

(vii) (क) नि:शुल्क खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत तथा (ग) पकाने की लागत पर कुल सहायता के 1.8% की दर से प्रबंधन, मानीटरन तथा मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान करना। उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2% प्रबंधन, मानीटरन तथा मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाएगा।

पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन प्रदान करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों की निम्नलिखित जिम्मेदारी है:—

1. भोजन पकाने की लागतों के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करना।

2. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्त खाद्यान्न को उठाने तथा उसे स्कूलों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं करना।

3. भोजन पकाने की प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु स्कूलों के लिए निधियों का नियमित एवं समयबद्ध प्रवाह सुनिश्चित करना।

4. भोजन पकाने एवं परोसने के लिए व्यवस्थाएं करना।

5. किचन शेडों का निर्माण।

6. रसोई उपकरणों की खरीद।

7. योजना का मानीटरन एवं पर्यवेक्षण।

शुल्क छूट पासबुक (डीईपीबी) दर में कमी

*311. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क छूट पासबुक (ड्यूटी इन्जेम्पशन पास बुक) दर में कमी का निर्यातों पर कोई प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में की गयी समीक्षा का क्या परिणाम रहा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशमी वस्त्रों एवं परिधान की अलग-अलग कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और प्रत्येक मद से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) चूंकि शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) में कमियां मूल सीमाशुल्क की कमी पर आधारित होती हैं इसलिए ऐसी कमी का निर्यातों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होती है।

(ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 की अवधि के लिए हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर) के निर्यात का मूल्य क्रमश: 22.9 बिलियन रुपए, 16.9 बिलियन रुपए और 18.1 बिलियन रुपए रहा था। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान वस्त्र एवं वस्त्र मदों (हथकरघा एवं रेशमी वस्त्र सहित) के निर्यात का मूल्य क्रमश: 560 बिलियन रुपए, 580 बिलियन रुपए और 673 बिलियन रुपए रहा था।

वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध

*312. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान निर्यात के लिए किन-किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया और हटाया गया;

(ख) क्या महानिदेशक, विदेशक व्यापार ने बकरे और भेड़ के मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश से, विशेषकर झारखंड से, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दालें, चीनी, भैंस, बकरी और भेड़ का अस्थियुक्त मांस, गेहूं और दूध पाउडर वर्ष 2006-07 के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं थीं। इनमें से काबुली चना और बकरी तथा भेड़ के मांस से प्रतिबंध हटा लिया गया है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अस्थियुक्त मांस को प्रतिबंधित करते हुए दिनांक 21.08.2006 की अधिसूचना सं. 30 (सं.अ.2006/2004-09) जारी की गई थी। बकरी और भेड़ के अस्थियुक्त मांस के निर्यात से दिनांक 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 46 (सं.अ.-2006)/2004-09 के तहत प्रतिबंध हटा लिया गया है।

(घ) निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), बाजार पहुंच पहल (एमएआई), विपणन विकास सहायता (एमडीए) जैसे संवर्धनात्मक उपाय हैं जो सभी राज्यों पर लागू हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत झारखंड के लिए भी लाभ उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

दलितों पर अत्याचार

*313. **श्रीमती कृष्णा तीरथ :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत

दर्ज जाति-प्रेरित अपराधों की दोषसिद्धि की दर का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज अपराधों की दोषसिद्धि दर क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज मामलों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज दोषसिद्धि के मामलों की कम दर के कारणों का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अधिकतम दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गवित) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), उन मामलों की संख्या, जिनमें अभियोजन पूरा हो गया है तथा उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्धि हो गई है, के आंकड़े एकत्रित, संकलित और "भारत में अपराध" नामक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करता है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 सहित विभिन्न भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) संबंधी अपराधों और विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अपराधों की दोषसिद्धि की दर का आकलन करता है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े वर्ष 2005 के हैं।

(ख) और (ग) 2005 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूचित मामलों की दोषसिद्धि दर विवरण (कालम सं. 3-5) में में दी गई है।

(घ) आई पी सी के अंतर्गत पंजीकृत अपराधों की दोषसिद्धि की दर संलग्न विवरण (कालम सं. 6-8) में दी गई है।

(ङ) और (च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम के उपबंधों का राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम की धारा 21 (1) और (2) में प्रावधान है कि राज्य सरकारें अधिनियम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए यथा आवश्यक उपाय करेंगी। तथापि, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की वित्तीय रूप से सहायता करने की दृष्टि से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, जागरुकता अर्जन तथा प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है तथा राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोनों द्वारा आवश्यक सलाह जारी की जाती है। हाल ही में 9.12.2006 को आयोजित अन्तर-राज्य परिषद की बैठक में भी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

विवरण

2005 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम तथा आई पी सी अपराधों के तहत अभियोजित मामले (सी टी), दोषसिद्धि (सी एन), दोषसिद्धि दर (सी आर)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम			कुल आई पी सी मामले		
		सी टी	सी एन	सी आर	सी टी	सी एन	सी आर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	788	155	19.7	81272	30614	37.7

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	706	402	56.9
3.	असम	0	0	0	20088	3690	18.4
4.	बिहार	317	104	32.8	47721	7258	15.2
5.	छत्तीसगढ़	257	67	26.1	20269	11085	54.7
6.	गोवा	0	0	0	959	267	27.8
7.	गुजरात	324	8	2.5	54005	16678	30.9
8.	हरियाणा	30	6	20	27911	10758	38.5
9.	हिमाचल प्रदेश	19	0	0	8098	1793	22.1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	9662	4071	42.1
11.	झारखंड	56	8	14.3	16464	4061	24.7
12.	कर्नाटक	979	37	3.8	75033	22511	30
13.	केरल	333	57	17.1	83097	42525	51.2
14.	मध्य प्रदेश	575	212	36.9	106473	53764	50.5
15.	महाराष्ट्र	195	8	4.1	66578	7816	11.7
16.	मणिपुर	0	0	0	98	57	58.2
17.	मेघालय	0	0	0	461	209	45.3
18.	मिजोरम	0	0	0	438	335	76.5
19.	नागालैंड	0	0	0	2159	1195	55.3
20.	उड़ीसा	469	36	7.7	26810	3998	14.9
21.	पंजाब	20	5	25	12501	4338	34.7
22.	राजस्थान	816	275	33.7	64077	37195	58
23.	सिक्किम	0	0	0	189	90	47.6
24.	तमिलनाडु	561	102	18.2	144584	89979	62.2

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	0	0	0	2407	418	17.4
26.	उत्तर प्रदेश	2003	903	45.1	83615	49025	58.6
27.	उत्तरांचल	46	26	56.5	3252	1937	59.6
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	100	22394	3691	16.5
	कुल राज्य	7789	2010	25.8	981321	409760	41.8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	99	53	53.5
2.	चंडीगढ़	0	0	0	896	573	64
3.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	166	6	3.6
4.	दमन और दीव	0	0	0	71	13	18.3
5.	दिल्ली संघ शासित	10	2	20	28202	17508	62.1
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	11	5	45.5
7.	पांडिचेरी	0	0	0	2474	2173	87.8
	कुल संघ शासित	10	2	20.0	31919	20331	63.7
	कुल समस्त भारत	7799	2012	25.8	1013240	430091	42.4

स्रोतः भारत में अपराध

खनिज अन्वेषण कार्य में वृद्धि

*314. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान खनिज अन्वेषण कार्य की वृद्धि में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) देश में खनिज अन्वेषण में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों में खनिज गवेषण कार्यकलाप में गिरावट आई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) में जनशक्ति की कमी होना इसका एक मुख्य कारण रहा है जिसके कारण अपेक्षित स्तर पर खनिज गवेषण कार्यक्रम नहीं किया जा सका। खनिज रियायत मंजूर करने के लिए नियामक प्रणाली अन्य कारक रही है जिससे निजी क्षेत्र में खनिज गवेषण की वृद्धि प्रभावित हो रही है।

सरकार ने जी एस आई में आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक उपकरण क्रय करने का कार्य लिया है। मानव संसाधन को भी नियमित इनटेक के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सरकार निजी क्षेत्र में खनिज गवेषण को बढ़ावा देने के लिए नई खनिज नीति लाने पर विचार कर रही है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

*315. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष 2006-07 में बालिकाओं के लिए 2000 नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो पहले से स्वीकृत ऐसे स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के पहले से ही निर्मित विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष 2006-07 में के.जी.बी.वी. हेतु बजट कितना है; और

(ङ) चालू वर्ष 2006-07 में इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि पहले ही खर्च अथवा जारी की जा चुकी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) चालू वर्ष 2006-07 के लिए भारत सरकार ने उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए 1000 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय स्कूल अनुमोदित किए हैं। चालू वर्ष 2006-07 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के लिए 128 करोड़ रु. का बजट आबंटन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान 28 फरवरी, 2007 तक संस्वीकृत, कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संचयी संख्या तथा जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत, कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अब तक संस्वीकृत क.गां.बा.वि. की कुल संख्या	28 फरवरी 2007 की स्थिति के अनुसार कार्यरत क.गां.बा.वि. की संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	342	134	2230.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	19	0.00
3.	असम	15	0	0.00
4.	बिहार	350	110	1986.56
5.	छत्तीसगढ़	84	51	473.44
6.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0.00
7.	गुजरात	52	44	0.00
8.	हरियाणा	9	2	36.56
9.	हिमाचल प्रदेश	10	9	0.00

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	14	6	0.00
11.	झारखंड	187	144	390.00
12.	कर्नाटक	61	61	0.00
13.	मध्य प्रदेश	185	105	975.00
14.	महाराष्ट्र	36	15	109.69
15.	मणिपुर	1	0	33.98
16.	मेघालय	1	1	0.00
17.	मिजोरम	1	1	0.00
18.	उड़ीसा	114	105	0.00
19.	पंजाब	2	2	0.00
20.	राजस्थान	186	56	1689.38
21.	तमिलनाडु	53	37	511.30
22.	त्रिपुरा	7	7	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	257	96	1608.75
24.	उत्तराखंड	25	13	63.75
25.	पश्चिम बंगाल	59	21	357.94
	कुल योग	2077	1039	10466.66

विदेशियों द्वारा बच्चों का गोद लिया जाना

*316. **श्री फ्रांसिस फैन्थम :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के बारे में एक व्यापक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशियों द्वारा कितने बच्चे गोद लिए गए;

(ग) क्या विदेशियों द्वारा बच्चों का गोद लेना बंद करने के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे विदेशियों से किसी प्रकार की आय अर्जित की जाती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों के गोद लेने पर प्रतिबंध

लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय विधि आयोग ने अपनी 153वीं रिपोर्ट में देश के बाहर दत्तक-ग्रहण पर कानून बनाने की सिफारिश की। इस प्रयोजनार्थ, विधेयक का एक प्रारूप भी रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया था। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने तत्कालीन प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से रिपोर्ट पर टिप्पणियां मांगी, जिन्हें भेज दिया गया। लेकिन चूंकि दत्तक-ग्रहण का विषय और केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी का कार्य हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए देश में दत्तक-ग्रहण प्रणाली से जुड़े सभी मुद्दों पर, जिनमें भारतीय बच्चों के विदेशियों द्वारा दत्तक-ग्रहण पर कानून बनाना भी शामिल है, यथासम्भव आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में सर्व-सम्बन्धित के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेशियों द्वारा (जिनमें गैर-आवासीय भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के विदेशों में रहने वाले नागरिक भी शामिल हैं) गोद लिए गए भारतीय बच्चों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष 2004	1021
वर्ष 2005	867
वर्ष 2006	853

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रत्येक बच्चे को परिवार में रहने का अधिकार है। तदनुसार, ऐसे अनाथ/परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए, जो कानूनी रूप से दत्तक-ग्रहण के लिए स्वंतत्र हैं, एक विकल्प के रूप में किशोर न्याय(बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में दत्तक-ग्रहण का उपबन्ध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 6 फरवरी, 1994 के अपने एक निर्णय में कहा था कि जहां देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के इच्छुक किसी परिवार में किसी बच्चे को भेज पाना सम्भव न हो, वहां किसी अन्य देश में दत्तक-ग्रहण के किसी इच्छुक परिवार में बच्चे को पारिवारिक वातावरण दिलाने की सम्भावना का पता लगाने में कोई हर्ज नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्तूबर, 2005 को एक अन्य निर्णय में इस बारे में अपने पिछले निर्णय को दोहराया है।

(ङ) न तो भारत सरकार को और न ही केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी को इस देश से बच्चों के विदेशियों द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए कोई राशि मिलती है। देश के बाहर बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी मान्यता-प्राप्त भारतीय अभिकरणों से संगत दिशा-निर्देशों के अधीन बिना लाभ कमाये गैर-वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की अपेक्षा करती है। इन अभिकरणों को बच्चों की अच्छी देखरेख, चिकित्सा पर खर्च, प्रशासनिक शुल्क, प्रलेखन, पासपोर्ट, वीजा आदि पर होने वाले खर्च की सम्बन्धित सूचीबद्ध विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण के माध्यम से दत्तक-ग्रहण के इच्छुक परिवार से अधिकतम 3500 अमरीकी डालर प्रति बच्चे की दर से प्रतिपूर्ति की अनुमति है। उन्हें न तो बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता से और न ही प्रायोजक विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों से कोई दान/अंशदान लेने की अनुमति दी जाती है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक स्तर का उन्नयन

*317. **श्री अबु अयीश मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु आईआईटी-कानपुर के पुराने छात्रों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में चलाए जा रहे कार्यक्रमों और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने ग्रीष्मकालीन सत्र, 2006 में समर अंडरग्रेजयूट रिसर्च ग्रांट फार एक्सीलेन्स नामक कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न कालेजों से चयनित छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के संकाय सदस्यों के निर्देशन में विशिष्ट शोध परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। परियोजना पर होने वाला व्यय संस्थान की स्थायी निधि के ब्याज में से वहन किया जाता है तथा वार्षिक गिफ्ट कार्यक्रम का वित्तपोषण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पूर्व छात्रों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) समर अंडरग्रेजयूट रिसर्च ग्रांट फार एक्सीलेंस कार्यक्रम न केवल भारतीय छात्रों के लिए है अपितु विदेशी छात्रों के लिए भी है। कैलीफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान, पासदेना, (यू.एस.ए) ने इस कार्यक्रम में भाग लेने में अपनी रूचि दिखाई थी। कैलीफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान के तीन छात्रों ने 2006 की ग्रीष्मऋतु में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का दौरा किया था तथा आशा है कि ग्रीष्मसत्र, 2007 में दो और छात्र आयेंगे। इस प्रयोजनार्थ पेरिस विश्वविद्यालय, इकोल सेंट्रेल, पेरिस का प्रथम बैच ग्रीष्मकालीन सत्र, 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में प्रवेश लेंगे।

(ङ) और (च) चूंकि अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम आरंभ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, वे स्वायत्त संस्थाएं होने के कारण संयुक्त रूप से शोध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा अध्येताओं के आदान-प्रदान आदि के लिए भारत या विदेश के अन्य विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के साथ संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादियों की घुसपैठ

***318. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल और बांग्लादेश से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर नेपाल और बांग्लादेश सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन देशों में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे कुछ दृष्टान्त विद्यमान हैं। भारत सरकार ने स्थापित मंचों पर बांग्लादेश और नेपाल को अपनी सुरक्षा चिन्ताओं से अवगत करवाया है जहां इन देशों ने अपनी यह प्रतिबद्धता दोहराई है कि उनके क्षेत्र के किसी भी भाग का भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।

(ङ) सरकार ने इस संबंध में कई प्रभावपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें शामिल हैं; सीमा क्षेत्रों में परिचालित आसूचना एजेंसियों की प्रभावपूर्णता और उद्देश्य की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी आसूचना एजेंसी (एल आई ए) का तंत्र स्थापित करना, सीमा रक्षक बलों द्वारा गश्त में वृद्धि करना, सीमा बाह्य चौकियों (बी ओ पी) की संख्या को बढ़ाना, आसूचना उपकरणों को सुदृढ़ करना, सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान तथा श्रेष्ठ समन्वयन। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने, उच्च तकनीकी निगरानी उपकरण की स्थापना तथा फ्लडलाइटिंग का काम किया गया है।

एन.सी.ई.आर.टी. की नकली पुस्तकें

***319. श्री संतोष गंगवार :**
श्री रशीद मसूद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नकली पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या-क्या प्रशासनिक और उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में, विशेषकर दिल्ली में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की नकली पुस्तकें बरामद की गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(च) क्या एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई. की नकली पुस्तकों की अन्य राज्यों के बाजारों में बिक्री हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जबकि नकली पुस्तकों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती तथापि, राज्यों के पुलिस विभाग समय-समय पर नकली पुस्तकों के विरुद्ध छापामार और जब्ती अभियान चलाते हैं। केन्द्र सरकार ने कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में प्रवर्तन अधिकरणों

की समय-समय पर समीक्षा करने और उनको सलाह देने के लिए कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद गठित की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली पुलिस से इन तीन पुस्तकों की पाइरेसी पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने उन मुद्रक और पुस्तक विक्रेता को गिरफ्तार किया था जिनसे इनमें से एक नकली पुस्तक जब्त की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कुछ पाठ्यपुस्तकों की नकली प्रतियां भी दिल्ली से जब्त की गई हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इस संबंध में पुलिस प्राधिकारियों को शिकायत दर्ज करायी है।

(च) नकली पुस्तकों के उपर्युक्त मामलों को छोड़कर किसी अन्य मामलों की सूचना नहीं दी गई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा

***320. श्री शैलेन्द्र कुमार :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ वर्षों से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और उत्पीड़न में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जारी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद से इस अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा कोई शिकायत दर्ज की गयी है जैसा कि दिनांक 25 फरवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराधा रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005 में दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों में 3.4 प्रतिशत की कमी और दहेज निषेध अधिनियम के तहत सूचित किए गए मामलों में 10.8 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि के दौरान उत्पीड़न के मामलों (पति और रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता) में 0.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान ''दहेज के कारण हुई मौतों'' ''उत्पीड़न'' और ''दहेज निषेध अधिनियम'' के तहत घटित घटनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध का निवारण करने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच पड़ताल करने और मुकदमा चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, संघ सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह जारी की हैं कि वे दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने पर अधिक ध्यान दें और समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराध निवारण के लिए यथा आवश्यक उपाय करें। संघ सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भी अधिनियमित किया है जो सिविल कानून है और इसे 26.10.2006 से प्रख्यापित कर दिया गया है।

(ङ) से (ज) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दिल्ली पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। उक्त अधिनियम हाल में अर्थात् 26.10.2006 से प्रभावी हुआ है। तथापि, दिल्ली पुलिस, उचित कानूनों के तहत मामले दर्ज कर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं के अपराधियों के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई कर रही है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सुग्राही बनाने हेतु पुलिस मुख्यालय ने एक परिपत्र जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 2.2.2007 के अपने पत्र के तहत उक्त अधिनियम के अंतर्गत 16 संरक्षण अधिकारियों (महिला) की भी नियुक्ति की है ताकि

पीड़ित महिलाओं की सहायता की जा सके। इस संबंध में किसी भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है। तथापि सभी कार्मिकों को निदेश/ब्रीफ किया गया है कि वे ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई करें।

विवरण

क्रम.सं.	राज्य	उत्पीड़न (आई पी सी की धारा 498क) (पति और रिश्तेदारों की क्रूरता)			दहेज की मौतों के मामले (आई पी सी की धारा 302, 304-ख)			दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामले		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8167	8388	8696	466	512	443	195	339	306
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	4	9	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1808	1945	2206	60	74	99	92	36	82
4.	बिहार	1880	2679	1574	909	1029	1014	706	1220	789
5.	छत्तीसगढ़	601	741	732	79	71	100	16	7	5
6.	गोवा	24	17	11	2	2	2	0	0	0
7.	गुजरात	3684	3955	4090	54	58	48	0	0	0
8.	हरियाणा	1618	2026	2075	222	251	212	3	6	7
9.	हिमाचल प्रदेश	221	252	228	6	8	2	7	5	1
10.	जम्मू और कश्मीर	71	82	76	10	9	5	4	2	0
11.	झारखंड	559	588	590	262	275	257	261	199	313
12.	कर्नाटक	1704	1588	1883	194	259	261	341	337	361
13.	केरल	2930	3222	3283	33	31	21	4	2	4
14.	मध्य प्रदेश	2938	3436	2989	648	751	739	29	40	36
15.	महाराष्ट्र	5452	5646	6233	368	314	341	29	21	23
16.	मणिपुर	4	2	20	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	4	5	3	0	2	1	0	0	0
18.	मिजोरम	3	0	0	0	0	4	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1289	1192	1671	279	319	334	412	532	446
21.	पंजाब	987	801	729	110	113	99	3	7	5
22.	राजस्थान	5733	6781	5997	389	379	361	3	13	1
23.	सिक्किम	1	1	4	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1555	1437	1650	220	225	215	175	294	193
25.	त्रिपुरा	247	302	439	20	20	34	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2626	4950	4505	1322	1708	1564	367	477	586
27.	उत्तरांचल	317	405	272	93	82	63	1	2	2
28.	पश्चिम बंगाल	4948	6334	6936	329	396	446	17	36	18
	कुल (राज्य)	49385	56779	56901	6075	6888	6665	2665	3575	3178
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	5	5	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	93	73	75	1	6	3	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	2	3	5	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	4	3	1	0	1	0	0	0
33.	दिल्ली	1211	1254	1324	130	126	114	14	11	9
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	4	2	6	1	6	4	5	6	17
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1318	1342	1418	133	138	122	19	17	26
	कुल (अखिल भारत)	50703	58121	58319	6208	7026	6787	2684	3592	3204

स्रोत: भारत में अपराध—एन सी आर बी का संकलन।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

2898. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए झारखंड सरकार को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड सरकार से कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इनमें से स्वीकृत/अभी भी लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद झारखंड राज्य सहित विभिन्न राज्यों के तकनीकी संस्थानों को विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान जारी कर रही है। झारखंड राज्य में स्थित संस्थानों को विभिन्न स्कीमों के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र.सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	झारखंड के अनुमोदित प्रस्तावों की कुल संख्या	झारखंड राज्य में स्थित विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई कुल राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	2003-2004	ऐमेरीटस फैलोशिप	1	1.50
		सेमिनार अनुदान	7	42.50
		स्टाफ विकास	1	0.96
		यात्रा अनुदान	4	2.53
		गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	1	0.55
		कुल (2003-04)	14	48.04
2.	2004-2005	राष्ट्रीय डाक्टरल फैलोशिप	1	1.89
		स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	1	45.35
		सेमिनार अनुदान	3	1.37
		गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	1	0.02
		कुल (2004-05)	6	48.63

1	2	3	4	5
3.	2005-2006	अनुसंधान संवर्धन स्कीम	3	21.90
		राष्ट्रीय समन्वित परियोजना	1	0.40
		स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	1	58.40
		सेमिनार अनुदान	4	4.00
		स्टाफ विकास	1	1.00
		यात्रा अनुदान	4	3.73
		कुल (2005-06)	14	89.43

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की विभिन्न स्कीमों के तहत झारखंड राज्य में स्थित राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से 2006-07 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त एवं निपटाये गये/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	जारी किए गए सहायता अनुदान बिलों की कुल राशि (रु. लाख में)	लंबित सहायता अनुदान बिलों की कुल राशि (रु. लाख में)
1.	सेमिनार अनुदान स्कीम	2	2.10	—
2.	स्टाफ विकास कार्यक्रम	3	6.00	—
3.	ऐमेरीटस फैलोशिप	1	1.50	—
4.	स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान स्कीम	1	69.0	—
5.	अनुसंधान संवर्धन स्कीम	5	—	25.50
	कुल	12	78.60	25.50

उपर्युक्त के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय मैट्रिक स्तर से आगे की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 'पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के तहत स्कीम के मानकों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से सहायता अनुदान प्रदान

किया जाता है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य सरकार को जारी किए गए सहायता अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	जारी किये गये सहायता अनुदान (रु. लाख में)
2003-04	शून्य
2004-05	200.00
2005-06	841.26

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 'पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप' स्कीम के तहत झारखंड राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण

2899. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय छात्रों के लिए देश में विशेष रूप से बिहार में लड़कों तथा लड़कियों के लिए निर्मित छात्रावासों की राज्य-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त श्रेणी के छात्रों के लिए संस्वीकृत छात्रावासों में से कितने छात्रावासों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त छात्रावासों के लिए कितनी वित्तीय सहायता आबंटित तथा जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ग) बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लड़के और लड़कियों के छात्रावासों की संख्या, उनके स्थान और स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) लड़के और लड़कियों हेतु छात्रावास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो केवल छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ही है और यह 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है। निर्माण कार्य पूरा करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे लागत के अपने मैचिंग अंश की निर्मुक्ति करें। योजना के अंतर्गत, लागत में वृद्धि, यदि कोई हो, तो संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वहन की जानी है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण की योजना के अंतर्गत बिहार सहित राज्यवार और स्थानवार निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-04			2004-05			2005-06		
		राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	277.00	23	1. लाबरा, सीथमपेट 2. इंद्रवेल्ली, उंतूर 3. नरनूर, उंतूर	0	0	-	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. नंदीगामा, कृष्णा						
				5. म्यालराम, कृष्णा						
				6. कादिरी, अनंतपुर						
				7. कुरनूल, कुरनूल						
				8. बिरुल्ली, कुरनूल						
				9. सिरयापेट, नलगोंडा						
				10. श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम						
				11. जग्गीयापेट, कृष्णा						
				12. गुंटूर 1, गुंटूर						
				13. गुंटूर 2, गुंटूर						
				14. चिल्कालुरपेता, गुंटूर						
				15. नेल्लोर						
				16. मदनापल्ली, चित्तूर						
				17. कोदाइर, महबूबनगर						
				18. नलगोंडा 1, नलगोंडा						
				19. बुवानगिरी, नलगोंडा						
				20. जगित्याल, करीमनगर						
				21. मंछेरीलाल, आदिलाबाद						
				22. बोथ, आदिलाबाद						
				23. प्रोदुतुरु, कुडाप्पा						
2.	बिहार	0	0	—	0	0	—	0	0	—
3.	गुजरात	0	0	—	67.60	बकाया	—	0	0	—
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	—	0	0	—	108.18	बकाया	—
5.	मध्य प्रदेश	0	0	—	300.00	बकाया	—	724.00	बकाया	
6.	मणिपुर	49.83	2	1. तामेंगलोंग	0	0	—	142.70	6	1. आदिमजाति काम्प्लैक्स, इम्फाल
				2. इम्फाल						2. ओल्ड लुम्बलेन, इम्फाल
										3. कांचीपुर, इम्फाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	उड़ीसा	41.46	1	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	0	0	–	0	0	–
8.	त्रिपुरा	50.00	2	सबरूम, त्रिपुरा सबरूम, त्रिपुरा	0	0	–	0	0	–
9.	पश्चिम बंगाल	47.76	3	1. पुरुलिया 2. दार्जिलिंग 3. बांकुरा	0	0	–	6.71	1	1. संतुरी, पुरूलिया
10.	कर्नाटक	150.00	12	1. रायचुर 2. मैसूर 3. बेलगांव 4. कविथाला, रायचुर 5. तुमकुर 6. कोप्पल 7. बीदर 8. माज्वी, रायचुर 9. हाथीग्री, हवेरी 10. छिखाम एशीहोसुर हवेरी 11. हाथीकुनी, गुलबर्गा 12. मंदाग्या	120.00	बकाया	–	86.00	5	1. केस्तुर, तुमकुर 2. कुंडुगोला, धारवाड़ 3. हगारी बोम्मनहल्ली, बेल्लेरी 4. मोल्कालमुर, चित्रदुर्गा 5. चिस्वार्गोंडा, बेल्लेरी
11.	महाराष्ट्र	0	0	–	242.04	11	1. गोदिम्पा चंद्रपुर 2. राजपुरा I, चंद्रपुर 3. राजपुरा II, चंद्रपुर 4. खांडबारा, नंदुरबार 5. नवपुर, नंदुरबार 6. गोंडिया 7. तालासरी, थाणे 8. चिखाल्दा, अमरावती 9. अल्लापल्ली, गदचिरोली 10. शाहपुर, थाणे 11. राहुर, अहमदनगर	194.46	बकाया	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	महाराष्ट्र	0	0	—	242.04	11	1. गोदिम्पा	194.46	बकाया	—
12.	नागालैंड	150.00	2	1. अबोई, मोन 2. अबोई, मोन	151.00	2	1. लड़कों के छात्रावास, कोहिमा 2. लड़कियों के छात्रावास, कोहिमा	116.52	2	1. लड़कों के छात्रावास पारेन 2. लड़कियों के छात्रावास पारेन
13.	जेएनयू/आईआईटी दिल्ली	230.63	बकाया	—	234.88	बकाया	—	64.21	बकाया	—
14.	झारखंड	817.86	4	1. लड़कों के छात्रावास, रांची 2. लड़कों के छात्रावास, जमशेदपुर 3. लड़कियों के छात्रावास, रांची 4. लड़कियों के छात्रावास, जमशेदपुर	98.86	18	1. बियारी, रांची 2. घागरा, गुमला 3. विस्बांकी, अर्की, रांची 4. खर्सवान, सारीकेला खर्सवान 5. उपरमुरगथली, दुमका 6. इचागढ़, सराकेली खर्सवान 7. चांदवास, साहेबगंज 8. लोहरदगा 9. पश्चिम सिंहभूम 10. बेरहेट, साहेबगंज 11. गरु, लातेहर 13. काथीकुंड, दुमका 14. लोहरदगा 15. सिमदेगा 16. विजयगिरी, रांची 17. सराइकेला 18. जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम	0	0	—
15.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	—	20.50	बकाया	—	21.44	1	पंगिन, सियांग
16.	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	0	0	—	65.12	2	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	100.79	बकाया	—
	कुल	1814.54	49		1300.00	33		1565.00	15	

टिप्पणी: बकाया से तात्पर्य यह है कि यह राशि गत वर्षों में स्वीकृत छात्राओं से संबंधित है। उस वर्ष विशेष में कोई नया छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, उस वर्ष छात्रावास का स्थान निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन

2900. श्री महावीर भगोरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीमेंट के उत्पादन तथा उपभोग के मामले में पूरे विश्व में भारत की स्थिति काफी नीचे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सीमेंट का उत्पादन और उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 2005-06 में देश में सीमेंट की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन क्रमशः 171.34 मिलियन मी. टन तथा 147.81 मिलियन मी. टन था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सीमेंट की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के संदर्भ में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तथा देश में उत्पादित लगभग सभी सीमेंट का उपभोग करता है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट की मांग में प्रतिवर्ष 11.5% तक वृद्धि होने का अनुमान है जिससे 118 मिलियन मी. टन की क्षमता वृद्धि अपेक्षित है। उदारीकृत आर्थिक माहौल के अन्तर्गत सीमेंट का विनिर्माण औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त है और सरकार निजी क्षेत्र में क्षमता वृद्धि को अनुकूल माहौल प्रदान करके प्रोत्साहित कर रही है।

सर्कस में काम करने वाले बच्चे और महिलाएं

2901. श्री बालेश्वर यादव : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्कस कंपनियों में काम वाले गरीब बच्चों और महिलाओं का शोषण किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों की मदद से इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय सर्कस कंपनियों में काम कर रहे बच्चों तथा महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निर्यात के लिए लक्ष्य

2902. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान निर्यात के लिए निर्धारित किए गए तथा पूरे किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वर्ष 2008-09 तक 150 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का पूर्वानुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीआईआई ने देश के चार पत्तनों को अनन्य रूप से लिंकेज में सुधार के साथ निर्यात के लिए समर्पित करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यात के माध्यम से वर्ष 2006-07 के दौरान रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया तथा वर्ष 2009 तक कितनी अतिरिक्त नौकरियों का सृजन होगा;

(च) देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्तमान वित्त वर्ष 2006-07 के लिए

सरकार द्वारा 125 बिलियन अम. डा. का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में अप्रैल-जनवरी, 2006-07 की अवधि के लिए 99 बिलियन अम. डा. का कुल निर्यात हुआ था।

(ख) और (ग) निर्यात वृद्धि में मौजूदा प्रवृत्ति के आधार पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का यह विचार है कि निर्यात वर्ष 2008-09 तक 150 बिलियन अम. डा. तक पहुंच जाएंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) विकास देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2004-05 में निर्यातों के जरिए कुल 16 मिलियन रोजगारों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) के सृजित होने का अनुमान है। उसी अध्ययन के अनुसार 150 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यातों से 30 मिलियन रोजगार (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) उत्पन्न होंगे।

(च) सीआईआई ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए व्यापार से संबंधित अवसंरचना के उन्नयन की सिफारिश की है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि भारत को वर्ष 2010 तक व्यापार के लिए पत्तनों और विमानपत्तनों पर 10 घंटे के टर्न अराउंड समय से कम का लक्ष्य रखना चाहिए।

(छ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों के संबंध में उनके विचारों के बारे में सीआईआई और भारतीय उद्योग के अन्य प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। निर्यात कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए नीतिगत पहलें सरकार का सतत प्रयास है और प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा निर्यात सौदों में समयांतराल को कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं।

असम समझौता

2903. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम समझौते के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक की गई प्रगति का खण्ड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) असम समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। समझौते के कतिपय अनुच्छेद सतत् रूप से बने रहने वाली प्रकृति के हैं, जैसे कि असम का शीघ्र चहुंमुखी विकास, घुसपैठ रोकने के उपाय, सीमा पार करना/करने का प्रयास करना आदि, अतः इनका सतत् अनुवीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। सरकार असम समझौते का अक्षरशः कार्यान्वयन किए जाने के लिए वचनबद्ध है। असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

असम-समझौता-अनुच्छेदवार कार्यान्वयन की स्थिति

अनुच्छेद 5.1 से 5.9 — विदेशियों से संबंधित मुद्दे :

1- नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को संशोधित किया गया।

2. विशेष पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विदेशी घुसपैठ रोकथाम स्कीम के अन्तर्गत 1280 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई थी।

3. अवैध प्रवासियों/विदेशियों का पता लगाने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के अन्तर्गत असम राज्य में 32 विदेशी विषयक अधिकरण गठित किए गए हैं।

अनुच्छेद 6 और 7 — सुरक्षोपाय तथा आर्थिक विकास :

4. श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर नामक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया गया है।

5. गुवाहाटी स्थित श्री ज्योति चित्राबन (फिल्म) स्टूडियो का आधुनिकीकरण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में संस्थान के और अधिक विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

6. लगभग 2,500 करोड़ रु. की लागत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थापित की गई थी।

7. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में तथा दूसरा सिलचर में स्थापित किए गए हैं।

8. गुवाहाटी में एक आई आई टी स्थापित की गई है।

9. कथालगुड़ी पावर परियोजना (60 एम डब्ल्यू) शुरू की गई है।

अनुच्छेद 8 से 14 — अन्य मुद्दे

10. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास है।

11. असम-बांग्लादेश सीमा पर मंजूर की गई 223.81 कि.मी. में से 190 कि.मी. की सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। 236.62 कि.मी. सीमा सड़कें पूरी की जा चुकी हैं।

12. विद्रोह के दौरान मारे गए व्यक्तियों के नाते रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

13. विद्रोह के संदर्भ में कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की गई है।

14. भर्ती मामले में, 1.1.1980 से 15.8.1985 की अवधि के दौरान असम राज्य में साधारणतः रहने वाले आवेदकों के मामले में छः वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे।

15. विद्रोह के संदर्भ में गिरफ्तार एन एस ए नजरबंदों को रिहा किया जा चुका है।

सस्ते केसर का आयात

2904. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केसर में बड़े पैमाने पर मिलावट तथा इसकी सस्ती ईरानी किस्म के बेरोक-टोक आयात से कश्मीर का केसर उद्योग लुप्त होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की कश्मीर के केसर उद्योग को बचाने तथा इसका विकास करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय बाजारों में कश्मीरी टैग से ईरानी केसर बेचने के खतरे को रोकने के लिए तथा इसके आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। सरकार को केसर की सस्ती ईरानी किस्म के बिना जांचे आयातों और अनियंत्रित मिलावट की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

2905. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में 302 वस्तुएं शामिल की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पहले ही अतिरिक्त वस्तुओं को अधिसूचित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में और सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की भारत से आयात योग्य मदों की सूची में 302 मदें शामिल किए जाने से उसमें मदों की संख्या अब 1075 हो गई हैं। इस संबंध में ब्यौरे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट 'commerce.nic.in' पर व्यापार करार/पारगमन करार-भारत पाकिस्तान व्यापार करार शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(घ) द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान हेतु भारत और पाकिस्तान संयुक्त वार्ता संबंधी कार्य ढांचे के भीतर वार्ताओं सहित विचार-विमर्श कर रहे हैं।

तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला

2906. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी तम्बाकू उत्पादों में तम्बाकू तथा निकोटिन की मात्रा का पता लगाने के लिए तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), राजमुंदरी के पास तम्बाकू में निकोटिन तथा अन्य प्रमुख रासायनिक तत्वों के विश्लेषण हेतु पहले से ही एक प्रयोगशाला है। व्यापारियों एवं अन्य द्वारा अपेक्षानुसार तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निकोटिन तथा अन्य गुणवत्तात्मक मापदण्डों के विश्लेषण हेतु सीटीआरआई की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा भी पत्ती तम्बाकू के कीटनाशी अवशिष्ट स्तरों का पता लगाने तथा रासायनिक गुणधर्मों का विश्लेषण करने और इसके द्वारा गुणवत्तायुक्त तम्बाकू के उत्पादन हेतु किसानों को सलाह देने के लिए तम्बाकू पत्ती के नमूनों का विश्लेषण कराया जा रहा है। अत: दूसरी तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में निजी निवेश

2907. श्री मनोरंजन भक्त : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में निजी निवेश को बढ़ाकर लघु औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू तथा शिल्पकारी उत्पादन इकाइयों को अधिक प्रौद्योगिकीय विपणन सहायता दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेजों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य (यू.टी.) प्रशासन ने निजी निवेश का संवर्धन करने तथा लघु औद्योगिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहन उन्मुख विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं:

1. वित्तीय सहायता
2. विपणन समर्थन
3. सब्सिडी उन्मुख सहायता
4. आधारिक संरचना समर्थन
5. प्रौद्योगिकी समर्थन

(ग) और (घ) जी, हां। संघ राज्य प्रशासन पोर्ट ब्लेअर, रनगत, दिग्लीपुर एवं कार निकोबार में स्थित अपने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विपणन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से लघु उद्योगों को निम्नलिखित व्यवसायों में प्रौद्योगिकीय एवं विपणन समर्थन प्रदान करता है:

1. वुड वर्किंग
2. लोहागिरी, शीट मेटल एवं इलैक्ट्रोप्लेटिंग
3. हस्तशिल्प
4. लेकअर वेयर क्राफ्ट
5. टेलरिंग एवं गारमेंट मेकिंग
6. केन एवं बैम्बू
7. कोर
8. खाद्य प्रसंस्करण

(ङ) सरकार ने 27 फरवरी, 2007 को लोक सभा में "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज" की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों (एस एम ई) के क्लस्टर आधारित विकास के लिए उपाय; प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयनीकरण के लिए समर्थन; विपणन, उद्यमिता एवं प्रबन्धकीय विकास; महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने; प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) को सुदृढ़ करने तथा एम एस एम ई क्षेत्र के लिए डाटा आधार को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद

2908. श्री एल. राजगोपाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद के साथ परामर्श कर एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना इसके पुनरीक्षण हेतु विनिर्माण संबंधी उच्च-स्तरीय समिति को भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वस्त्र मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना अभी तक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद द्वारा जांच के लिए विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:–

(i) वस्त्र एवं परिधान (टी एंड जी) क्षेत्र के क्रमशः 2010 तक 85 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य (50 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात), 2011-12 तक 115 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य (55 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात) और 2014-15 तक 133 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य (63 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात) तक बढ़ जाने का लक्ष्य है।

(ii) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना में यह दर्शाया गया है कि वस्त्र एवं परिधान उद्योग को मूल्य की दृष्टि से 16%, कपड़ा उत्पादन क्लोदिंग एवं अपैरल तथा निर्यात क्षेत्र में क्रमशः 12%, 16% और 22% तक बढ़ने की आवश्यकता है।

(iii) वृद्धि बनाए रखने के लिए, आशा है कि उद्योग को 2007-12 की अवधि के दौरान 1,94,000 करोड़ रु. (43 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के निवेश की आवश्यकता होगी।

(iv) इस अवधि के दौरान उद्योग का 14 मिलियन नौकरियों का अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

(v) मंत्रालय ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के साथ विचार-विमर्श कर निम्नलिखित थ्रस्ट क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं :–

(क) मानव निर्मित फाइबर

(ख) परिधान

(ग) कौशल विकास

(घ) तकनीकी वस्त्र

तम्बाकू बोर्ड

2909. श्री सुब्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड का पिछले कुछ दिनों में पुनर्गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या इसके पुनर्गठन से पहले बोर्ड द्वारा कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तम्बाकू बोर्ड को हाल ही में नामित प्रत्येक पब्लिक मैम्बर की संबद्ध प्रायोजकता कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) तंबाकू बोर्ड का पुनर्गठन पिछली बार वर्ष 2005 में किया गया था। बोर्ड के सदस्यों का चयन तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4(4) में किए गए उपबंधों के अनुसार और उनके कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन्हें प्राप्त विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) बोर्ड के पुनर्गठन से पूर्व उसके द्वारा कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई थी।

विवरण

तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्तमान सदस्यों के ब्यौरे

1. डा. जे. सुरेश बाबू, आई.ए.एस., अध्यक्ष, तंबाकू बोर्ड
2. श्री एम. वेंकैया नायडू, संसद सदस्य (राज्य सभा)
3. श्री रायापति सांबासिवा राव, संसद सदस्य (लोक सभा)
4. श्री डी. के. आदिकेसवुलू नायडू, संसद सदस्य (लोक सभा)
5. श्री प्रशांत गोयल, आई.ए.एस., उप सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
6. श्री वी. डी. आलम, निदेशक (वित्त), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
7. श्री संजय के थाडे, आई.ए.एस, निदेशक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार
8. डा. वी. कृष्णमूर्ति, निदेशक, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
9. डा. सी. वी. एस. के. शर्मा, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, कृषि विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
10. डा. आर. ए. शेरसिया, कृषि निदेशक, गुजरात सरकार
11. डा. मालप्पा, कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार
12. श्री चिंता वेंकटेश्वर राव, कांचीकचेलो, कृष्णा जिला
13. श्री वी. वी. जावरेगौड़ा, पेरियापटना, मैसूर जिला
14. श्री डी. एम. अबू मोहम्मद, मैसूर
15. श्री पी. के. अग्रवाल, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग—सदस्य (पदेन)
16. कार्यकारी निदेशक, तंबाकू बोर्ड—सदस्य (पदेन)

कास्टिक सोडा का आयात

2910. श्री नरहरि महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किए जा रहे कास्टिक सोडा फ्लेक/सौलिड/लाई की कुल मात्रा कितनी है तथा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने कास्टिक सोडा पर उत्पाद शुल्क को कम किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मैम्बरेन सेल प्लांट, ईंधन तेल तथा रक्षित विद्युत उत्पादन के लिए मशीनरी के आयात पर उत्पादन शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) कास्टिक सोडा फ्लेक/सालिड/लाई के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
2005-06	58320.0	8934.4
2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर)	86478.6	12878.0

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कास्टिक सोडा उद्योग नियंत्रण मुक्त एवं लाइसेंस मुक्त है और इसीलिए उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाली सामग्रियों की कीमतें बाजार द्वारा संचालित होती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय रेशम कीट बीज विनियामक प्राधिकरण नेशनल सिल्कवर्म सीड रेग्यूलेटरी अथारिटी

2911. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नेशनल सिल्कवर्म सीड रेग्यूलेटरी अथारिटी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कार्य हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेशम उत्पादन करने वाले राज्यों को उचित महत्त्व/प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रेशम कीट बीज विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 42) अधिसूचित कर केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का LXI) में संशोधन किए गए हैं। इस अधिनियम में संशोधन के तहत ''रेशम कीट बीज समिति'' के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

यह समिति निम्नलिखित आवश्यक उपाय कर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(i) रेशम कीट बीज के प्रकार अथवा किस्म के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण;

(ii) वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेशम कीट प्रजातियों और संकरों का अधिकरण;

(ii) रेशम कीट बीजों के उत्पादन के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण;

(iv) उन शर्तों और आवश्यकताओं का निर्धारण जिन्हें रेशम कीट बीजों का उत्पादन अथवा भंडारण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है;

(v) पंजीकृत उत्पादकों द्वारा बेचे गए बीजों के लिए प्रमाणन और रेशम कीट बीज परीक्षण प्रक्रियाओं का निर्धारण;

(vi) विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और बीज प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रेशम कीट बीज उत्पादकों और वितरकों का पंजीकरण करना तथा निरीक्षण प्रक्रिया का नियंत्रण, पर्यवेक्षण करना;

(vii) रेशम कीट बीज का आयात और निर्यात के लिए शर्तों और मानकों का निर्धारण तथा उनका अनुपालन;

(viii) रेशम कीट बीज उत्पादन का कार्यक्रम और योजना बनाना;

(ix) उपर्युक्त मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना; और

(x) रेशम कीट बीज का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े ऐसे अन्य मामले जो समय-समय पर समिति द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हों।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश में रेशम उद्योग के विकास के लिए रेशम उत्पादक राज्यों को उचित महत्व/प्राथमिकता प्रदान करती है। देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए प्रमुख एजेंसी के नाते केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) रेशम उद्योग को अनुसंधान एवं सहायता तथा मूल बीज सहायता प्रदान करता है। राज्य रेशम उत्पादन विभागों के माध्यम से राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में रेशम उद्योग के वकास के लिए विस्तार सहायता, वाणिज्यिक बीज और बाजार सहायता देती हैं।

भारत सरकार उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के माध्यम से रेशम उत्पादक राज्यों को धन दे रही है। वर्ष 2006-07 के दौरान इन राज्यों को कुल 89.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को पेंशन

2912. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ताकि ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी नहीं। तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों हेतु पेंशन प्रदान किया जाना एक नियमित स्कीम 1972 से प्रचलन में है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क

2913. **श्री रनेन बर्मन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क (ईपीआईपी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के लिए किसी भी ईपीआईपी को मंजूरी नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) दिनांक 13 मार्च, 2002 से पूर्ववर्ती निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) स्कीम को निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं का विकास और संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम में मिला दिया गया था और इस प्रकार देश में इस समय कोई ईपीआईपी स्कीम प्रचालन में नहीं है। तथापि, पूर्ववर्ती स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ईपीआईपी की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

[हिन्दी]

कपास उद्योग

2914. **श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उद्योग पंजाब सहित अनेक राज्यों में कठिनाइयों/संकटों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एनएसजी की महिला कमांडो की स्काई मार्शल के रूप में तैनाती

2915. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की महिला कमांडो की स्काई मार्शल के रूप में तैनाती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी महिला कमांडो की तैनाती की गई है और इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का एनएसजी की और महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण देने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपेक्षित संख्या में महिला कमांडो की पूरी तरह से तैनाती कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) स्काई मार्शल के रूप में किसी महिला कमांडो की तैनाती नहीं की गई है। तथापि, प्राधिकृत संख्या के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) में भर्ती की गई महिला कमांडो का प्रशिक्षण और तैनाती बल की आवश्यकतानुसार किया जाता है।

बाल संरक्षण हेतु बजट

2916. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ और गैर-सरकारी संगठनों ने देश में बाल शोषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान/उपयोग की गई;

(ङ) क्या सरकार का बाल संरक्षण हेतु धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को ये निधियां कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'प्रयास' नामक स्वैच्छिक संगठन, यूनीसेफ तथा सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से बाल शोषण पर एक सर्वेक्षण कराया गया है।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) बाल संरक्षण की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय बजट में वर्ष 2004-05 में 152.87 करोड़ रुपये; वर्ष 2005-06 में 173.04 करोड़ रुपये और वर्ष 2006-07 में 192.81 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। स्कीमों के अंतर्गत अनुदान की निर्मुक्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को की जाती है।

(ङ) और (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बाल संरक्षण हेतु अधिक बजट आबंटन की मांग करता रहा है। मंत्रालय को ''समेकित बाल संरक्षण स्कीम'' नामक एक नई स्कीम हेतु वर्ष 2007-08 के लिए 95 करोड़ रुपये की राशि मिली है।

साफ्टा

2917. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान से हाल ही में काठमांडू में काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) का अनुपालन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या साफ्टा के कार्यान्वयन पर दोनों देशों के बीच कोई मतभेद हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने में भारत और पाकिस्तान से कितनी भूमिका की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) काठमांडू, नेपाल में 26 फरवरी, 2007 को आयोजित साफ्टा मंत्रिस्तरीय परिषद (एसएमसी) की दूसरी बैठक में ऐसा कहा गया था।

(ख) से (घ) भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सातों सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार 1 जनवरी, 2006 से लागू हो गया है। साफ्टा के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के अनुसार साफ्टा के लागू होने के दस वर्षों के भीतर सार्क के सभी सदस्य देशों के लिए प्रत्येक सदस्य देश द्वारा संवेदनशील सूची में रखी गई मदों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर टैरिफ घटाकर शून्य से 5% तक करना अपेक्षित है। यह टीएलपी 1 जुलाई, 2006 से कार्यान्वित हो गया है और सभी सदस्य

देशों ने प्रथम चरण हेतु टैरिफ रियायतें अधिसूचित कर दी हैं, जिसे 31.12.2007 तक पूरा किया जाना है। साफ्टा की टैरिफ रियायतों के लिए पाकिस्तान की अधिसूचना में यह संशोधन किया गया है कि साफ्टा के अंतर्गत भारत से आयात उनके उस आयात नीति आदेश के अनुसार जारी रहेंगे जिसमें भारत से आयात योग्य मदों की सकारात्मक सूची नामक एक सूची निर्धारित की गई है जिसमें अब 1075 मदें शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा साफ्टा करार में यह आंशिक भागीदारी, जिसमें पूर्ण रूप से भारत को लक्ष्य बनाया गया है न कि साफ्टा के अन्य देशों को, साफ्टा की मूल भावना के प्रतिकूल है।

साफ्टा मंत्रिस्तरीय परिषद की दूसरी बैठक में भारत ने साफ्टा को उसकी मूल भावना के अनुरूप कार्यान्वित करने की जरूरत पर बल दिया था। भारत ने पाकिस्तान के साफ्टा के प्रति भारत विशिष्ट प्रतिगामी कदम के बारे में चिंताएं व्यक्त की थीं। यद्यपि पाकिस्तान ने साफ्टा के प्रति पूर्ण वचनबद्धता का संकेत दिया था और इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान की आशा व्यक्त की थी तथापि, एसएमसी की दूसरी बैठक में इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाला जा सका।

(ङ) साफ्टा की सफलता, जिससे अंतरा-सार्क व्यापार में भारी वृद्धि होने की आशा है, भारत और पाकिस्तान सहित सभी सदस्य देशों द्वारा उसकी मूल भावना के अनुरूप कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। भारत ने पाकिस्तान सहित सभी देशों को समस्त साफ्टा रियायतें प्रदान कर दी हैं। पाकिस्तान से भी भारत विशिष्ट किसी प्रतिबंध के बिना साफ्टा का पूर्णरूप से कार्यान्वयन किए जाने की आशा की जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु कृतिक बल

2918. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु रणनीतियां बनाने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कृतिक बल के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों/सुझावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) योजना आयोग ने कौशल विकास जिसमें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी कार्यनीतियां भी शामिल हैं, के संबंध में सिफारिशें करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल का संघटन और इसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। योजना आयोग ने सूचित किया है कि इस कार्यबल से अपनी रिपोर्ट मार्च, 2007 के अन्त तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

विवरण

कौशल विकास के संबंध में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल

(क) इस कार्यबल का संघटन इस प्रकार होगा:

(i)	डा. तरुण दास, मुख्य परामर्शदाता, भारतीय उद्योग परिषद्, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(ii)	श्री कृष्ण खन्ना, अध्यक्ष, "आई वाच" 305, ओलम्पस, अल्ट्रामाऊंटरोड, मुम्बई-200026	सदस्य
(iii)	श्री राजेन्द्र पवार, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
(iv)	डा. नरेश त्रेहान, कार्यकारी निदेशक, एस्कार्ट्स अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
(v)	डा. सुरिन्दर कपूर, अध्यक्ष, सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम	सदस्य
(vi)	श्री वी. अकुला, सी.ई.ओ. एस.के.एस. माइक्रोफाइनेंस	सदस्य

(vii)	श्री आर. गोपालकृष्णन, निदेशक, टाटा सन्स	सदस्य
(viii)	कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
(ix)	कुलपति, एन.यू.ई.आर.टी.	सदस्य
(x)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
(xi)	श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
(xii)	किसी प्राइवेट प्रशिक्षण स्थापना के प्रतिनिधि	सदस्य
(xiii)	श्री बी.एस. बसवान, वरिष्ठ परामर्शदाता योजना आयोग, नई दिल्ली	संयोजक

(ख) कार्यबल के विचारार्थ विषय

(i) सूचीपत्र और रूपरेखा बनाना

- सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र इस समय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

- 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले मानक नामपद्धति वाले ब्लाक, जिला और राज्यवार सभी उद्यम ताकि प्रयोगात्मक/अनुभव/रोजगार पर रहते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने में इन उद्यमों का उपयोग किया जा सके।

- ग्राम, ब्लाक, जिला और राज्यवार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाएं जिसमें इनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों, उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षकों और शिक्षकों, सत्यापन इत्यादि का ब्यौरा भी दिया जाए।

(ii) अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पाठ्यक्रमों का डिजाइन बनाने तथा नए पाठ्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू करने की दीर्घकालिक योजना बनाना।

(iii) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों के मध्य विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व को निर्धारित करने तथा प्राइवेट क्षेत्र के लिए परिकल्पित भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित उपायों की सिफारिश करना। विशिष्ट रूप से उस भूमिका की सिफारिश करना जिसे वाणिज्य और उद्योग परिसंघों को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में अदा करना चाहिए।

(iv) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों के मुद्दों को सुलझाना और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों के लिए सत्यापन प्रक्रिया की सिफारिश करना।

(v) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मौजूदा भौतिक सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने सबंधी सिफारिश करना। प्राइवेट क्षेत्र को सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करके सार्वजनिक-प्राइवेट-हिस्सेदारी की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

(vi) नियमित विद्यालय पद्धति में पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी उपयुक्त स्तर (कक्षा-8 अथवा 10) की सिफारिश करना ताकि इसमें-'अकादमिक' और 'अनुप्रयुक्त' दोनों प्रकार की विस्तृत विधाओं को शामिल किया जा सके। विद्यालय पद्धति में इससे सबंन्धित अपेक्षित परिणामी परिवर्तन की सिफारिश करना।

(vii) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार के लिए अपेक्षित योग्य शिक्षकों/प्रशिक्षुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरीकों का पता लगाना।

(viii) संभावित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अपेक्षित सूचना

सुलभ कराने के लिए कारगर तंत्र की व्यवस्था करने की सिफाशि करना।

(ix) उन तरीकों की सिफारिश करना जिनसे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में आम धारणा को अधिक सकारात्मक बनाया जा सके और इसमें नाम पद्धति के परिवर्तन तथा मीडिया अभियान भी शामिल है।

(x) किन्हीं अन्य प्रासंगिक मामलों जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, पर विचार करना तथा सिफारिश करना।

- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कानून की आवश्यकता।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रशिक्षुओं को अन्य स्थानों पर रोजगार प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाए, के लिए भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकताएं।

औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण

2919. श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री परसुराम माझी :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री अवतार सिंह भडाना :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री सज्जन कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण भिन्न-भिन्न तरीकों से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन का पता लगाने और अधिग्रहीत भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार ऐसी अधिग्रहीत 25 प्रतिशत भूमि का अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु उपयोग सुनिश्चित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार की भूमि अर्जन कानून की समीक्षा करने की कोई योजना है; और

(झ) यदि हां, तो किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भौगोलिक विविधता का विकास और संरक्षण

2920. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की भौगोलिक विविधता के संरक्षण और विकास हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या चीन सहित विभिन्न विकसित देशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ङ) खान मंत्रालय का देश की भौगोलिक विविधता का विकास और संरक्षण के लिए एक विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीन ने एक राष्ट्रीय भौगोलिक पार्क की स्थापना की है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन राजस्व का सृजन करने की क्षमता रखता है।

खानों की सुरक्षा

2921. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में खानें कामगारों के लिए सुरक्षित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी आपदाएं घटित हुई और खान-वार कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा उनके सगे संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने चार वर्षों में एक बार की वर्तमान पद्धति के बजाय प्रति दो वर्ष की अवधि में खानों की सुरक्षा स्थिति संबंधी पद्धति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निरीक्षण के परिणामस्वरूप अथवा अन्यथा, जब कभी खान सुरक्षा महानिदेशालय को किसी खान में असुरक्षित स्थिति का पता चलता है तो ऐसे क्षेत्र से कामगारों को हटया जाता है और खान अधिनियम 1952 की धारा 22 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश के माध्यम से खान गतिविधि को रोक दिया जाता है।

(ख) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा यथासूचित 2002-2006 के दौरान खानों में दुर्घटनाओं (10 अथवा अधिक मौतें) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	खान का नाम	व्यक्तियों की संख्या	
		मारे गए	गंभीर रूप से घायल
1.	गोदावरी खानी/नं. 7 एलईपी	17	0
2.	गोदावरी खानी/नं. 8ए	10	2
3.	सेन्ट्रल सौंदा	14	0
4.	भालडी	50	0

मुआवजा के भुगतान के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है और सामान्य प्रैक्टिस का पालन किया जा रहा है।

नक्सलवाद द्वारा प्रभावित विकास परियोजना

2922. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक भुवनेश्वर में हुई थी;

(ख) यदि हां, इसमें चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या लौह समृद्ध नक्सल प्रभावित राज्य बड़ी इस्पात कंपनियों के लिए व्यवसाय के दरवाजे खोलने के विरोध के कारण माओवादियों द्वारा प्रभावित हैं;

(घ) यदि हां, तो एसे राज्यों द्वारा विभिन्न समूहों, के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विकास परियोजनाओं में बाधा पहुंचाने की ऐसी नक्सलवादी गतिविधि से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में समन्वय केन्द्र की 22वीं बैठक, 27-28 दिसम्बर, 2006 को भुवनेश्वर में हुई। इस बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों में क्षमता निर्माण और आसूचना ढांचे को सुदृढ़ बनाना; पुलिस अधिकारियों/पदाधिकारियों की रिक्तियों को भरना और निचले स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों का विकास करना; केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; भूमि रिकार्डों की प्रतिभूति के आधार पर नागरिक सेवायें प्रदान करना और शक्तियों का अंतरण कर पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और औद्योगिकीकरण तथा विस्थापन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पुन: स्थापना और पुनर्वास नीतियों की समीक्षा करना शामिल है।

सी पी आई (माओवादी) और अन्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में लौह अयस्क निकालने का विरोध कर रहे हैं। सरकार,

नक्सल समस्या हल करने के लिए राजनीतिक, सुरक्षा और विकास मंचों के माध्यम से बहु-आयामी रणनीति अपनाती रही है। नक्सली हिंसा का मुकाबला करने के लिए राज्यों द्वारा स्वयं और संयुक्त रूप से प्रभावी और निरंतर पुलिस कार्रवाई की जाती है। नक्सल प्रभावित राज्यों से कहा गया है कि वे वितरण और निगरानी तंत्र में सुधार करें ताकि नक्सल प्रभावी राज्यों का तेजी से विकास सुनिश्चित हो सके। केन्द्र सरकार, नक्सल समस्या द्वारा पेश की गई चुनौती का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा और विकास, दोनों क्षेत्रों में राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों का समन्वय करती है और उनकी सहायता करती है।

जनजातीय नामों में परिवर्तन

2923. श्री कीरेन रिजीजू : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से जनजातियों के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनकी स्थिति क्या है; और

(ख) अनुसूचित जनजाति के नाम ''दफला'' को परिवर्तित करके ''न्यीशी'' करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, जनजातियों के नाम में परिवर्तन के लिए किसी भी राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 2002 में अरुणाचल प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में दी गई अनुसूचित जनजातियों के 11 (ग्यारह) विद्यमान नामों के स्थान पर अन्य नाम रखने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें, विद्यमान प्रविष्टि ''दफला'' के स्थान पर ''न्यीशी'' प्रविष्टि रखना सम्मिलित था।

(ख) ''दफला'' के स्थान पर ''न्यीशी'' रखने से संबंधित प्रस्ताव सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदित पद्धतियों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

भाषाओं को बढ़ावा देना

2924. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संथाली सहित अन्य भाषाओं के विकास हेतु चालू पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार संथाली सहित अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान भाषा-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में भाषाओं, जिसमें संथाली भाषा भी शामिल है, के विकास के लिए 323.28 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

(ख) और (ग) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा इस समय कई संगठनों तथा योजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है। संथाली भाषा के लिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने संथाली भाषा, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति तथा अनुवाद के संवर्धन के लिए एक योजना तैयार की है। इसके अन्तर्गत संथाली भाषा के विस्तृत शब्दकोश का निर्माण हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी तथा अंग्रेजी भाषा के साथ संथाली भाषा के बहुभाषी तथा बहुआयामी शब्दकोश तैयार करना, एकभाषी संथाली-संथाली शब्दकोश तैयार करना, संथाली भाषा में बहुत सी अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के लिए प्रकाशन अनुदान तथा संथाली भाषा में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने संबंधी सुविधाओं का सृजन शामिल है। पुस्तक प्रोन्नयन के लिए थोक खरीद हेतु सहायता अनुदान योजना में संथाली भाषा को शामिल किया गया है।

(घ) भाषावार कोई पृथक कार्य योजना नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न भाषा संगठनों तथा योजनाओं के लिए 112 करोड़ रु का बजट अनुमान किया गया है।

वस्त्र उद्योग

2925. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वस्त्र उद्योग के सामने आ रही मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी दल ने वस्त्र उद्योग के सामने आ रही प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया है जिनमें निम्नलिखित शामिल है :–

(i) बुनाई एवं प्रसंस्करण में संरचनात्मक कमजोरियां;

(ii) बिखरा हुआ एवं प्रौद्योगिकीय रूप से पिछड़ा हुआ वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र;

(iii) बिखरा हुआ परिधान उद्योग;

(iv) कठोर श्रम कानून;

(v) घरेलू वस्त्र मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र की अपर्याप्त क्षमता;

(vi) वस्त्र क्षेत्र में अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं; और

(vii) विद्युत, उपयोगिकता, सड़क परिवहन आदि की दृष्टि से अवसंरचनात्मक अड़चनें।

(ग) सरकार ने भारत में वस्त्र क्षेत्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), अत्याधुनिक मशीनरी के आयात पर सीमाशुल्क में कमी, ऋण पुनर्निर्माण योजना, अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्रों (एटीडीसी) की स्थापना, स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना आदि जैसे अनेक उत्तरोत्तर उपाय किए हैं। सभी भागीदारों के परामर्श से सरकार समय-समय पर इन योजनाओं में संशोधन करती है ताकि कार्यक्रमों/योजनाओं को उन्नत रूप से आगे बढ़ाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। इन प्रगामी उपायों से वस्त्र क्षेत्र को उत्पादन में उन्नत वृद्धि प्राप्त करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा विश्व में वस्त्र निर्यात बाजार का हिस्सा बढ़ाने में सहायता मिली है।

भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

2926. **श्री पी.सी. थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) का भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) के रूप में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में इसी कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2006-07 के दौरान कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग के लिए लक्ष्य

2927. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान छत्तीसगढ़ सहित प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में खादी कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसके फलस्वरूप राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार खादी और ग्राम उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य उद्दिष्ट किए बिना निधियां आबंटित करती है। इसके बाद केवीआईसी अपनी कार्यक्रम

कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्डों (केवीआईबी), कार्यान्वयन बैंकों आदि से विचार विमर्श के पश्चात् विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य आबंटित करता है। केवीआईसी द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वर्तमान वर्ष के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार से 2007-08 के लिए निश्चित किए गए ऐसे लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मार्च, 2007 के बाद ही उपलब्ध होगा। सरकार ने केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 711.00 करोड़ रु. के योजना बजट का प्रस्ताव किया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1.	खादी अनुदान	100.00
2.	विपणन विकास सहायता	10.00
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान (खादी)	2.00
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान (ग्राम उद्योग)	2.00
5.	ग्राम उद्योग अनुदान	56.00
6.	ग्राम उद्योग ऋण	1.00
7.	खादी ऋण	3.00
8.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)	445.00
9.	ब्याज सब्सिडी (बुक एडजस्टमेंट)	24.00
	योग	643.00
10.	नई योजनाएं	68.00
	सकल योग	711.00

(ग) 2007-08 के दौरान, खादी एवं ग्राम उद्योग कार्यक्रमों के तहत रोजगार के माध्यम से लाभान्वित होने वाले संभावित व्यक्तियों की संख्या लगभग 96.13 लाख (खादी के तहत 9.30 लाख तथा ग्राम उद्योग के तहत 86.83 लाख) होगी।

[अनुवाद]

निकोबार के भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा उठाई गई समस्या

2928. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रेट निकोबार के कैंपबेलबे के भूतपूर्व सैनिक संघ से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उठाई गई समस्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) सुनामी के पश्चात् उनके द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां।

(ख) उनके द्वारा उठाई गई मुख्य समस्याएँ निम्न हैं:

(i) हालांकि उनको सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों से उस समय के बिना आबादी वाले द्वीप समूहों में बसाया गया था और घने जंगलों में स्थापित किया गया था, परन्तु अब अवैध विस्थापितों को कैम्पबेलबे के निकट अतिक्रमण करने/बसने की अनुमति प्रदान की गई है। यह उल्लेख किया गया है कि अवैध विस्थापित/अतिक्रमणकर्ता लाभ प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि बिजली/विद्युत कनैक्शन तथा वे पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के पदाधिकारी बन गए हैं।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों की मौजूदा बस्तियां अच्छी तरह जुड़ी हुई नहीं हैं और उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

(ग) सुनामी के पश्चात उनके द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्याएँ, जिनका ज्ञापन में उल्लेख है, नीचे दी गई हैं:

(i) उनको राहत/मुआवजा नहीं मिला है परन्तु सुरक्षित स्थानों पर रहने वाले अतिक्रमणकर्ताओं/अवैध विस्थापितों ने

छल से काम लिया है तथा उन्होंने ये लाभ प्राप्त किए हैं।

(ii) उपचार, उच्च शिक्षा, आदि के लिए मुख्य भूमि जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के नामों को सुनामी राहत और पुनर्वास की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई औद्योगिक नीति

2929. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.ई. औद्योगिक नीति के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों की तर्ज पर असम और पूर्वोत्तर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन को दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े राज्यों के लिए इसी प्रकार की दूसरी नीति लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे औद्योगिकीकरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोत्साहन उत्पाद शुल्क में छूट, आयकर छूट, निवेश राजसहायता, ब्याज राजसहायता, बीमा राजसहायता आदि के संबंध में हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रिसेटलमेंट बेनिफिशिएरी ओरिएंट ट्राइबल स्कीम में संशोधन

2930. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ''बेनिफिशिएरी ओरिएंट ट्राइबल डिवलेपमेंट स्कीम'' के अंतर्गत पुनःस्थापन की पहले से तयशुदा दरों में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने और दरों को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों से संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को नए स्थानों पर बसाने/पुनर्वास से संबंधित मानदंडों में संशोधन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) एक पेशेवर एजेंसी के माध्यम से नए स्थान पर ग्रामों को बसाने/पुनर्वास के लिए आदर्श वरणाधिकारहीन पैकेज के विकास के लिए कार्रवाई की गई है।

नवोदय विद्यालय से छात्रों का लापता होना

2931. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तिनसुकिया जिले सहित देश में नवोदय विद्यालय के कुछ छात्र लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में नवोदय विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) सरकार को 12 फरवरी, 2007 को तिनसुकिया जिले के नवोदय विद्यालय डुमडुमा से सात लड़कों के लापता होने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। अब ये लड़के वापस आ गए हैं। इस घटना को छोड़ कर नवोदय विद्यालयों से किसी विद्यार्थी के लापता होने की कोई और रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) राज्य सरकार, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के सभी कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि वे कानून और व्यवस्था के प्रशासन में सुधार करने पर अधिक ध्यान दें।

अनाथालयों के संबंध में नीति

2932. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने अनाथालय हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा अनाथालयों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की अनाथालयों के संबंध में अपनी वर्तमान नीति की समीक्षा करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में भूकंप और साम्प्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों का राज्यवार और घटनावार ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा ऐसे अनाथ और बेसहारा बच्चों का पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ज) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में अभी तक कोई विदेशी सहायता मिली है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) भारत सरकार देश में अनाथालयों के बारे में सूचना नहीं रखती है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'देश में दत्तक-ग्रहण के संवर्धन हेतु शिशुगृहों के लिए सहायता' नामक एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ/परित्यक्त बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित गृहों तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायतानुदान दिया जाता है, ताकि बच्चों की अच्छी देखरेख हो सके और उन्हें स्नेहमयी परिवारों को गोद दिया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता-प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकारों के नाम केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) के वेबसाइट www.adotionindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) अनाथालयों के संबंध में कोई पृथक नीति नहीं है। अन्य बाल देखरेख संस्थाओं की भांति अनाथालय भी किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा शासित हैं।

(च) से (झ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस प्रकार की सूचना नहीं रखता। आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार इस प्रकार के अनाथ और परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय को इस संबंध में कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

उद्योगों को पैकेज

2933. श्री श्यामा चरण गुप्त : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गन्ने, सिलिका और रेत आदि जैसे कच्चे माल की उपलब्धता के मद्देनजर शीशा, सीमेंट और ग्रेनाइट उद्योगों तथा चीनी कारखानों की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में औद्योगिक पैकेज की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजित करने के लिए इस क्षेत्र को अनदेखा किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उदारीकृत आर्थिक माहौल के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा लिये गये निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी आर्थिक समझ पर आधारित होते हैं जो क्रमशः अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा अन्य प्रोत्साहनों को प्रदान करके अनुकूल वातावरण सृजित करने में राज्य सरकार की पहलों पर निर्भर करते हैं। केन्द्र सरकार, जहां तक संभव हो, उनके प्रयासों में सहायता करती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवंसरचना उन्नयन योजना तथा औद्योगिक पार्क योजना को क्रियान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के व्यापारियों को सुरक्षा

2934. सुश्री महबूबा मुफ्ती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य भागों की यात्रा करने वाले और वहां व्यापार करने वाले जम्मू और कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 22 जनवरी, 2007 को सलाह जारी की गई है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों को अनुदेश जारी करें कि कश्मीरियों को अलग से चुन कर परेशान या उत्पीड़ित न किया जाए और ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (सी आई डी), जम्मू और कश्मीर के साथ सूचना का आदान-प्रदान भी किया जाए।

[हिन्दी]

बीकनों का उपयोग

2935. डा. शफीकुर्रहमान बर्क :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से उनके निजी वाहनों पर पहचान के रूप में बीकन लगाने की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नयाचार के अनुसार माननीय संसद सदस्यों को उनके वाहनों पर किस रंग की बत्ती का इस्तेमाल करने की अनुमति है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों ने संसद सदस्यों के वाहनों से लाल बत्ती हटाने के आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। विस्तृत अनुदेशों के अनुरूप संसद सदस्य अपने वाहनों पर किसी लाइट/बीकन का इस्तेमाल करने के लिए पात्र नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना का अधिकार

2936. श्री चन्द्र शेखर दुबे : क्या खान मंत्री 8 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक एकत्रित कर लिये जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना/स्पष्टीकरण एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2937. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 और 2006 के दौरान महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों के लिए कोई अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है और धनराशि जारी की है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों का कोई प्रस्ताव विचार हेतु लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान-सहायता निर्मुक्त की है:

(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान

(2) जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसर

(3) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(4) आदिम जनजातीय समूहों का विकास

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदानों का वर्षवार एवं गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) संगत योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को राज्य के आबंटन के अनुसार निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजनाओं के अंतर्गत राज्य के आबंटन के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसर की योजना के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से, एक पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है और दूसरा प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए कार्रवाई की गई है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना के अंतर्गत राज्य को वर्ष 2006-07 के दौरान आबंटन की राशि 244.00 लाख रुपए है। इसमें से, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता सूची के अनुसार 154.35 लाख रुपए मूल्य के 18 प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष 89.65 लाख रुपए की राशि के लिए 16 प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई है।

विवरण

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पहले ही निर्मुक्त अनुदानों का वर्षवार एवं गैर-सरकारी संगठनवार ब्यौरा

(राशि रुपए में)

(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम एवं पते	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (28.2.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	एबीएम समाज प्रबोधन संस्था, थाणे, महाराष्ट्र	0	2408400	2959920	1667210

1	2	3	4	5	6
2.	अभ्युदय संस्था, मालेगांव, लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट, नासिक महाराष्ट्र	0	0	0	994019
3.	आदिवासी देवमोंगरा एजुकेशनल सोसायटी, पो. नटावड, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र	300915	0	459810	554495
4.	भताईदेवी विकास महिला मंडल, मवलनगर, ताल्लुक/ जिला धुले, महाराष्ट्र	200835	0	0	0
5.	दगादु नायक शैक्षणिक एंड सामाजिक संस्था, पलायगुडा, ता. महूर जिला नांदेड, महाराष्ट्र	519660	0	0	0
6.	धर्म स्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वर्कर एंड विकास शिक्षण संस्था, पो. कारला, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	2973616	1316474	1715940	0
7.	एकात्मता सामाजिक शिक्षण मंडल, लोहारी स्वांग, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	200835	0	0	0
8.	हिन्दुस्तान स्पोर्ट एंड जूडो कराटे एसोसिएशन, पिम्पालनु, धुले महाराष्ट्र	300915	0	0	1127970
9.	जय हिन्द मित्र मंडल, कोल्हा, जिला फुलबनी, महाराष्ट्र	300915	0	0	0
10.	जय जगदम्बा बहुउद्देश्यीय संस्था, पो. सजापुर, ताल्लुक बर्शी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	0	0	0	609330
11.	खांडेराव एजुकेशन सोसायटी, बसार, जिला धुले, महाराष्ट्र	300915	0	1315933	560669
12.	नवयुवती महिला मंडल, शिरूर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	300915	0	0	1018373
13.	राजमाता जिजाऊ महिला मंडल, पारसोले सैकेंडरी स्कूल, मेन रोड, तालोदा, ता. तालोदा, जिला नंदुरबार (महाराष्ट्र)	300915	0	508230	545198
14.	राजीव बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, पो. नलवाडरी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	0	0	0	784526
15.	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने, मालेगांव, महाराष्ट्र	300915	0	542713	0
16.	सांकृत्यायन शिक्षण प्रसारक मंडल, मुल, जिला चंदरपुर, महाराष्ट्र	300915	0	0	286751

1	2	3	4	5	6
17.	शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देश्यीय संस्थान, वार्ड नं. 2, मानस मंदिर, वर्धा, महाराष्ट्र	0	0	0	778899
18.	श्री कालिकादेवी बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मंडल, कसार-सिरशी, ता. निलांगा, जिला लातूर (महाराष्ट्र)	0	0	0	1079042
19.	श्री कैन्हयालाल महाराज ट्रस्ट समोदे, जिला धुले, महाराष्ट्र	519660	0	918360	0
20.	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, ताल्लुक तालोदा, नंदुरबार (महाराष्ट्र)	378180	0	0	1183868
21.	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर जिला धुले, महाराष्ट्र	519660	0	912960	1028493
22.	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, ताल्लुक नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	0	0	918360	993888
23.	थंगुबाई शंकर देओर सेवाभावी संस्था, संगमेश्वर, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	300915	0	0	1106145
24.	तुलजा भवन सेवाभावी संस्था, विताई, जिला धुले, महाराष्ट्र	300915	0	0	0
25.	उज्जवल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, पो. नेवदे, जिला धुले, महाराष्ट्र	378180	0	754110	739944
26.	यशवंत बहुउद्देश्यीय जलकल्याण लोहारी, जिला नागपुर महाराष्ट्र	200835	0	390870	0
27.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055	438210	438210	635980	376558
	कुल	9338821	4163084	12033186	15435378
(2)	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसर				
1.	पीपल एजुकेशन सोसायटी, 18 नजदीक सर्कुलर रोड, बुल्दाना, महाराष्ट्र-443001	159000	0	0	0
2.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वाडगांव, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	159000	0	0	1537200
	कुल	318000	0	0	1537200

(हजार रुपए में)

1	2	3	4	5	6
(3)	**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना**				
1.	प्रियदर्शनी ग्रामीण एंड आदिवासी सेवाभावी संस्था, डी.नं. 45-56-9, सालिग्रामपुरम, नरसिंहनगर अक्कायापालेम, विशाखापत्तनम-500024	699000	0	0	2506201
	कुल	699000	0	0	2506201
(4)	**आदिम जनजातीय समूहों का विकास**				
1.	ट्राइबल एंड वीकर सैक्शन इम्पावरमेंट सोसायटी, पूणे	1311700	1442900	0	0
2.	आदिम ट्राइबल एंड वीकर सैक्शन डेवलपमेंट सोसायटी, पुणे-411041, महाराष्ट्र	0	0	1464900	1636300
	कुल	1311700	1442900	1464900	1636300

विदेशी शिक्षा को विनियमित करने के लिए विधान

2938. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी शिक्षा प्रदान करने वालों का विनियमन करने के लिए कोई विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय संस्थानों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) देश में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश और कार्यकरण को विनियमित करने से संबंधित एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मुसलमान बच्चों के लिए विद्यालय

2939. **श्री प्रबोध पाण्डा :**
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ख) क्या सरकार देश में चलाए जा रहे मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने की कोई योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को जन प्रतिनिधियों/विभिन्न संगठनों आदि से मुसलमान बहुल क्षेत्रों में मुसलमान बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना हेतु कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में कुछेक तकनीकी और गैर-तकनीकी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं खोलने का है;

(छ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यवार चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार इन शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सुविधा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में वर्तमान में ऐसी सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों/ब्लाकों/शहरों की पहचान की है। केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए क्षेत्रों का चयन संस्था के स्वरूप, राज्य सरकार के प्रस्ताव तथा भूमि एवं अन्य अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार वर्ष 1993 से मदरसा आधुनिकीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत परंपरागत शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए स्वेच्छा से कार्य कर रहे मदरसों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अनुदान दिए जाते हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रति मदरसा अधिकतम दो शिक्षकों के लिए शिक्षक वेतन (प्राथमिक स्तर के लिए 3000 रु. प्रतिमाह और माध्यमिक स्तर के लिए 4000 रु. प्रतिमाह) की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मदरसा के लिए पुस्तकालय की स्थापना तथा विज्ञान किटों के वितरण हेतु प्रत्येक के लिए 7000 रु. का एककालिक अनुदान भी दिया जाता है।

(घ) और (ङ) जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमान बच्चों के लिए अनन्य स्कूलों की स्थापना के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मुसलमानों तथा उर्दूभाषी जनता के उत्थान के लिए वरिष्ठ माध्यमिक उर्दू माध्यम के आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव माननीय श्री असादुद्दीन ओवेसी तथा अन्य मुस्लिम सांसदों से प्राप्त हुआ है। भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति विषय पर न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक कार्य योजना बनाने के लिए इस प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया है।

(च) तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) से (झ) प्रश्न नहीं उठते।

पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश

2940. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पब्लिक स्कूलों से समाज के कमजोर तबके के 20 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश और निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ स्कूलों ने सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों जिन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को 20 प्रतिशत फीसमाफी प्रदान करने हेतु नियम बनाने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 20.1.2004 के निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 27.4.2004 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के एक नए निर्देश के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 25.1.2007 को एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें यह प्रावधान है कि निःशुल्क सीटें कुल सीटों की 20 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। यह मामला निर्णयाधीन है।

तम्बाकू बोर्ड

2941. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में बीड़ी तम्बाकू की खेती के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितने एकड़ क्षेत्र पर इसकी खेती की गई है और इसके उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीड़ी तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तम्बाकू बोर्ड केवल फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और विनियमन से संबंधित कार्य करता है।

जापानी निवेश

2942. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की हाल की जापान यात्रा के दौरान भारत में जापानी निवेश के संबंध में किसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मैंगनीज का निर्यात

2943. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से मैंगनीज का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार इसकी कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मैंगनीज अयस्क की राज्यवार उद्गम के अनुसार मात्रा और निर्यातों में प्रत्येक राज्य द्वारा अर्जित अनुमानित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख मी. टन में तथा मूल्य करोड़ रु. में)

राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कर्नाटक	1.58	25.19	1.47	24.69	1.13	24.15
मध्य प्रदेश	0.19	5.48	—	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	1.12	23.51	0.97	24.98	0.44	9.66
झारखंड	0.29	4.37	0.61	10.41	0.18	2.44
उड़ीसा	0.04	1.15	0.28	7.60	0.60	11.42
कुल	3.22	59.70	3.33	67.68	2.35	47.67

(स्रोत: एमएमटीसी लि.)

[हिन्दी]

जैव-उत्पादों का निर्यात

2944. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे जैव उत्पादों के नमूनों जो निर्यात किए जा रहे हैं, के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिन्हें विदेशी प्रयोगशालाओं द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है जबकि इन उत्पादों को भारतीय मानदंडों के अनुरूप पाया गया है जैसा कि दिनांक 22 जनवरी, 2007 के "दैनिक भास्कर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान निर्यात किए गए जैव-उत्पादों का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रयोगशालाओं की देशवार संख्या कितनी है जिनमें इन नमूनों को अस्वीकृत पाया गया है;

(घ) क्या इससे देश की छवि धूमिल हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) मैसर्स राजेना एक्सपोर्ट्स, गुजरात द्वारा निर्यातित और स्कल इंटरनेशनल (नीदरलैंड) द्वारा प्रमाणित जैविका तिल बीजों में डीटीटी के अवशिष्ट की मौजूदगी के बारे में एक ईसी एलर्ट अधिसूचना दिनांक 09.02.2007 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को प्राप्त हुई थी। चूंकि स्कल के भारतीय कार्यालय ने निरीक्षण किया था इसलिए, एपीडा रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रहा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) भारत से जैविका कार्बनिक उत्पादों को विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

[अनुवाद]

नागरिकता प्रदान करना

2945. श्री सुभाष महरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अनुमानतः कितने पाकिस्तानी प्रवासी (माइग्रेन्ट्स) रहते हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इनमें से कितने लोगों को नागरिकता दी गई है;

(ग) क्या नागरिकता देने की शक्ति राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो नागरिकता देने के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अर्हता मानदंड में संशोधन, किफायती शुल्क ढांचा और कलेक्टरों को शक्ति के प्रत्यायोजित की अवधि में विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) 1965 और 1971 के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पंजीकरण करके उन्हें भारतीय नागरिकता मंजूर करने की शक्तियां, 28.2.2004 से 27.2.2007 तक राजस्थान और गुजरात राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। नागरिकता मंजूर करने की शर्तें, नागरिकता अधिनियम, 1955 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित की गई हैं।

राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों की संख्या के संबंध में इस मंत्रालय में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य सरकार ने प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत 28.2.2004 से 28.2.2006 तक 12,017 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता मंजूर की है। मंजूर की गई भारतीय नागरिकता के राज्य-वार ब्यौरे के संबंध में केन्द्रीय आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

पात्रता मानदंडों, फीस के ढांचे में संशोधन करने और गुजरात

और राजस्थान राज्य सरकारों को शक्तियों के प्रत्यायोजित की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण उद्योगों द्वारा निर्यात

2946. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में कृषि और ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मूल्य और कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योगों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की समीक्षाधीन निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा निर्यातित उत्पादों में विविध प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं, यथा-पापड़, फैन्सी फाइबर वस्तुएं, साड़ियां, स्कार्फ, फल तथा सब्जी उत्पाद, एम्बोरायडरी उत्पाद, चर्म उत्पाद, सुगंधित तेल, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद आदि। अतः निर्यातित खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के आंकड़ों का अनुरक्षण मात्रा के रूप में न रखकर केवल निर्यातित उत्पादों के मूल्य के रूप में ही किया जाता है। वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान, खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के मूल्य का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातित खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों का मूल्य वर्ष 2004-05 के उत्पादों की अपेक्षा अधिक था। तथापि, वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यातित खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के मूल्य में आंशिक गिरावट थी।

(ग) उपर्युक्त तथा अनुबंध में दर्शाए गए निर्यातित खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के मूल्य संबंधी आंकड़े खादी एवं ग्राम उद्योग इकाइयों द्वारा खादी एवं ग्राम आयोग को दी गई उस जानकारी पर आधारित है जो उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के दावे प्रस्तुत करते समय दी थी। तथापि, बड़ी संख्या में खादी एवं ग्राम उद्योग इकाइयां मर्चेन्ट निर्यातकों के माध्यम से खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों का निर्यात कर रही हैं और उनके द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को इन निर्यातों के मूल्य की जानकारी नहीं दी जाती है, अतः निर्यातित खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों का वास्तविक मूल्य प्रायः अधिक होता है।

(घ) दिसम्बर, 2006 के दौरान, खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के निर्यात को सरल बनाने के उद्देश्य से, साकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में) ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को सम्वत् निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी) का दर्जा प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदन प्रेषित किया और भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ) जैसे अम्ब्रेला ई पी सी की संरचना के आधार पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को सहायता देने का निर्णय किया है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को ई पी सी का दर्जा प्रदान करके अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने और क्रेता मिलनों (बी एस एम), आदि के आयोजन के लिए इसके प्रस्तावों को विपणन विकास सहायता (एम डी ए)/विपणन पहुंच पहल (एम ए आई) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा स्वीकार्यता अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाएगा परंतु खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को किसी प्रकार का नियमित एम डी ए अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को सम्वत् ई पी सी का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्यों में ये शामिल हैं—विदेशों में उच्च कोटि के उत्पादों के रूप में खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों की छवि को बढ़ाना, संभावित क्रेताओं तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने हेतु भारत तथा विदेशों में बी एस एम आयोजित करना, उत्पादों की वास्तविकता को सुनिश्चित करना और निर्यातोन्मुखी खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के लिए गुणवत्ता मूलक मानक निर्धारित करना।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने विभिन्न कार्यकलापों के संदर्भ में संबद्ध व्यवस्था स्थापित करने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा 2007-08 के दौरान क्रेता-विक्रेता मिलन आदि के आयोजन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु एफ आई ई ओ के साथ संपर्क स्थापित किया है। के वी आई सी - ई पी सी

के पूर्णरूपेण कार्यकरण से, के वी आई सी निर्यातोन्मुखी उत्पादन हेतु के वी आई इकाइयों को प्रोत्साहित करने के अलावा, बेहतर ढ़ंग से निर्यात का अनुश्रवण करने तथा निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रहण करने की स्थिति में होगा।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान के वी आई उत्पादों के मूल्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	–	48.10	43.00
2.	छत्तीसगढ़	–	5.60	–
3.	दिल्ली	–	15.51	–
4.	गुजरात	–	0.07	–
5.	हरियाणा	–	–	28.23
6.	हिमाचल प्रदेश	–	20.00	–
7.	कर्नाटक	–	74.43	78.91
8.	केरल	1.90	–	31.00
9.	मध्य प्रदेश	–	–	81.65
10.	महाराष्ट्र	1136.00	1365.99	1531.24
11.	मिजोरम	–	8.63	–
12.	पांडिचेरी	–	63.47	38.71
13.	पंजाब	–	29.71	7.71
14.	राजस्थान	3990.00	2058.54	2132.59
15.	तमिलनाडु	25.00	21.25	39.18
16.	उत्तर प्रदेश	–	68.00	28.10
17.	पश्चिम बंगाल	–	20.42	0.42
18.	दादर एवं नागर हवेली	–	108.00	–
	जोड़	5152.90	3907.72	4040.74

[हिन्दी]

खनिज भंडार

2947. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न खनिज भंडारों का पता चला है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार सर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां दी गई हैं/पूरी की गई;

(ग) ऐसे सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर उक्त अवधि के दौरान खनन कार्य प्रारंभ किया गया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा पता लगाए गए खनिज संसाधनों की सूचना के साथ-साथ उन स्थानों के नाम जहां राज्यों के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालयों, केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रमों [सूचना का स्रोत— भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम)] ने खनिज भण्डारों का पता लगाया है, नीचे दिए गए हैं :

2003-04 (राज्यों के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रम)

क्र.सं.	खनिज	स्थानों के नाम
1	2	3
1.	तांबा	गूजरों की भांगल का पश्रिम, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2.	फेल्ड्सपर	गुडूर अभ्रक पट्टी, जिला नैल्लोर, आंध्र प्रदेश।
3.	स्वर्ण	हट्टी, हीराबुद्दिनी और उती स्वर्ण खान, जिला रायचूर, कर्नाटक।
4.	ग्रेफाइट	भूसारिया, जिला पलामू, झारखण्ड।
5.	इल्मेनाइट और रूटाइल	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भाग।
6.	लौह अयस्क	बैलाडीला निक्षेप सं. 5, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़; देग्वे-बांदा, सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र।
7.	क्ले	नंदीहा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।
8.	चूना पत्थर	सिमरिया, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश; कामपुरा, मंगरोला, जिला चित्तौड़गढ; गोथरा ढोंकली-वाली धामी, जिला जैसलमेर; रैल धोती, जिला कोटा; देह, जिला नागौर, राजस्थान।
9.	मैंगनीज अयस्क	चिकला ए, बालाघाट खानें, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।
10.	ओकर	कङ्कापाह, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश।
11.	पाइरोफिल्लाइट	खटगांव, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र।
12.	क्वार्टज	चेजारला, जिला, नैल्लोर, आंध्र प्रदेश।

2003-04 (जी एस आई)

1.	कोयला और लिग्नाइट	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु
2.	चूना पत्थर	लार्केट तथा जालापेट ब्लाक्स, जैयंतिया हिल्स जिला, मेघालय।

2004-05 (राज्यों के भू-विज्ञान और खनन निदेशालय, केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रम)

1.	मैंगनीज अयस्क	बालाघाट तथा तिरोड़ी खानें, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश गुमगांव खान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र

1	2	3
2.	स्वर्ण	ऊटी, हट्टी और हिराबुद्दीनी, रायचुर जिला, कर्नाटक
3.	ग्रेनाइट	सोनावाला, जिला जैसलमेर, राजस्थान
4.	आभूषणीय स्टोन, डोलेराइट, आदि	बिल्गी, जिला बागलकोट; मानिकेरे तथा जुनामत्ती, जिला, रायचुर, कर्नाटक
5.	बेंटोनाइट	देवरिया, गुरारिया, जिला झालवाड़, राजस्थान
6.	क्ले	किरंदालेम क्षेत्र, जिला कासरगढ़, केरल
7.	केल्साइट	लिंगी, सुकलनाग, दुल्हन, जिला जामला, मध्य प्रदेश
8.	डोलोमाइट	जिला उदयपुर, राजस्थान, हर्दा, देवास और छिंदवाड़ा जिले, मध्य प्रदेश
9.	चूना पत्थर	खापरि-सोनतारा, छत्तीसगढ़; रामनुरा और खान्दलाई, जिला धार, महाराजगंज, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश, कनोड, बिर्मा, जिला जैसलमेर, गोटना, जिला झुन्झुनु; जावालि, मोरदा, जिला जयपुर; जोगरि-जोगरा, जिला कोटा; घारत, हासन, कौटुल, जिला सिरोही, बैरास, जिला नागौर, राजस्थान।
10.	क्वार्टज	कुद्दालोर, जिला, चित्रदुर्ग, कर्नाटक; गोबिन्दपुर, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
11.	क्वार्टजाइट	बंधा-की-ढाणी, राजस्थान
12.	ओकर	घाटनि, जिला भरतपुर, राजस्थान
13.	सिल्लिमेनाइट	खाटगांव, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
14.	सिलिका सेन्ड	घोडरी, जिला भरतपुर, राजस्थान
15.	बॉक्साइट	सेरेन्डाग, जिला, गुमला, झारखंड; कादम्पत क्षेत्र जिला जसपुर; काम्लेश्वरपुर, जिला सुरगुंजा, छत्तीसगढ़
16.	लौह अयस्क	मालानकोंडा, जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश; खन्दाधार क्षेत्र, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा; बेलाडिला भण्डार सं. 14, जिला दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़
	2004-05 (जी एस आई)	
1.	कोयला और लिग्नाइट	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
2.	स्वर्ण अयस्क	भूकिया पूर्वी, भूकिया पूर्वी-मध्य, भूकिया उत्तरी-मध्य, भूकिया दक्षिण-मध्य, तिमारन माता पूर्व, तिमारन माता पश्चिम, देलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान; पारासी क्षेत्र, जिला रांची, पहाडिया ब्लाक, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड
3.	क्ले	क्लेयीकोड़ ब्लाक, जिला कासरगोड, केरल
4.	चूना पत्थर	लुमसोतोह और उम-माजु-ब्लाक, जैंयतिया हिल्स जिला, मेघालय
5.	मैंगनीज अयस्क	पश्चेरी-लासर्दा सेक्टर, जिला कंडुझर उड़ीसा
6.	लौह अयस्क	जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा
	2005-06 (राज्यों के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रम)	
1.	बाक्साइट	जिला गुमला, झारखंड; पट्टन, जिला सरगुजा; करलापट, जिला जाशपुर, छत्तीसगढ़
2.	तांबा	धाडकिडीह, जिला सिंहभूम, झारखंड
3.	स्वर्ण अयस्क	दोना टेम्पल, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश; हट्टी, उती और हीरा बुद्धिनी, जिला रायचुर, कर्नाटक

1	2	3
4.	ग्लास सैण्ड	नागुम, जिला नागौर, राजस्थान
5.	क्वार्टजाइट	जियाजुरी, जिला नागांव, असम
6.	सीसा-जस्ता	बाजोरा, जिला जयपुर, राजस्थान
7.	मैंगनीज अयस्क	कन्द्री, जिला नागपुर, महाराष्ट्र; बालाघाट खान, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश
8.	चूना पत्थर	सानू खान -1, जिला जैसलमेर, राजस्थान; खामी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़; जनत्राग-नागांदर, जिला पुलवामा; कूट, जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर; गोथरा, जिला जयपुर; साम, जिला जैसलमेर; हमीराना, जिला नागौर; सूरजनियावास, जिला नागौर; कोतरी-केवरा, जिला बारन, राजस्थान
9.	लौह अयस्क	कदमपाट, जिला जाशपुर; अरिडोंगरी, जिला कंकेर, छत्तीसगढ़
10.	जिप्सम	कंधन, जिला बारामुला, जम्मू और कश्मीर
11.	पाइरोफिल्लाइट/ सिल्लीमेनाइट	वालाई-खटगांव, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
12.	क्वार्टज	बेरेडा, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
13.	क्वार्टज और फेल्ड्सपर	रोज्जराम काबाडियों, जिला राजस्मदं, राजस्थान

2005-06 (जी एस आई)

1	2	3
1.	कोयला और लिग्नाइट	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु
2.	तांबा	धानी बसरी, जिला दौसा, राजस्थान
3.	स्वर्ण अयस्क	पारसी क्षेत्र, जिला रांची; पहाडिया ब्लाक, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड; अज्जनहल्ली ईस्ट ब्लाक, जिला टुमकुर, कर्नाटक
4.	ग्रेफाइट	सिवागंगा बेल्ट, जिला सिवागंगा, तमिलनाडु
5.	चूना पत्थर	पट्टी और सेनकुरिची, तमिलनाडु
6.	प्लेटिनम समूह की धातुएं	हनुमालापुरा ब्लाक, जिला दावनबेरे, कर्नाटक
7.	हीरा	टिम्मासमुद्रम, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश

(ख) से (घ) आई बी एम द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, मार्च 2004 से अब तक आंध्र प्रदेश (5976 वर्ग कि.मी.), कर्नाटक (8406 वर्ग कि.मी.), राजस्थान (10871 वर्ग कि.मी.), छत्तीसगढ़ (12300 वर्ग कि.मी.), मध्य प्रदेश (16617 वर्ग कि.मी), उड़ीसा (36611 वर्ग कि.मी.), उत्तर प्रदेश (7731 वर्ग कि.मी.), गुजरात (9577 वर्ग कि.मी.) और केरल (834 वर्ग कि.मी.) में लगभग कुल 108923 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करते हुए 69 टोही परमिट प्रदान किए गए हैं। ये टोही परमिट अब भी सक्रिय हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में खनन कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाएं

2948. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री के.एस. राव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विधान द्वारा कितने राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना की गई है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जनसंख्या के 10 प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति में अभी तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शुल्क ढांचे को और अधिक तर्कसंगत बनाने और विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी भूमि को वित्त के एक स्रोत के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय विनियामक प्राधिकरण, उच्च शिक्षा के स्वायत्त विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करके और पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय की पढ़ाई शुरू कर, शिक्षा व्यवस्था संबंधी नीति में परिवर्तन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संगत आयु वर्ग (18-23 वर्ष) में उच्चतर शिक्षा में अनुमानित सकल नामांकन दर 9.1 प्रतिशत है। यह अनुपात उच्चतर शिक्षा की मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में नामांकन सहित 10 प्रतिशत के करीब आकलित किया गया है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के अधीन पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2388.41 करोड़ रु. प्रदान किए थे।

(घ) और (ङ) शिक्षण शुल्क ढांचा प्रत्येक संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने सिफारिश की है कि राजस्व की प्रतिशतता के आधार पर छात्र शिक्षण शुल्क की उच्चतम वांछित सीमा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें विश्वविद्यालयों को भूमि संसाधनों का दुरुपयोग करने की अनुमति दी जाए।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित है:-

केन्द्रीय विश्वविद्यालय	20
सम विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं	109
संसद अधिनियमों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं	13
राज्य विश्वविद्यालय	229
राज्य विधान द्वारा स्थापित और राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित संस्थाएं	05
केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिन पर अधिनियम अभी लागू किए जाने हैं	04
कुल	380

वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण

2949. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता और विद्यमान वस्त्र उद्योगों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के बीच मूल्य और कोर्स दोनों के ही संदर्भ में कोई बड़ा फासला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस फासले को पाटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी के केन्द्र खोले गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के कार्यकरण और अनुरक्षण के लिए केन्द्रवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में वस्त्र क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना के अध्ययन के लिए समिति गठित की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि औद्योगिक प्रशिक्षण का कार्य कर रही सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी प्रशिक्षण संस्थाओं की वृद्धि और उनकी मौजूदा अवसंरचना का आधुनिकीकरण करके उनका पुनर्निर्माण और पुन: अभिमुखीकरण किया जाए। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विभिन्न शेयरधारकों के सहयोग से अतिरिक्त सुविधाएं सृजित की जाएंगी।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, (निफ्ट) ने रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक विस्तार केन्द्र खोला। यह केन्द्र वित्तीय वर्ष 2007-08 में कार्य करना शुरू करेगा और इसके लिए 2.00 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति सूची में लुहार समुदाय

2950. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और झारखंड में लुहार समुदाय को 1950 से आज तक अनुसूचित जनजाति की सूची में हिन्दी में लुहार और अंग्रेजी में लोहारा के रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 1955 और बिहार और झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की 1975 की द्वितीय रिपोर्ट में तथा बिहार लोक सेवा आयोग की सूचना बुलेटिन संख्या 1984 में सभी केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची में अभिलेख साक्ष्यों में अंग्रेजी में लिखे गए ''लोहारा'' शब्द को हिन्दी में ''लुहार'' शब्द के रूप में दर्शाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, 1955 की संस्तुति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा ''लोहारा'' समुदाय को बिहार की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया था। बिहार की अनुसूचित जनजाति की सूची की मद सं. 20 पर ''लोहारा'' अथवा 'लोहरा'' हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में उल्लिखित है।

अंग्रेजी रूपांतरण में उल्लिखित ''लोहारा'' नाम का अनुवाद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के हिन्दी अनुवाद में गलती से ''लोहार'' के रूप में अनुवाद हो गया था। इसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की 48 सं.) दिनांक 13.12.2006 द्वारा संशोधित किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देना

2951. श्री मोहन सिंह :
श्री काशीराम राणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों से वहां पर विधान सभाओं के गठन की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैन्द्र सरकार कतिपय संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार आवास और पुलिस प्रशासन को दिल्ली राज्य सरकार को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा के गठन के लिए, गैर-सरकारी सदस्य विधेयकों सहित, विभिन्न मंचों से समय-समय पर मांगे प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2952. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली जूट मिलों में कामगारों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मिलों में मिलवार और राज्यवार कुल कितने कामगार हैं;

(ग) इन मिलों के कामगारों को कुल कितनी धनराशि अदा की गई है/की जानी है;

(घ) क्या सरकार ने इन कामगारों के लिए कोई पुनर्वास योजनाएं तैयार की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। एनजेएमसी लि. की पटसन मिलों में अधिकतर कामगारों ने वीआरएस का विकल्प लिया है। ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है:-

मिल	नामावली में कामगारों की संख्या	वीआरएस का विकल्प लेने वाले कामगारों की संख्या
नेशनल (पश्चिम बंगाल)	6319	6211
किन्नीसन (पश्चिम बंगाल)	3565	3489
खरदाह (पश्चिम बंगाल)	2764	1936
एलेक्जेंड्रा (पश्चिम बंगाल)	1651	1649
यूनियन (पश्चिम बंगाल)	1299	1283
आरबीएचएम (बिहार)	1152	1152
कुल	16750	15720

(ग) वीआरएस के तहत कामगारों को अंतिम बकायों के भुगतान के लिए एनजेएमसी लि. के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा 302 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) से (च) वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त कामगारों को वीआरएस के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार विभिन्न पुनर्वासन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

विदेशी कंपनियों द्वारा उद्योगों की स्थापना

2953. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना के लिए किसी विदेशी कंपनी ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विदेशी कंपनी द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनियों के क्या नाम हैं एवं तत्संबंधी उद्योगों की स्थापना के लिए क्या निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरुआत की है जिसके अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। उदारीकृत आर्थिक माहौल के अंतर्गत निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी आर्थिक तथा वाणिज्यिक समझ पर आधारित होते हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बारे में सरकार द्वारा कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों का चयन

2954. **श्री कैलाश बैठा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मजिस्ट्रेट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के चयन में पारदर्शिता बरत रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के प्रबंधन में गैर-सरकारी संगठनों, जिनमें लाभ न कमाने वाले संगठन शामिल हैं, की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

राज्य सरकारों द्वारा यह योजना सर्व शिक्षा अभियान राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

अल्पसंख्यकों पर हमले

2955. **श्री मित्रसैन यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अल्पसंख्य समुदायों विशेषकर ईसाई मिशनरियों पर राज्य-वार हमलों के कितने मामले हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन हमलों से हुई वित्तीय क्षति का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, यह सूचना सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान देश में ईसाईयों से संबंधित घटनाओं सहित समस्त सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सूचना का आदान-प्रदान करती है और चेतावनी संदेश/सलाह भी भेजती है। सांप्रदायिक सदभाव को बढ़ावा देने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अक्तूबर, 1997 में जारी किए गए हैं। विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर उन्हें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं और एक विशेष बल अर्थात् त्वरित कार्रवाई बल को विशेष रूप से सांप्रदायिक तनावों से निपटने के लिए तैनात किया गया है। पुलिस ढांचे में सुधार करने के लिए उन्हें सहायता भी प्रदान की जा रही है।

सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे के सभी पहलुओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने भी राज्य सभा में 'सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005' शीर्षक से एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2004, 2005 और 2006 के दौरान देश में ईसाईयों से संबंधित घटनाओं सहित समस्त सांप्रदायिक घटनाओं की सख्या (राज्यवार)

राज्य	घटनाओं की संख्या		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
आंध्र प्रदेश	1	2	7

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	–	2	1
बिहार	–	1	–
चंडीगढ़	–	–	–
छत्तीसगढ़	1	5	2
दिल्ली	–	–	–
दादरा और नागर हवेली	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–
गोवा	–	2	1
गुजरात	1	1	4
हरियाणा	1	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–
झारखंड	1	1	1
कर्नाटक	3	3	8
केरल	5	12	4
लक्षद्वीप	–	–	–
मध्य प्रदेश	5	7	5
महाराष्ट्र	–	1	7
मणिपुर	–	–	–
मेघालय	–	–	–
मिजोरम	–	–	–
नागालैंड	–	–	–

1	2	3	4
उड़ीसा	5	6	3
पांडिचेरी	–	–	–
पंजाब	–	1	2
राजस्थान	1	9	1
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	2	3	1
त्रिपुरा	1	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	1
उत्तरांचल	–	–	1
पश्चिम बंगाल	–	–	1
कुल	27	56	50

[अनुवाद]

अवैध प्रवासी

2956. **डा. टोकचोम मैन्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों विशेषकर म्यांमार से अवैध प्रवासी देश में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आप्रवासन को रोकने के लिए क्या अद्यतन उपाय किए गए हैं;

(ग) बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास के कुछ दृष्टान्त सूचित किए गए हैं। तथापि, चूंकि ये गतिविधियां गुप-चुप की जाती हैं, इसलिए अवैध आप्रवासन के वास्तविक आंकड़े निर्धारित नहीं किए जा सकते।

(ख) पड़ौसी देशों के साथ भारतीय सीमा की सीमा रक्षक बलों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से रक्षा की जाती है जो प्रेक्षण चौकियों, नियमित गश्त और सेना के साथ संयुक्त गश्त के जरिए सीमाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हैं। अवैध आप्रवासन की रोकथाम के लिए अपनाए गए अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:- बाड़ का निर्माण, तीव्र प्रकाश तथा रक्षात्मक बंद की व्यवस्था, विशेष अभियानों का संचालन, संबंधित सीमा रक्षक बल के आसूचना सेटअप का उन्नयन करना, नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल तथा गश्त/घात-ड्यूटी हेतु नफरी में वृद्धि करना।

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा पर आज तक 2477.59 कि.मी. पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। बाड़ के राज्यवार आंकड़े

हैं:- पश्चिम बंगाल-1177 कि.मी., असम-189.97 कि.मी., मेघालय-371.12 कि.मी., मिजोरम-85.01 कि.मी. तथा त्रिपुरा-654.49 कि.मी।

(घ) और (ङ) मणिपुर राज्य के मोरेह क्षेत्र में भारत-म्यांमार सीमा पर अनुमानतः 10 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। तथापि, भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि बाड़ लगाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में म्यांमार के साथ सीमा का अभी उपयुक्त रूप से सीमांकन किया जाना है।

[हिन्दी]

बिजली और पानी के बकाया बिल

2957. चौ. मुनव्वर हसन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कार्यक्षेत्र में स्थित किसी सरकारी कार्यालय/कालोनियों/दुकानों पर बिजली और पानी के बिल बकाया हैं;

(ख) यदि हां, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एनडीएमसी द्वारा इस बकाए की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई तथा आज की तिथि के अनुसार शीर्ष-वार कुल कितनी धनराशि वसूली गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। विगत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार में स्थित सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों और दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठनों पर बिजली और पानी के बकाया बिलों की उत्तरोत्तर धनराशि निम्न प्रकार है:-

श्रेणियां	मार्च, 2004 के अंत तक बकाया धनराशि (करोड़ रुपए)	मार्च, 2005 के अंत में बकाया धनराशि (करोड़ रुपए)	मार्च, 2006 के अंत में बकाया धनराशि (करोड़ रुपए)
सरकारी कार्यालय	59.92	50.75	50.53
सरकारी कालोनियां	2.64	2.71	3.06
निजी (दुकानें एवं प्रतिष्ठान)	37.46	42.74	48.27
कुल	100.02	96.20	101.86

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बकाया धनराशि की वसूली के उद्देश्य से विगत तीन वर्षों के दौरान 2010 बिजली/पानी के कनैक्शन काट दिए। विगत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों और दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठनों से एकत्र किए गए बकाया बिजली और पानी के बिलों की कुल धनराशि निम्न प्रकार है:

श्रेणियां	वर्ष 2004 के दौरान एकत्र की गई धनराशि (करोड़ रुपए)	वर्ष 2005 के दौरान एकत्र की गई धनराशि (करोड़ रुपए)	वर्ष 2006 के दौरान एकत्र की गई धनराशि (करोड़ रुपए)
सरकारी कार्यालय	2.36	3.04	0.66
सरकारी कालोनियां	1.07	1.78	1.70
निजी (दुकानें एवं प्रतिष्ठान)	4.14	4.35	6.84
कुल	7.57	9.17	9.20

[अनुवाद]

साइबर अपराध

2958. श्री के.एस. राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार साइबर अपराध-वार साइबर अपराधों के कुल कितने मामले दर्ज किए गए तथा उनकी प्रकृति किस प्रकार की थी;

(ख) सरकार द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार साइबर अपराध और साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा यथा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2003 से 2005 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई टी अधिनियम) और भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए साइबर अपराधों से संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार मामले संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। साइबर-अपराधों के लिए आई टी अधिनियम और आई पी सी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या विवरण-II में दी गई है। आई टी अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में कंप्यूटर, स्रोत दस्तावेजों में हेर-फेर करना, हैकिंग करना, इलैक्ट्रानिक फार्म में अश्लील प्रकाशन प्रसारित करना, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के आदेशों का पालन न करना, सूचना का अर्थ निकालने या उसे रोकने में सरकारी एजेंसियों की सहायता न करना, संरक्षित कंप्यूटर प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच या पहुंच का प्रयास करना, झूठे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रकाशित करना और विश्वसनीयता/गोपनीयता का उल्लंघन करना अपराध है। जालसाजी, आपराधिक विश्वास भंग, धोखाधड़ी और कूटकरण/हेर-फेर करना आई पी सी के तहत शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में धोखाधड़ी, विश्वास का आपराधिक भंग, कपट और जालसाजी/छेड़छाड़ शामिल है।

(ग) और (घ) साइबर अपराधों को आई टी अधिनियम और आई पी सी के तहत निपटाया जा सकता है। सरकार ने संसद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक फार्म, वीडियो के माध्यम से यौनाचार के दृश्य प्रकाशित करना, गोपनीयता भंग करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा आंकड़ों को प्रकट करना, छद्म रूप से, जिसे आमतौर पर फिशिंग के रूप में जाना जाता है, ई-कामर्स धोखाधड़ी करना, एकात्म्य चोरी करना और संचार सेवा के माध्यम से दंडात्मक संदेश भेजना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 2003-2005 के दौरान आई टी अधिनियम और आई पी सी की धाराओं के तहत दर्ज किए गए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दर्ज किए गए मामले								
		आई टी अधिनियम			आई पी सी की धारा			कुल (आई टी अधिनियम+ आई पी सी की धारा)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3	8	14	218	93	68	221	101	82
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	1	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	18	0	0	28	0	0	46
6.	गोवा	2	0	0	0	0	0	2	0	0
7.	गुजरात	14	2	2	15	124	153	29	126	155
8.	हरियाणा	0	0	8	1	0	1	1	0	9
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	87	0	0	87	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	7	14	38	1	0	0	8	14	38
13.	केरल	1	2	3	0	0	0	1	2	3
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	12	17	26	5	4	1	17	21	27
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	1	6	4	0	0	5	1	6
21.	पंजाब	2	2	7	61	4	43	63	6	50
22.	राजस्थान	0	0	18	0	0	0	0	0	18
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	10	14	22	0	36	0	10	50	22
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	2	4	3	3	0	5	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	उत्तरांचल	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	55	63	167	395	264	294	450	327	461
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	16	5	0	16	5	0
30.	चंडीगढ़	1	1	2	0	0	0	1	1	2
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	4	4	10	0	10	8	4	14	18
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	5	5	12	16	15	8	21	20	20
	कुल (अखिल भारत)	60	68	179	411	279	302	471	347	481

स्त्रोत: भारत में अपराध

विवरण-II

वर्ष 2003-2005 के दौरान साइबर अपराधों से संबंधित आई टी अधिनियम और आई पी सी धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई टी अधिनियम			आई पी सी		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	3	15	294	122	110
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	24	0	0	51
6.	गोवा	2	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	19	0	3	25	128	159
8.	हरियाणा	0	0	5	1	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	53	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	7	0	3	1	0	0
13.	केरल	0	2	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	14	25	50	5	3	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	4	10	0	0
21.	पंजाब	2	2	7	47	9	51
22.	राजस्थान	0	0	21	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	6	16	21	0	31	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	10	25	10	7	0

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तरांचल	3	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	55	58	178	448	300	373
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	27	8	0
30.	चंडीगढ़	0	0	2	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	एन.ए.	0	0	एन.ए.	0	0
33.	दिल्ली	0	2	12	0	21	4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	2	14	27	29	4
	कुल (अखिल भारत)	55	60	192	475	329	377

राष्ट्रीय व्यापार नीति

2959. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश वर्ष 2009 तक विश्व व्यापार के 1.5 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए विदेशी व्यापार के अपने हिस्से को दोगुना करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से आर्थिक सुधारों को जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है ताकि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) वर्ष 2004-09 की राष्ट्रीय व्यापार नीति की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 में 0.66 प्रतिशत से बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यात कार्य निष्पादन 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक था। वर्ष 2009 के लिए 150 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेश व्यापार नीति 2004-09 का एक लक्ष्य आर्थिक वृद्धि के एक कारगर उपकरण विशेष तौर पर समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार अवसर सृजित करके कार्य करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक स्कीमें जैसे विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम,

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के उद्‌गम के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है।

(ङ) वर्तमान विदेश व्यापार नीति 2004-09 की अवधि के लिए है जिसकी प्रति संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसे डी जी एफ टी की बेवसाइट www.dgft.gov.in से भी डाऊनलोड किया जा सकता है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

2960. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना उदीशा (यूडीआईएसएचए) के संदर्भ में कुल आबंटन में से ही विभिन्न शीर्षों के बीच आबंटन की अदला-बदली हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस.-III परियोजना, उदिशा नामक प्रशिक्षण घटक जिसका एक भाग था, 31.3.2006 को समाप्त हो गई है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार से मार्च, 2006 में विभिन्न उप-शीर्षों के बीच आबंटनों की अदला-बदली हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें सरकार ने 21.3.2006 को अनुमोदित कर दिया।

[हिन्दी]

रूग्ण कृषि एवं ग्रामीण इकाइयां

2961. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूग्ण कृषि तथा ग्रामीण इकाइयों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसी कितनी इकाइयां बंद हुईं;

(ख) इन इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए सरकार ने एक विशेष आर्थिक प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कुछ ग्रामीण उद्योग इकाइयों/स्व-रोजगार उद्यमों को हानि उठानी पड़ती है और वे बंद हो जाते हैं। ऐसे उद्योगों द्वारा हानि उठाने के कारणों में शामिल है:- ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, आधारिक संरचना अड़चनें, पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उत्पादनों की असंगत गुणवत्ता, उत्पादन डिजाइनों का बाजार मांग के अनुरूप न होना, बाजार पहुंच में कठिनाइयां आना, उद्यमिता/प्रबन्धकीय कुशलता की कमी होना, आदि। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे की वर्तमान वित्तीय स्थिति, जिसमें इन उद्योगों के व्यक्तिगत अथवा समूहों की इकाइयों का लाभ/हानि शामिल है, का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(ख) ऐसी विद्यमान ग्रामीण उद्योग इकाइयां/स्व-रोजगार उद्यम, जिन्हें बैंकों से ऋण लेकर स्थापित किया गया था, परन्तु जो अब रूग्ण हो गई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के मार्ग-निर्देशों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण इकाइयों को उपलब्ध पुनर्वास सहायता की पात्र हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है, इकाई द्वारा नकद हानि उठाने के वर्ष से नकद क्रेडिट एवं आवधिक ऋण पर दण्ड ब्याज की छूट, नकद क्रेडिट एवं आवधिक ऋण पर चुकाए न गए ब्याज को कुल देनदारी से अलग करना तथा पहले की राशि को अलग से ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में माना जाना, चुकाए न गए आवधिक ऋण पर ब्याज की घटी दर (अति लघु इकाइयों के लिए 3 प्रतिशत तक की कमी) प्रभारित करना, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण को उस ब्याज दर पर दिया जाना, जो प्राइम लेण्डिंग दर से अधिक न हो, इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा संसद में 10 अगस्त, 2005 को घोषित ''लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रेडिट बढ़ाए जाने के लिए नीतिगत पैकेज'' के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को 8 सितम्बर, 2005 को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें रूग्ण एवं मध्यम उद्यमों को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए उपचार हेतु ऋण पुनः संरचना तंत्र पर विचार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) उपर्युक्त (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए, वर्तमान में ऐसे उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए विशेष आर्थिक प्रकोष्ठ की स्थापना किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छात्रावास भवनों हेतु सहायता

2962. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस समय छात्रावासों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है परंतु इनकी देखभाल के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो क्या अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण छात्रावासों और आश्रय भवनों की देखभाल का खर्च उठाने में राज्य सरकारों को कठिनाई आती है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रावासों और आश्रम भवनों की वार्षिक देखभाल पर आने वाले खर्च का एक हिस्सा वहन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक योजना तैयार कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) लड़के और लड़कियों हेतु छात्रावास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो केवल छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ही है और यह 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, किसी भी राज्य सरकार से इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनन से ठोस कचरा प्रबंधन

2963. डा. एम. जगन्नाथ : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'खनन से निकलने वाले ठोस कचरे के प्रबंधन' हेतु एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक विधान पुरःस्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो संसद में इसे कब तक पुरःस्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखा इस्पात संयंत्र को रक्षित खानों का आबंटन

2964. डा. बाबू राव मेडियम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखा इस्पात संयंत्र (आरआईएनएल) को लौह अयस्क की ''रक्षित खानों'' का आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात संयंत्र के विस्तारित चरण में आदान निवेश की बचतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस आबंटन पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खनन के लिए खनिज वाले क्षेत्रों को आरक्षित करने की मांग की है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आर आई एन एल ने अनुमान लगाया है कि यदि वह अपनी खानों में अपने इस्पात संयंत्रों का संचालन करता है तो लौह अयस्क के इन्पुट में 160 रुपए प्रति टन की बचत होती है।

(घ) उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि आरक्षण के लिए मांगा गया क्षेत्र मुक्त नहीं है।

भारत और मारीशस के बीच मुक्त व्यापार समझौता

2965. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मारीशस के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है;

(ख) मारीशस को किए जाने वाले निर्यात और वहां से किए जाने वाले आयात का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई भारतीय कंपनियां भारत में कराधान से बचने के लिए मारीशस में पंजीकरण करा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता द्वारा संकलित व्यापार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान मारीशस को 865.39 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। इस अवधि के दौरान मारीशस से आयात 31.91 करोड़ रुपए मूल्य के हुए थे। निर्यात की प्रमुख मदें थीं - काटन यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप्स आदि, पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद), मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, अपशिष्ट सहित कपास एवं परिवहन उपकरण, जबकि आयात की प्रमुख मदें थीं - धातुमय अयस्क एवं धातु स्क्रैप, लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज, काटन यार्न एवं फैब्रिक्स, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं।

(ग) और (घ) मारीशस में कोई भारतीय कंपनी पंजीकृत नहीं कराई जा सकती क्योंकि किसी भारतीय कंपनी से कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कोई कंपनी अभिप्रेत है। तथापि, कोई भारतीय कंपनी मारीशस में एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की जा सकती है और उस स्थिति में उक्त सहायक कंपनी, यदि वह भारत से पूंजीगत अभिलाभ अर्जित करती है तो भारत-मारीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अंतर्गत उपलब्ध पूंजीगत अभिलाभ संबंधी कर रियायत की पात्र बन जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु छात्रावास सुविधाएं

2966. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनसुचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:

-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ब्लाकों, जहां पर महिला-पुरुष अन्तर बहुत अधिक है और महिला साक्षरता कम है, में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्चतर प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। स्कीम के तहत 222 अनुसूचित जाति और 441 अनुसूचित जनजाति ब्लाकों में 2077 आवासीय स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। 75 प्रतिशत सीटें लाभवंचित/अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं और शेष 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इस समय 1039 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिनमें 62816 लड़कियां नामांकित हैं, जिसमें 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की लड़कियां हैं:

- जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय स्वरूप के विद्यालय हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संबंधित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं, बशर्ते कि किसी भी जिले में उनका आरक्षण राष्ट्रीय औसत, जो कि क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है, से कम न हो। अभी तक 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 540 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन क्रमशः 23.87 प्रतिशत और 15.19 प्रतिशत था।

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत, सोसायटीयों और गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण, रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों की लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़कियों को माध्यमिक और

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भोजन और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याओं के कारण जब तक इस योजना का मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता तब तक वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से संबंधित कोई भी अनुदान जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में इस स्कीम के तहत वर्ष 2005-06 और 2006-07 से संबंधित किसी भी नये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है।

-''महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष स्कीम'' स्कीम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों/विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके तथा शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता को प्रात्साहित किया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास स्कीम, अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास स्कीम, जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, स्वैच्छिक संगठनों को आवासीय और गैर-आवासीय स्कूलों और एकलव्य माडल आवासीय स्कूलों की स्थापना और उन्हें चलाने के लिए सहायता अनुदान स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

खानों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव

2967. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों के आधार पर खानों को बंद करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों में राज्यवार विशेषकर राजस्थान में ऐसी कितनी खानें बंद की गई/अब भी चल रही हैं; और

(ग) इन खानों को कब तक बंद कर दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान अथवा क्रीडा स्थलों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं दिए जाने के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2002 के आदेशों के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों में 284 खानों को बंद किया गया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	बंद की गई खानों की संख्या
कर्नाटक	1
गोवा	25
महाराष्ट्र	7
हरियाणा	80
मध्य प्रदेश	3
राजस्थान	168

इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च न्यायाल के दिनांक 11.5.2005 के निर्णय के अनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से 60 खनन इकाइयों को बंद करने के निदेश दिए थे इनमें राजस्थान की 16 खानें भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

वन गांवों का विकास

2968. **श्री रघुनाथ झा :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान वन गांवों के विकास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) अब तक विकसित किए गए वन गांवों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य-वार कितने वन गांव शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) शेष वन गांवों को इसमें कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन गांवों का विकास करने हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क), (ख) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वन ग्रामों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को 450 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार देश में 12 से अधिक राज्यों में 2,474 वन ग्राम आवास हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जिन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है, उनके अंतर्गत 10 राज्यों के 2,179 वन ग्राम आते हैं और अब तक 32276.46 लाख रुपए भी निर्मुक्त किए हैं। सरकार द्वारा जिन वन ग्रामों के लिए अब तक निधियां निर्मुक्त की गई हैं, उनके राज्यवार विवरण संलग्न हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं अर्थात पहुंच मार्गों, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, पेयजल, स्वच्छता, समुदाय भवन आदि से संबंधित आधारभूत संरचनात्मक कार्यों और जीवन-निर्वाह से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन कार्य प्रारंभ किए गए हैं।

(ग) वन ग्रामों के निवासी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। वन ग्रामों में निवास करने वाले जनजातीय परिवारों की कुल संख्या अनुमानतः 2.5 लाख के लगभग है।

(घ) वन ग्रामों के विकास हेतु निधियों की निर्मुक्ति संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है। जिन वन ग्रामों के लिए निधियां पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी हैं, उनके अलावा, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं मिजोरम राज्यों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

विवरण

15.03.2007 की स्थिति के अनुसार वन ग्रामों के विकासार्थ निर्मुक्ति एवं व्यय

क्र.सं.	राज्य	वन ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गई 2005-06	निर्मुक्ति	2006-07 में स्वीकृत ग्रामों की संख्या, जिनके लिए परियोजना अनुमोदित की गई	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	499	373	4059.00	—	366.00
2.	छत्तीसगढ़	425	343	4359.00	61	2338.67
3.	गुजरात	199	199	1979.00	—	663.00
4.	झारखंड	24	21	129.71	—	129.70
5.	मेघालय	23	शून्य	0.00	23	390.71
6.	मध्य प्रदेश	893	679	6190.65	143	6372.56
7.	मिजोरम	85	27	202.50	58	1072.50

1	2	3	4	5	6	7
8.	उड़ीसा	20	20	157.00	—	133.46
9.	त्रिपुरा	62	शून्य	0.00	62	930.00
10.	उत्तराखंड	61	शून्य	0.00	—	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	13	शून्य	0.00	—	0.00
12.	पश्चिम बंगाल	170	170	2104.00	—	699.00
	कुल	2474	1832	19180.86	347	13095.60

वन ग्रामों की कुल संख्या, जिनके लिए 2005-06 में निधियां स्वीकृति की गई और 2005-06 और 2006-07 में कुल निर्मुक्त निधियां = 32276.46 लाख रुपए।

एलटीटीई की गतिविधियां

2969. श्रीमती अर्चना नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु पुलिस द्वारा श्रीलंका भेजे जाने वाली एल्युमिनियम की सिल्लियों के कुछ बोरों को जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों से भरी एलटीटीई की एक नाव को चैन्नई के पास गहरे समुद्र में नष्ट कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु एलटीटीई के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तमिलनाडु से एलटीटीई का कार्य प्रचालन तथा सहयोग बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, फरवरी, 2007 के दौरान दो घटनाओं में, भारतीय नौसेना की टुकड़ी द्वारा श्रीलंका भेजी जाने वाली एल्यूमीनियम धातु की सिल्लियां बीच में ही जब्त की गई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय तटरक्षक के पांच कर्मी दलों सहित एल टी टी ई, से संबंधित एक समुद्री नौका को बीच में ही पकड़ लिया और उनसे शस्त्र, एवं गोलाबारूद बरामद किया। गिरफ्तार किए गए लोगों से की गई पूछताछ से यह पता चला है कि नौका में विस्फोटक छिपा कर रखे गए थे। चूंकि विस्फोटकों को सुरक्षित ढंग से निकाला जाना संभव नहीं था इसलिए चेन्नै तट से परे बीच समुद्र में उनमें नौका सहित विस्फोट कर दिया गया।

(घ) श्रीलंका में बिगड़ते हालातों की दृष्टि से, काफी संख्या में श्रीलंका शरणार्थी तमिलनाडु में ठहरे हुए हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि तमिलनाडु एल टी टी ई के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है।

(ङ) राज्य सरकार ने अवैध गतिविधियों के सभी मामलों में एल टी टी ई तत्वों और अन्य तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और अपराधियों के विरूद्ध संगत कानून(नों) के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। भारतीय तट रक्षकों और नौसेना ने भी तमिलनाडु तट के साथ-साथ गश्त गहन कर दी है।

मलेशिया के साथ समझौता

2970. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री के हाल ही के दौरे के दौरान

भारत तथा मलेशिया के बीच संबंध बढ़ाने के लिए बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलेशिया वर्ष 2004-05 में आसियान में तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है तथा भारत के निर्यात/आयात में यह तीसरे स्थान पर है; और

(घ) यदि हां, तो अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए भारत तथा मलेशिया किस सीमा तक सहमत हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- उपग्रह क्षमता के संयुक्त विपणन हेतु एनट्रिक्स कार्पोरेशन मीसैट इंटरनेशनल (साऊथ एशिया) लि. के बीच 15 मई, 2001 के संयुक्त उद्यम करार के अनुसरण में एक करार।
- एनट्रिक्स कार्पोरेशन से मीसैट-4 उपग्रह की खरीद करने, उसे छोड़ने एवं कक्षा में स्थापित करने के लिए मीसैट द्वारा हस्ताक्षरित एक आशय पत्र।
- नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन लिमिटेड के बीच हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के विकास, निर्माण, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु एक रियायत संबंधी करार।

इसके अलावा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत-मलेशिया व्यापार मंच में बारह व्यापार-दर-व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2004-05 के दौरान मलेशिया को भारत के निर्यात 487,084 लाख रुपए और आयात 1,032,979 लाख रुपए के हुए थे।

महिलाओं के लिए समेकित योजना

2971. **श्री किरण सिंह सांगवान :**
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत महिलाओं के लिए समेकित योजना दिनांक 9 फरवरी, 2007 को गुवाहाटी में शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में असम सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोतर क्षेत्र हेतु समेकित महिला सशक्तिकरण स्कीम की प्रमुख विशेषताएं

भारत में महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार और सामुदायिक दलों के बीच स्वस्थ भागीदारी विकसित करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पूर्वोत्तर के लाभान्वित न हो पाए क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु यह परियोजना तैयार की गई है।

स्कीम का स्वरूप

- राज्य बोर्ड की अध्यक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। अध्यक्षा राज्य बोर्ड की किसी भी सदस्या, विशेषकर जो सदस्या उस से संबंध रखती हो, को समिति में सहयोजित कर सकती है।

- समाज कार्य विद्यालयों/सामाजिक विज्ञान विभाग/समाज विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि, किसी प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, वाणिज्य मंडल/खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधि, कोई शिक्षाविद, जिलाधीश, ब्लॉक विकास अधिकारी तथा क्षेत्र के चुने गए सरपंच/पंचायत सदस्य (महिला सदस्यों को वरीयता दी जाएगी) इस समिति में शामिल होंगे।

- इस समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा तथा समिति के निष्पादन को देखते हुऐ यह कार्यकाल पांच वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।

- विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उन सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिनमें यह परियोजना शुरू की जा सकती है।

- यह समिति उस क्षेत्र/जिले का चुनाव करेगी, जिसमें यह परियोजना चलाई जाएगी।

- यह परियोजना तीन चरणों में चलाई जाएगी।

चरण-I संघटन और जागरूकता

- राज्य बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण।

- सामुदायिक नेतृत्व के सहयोग से मौजूदा या नए संगठनों से संबंधों का विकास।

- उपर्युक्त समिति के माध्यम से चुने गए क्षेत्रों में शिविरों/बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें यह परियोजना शुरू करने के उद्देश्य से, समुदाय द्वारा महसूस की जा रही स्थानीय आवश्यकताओं का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे।

- कार्यकर्ताओं और सामुदायिक दलों के दो प्रतिनिधियों को क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

चरण-I और II

(i) महिलाओं का आर्थिक विकास

- सामुदायिक दल गठित किए जाएंगे। ये दल अपने भावी कार्यकलापों का निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लेंगे। तदनुसार, इन दलों को प्रशिक्षण-सह-उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प, पुष्पकृषि जैसी आवश्यकता-आधारित परियोजनाएं संस्वीकृत की जाएंगी।

- ये सामुदायिक दल अपने भावी कार्यकलापों का निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लेंगे। तदनुसार, रज्जुमार्गों के निर्माण, बागबानी, पुष्पकृषि, बांस से बनने वाली वस्तुओं, औषधीय पौधों रेशे एवं जूट के उत्पादों जैसी परियोजना इकाइयां ही संस्वीकृत की जाएंगी।

प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की परियोजना संस्वीकृत समिति के माध्यम से संस्वीकृत किए जाएंगे।

(ii) व्यवसाय संबंधी परामर्श के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण

इस घटक द्वारा संबंधित क्षेत्र की शिक्षित बेरोजगार बालिकाओं/महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इन बालिकाओं/महिलाओं को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार कंप्यूटर, टंकण एवं आशुलिपि, सौंदर्य-संस्कृति एवं अन्य सदृश आय अर्जन कार्यकलापों का प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

अभिनिर्धारित दल को गैर-पारंपरिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण तत्संबंधी व्यावसायियों द्वारा नियमित रूप से प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यक्रम के समापनोपरांत, दल को आय अर्जन कार्यकलापों से जोड़ा जाएगा तथा उस दल के उत्पादों को विपणन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा।

उपर्युक्त समर्थन सेवाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की परियोजना संस्वीकृत समिति द्वारा संस्वीकृत किए जाएंगे।

समर्थन सेवाएं

आर्थिक कार्यकलापों के अलावा, इस समिति द्वारा अभिनिर्धारित अन्य मुद्दे (जैसे नशे की लत, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार इत्यादि) भी उठाए जा सकते हैं। इस परियोजना में परामर्श और रेफरल सेवा केंद्रों की स्थापना जैसे कार्यकलापों का घटक शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव तथा सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले प्रतिष्ठित सामुदायिक दलों के माध्यम से यह घटक कार्यान्वित किया जाएगा।

(i) **परामर्श :**

नशे और शराब की लत छुड़ाने, क्षयरोग, एच.आई.वी./एड्स जैसे मुद्दों से निपटने के लिए उपचारात्मक परामर्श प्रदान करने वाले परामर्श केंद्र खोले जाएंगे।

(ii) **अवैध व्यापार :**

बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर की महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार किया जा रहा है तथा नशीली दवाओं के व्यापार में भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। परामर्श और तत्पश्चात पुनर्वास सेवाएं सामुदायिक दलों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इस मामले में यह अपेक्षित है कि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अनुदान हेतु आवेदन करने वाले सामुदायिक दलों को इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। सामुदायिक दलों को शत-प्रतिशत अनुदान राज्य बोर्ड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

- इस परियोजना को कारगर, दीर्घकालीन एवं अनुकरणीय बनाने के लिए इसकी अवधि पांच वर्ष होगी।

चरण - I में परामर्श/व्यवसाय संबंधी परामर्श एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ उत्पादन इकाइयां, स्व-रोजगार इकाइयां और विक्रय इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी।

चरण - II एवं III में ये इकाइयां स्थापित की जाएंगी, प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे तथा यह अपेक्षित होगा कि सामुदायिक दलों के उत्पादों को विपणन किया जाए। आशा है कि प्रशिक्षण से विपणन तक ही यह प्रक्रिया दो से तीन वर्षों में संपन्न कर ली जाएगी।

स्व-रोजगार और विक्रय इकाइयों की स्थापना के तुरंत बाद संबंधित दलों को इन इकाइयों से लाभ प्राप्त होने लगेगा।

- जागरूकता, परामर्श, रेफरल और पुनर्वास संबंधी कार्यकलाप शुरू करके निरंतर 4 वर्षों तक चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को जारी रखा जाना इनके निष्पादन तथा इन कार्यक्रमों के द्वारा निपटाए गए मामलों एवं पुनर्वास सेवाओं से लाभान्वितों की संख्या पर निर्भर करेगा।

अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण

यह इस परियोजना का अंतरंग घटक होगा तथा परियोजना शुरू होते ही इस घटक संबंधी कार्यकलाप भी शुरू हो जाएंगे।

खादी एवं ग्रामोद्योग को राजसहायता

2972. **श्री के. विरूपाक्षप्पा :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को राजसहायता/वित्तीय सहायता जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी धनराशि जारी किया जाना शेष है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को खादी एवं ग्राम उद्योग (केवीआई) के विकास एवं संवर्धन के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु बजटीय स्रोतों से प्रतिवर्ष निधियां प्रदान करती है। प्रदत्त निधियां (i) योजना कार्यक्रमों और (ii) योजना-भिन्न उद्देश्यों के लिए होती हैं। योजना निधियां बजटीय शीर्षों (i) खादी अनुदान (ii) खादी ऋण (iii) ग्राम उद्योग अनुदान (iv) ग्राम उद्योग ऋण (v) खादी अनुदान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) (vi) ग्राम उद्योग अनुदान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) (vii) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) (viii) पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) के तहत प्रदान की जाती हैं। सरकार प्रतिवर्ष बुक एडजेस्टमेंट के द्वारा योजना शीर्ष के तहत केवीआई के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज के बदले में ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है। सरकार द्वारा 2003-04, 2004-05 और 2005 06 के दौरान, उक्त उल्लिखित बजट शीर्षों के दौरान केवीआईसी को उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नोक्त है:

(करोड़ रु.)

बजट शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
खादी अनुदान	88.85	90.00	106.90

1	2	3	4
खादी ऋण	0.49	0.49	0.00
ग्राम उद्योग अनुदान	23.00	16.00	45.85
ग्राम उद्योग ऋण	0.01	0.01	0.00
खादी अनुदान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	1.50	1.50	1.35
ग्राम उद्योग अनुदान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	4.00	4.00	3.60
आरईजीपी	281.75	326.00	376.86
स्फूर्ति	0.00	1.00	1.12
ब्याज सब्सिडी (बुक एडजेस्टमेंट द्वारा)	24.00	24.00	24.00
कुल	423.60	463.00	559.68
योजना भिन्न	84.77	92.90	84.87

सरकार द्वारा 2006-07 के लिए केवीआईसी को आबंटित निधियों, वे जो जारी की गई और जारी की जानी शेष हैं, का ब्यौरा निम्नोक्त तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रु.)

बजट शीर्ष	कुल आबंटन	जारी निधियां (फरवरी, 07 तक)	जारी किए जाने वाला शेष
1	2	3	4
खादी अनुदान	138.30	132.95	5.35
खादी ऋण	0.49	0.36	0.13
ग्राम उद्योग अनुदान	52.00	44.01	7.99
ग्राम उद्योग ऋण	0.01	0.00	0.01
खादी अनुदान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	1.50	1.01	0.49
ग्राम उद्योग अनुदान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	4.00	0.90	3.10
आरईजीपी	372.63	313.61	59.02

1	2	3	4
स्फूर्ति	19.46	7.30	12.16
ब्याज सब्सिडी (बुक एडजेस्टमेंट द्वारा)	24.00	24.00	0.00
कुल	612.39	524.14	88.25
योजना भिन्न	84.82	75.96	8.86

स्वर्ण का आयात

2973. श्री एम. अप्पादुरई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वर्ण के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) देश में स्वर्ण की खपत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा सोने की खपत के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2006 में भारत में सोने की खपत 800 टन की हुई थी।

(ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक) के दौरान सोने के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:—

(लाख रुपये में)

2004-05	2005-06	2006-07 (अक्तूबर, 06 तक)
4734758.00	4795048.97	4063364.85

(घ) देश में किसी वस्तु की खपत घरेलू बाजार में उसकी खपत और उसकी निर्यात संभावना पर निर्भर करती है। देश में सोने की खपत को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उत्प्रवास सुविधाएं

2974. श्री विजय कृष्ण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे शहरों के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उत्प्रवास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनों से निपटने के लिए उचित उत्प्रवास सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तनों-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विमानपत्तनों पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ताकि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सुगमता से संचालित किया जा सके; और

(घ) ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उचित उत्प्रवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) दिल्ली, मुंबई, चैन्ने, कोलकाता और अमृतसर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों स्थित उत्प्रवासन और आप्रवासन का कार्य केन्द्र सरकार की तरफ से एजेंसी आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। छोटे शहरों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अपर्याप्त उत्प्रवासन और आप्रवासन सुविधाओं से सरकार अवगत है तथा इन सुविधाओं में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं (i) कम्प्यूटर प्रणालियों का उन्नयन, (ii) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस साफ्टवेयर

की स्थापना), (iii) पासपोर्ट पठन मशीनों की स्थापना (पी आर एम), (iv) प्रश्न योग्य कागजात जांच (क्यू डी एक्स) मशीनों की स्थापना तथा (v) आप्रवासन कार्मिकों का आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) द्वारा आवधिक प्रशिक्षण।

सीबीएसई विद्यालयों में कन्नड़ भाषा

2975. श्री एम. शिवन्ना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर कर्नाटक में कार्यरत सभी सीबीएसई विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम में अंग्रेजी तथा हिन्दी के साथ-साथ 'कन्नड़' भाषा को शामिल किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कर्नाटक में कितने विद्यालयों में कन्नड़ का भाषा के तौर पर अध्ययन कराया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सी.बी.एस.ई. की पाठ्यचर्या में ''कन्नड़'' भाषा शामिल है तथा कर्नाटक सहित देश के सभी राज्यों में बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्र, यदि इच्छुक हों, तो माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी के साथ ''कन्नड़'' को चुन सकते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में कन्नड़ भाषा पढ़ाने वाले विद्यालयों की संख्या निम्नवत है:–

वर्ष	कक्षा-X स्कूलों की संख्या	कक्षा-XII स्कूलों की संख्या
2005	75	09
2006	85	08
2007	98	11

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के खिलौने

2976. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजारों में चीन के खिलौनों की बाढ़ आई हुई है;

(ख) यदि हां, तो चीन के खिलौनों की खरीद पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा उठाना पड़ा;

(ग) क्या गुणवत्ता जांच निरीक्षकों ने यह पाया है कि चीन में बने कुछ खिलौनों में औद्योगिक अपशिष्ट तथा अस्पतालों द्वारा फेंका गया कूड़ा-करकट पाया गया है जिससे बच्चों को एलर्जी हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसे खतरनाक खिलौनों को भारत में आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वाणिज्यिक सतर्कता तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा रखे गये आयात संबंधी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 में खिलौनों, गेम्स और स्पोर्ट्स की वस्तुओं; तथा उनके पुर्जों और सहायक सामग्री का आयात 505.63 करोड़ रुपये था जिसमें से 272.87 करोड़ रुपये का आयात चीन से हुआ। इसकी तुलना में भारतीय खिलौना उद्योग व्यापार वर्ष 2005-06 में लगभग 2500 करोड़ रुपये होने का अनुमान था।

(ग) और (घ) चीन के खिलौनों के आयात करने के संबंध में खिलौना विनिर्माताओं से काई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकार भारतीय बाजार में जोखिम वाले तथा खतरनाक खिलौनों के आगमन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि भारत में खिलौनों का आयात अनिवार्य गुणवत्ता जांच के अध्यधीन नहीं है।

नाल्को में रोजगार

2977. श्री भर्तृहरि महताब : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाल्को परियोजना हेतु अपनी भूमि खो चुके उड़ीसा के बहुत से भू-विस्थापित रोजगार पाने हेतु निरन्तर प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की समीक्षा करने तथा व्यापक रूप से प्रभावित हुए व्यक्तियों को रोजगार उपलबध कराने हेतु नाल्को द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या नाल्को का विचार ऐसे व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने के बदले एकमुश्त नकद सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको) प्रबंधन ने सूचित किया है कि कंपनी में रोजगार की मांग करने वाले इन आन्दोलनमूलक (एजिटेशनल) मुद्दों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा राजस्व तथा प्रशासन के साथ चर्चा की गई है और तदनुसार पुनर्वास सहायता के प्रावधान के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है जिसमें स्थानीय विस्थापित लोगों तथा व्यापकरूप से प्रभावित लोगों को कंपनी में रोजगार देना भी शामिल है। इसके अलावा, इन मुद्दों की संबंधित मण्डलीय राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास सलाहकार समिति द्वारा आवधिक तौर पर समीक्षा की जाती है। उक्त समिति में अन्यों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

(ग) और (घ) पुनर्वास सलाहकार समिति में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप अंगुल क्षेत्र, नालको ने रोजगार दिए जाने के बदले भूमि की पैमाइश के अनुसार एक समय में एकमुश्त नकद सहायता देने की नीति विकसित की है और पहचान किये गये व्यापक रूप से प्रभावित परिवारों से इसके लिए विकल्प मांगा गया है। तदनुसार, अंगुल में व्यापक रूप से प्रभावित 57 लोगों ने उसके लिए विकल्प दिया है।

कर छूट पास बुक

2978. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर छूट पास बुक (डी ई पी बी) योजना के स्थान पर वैकल्पिक योजना लाने में अक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के संबंध में श्री ए. हुड्डा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्पादों के उद्‌गम संबंधी नियमों को सुकर बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (छ) मौजूदा शुल्क हकदारी पासबुक (डी ई पी बी) को बदलने के बारे में प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री ए. हुड्डा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। डी ई पी बी स्कीम से संबंधित कोई उद्‌गम नियम नहीं है।

अनुसंधान तथा विकास इकाइयां

2979. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग इकाइयों हेतु अनुसंधान तथा विकास योजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये लघु उद्योगों हेतु किस सीमा तक लाभकारी होंगे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा

2980. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित नहीं हैं जैसा कि दिनांक 22 जनवरी, 2007 के 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पुरुष तथा महिला-वार ऐसे कुल कितने नागरिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) कितने आरोपियों को हिरासत में लिया गया तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम

2981. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों ने नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए निधियां जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने तापतरंग तथा बिजली गिरने के आघातों आदि से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) कतिपय राज्य सरकारों ने आपदा राहत निधि (सी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) योजना के अंतर्गत राहत सहायता प्राप्त करने के लिए अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में नई आपदाओं को शामिल करने का अनुरोध है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उत्तरवर्ती वित्त आयोग सी आर एफ/एन सी सी एफ योजना के तहत राहत सहायता के लिए पात्र प्राकृतिक आपदाओं की सूची तैयार करते हैं। वर्ष 2005-2010 की अवधि के लिए 12वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित सी आर एफ/एन सी सी एफ की मौजूदा योजना में राहत सहायता प्रदान करने के लिए तापतरंग और बिजली गिरने के आघात शामिल नहीं हैं।

विवरण

अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाई गई आपदाओं/घटनाओं की सूची का एक विवरण

राज्य	सुझाई गई आपदाएं/घटनाएं
1	2
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब	थंडर बोल्ट के पश्चात होने वाली ओला वृष्टि, बिजली गिरने से हुई मौत
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान	तापतरंग और शीत लहर/फ्रोस्ट
सिक्किम	ब्लैक फ्रोस्ट और फसल पर इसका होने वाला प्रभाव

1	2
अरुणाचल प्रदेश	बैम्बू फ्लॉवरिंग
गुजरात	रासायनिक आपदा/युद्ध
नागालैंड	जंगली हाथियों/जंगली सुअरों के कारण हुई क्षति
पंजाब	जंगली जानवरों इत्यादि के कारण हुआ नुकसान
तमिलनाडु	(i) गेल विंड, स्कवॉल, सी इरोश्जॅन
	(ii) राज्यों को किसी भी बड़ी नदी या सहायक नदी (जो अंतर राज्य स्वरूप की है) से जल ने छोड़े जाने के कारण हुई क्षति।
त्रिपुरा	बर्ड फ्लू और मैड काऊ संबंधी रोग
पंजाब	मधुमक्खीपेटिका और मुर्गीखाना को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति
उत्तरांचल	रोपवे में यांत्रिक खराबी, टनल के ढहने, विहिक्यूलर संबंधी घटनाएं

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नए पोस्ट-ग्रेजुएट कार्यक्रम शुरू करना

2982. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2007-08 से नए पोस्ट-ग्रेजुएट कार्यक्रमों को शुरू करने तथा अंतर्विभागीय विषयों के विकल्पों में वृद्धि के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय ने विज्ञान संकाय के अंतर्गत फिजिक्स तथा एस्ट्रोफिजिक्स विभाग में नाभिकीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में एम. टेक पाठ्यक्रम तैयार किया है। विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों के अनुमोदन के पश्चात् पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2007-08 से आरंभ किया जाएगा।

निर्यात उद्योग

2983. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले उद्योगों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए किन-किन उद्योगों को स्वीकृति दी गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सरकार निर्यातोन्मुख इकाईयों की स्थापना नहीं करती है। इकाइयों की स्थापना सरकार के अनुमोदन से निजी व्यक्तियों/निगमित निकायों द्वारा की जाती है। दिनांक 01/04/2004 से 12/03/2007 के बीच महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदित ई ओ यू की विस्तृत सूची निम्नानुसार है:-

2004-05 : ए आर सल्फोनेट्स प्रा. लि., अभय एक्सपोर्ट्स, एक्यूरेट गेजिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लि., ए डी एफ फूड्स लि., ऐली

फार्मा ऑप्शन्स प्रा. लि., अल्ताना फार्मा प्रा. लि., एपल इंटरनेशनल इंजी. वर्क प्रा.लि., एस्टेक केमिकल्स प्रा. लि., एस्ट्रल ग्लास प्रा. लि. III, बी आर स्टील प्रोडक्ट्स प्रा.लि. बेब्टिज फ्लैंजेस वर्क्स प्रा. लि, भारत फोर्ज लि., छंतारा टेक्सटाइल्स लि., केमट्रीट कम्पोजिट्स इंडिया प्रा.लि., कॉम्प इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट्स II, कॉस्मो फिल्मस लि., क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लि., एडिकॉन न्यूमैटिक टूल कं. प्रा. लि., एलान फैशन्स प्रा. लि., इलेक्ट्रॉनिका मशीन टूल्स लि., एफ डी सी लि., एफ ई एम केयर फार्मा लि., फ्लाईव्हील रिंग गियर्स लि., गाला इंपेक्स, गाला प्रिसिशन टेक लि., जेनोम बायोटेक प्रा.लि., गोमती केमिकल्स प्रा.लि., जी के बी ऑप्थेल्मिक्स लि., हनिल एराटेक्सटाइल्स लि., ह्यूको इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्रा. लि., हाइड्रो न्यूमैटिक एक्सेसरीज (आई) प्रा. लि., आई ए एण्ड आई सी केम प्रा. लि. इंकोट्रेक सिस्कॉम प्रा. लि., जकप मेटिंड प्रा. लि., जे सी बी मैन्यूफैक्चरिंग लि., ज्यूपिटर ओवरसीज, कल्याणी फोर्ज लिमिटेड, कर्मयोग इंजीनियर्स प्रा. लि., क्वालिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रा. लि., लम्हा सैटेलाइट सर्विसेज लि., लक्ष्मी डैंटल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., ल्यूपिन लिमिटेड, मैकोर इंजीनियर्स (इंडिया) प्रा. लि., मैग्ना कास्टिंग एण्ड मशीन वर्क प्रा. लि., मालक ऑइलकेम प्रा. लि., मैक्सहील फार्मास्यूटिकल्स (इंडिया), मेलोग स्पेशियैल्टी केम प्रा. लि., मर्लोनी टर्मोसेनिटरी एस एस पी लि., मोटर इंडस्ट्री कं. लि., मुरली कृष्णा फार्मा प्रा. लि., निओस, ऑर्किड केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., पी आई ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., पैरामांउट कंडक्टर्स लि., पी सी एस इंडस्ट्रीज, पर्फेक्ट सर्कल इंडिया लि., फिलिप्स इंडिया लि., पायोनियर एग्रो इंडस्ट्रीज, पॉलिबॉंड इंडिया प्रा. लि., प्राज इंडस्ट्रीज लि., प्रिंटहाउस (इंडिया) प्रा. लि., पलस्लकर मिशैल इंजी. प्रा. लि., आर के ई एक्सपोर्ट प्रा. लि., ऋषभ एप्लाइड मीटर्स प्रा. लि., रोजी ब्ल्यू (आई) प्रा. लि., रूद्राली हाइटेक टूल्स प्रा. लि., एसके इंटरनेशनल (एक्सपोर्ट) कं., साधना नाइट्रो केम लि., सेफप्रोपैक प्रा. लि. सागरिका कैसेट्स एण्ड रिकॉर्ड्स प्रा. लि., सैंडोज प्रा. लि., सैंडविक एशिया लि.-II, शेखसरिया केमिकल्स लि., सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लि. (II), श्रीटेक इंटरनेशनल, श्रेया बायोटेक प्रा. लि., श्रेया लाइफ साइंसेज प्रा. लि., श्रेयस इंटरमीडियेट्स लि., स्प्रिंग इंडिया स्टील स्ट्रांग इंटरनेशनल, स्टाईबर प्रसिशन प्रा. लि., सुन्दरम ज्वेलर प्रा. लि., सुप्रीम पॉलिवीव प्रा. लि., सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, टी आई एम टेक्नो-इंडस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि., द ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, वाव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि., विकास लेबोरेटरीज प्रा. लि., विराज एलायज लि., विराज फॉर्जिंग लि., विराज इंपो एक्सपो लि., विराज प्रोफाइल्स लि., वर्गो वाल्वस एंड कंट्रोल्स लि., वी एस एल वायर्स लि.।

2005-06 : ए.बी. इंडस्ट्रीज, एडवीनस थेराप्यूटिक्स प्रा. लि., अंजता फार्मा लि., अजमल एक्सपोर्ट्स, एलाइड इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लि., भगत कैम (इंडिया) प्रा. लि., बिरला केनामेटल लि., ब्लू सर्कल स्पेशिलिटी कैमिकल्स प्रा. लि., केमबायोटेक रिसर्च इंटरनेशनल प्रा. लि., शिपला लि. (रायगढ़), दाना इंडिया प्रा. लि., ड्यूरोशॉक्स प्रा. लि., याटोन टेस्ट लैब प्रा. लि., इलैक्ट्रॉनिका मशीन टूल्स लि., फैशन कार्पोरेशन, फाइन डाया जिवेल्स, फ्लोरेसैंट्स परफ्यूम प्रा. लि., फ्रेशट्रॉप फ्रूट्स लि. III, जी. एम. फैब्रिक्स प्रा. लि, गजानन इंजीनियरिंग वर्क्स, गेटवे टर्मिनल्स प्रा. लि., जेनूम बायोटेक प्रा. लि., गोल्डियम ज्वैल्स लि., ग्रीनस्पेन एग्रीटैक प्रा. लि., जी. टी.आई. ज्वैलरी इंडिया प्रा. लि., हाइटैक इंजीनियर्स प्रा. लि., इंडस्ट्रियल प्लांट एंड वेस्ट कार्पोरेशन, जैजी फ्रिएशंस प्रा. लि, कालरा ओवरसीज प्रा. लि., केरलोस्कर ऑयल इंजन्स लि., केरलोस्कर कोपलैंड प्रा. लि., केरलोस्कर ऑयल इंडिया लि., लानोवा कैम (इंडिया) प्रा. लि., मल्लाक स्पेशलिटी प्रा. लि., मैक फिंतोष नेचुरल फुड्स प्रा. लि., मेट्रोपॉलीमर प्रा. लि., नक्षत्र इंटरप्राइजेज प्रा. लि., ओमेगा कलर्स प्रा. लि., ओमनी एक्टिव हैल्थ टैक्नालॉजी प्रा. लि., परफेक्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि. यूनिट-II, परफेक्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा.लि., फार्मा बेस इंडिया प्रा. लि. फिनिक्स टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्रा. लि., पुनावाला इंजीनियरिंग प्रा. लि, पिरामिट कोस्मेटिक्स, रिसर्च सपोर्ट इंटरनेशनल लि., ऋषि लेजर कटिंग लि., सैंडविक एशिया लि.-III, सिको टूल्स इंडिया प्रा. लि. शोर ऑटो रबड़ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., शिया डैंटल इंडस्ट्रियल प्रा. लि., स्मृति ऑर्गेनिक्स लि., स्पार्कल डायम प्रा. लि., स्पाइर इंडिया, स्टार सरक्लिप्स एंड इंजीनियरिंग लि., स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज सुत्ताती इंटरप्राइजेज प्रा. लि., टेम्को ट्रीज डेकोरेटर्स प्रा. लि., ट्रीज डेकोरेटर्स प्रा. लि. टैक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया लि., द डक्कन मिनरल्स प्रा. लि., त्रिवेणी सेफ्टी मैचेज प्रा. लि., ट्विलाइट ज्वैलरी प्रा. लि., यूएसवी लि. (यूनिट-II), यूएसवी लि. यूनिट-I, वार्को इंजीनियरिंग प्रा. लि., वेदांत डायस्टफ एंड इंटरमीडिएट प्रा. लि, विब्ग्योर टेक्सोटैक लि., विराज फोरजिंक्स लि., वीएनएस स्विच गियर (इंडिया) प्रा. लि., वीवीएफ लि., वाटशिला इंडिया लि, यश इंडस्ट्रीज, झूम कंसल्टेंसी।

2006-07 : एबीकोर बेंजीन प्रोडक्शन इंडिया प्रा. लि., एसीई एग्रो बायो साइंस प्रा. लि., अलअजीज प्लास्टिक्स प्रा. लि., एनेक्स इंजीनियरिंग प्रा. लि. बीसीडी वैक्यूम प्रा. लि., बेंजोकैम इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ब्लिस कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडिया लि., सेंटोर फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., शिपला लि. (पुणे), कूपर फाउंड्री प्रा. लि., इलैक्ट्रॉनिका मशीन टूल्स लि., इलैक्ट्रॉनिका मशीन टूल्स

लि.(I), फैबटैक प्रोजैक्ट एंड इंजीनियर्स प्रा. लि., फिल्ट्रम पॉलीमर्स प्रा. लि., फ्लैमिंगो फार्मास्यूटिकल्स लि., फ्लैमिंगो फार्मास्यूटिकल्स लि., फ्रैंकलीन टैम्पलटन इंटरनेशनल सर्विसेज (I) प्रा. लि., जी. वी. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., एच फिलंगर एंड कंपनी प्रा. लि., हल्डैक्स इंडिया लि., हिकल टैक्नोलॉजीज लि., ह्यूको लाइट्रॉनिक (I) प्रा. लि., इंडो आस्ट्रेलियन होज मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि., इनोवासिंथ टैक (I) लि., जोन डिरी इक्विपमेंट प्रा. लि., किम कैमिकल्स लि. किरलोस्कर ऑयल इंडिया लि., लांशर वॉल्व प्रा. लि., एलजी इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि., ऑयल टूल्स इंटरनेशनल सर्विसेज, परी ऑटोमेशन लि., पैलीकेन्स ऑटोमोटीव एंड प्रमोशनल प्रोडक्ट्स प्रा. लि., फिनिक्स मकानो (इंडिया) लि., पावर डील हैवी इंजीनियरिंग प्रा. लि., प्रीवी ऑर्गेनिक्स लि., रेकेम आरपीजी लि, रेनीशॉ मेटीरियालॉजी सायटम्स प्रा. (इंडिया) लि., साहनी किर्कवुड प्रा. लि., साई लाइफ साइंसेज लि. सजनी मैन्यूफैक्चरिंग सेंडोज प्रा. लि., सगुन पैकेजिंग प्रा. लि., शाह टैक्नीकल्स कंसल्टेंट्स प्रा. लि., सिंधु दुर्ग फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., शुरू इंटरनेशनल प्रा. लि., सूरज डायमंड इंडस्ट्रीज, थॉमसन प्रेस इंडिया लि. उगर क्वालिटी पैकेजिंग प्रा. लि., वेदांत ड्रग्स एंड फाइन कैमिकल्स प्रा. लि, वेदांत डायस्टफ एंड इंटरमीडिसट्स प्रा. लि., वीना इंडस्ट्रीज प्रा. लि., विनाती ऑर्गेनिक्स लि., वेल साइट इंटरनेशनल सर्विस (आई) प्रा. लि.।

[अनुवाद]

विनिर्माण क्षेत्र

2984. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तर्ज पर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल क्षेत्र में पांच विनिर्माण निवेश क्षेत्रों की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री की व्यापार एवं सलाहकार परिषद् ने जुलाई, 2006 में निवेश आयोग तथा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदण्डों को विशेषकर चमड़ा, भेषज तथा इंजीनियरिंग वस्तु उद्योगों के लिए उदार बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह कहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में एफ.डी.आई. मानदण्डों को और उदार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विनिर्माण निवेश क्षेत्रों की स्थापना उन पहलों में शामिल है जिन पर सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त बुनियादी सुविधाओं, शीघ्र स्वीकृतियों और ज्यादा दक्ष व पारदर्शी विनियामक प्रणालियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से विचार किया जा रहा है, ताकि विनिर्माण में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ख) जी, हां। व्यापार और उद्योग पर प्रधान मंत्री की परिषद् ने जुलाई, 2006 को हुई अपनी बैठक में निवेश आयोग तथा राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् की रिपोर्टों पर विचार किया था।

(ग) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार, भेषज, चमड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुओं सहित विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाती है। एफडीआई नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है। एफडीआई नीति की समीक्षा 2006 में की गई थी और यौक्तिकीकरण/उदारीकरण संबंधी अनेक उपाय अधिसूचित किए गए थे।

पत्तनों पर अपर्याप्त अवसंरचना

2985. श्री नरहरि महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रमुख पत्तनों पर जहाजों में खाद्यानों के लदान के लिए क्रेनों की कमी के कारण करोड़ों डालर की निर्यात राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवहन के लिए अपर्याप्त अवसंरचना के कारण भारत के कृषि निर्यात योग्य अधिशेष मदों का लगभग 40 प्रतिशत निर्यात नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) खाद्यान्न का निर्यात केवल

4 मुख्य पत्तनों अर्थात मुम्बई, कांडला, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम पत्तन न्यासों के जरिए किया जाता है। ये पत्तन निर्यात कार्गों हैंडल करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्रेनों से सुसज्जित हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि देश के निर्यात संभावना के अनुरूप अवसंरचना उपलब्ध नहीं है परन्तु निर्यातों को सुकर बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न तरीकों को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

विरासत स्थलों के रूप में विद्यालयों/ बाजारों को मान्यता

2986. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) का इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले कुछ विद्यालयों/बाजारों को विरासत स्थलों के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों/बाजारों के पृथक-पृथक नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.डी.एम.सी. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहचान किए गए विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विद्यालयों और बाजारों की विरासत स्थलों के रूप में पहले ही पहचान कर ली है:

1. **विद्यालय**

(i) नगर पालिका बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंदिर मार्ग

(ii) सेंट कॉलम्बस स्कूल, अशोका प्लेस

(iii) जैन हैप्पी स्कूल, जैन मंदिर रोड

(iv) कांवेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल, बंगला साहिब रोड

(v) लेडी इर्विन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केनिंग रोड

(vi) सेंट थॉमस स्कूल, मंदिर मार्ग

(vii) मॉडर्न स्कूल, बारा खंबा रोड

2. **बाजार**

(i) गोल मार्किट

(ii) कनाट प्लेस/कनाट सर्कस

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली दो इमारतों अर्थात नगर पालिका बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और गोल मार्किट की जीर्णोद्धार की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और एक प्रयोग के रूप में ''सी'' ब्लॉक, कनाट प्लेस के अग्रभाग का जीर्णोद्धारा भी शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

जंतर मंतर पर प्रदर्शन

2987. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोगों को होने वाली असुविधा के कारण प्रदर्शन स्थल को जंतर मंतर नई दिल्ली से शहर के किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) प्रदर्शन करते समय कई संगठन, संसद भवन के अधिक से अधिक नजदीक पहुंचना चाहते हैं। ताकि वे अपनी मांगे, अपने प्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचा सकें। इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि संसद मार्ग (जंतर-मंतर) पर 5000 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं और न ही आयोजकों को वाहन लाने की अनुमति दी जाएगी। यदि बड़ी संख्या में वाहन लाए जाते हैं और न ही आयोजकों को वाहन लाने की अनुमति दी जाएगी। यदि बड़ी संख्या में वाहन लाए जाते हैं और ये वाहन, आयोजकों के साथ आते हैं तो आयोजकों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना होगा जहां वाहनों को पार्क किया जा सकता है। यदि प्रदर्शनकारियों की संख्या 5000 से अधिक होती है तो प्रदर्शन

स्थल, केवल रामलीला मैदान ही हो सकता है। वे रामलीला मैदान से जंतर-मंतर नहीं जा सकते हैं लेकिन आयोजक, तीन से चार लोगों के छोटे-छोटे ग्रुप बना सकते हैं और ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें जंतर-मंतर या अतिविशिष्ट व्यक्तियों के कार्यालयों तक ले जाया जा सकता है। तथापि, यदि रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों की संख्या 5000 से कम है तो 2 से 3 प्रति पंक्ति की जलूस की शक्ल में उन्हें जंतर-मंतर तक जाने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते आयोजकों के स्वयं सेवक, टालस्टॉय मार्ग/बाराखंभा रोड के चौराहे पर और टालस्टॉय मार्ग/जनपथ के चौराहे पर रहे। ये स्वयं सेवक, चौराहों पर यातायात नियंत्रण करने में यातायात पुलिस की सहायता करेंगे। प्रदर्शनकारियों को रोक करके रुक-रुक कर जाने दिया जाएगा।

यदि 50000 से अधिक लोगों की भीड़ होने की आशा हो तो इस भीड़ के अनुरूप ही वाहनों की संख्या बढ़ेगी और राजघाट, आई टी ओ, डब्ल्यू प्वाइंट, दिल्ली गेट आदि जैसे चौराहों पर इससे यातायात की विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। रामलीला मैदान में 50000 से अधिक की भीड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके विकल्प के रूप में बुराड़ी मैदान में इसकी अनुमति दी जा सकती है। तथापि, यदि आयोजक, दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर किसी पार्क या खुले क्षेत्र का चयन करते हैं तो इसकी गुण-दोषों के आधार पर जांच की जा सकती है।

मुंबई बम विस्फोट मामले के भगोड़ों का प्रत्यर्पण

2988. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993 के मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले के मुख्य भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे भगोड़ों को भारत में कब तक प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) 1993 के मुम्बाई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में इस समय 37 भगोड़े हैं जिनमें से 35 की देश से गायब होने की सूचना है। इनमें से कुछ भगोड़ों को भारत से प्रत्यर्पित/विवासित कर दिया गया है। सरकार विदेशों से वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

एन.टी.सी. कामगारों का पुनर्वास

2989. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) की बंद इकाइयों के विस्थापित कामगारों के पुनर्वास के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या बंद मिलों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर दिए गए/दिए जाने वाले लाभ अन्य संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की गैर-अर्थक्षम मिलों के बंद होने से प्रभावित कामगारों के लिए एक उदार संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) की पेशकश दी है। इस योजना में कामगारों को 50% से 100% तक, मजदूरी में संशोधन की तिथि के आधार पर कामगारों को अनुग्रह राशि के भुगतान में वृद्धि करने का प्रावधान है। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्तैनाती के लिए एक योजना बनाई है और एनटीसी के कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं।

(ख) से (घ) एमवीआरएस के तहत एनटीसी मिलों के कर्मचारियों को दी गई मुआवजा राशि आमतौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से अधिक आकर्षक है।

पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम

2990. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी.ई.सी.) द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के नाम राज्य-वार क्या हैं;

(ख) डी.ई.सी. द्वारा अनुमोदित तथा डी.ई.सी. द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं, दोनों के द्वारा पेशकश किए जा रहे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के माध्यम से डी.ई.सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में कितने छात्र अध्ययनरत् हैं;

(घ) क्या ऐसे छात्र केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतर्गत पदों एवं सेवाओं के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस स्थिति के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों और संस्थानों की राज्यवार सूची उनके कार्यक्रमों सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम, जो दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कर रहे छात्रों के बारे में कोई सूचना नहीं रखता है।

(घ) से (च) सरकारी सेवाओं में उच्च योग्यता प्राप्त जनशक्ति की भर्ती सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत के राजपत्र में दिनांक 1 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं.44, एफ. 18-15/93 टीडी-V/टीएस-II/ जारी की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि संसद अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थाओं और संसद अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदत्त अर्हताएं केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में रोजगार उद्देश्य हेतु स्वाभाविक रूप से मान्यता प्राप्त है बशर्ते वे दूरस्थ शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जहां कहीं भी आवश्यक हो, द्वारा अनुमोदित हो।

विवरण

दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों की राज्यवार सूची

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	बी.एड.
2. केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1. अंग्रेजी अध्यापन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र
	2. अंग्रेजी अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
3. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	बी.एड. (उर्दू)
4. डा. बी.आर. अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद	बी.एड. (तेलुगु)
5. एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति	बी.एड.
असम	
6. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	बी.एड.

1	2
अरुणाचल प्रदेश	
7. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर	बी.ए.
बिहार	
8. मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक
छत्तीसगढ़	
9. पं. सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1. बेचलर प्रीपेरेटरी कार्यक्रम
	2. बी.ए.
	3. बी.एससी.
	4. बी. काम
	5. एम.ए
	6. अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा
	7. ग्रामीण विकास में पी.जी. डिप्लोमा
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	
10. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	बी.एड.
दिल्ली	
11. डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली	बी. लेवल कार्यक्रम
12. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	बी.एड.
गुजरात	
13. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	बी.एड.
कर्नाटक	
14. कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	बी.एड.
मध्य प्रदेश	
15. एम.पी. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल	बी.एड.

1		2
16.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	1. एमसीए
		2. पीजीडीसीए
		3. एडीसीए
		4. बीसीए
		5. सीआईसी
17.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	एमएलआईएससी
		बीएलआईएससी
		पीजीडीएमएम
महाराष्ट्र		
18.	सिम्बॉयसिज दूरस्थ अध्ययन संस्थान, पुणे	1. व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		2. मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		3. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		4. सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		5. बीमा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		6. व्यवसाय प्रशासन में कॉरपोरेट स्नातकोत्तर डिप्लोमा
19.	नरसी मौंजी प्रबंध अध्ययन संस्थान, मुंबई	1. व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा
		2. मार्किटिंग प्रबंधन में डिप्लोमा
		3. वित्त प्रबंधन में डिप्लोमा
		4. मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा
		5. व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		6. मार्केटिंग प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		7. वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		8. मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		9. सप्लाई श्रृंखला में एडवांस डिप्लोमा

1		2
20.	यशवन्त राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	बी.एड.
उड़ीसा		
21.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासौर	एमबीए
		पीजीडीएचआरएम
		पीजीडीएफएम
		सीएएफई
		एमसीए
		बीसीए
		पीजीडीसीए
		पीजीडीजेएमसी
राजस्थान		
22.	वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	बी.एड.
		एमबीए
त्रिपुरा		
23.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)
तमिलनाडु		
24.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	सभी कार्यक्रम
25.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई	बी.एड.
26.	विनायक मिशन विश्वविद्यालय, सलेम	सभी कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश		
27.	भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही	कारपेट वूल एंड टेक्सटाइटल में अन्तर्राष्ट्रीय दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम
28.	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	बी.एड.
		एमबीए

1	2
29. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	पीजीडीजेएमसी
	बीएलआईएस
उत्तराखंड	
30. उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	बी.ए. (सामान्य)
	बी. काम
	बी.टी.एस. (पर्यटन अध्ययन में स्नातक)
31. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	कला स्नातक (बी.ए.)
	वाणिज्य स्नातक (बी.काम)
	विज्ञान स्नातक (बी.एससी)
	शिक्षा स्नातक (बी.एड.)
	पर्यटन अध्ययन स्नातक (बीटीएस)
पश्चिम बंगाल	
32. वर्द्धमान विश्वविद्यालय	एम.ए. (राजनीति विज्ञान)
33. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	एम. टेक-आईटी (कोर्सवेयर इंजीनियरिंग)
	पीजीडीएमडब्ल्यूटी

बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रवर्तन संबंधी समिति

2991. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन मुद्दों पर एक अन्तर-मंत्रालयीय समन्वय समित गठित की है, जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, गृह, सूचना और प्रसारण, कृषि और सहकारिता, वाणिज्य तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इस समिति का संयोजक हैं। इस समिति में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी मुद्दों की आवधिक समीक्षा के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है और इससे कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।

[हिन्दी]

राजस्थान में डायनामाइट का उपयोग

2992. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में डायनामाइट का उपयोग करके किए जा रहे खनन कार्य से रबी फसल तथा दुधारू मवेशियों को भारी क्षति होने के अतिरिक्त ऐसी विध्वंसात्मक खनन पद्धति के कारण निर्दोष जंगली जानवर भी मारे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जंगली जानवरों के अतिरिक्त किसानों की फसलों तथा दुधारू मवेशियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डायनामाइट के विस्फोट से रबी की फसल को भारी नुकसान होने और दुधारू मवेशियों तथा जंगली जानवरों के मरने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान में वन क्षेत्र की सीमा (बांउड्री) से 25 मीटर के भीतर कोई नई खान अनुमोदित नहीं की गई है।

मानवरहित वायुयान (यूएवी)

2993. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों में घने जंगलों में खोज कार्यों हेतु मानवरहित वायुयान (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) की तैनाती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को मानव रहित वायुयान के उपयोग से नक्सलियों का सामना करने में कितनी सहायता मिली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जहां कहीं भी संभव होता है नक्सली केडरों की गतिविधियों के संबंध में, वास्तविक रिपोर्टों की संपुष्टि करने के लिए प्रयोगिक आधार पर छत्तीसगढ़ में यू ए वी की तैनाती की गई है। यह नक्सली समस्या से निपटने के हेतु सरकार की रणनीति का एक भाग है जिसमें अन्य कार्यों के साथ बेहतर पुलिस व्यवस्था इत्यादि को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

खनिज उद्योग

2994. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनिज उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में रूस के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में अयस्क से भरपूर खनिज भंडारों का उपयोग करने वाले टाइटेनियम उद्योगों को स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास अन्य देशों के साथ समझौता करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंध संस्थानों में पदों का सृजन

2995. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण को लागू करने के मद्देनजर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय प्रबंध संस्थानों में सृजित किए जाने वाले संभावित पदों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले तीन वर्षों हेतु क्या अनुमान लगाए गए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंध संस्थानों के वित्त पोषण का क्या तरीका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान वर्ष 2009-2010 तक अपनी छात्र दाखिला क्षमता में 54 प्रतिशत तक वृद्धि करेंगे। निर्धारित संकाय-छात्र अनुपात को बनाये रखने के लिए ये संस्थान अपनी संकाय संख्या में वृद्धि करेंगे। संकाय की संख्या में वृद्धि से होने वाले व्यय की पूर्ति इन संस्थानों को योजनागत अनुदान के तहत दिये जाने वाले आवर्ती अनुदानों में से की जाएगी।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र को लौह-अयस्क खानों का आबंटन

2996. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को लौह-अयस्क खानें आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को लौह-अयस्क खानों के आबंटन हेतु निजी क्षेत्र से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार निजी क्षेत्र को लौह अयस्क की कितनी खानें राज्य-वार आबंटित की गई हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) लौह अयस्क का खनन निजी क्षेत्र के लिए खुला है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित कंपनी को, खनिज रियायत मंजूर की जा सकती है। राज्य सरकारें खनिज की मालिक हैं और एम एम डी आर अधिनियम 1957 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के संबंध में जिसमें लौह अयस्क भी शामिल हैं, खनिज रियायतें प्रदान करने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के व्यक्तियों/कंपनियों के पक्ष में लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	निजी क्षेत्र के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	03	22	18
2.	छत्तीसगढ़	05	08	03
3.	झारखण्ड	01	18	03
4.	कर्नाटक	12	08	27
5.	मध्य प्रदेश	03	01	07
6.	महाराष्ट्र	01	07	03
7.	उड़ीसा	01	01	02
8.	राजस्थान	00	00	01

(ग) 1.4.2004 से 28.2.2007 तक विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र के व्यक्तियों/कंपनियों को लौह अयस्क का खनन पट्टा मंजूर करने के प्रस्तावों की संख्या, जिन पर केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन दिया गया है नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	छत्तीसगढ़	11
3.	झारखंड	8
4.	कर्नाटक	31
5.	मध्य प्रदेश	03
6.	महाराष्ट्र	12
7.	उड़ीसा	01
8.	राजस्थान	01

[अनुवाद]

कॉफी बागान

2997. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कॉफी बागान पूर्वी घाट, इत्यादि के स्थानीय जनजातीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश के जनजातीय लोगों के एक बड़े भाग में अपनी पारम्परिक फसलान्तर खेती के स्थान पर कॉफी बागानों की शुरुआत की है। अब वे सतत् आधार पर कॉफी की खेती कर रहे हैं जिससे एक ओर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और दूसरी ओर क्षेत्र की हरियाली एवं पारिस्थितिकी में सुधार हुआ है। 11वीं योजना अवधि के दौरान कॉफी बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में कॉफी की खेती में आगे और वृद्धि करने के लिए कॉफी के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का प्रस्ताव किया है।

ज्ञान केन्द्रों की स्थापना

2998. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की डु-पांट कंपनी की योजना देश में विशेषकर हैदराबाद शहर में अपना प्रथम ज्ञान केन्द्र खोलने हेतु 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञान केन्द्र में किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केन्द्र सरकार को उच्चतर शिक्षा सेक्टर में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बालको द्वारा मिश्रधातु का उत्पादन

2999. **श्री चन्द्र शेखर दूबे :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) अपनी सामरिक बिक्री से पूर्व मिसाइल केसिंग एवं क्रायोजेनिक इंजनों के उत्पादन हेतु मिश्रधातुओं का उत्पादन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बालको द्वारा अभी भी रक्षा आवश्यकताओं हेतु मिश्रधातुओं का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बालको द्वारा रक्षा संबंधी उपयोग हेतु विनिर्मित मिश्रधातुओं का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने सूचित किया है कि

वह अपने ग्राहकों की मांग के अनुरूप, जिनमें रक्षा प्रतिष्ठान, आयुध फैक्ट्रियां और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) जैसे अनुसंधान प्रतिष्ठान शामिल हैं, के लिए मूलभूत शीट/प्लेट/बिलेट के रूप में विभिन्न एल्युमीनियम मिश्रधातुओं का उत्पादन/प्रोसेसिंग करता रहा है। ग्राहकों द्वारा अन्य उत्पादों, जिनका ब्यौरा बालको को ज्ञात नहीं है, का उत्पादन करने हेतु कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।

(ख) बालको द्वारा उपरोक्त ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार इन उत्पादों का उत्पादन/प्रोसेस और आपूर्ति का कार्य अभी भी किया जा रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बालको द्वारा रक्षा प्रतिष्ठानों/आयुध फैक्ट्रियों/वीएसएससी के उपयोग हेतु अपने विभिन्न ग्राहकों के लिए विनिर्मित मिश्रधातुओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टन)
2003-04	46
2004-05	153
2005-06	130

[हिन्दी]

बालिकाओं हेतु छात्रावास एवं अन्य सुविधाएं

3000. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने एवं अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि नियत की गई है और व्यय की गई है;

(ख) यदि निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना का क्रियान्वयन धीमा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों एवं पंजीकृत समितियों को अनुदान उपलब्ध करा रही है;

(च) यदि हां, तो गैर-सरकार संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त समितियों द्वारा पिछड़े खंडों (ब्लॉकों) में विद्यालयों की स्थापना की जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) ''माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं हेतु भोजन तथा छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की स्कीम'' के अंतर्गत कक्षा VI से XII में अध्ययन कर रही छात्राओं को भोजन तथा आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष-वार बजट आवंटन तथा व्यय निम्नवत है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2002-03	18.00	10.00	17.82
2003-04	20.00	16.51	5.91
2004-05	30.00	5.40	3.72
2005-06	10.00	6.40	3.90

(ख) यह स्कीम मांग आधारित है तथा पात्र गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर ही विचार किया जाता है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान छात्रावास संचालित करने के लिए परिचालित नहीं की गई है क्योंकि इस स्कीम का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रथम 2 वर्षों (2005-06 तथा 2006-07) के दौरान योजना का मूल्यांकन न किए जाने के कारण इन दो वर्षों में किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। केवल वर्ष 2004-05 तक के मामलों के लिए राशियां जारी कर दी गई।

(ङ) और (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान, गैर सरकारी संगठनों जिनको अनुदान संस्वीकृत किया गया है, की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
2004-05	157
2005-06	121
2006-07	37
	(16.03.2007 तक की स्थिति के अनुसार)

(छ) और (ज) स्कीम का उद्देश्य स्कूल स्थापित करना नहीं बल्कि बालिका छात्रावासों को संचालित करना है।

[अनुवाद]

ग्लीवेक का एकस्वीकरण

3001. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भेषज उद्योग भारतीय वस्तुओं एवं अन्य आविष्कारों के संबंध में एकस्वीकरण का दावा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ल्यूकेमिया रोधी औषधि ग्लीवेक के संबंध में एकस्वीकरण का दावा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) स्विटजरलैंड की मै. नोवार्टिस ए जी ने इमाटिब मिसिलेट (ग्लीवेक) के बीटा क्रिस्टेल फार्म, जो कि एक ल्यूकेमिया रोधी औषधि है, के लिए एक पेटेंट आवेदन दायर किया है। उक्त आवेदन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(i) पेटेंट आवेदन सं. : 1602/एम ए एस/1998

(ii) आवेदन दायर करने की तारीख : 17 जुलाई, 1998

(iii) शीर्षक: क्रिस्टिल मोडिफिकेशन ऑफ एन-फिनाइल-2-पाइरिमिडिनिमाइन डेरिवेटिव

पेटेंट कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राज्य मानवाधिकार आयोग की शिकायतें

3002. श्री संतोष गंगवार :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य मानवाधिकार आयोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को राज्य मानवाधिकार आयोगों से शिकायतकर्ता के रूप में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायतों पर विचार करने से पहले कुछ मामले एन एच आर सी को विचार करने के लिए समय-समय पर भेजता रहता है। विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2004-2005 से 2006-2007 (12.3.2007 के अनुसार) तक, एन एच आर सी को कुल मिलाकर ऐसी छः शिकायतें भेजी गई हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(i) एक शिकायत राजस्थान राज्य से;

(ii) एक शिकायत तमिलनाडु राज्य से;

(iii) एक शिकायत जम्मू और कश्मीर राज्य से;

(iv) एक शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य से; और

(v) दो शिकायत आंध्र प्रदेश राज्य से।

[अनुवाद]

अखबारी कागज मिल

3003. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री के.एस. राव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अखबारी कागज सहित विभिन्न प्रकार के कागजों की मांग, उत्पादन एवं इनका बाजार मूल्य कितना है;

(ख) अगले 5 से 10 वर्षों में कागज की मांग एवं पूर्ति में अनुमानित वृद्धि कितनी है और आयात संबंधी आवश्यकताएं कितनी हैं;

(ग) समग्र घरेलू मांग को पूरा करने में कागज उत्पादक मिलों को हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अखबारी कागज का उत्पादन करने हेतु सुसज्जित मिलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) विभिन्न प्रकार के कागजों के बीच मूल्यों की समानता बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष अखबारी कागज सहित विभिन्न किस्मों के कागज की मांग, उत्पादन और उनके बाजार मूल्य नीचे दिए गए हैं:—

(i) कागज और गत्ता तथा अखबारी कागज की मांग और उत्पादन

(मिलियन टन में)

		2003-04	2004-05	2005-06
कागज और गत्ता	मांग	5.560	5.718	5.873
	उत्पादन	5.557	5.793	5.885
अखबारी कागज	मांग	1.440	1.438	1.588
	उत्पादन	0.684	0.765	0.913

स्रोत : सी.एम.आई.ई.

(ii) विभिन्न किस्मों के कागज और अखबारी कागज की कीमतों के रुझान

(रुपये/टन में)

कागज की किस्म	2003-2004	2004-2005	2005-2006
क्रीमवोव*	32,832	33,934	34,680
मैपलिथो*	35,890	37,173	39,550
अखबारी कागज*	23,000 से 25,500	24,250 से 26,500	27,500 से 28,750

*स्रोत : सी.आर.आई.एस. आई.एन.एफ.ए.सी.

(ख) कागज की घरेलू मांग औसतन 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है जबकि आपूर्ति में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 5-10 वर्षों में कागज की मांग और आपूर्ति तथा आयात जरूरतों में अनुमानित वृद्धि निम्न प्रकार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति	आयात
2010	8.33	6.79	1.54
2015	11.1	8.01	3.09
2020	14.85	9.46	5.39

स्रोत: फाइनैंशियल एक्सप्रेस, 19 फरवरी, 2006

(ग) घरेलू मांग को पूरा करने में कागज बनाने वाली मिलों के सामने आ रही प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:-

(i) अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता;

(ii) पुरानी प्रौद्योगिकी;

(iii) कम मात्रा में उत्पादन;

(iv) पर्यावरण संबंधी नए मुद्दे, आदि।

(घ) अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 2004 के तहत, अखबारी कागज बनाने वाली मिलों के तौर पर 77 मिलें पंजीकृत हैं।

(ङ) सरकार के कागज की विभिन्न किस्मों के बीच साम्य बनाये रखने के उद्देश्य से शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है।

नक्सलवाद पर ए.सी.एच.आर. की रिपोर्ट

3004. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स (ए.सी.एच.आर.) ने वर्ष 2006 के दौरान नक्सल संघर्षों में मारे गए लोगों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नक्सलियों को वार्ता करने के लिए सहमत करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) एसीएचआर से भारतीय मानवाधिकार रिपोर्ट, 2006 गृह मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

विगत में नक्सलवादियों के साथ शांति वार्ता असफल हुई थी। नक्सलवादियों ने इस मौके का इस्तेमाल अपने राजनैतिक/सैनिक धड़ों को दोबारा संगठित/सुदृढ़ करने के अलावा व्यापक सम्पर्क कार्यक्रमों, हथियारों के अभिग्रहण सहित व्यापक रूप से आतंकवादियों की भर्ती के लिए किया। वर्तमान नीति में प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सल गुटों के साथ तब तक कोई शांति वार्ता न किए जाने का उल्लेख है जब तक कि नक्सलवादी हिंसा और हथियारों को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होते।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात

3005. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान निर्यात में अन्य संगठित क्षेत्रों की तुलना में लघु उद्योगों का योगदान कितना है;

(ख) दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में लघु उद्योग क्षेत्र में नियुक्त लोगों की संख्या कितनी है और निर्धारित पूंजी निवेश कितना है; और

(ग) लघु उद्योगों हेतु प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा अन्य संबंधित निकायों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2004-05 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध), देश के कुल निर्यातों में लघु उद्योगों (एस एस आई) का निर्यात अंश 34.38 प्रतिशत था।

(ख) संदर्भ वर्ष 2001-02 के लिए पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की तीसरी अखिल भारतीय गणना और अपंजीकृत लघु उद्योगों के

नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर मार्च, 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में लघु उद्योग क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मूल्य क्रमश: 294.91 लाख और 1,81,423 करोड़ रुपये आंकलित किए गए हैं।

(ग) लघु उद्योगों का संवर्धन और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सहायता करने तथा इस संबंध में उनके प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए केन्द्र सरकार लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 27 फरवरी, 2007 को लोक सभा में ''सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज'' की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्लस्टर आधारित विकास के लिए उपाय, प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन के लिए सहयोग, विपणन, उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सशक्तीकरण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का सुदृढ़ीकरण तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल नीति

3006. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी अधिकारियों तथा व्यावसायिकों को निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) नीति के अंतर्गत आयात की जा रही कारों को देकर अवैध रूप से उपकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान उक्त नीति के अंतर्गत झारखंड सहित महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कितनी कारों का आयात किया गया;

(घ) उक्त आयातकों के नाम क्या हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने आयातकों को उक्त नीति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी राजस्व क्षति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) डी जी एफ टी कार्यालय को आज तक ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गयी है। तथापि राजस्व आसूचना निदेशालय के अनुसार उन्होंने ई पी सी जी स्कीम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 12 कार आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(ग) और (घ) झारखंड सहित महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर क्षेत्राधिकार रखने वाले डी जी एफ टी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी कारों के आयात हेतु ई पी सी जी लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण-। में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) ऐसे आयातकों के ब्यौरे विवरण-।। में दिए गए हैं जिनके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा ई पी सी जी स्कीम के प्रावधानों का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने की सूचना दी गई है और उन पर कार्रवाई की गयी है।

विवरण-।

झारखंड सहित महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में डीजीएफटी के क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा

क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा

क्र.सं.	फर्म का नाम	कारों की संख्या
1	2	3
1. मुंबई		
1.	हसन होटल्स प्रा. लि.	1

1	2	3
2.	सन-एन-सैंड लि.	1
3.	यूनिवर्सल होटल्स प्रा. लि.	2
4.	मंजीत होटल्स प्रा. लि.	1
5.	लेक व्यू डेवलपर्स	1
6.	सरयू प्रोपर्टीज होटल्स प्रा. लि.	1
7.	चलेत होटल्स लि.	17
8.	सिटीजन होटल्स प्रा. लि.	2
9.	रिवेरा होटल्स प्रा. लि.	2
10.	बेनलक्स होटल्स प्रा. लि.	1
11.	होटल नटराज	2
12.	अर्पणता होटल्स प्रा. लि.	1
13.	बी डी एंड पी होटल्स प्रा. लि.	7
14.	होटल मिडटाउन प्रीतम	1
15.	होटल एयरपोर्ट कोहिनूर प्रा. लि.	1
16.	सरयू प्रोपर्टीज होटल्स प्रा. लि.	1
17.	सी प्रिंसेस होटल्स प्रोपर्टीज लि.	3
18.	विजयदीप होटल्स प्रा. लि.	1
19.	अकबर ट्रेवल्स ऑफ इण्डिया प्रा. लि.	3
20.	अकबर ट्रेवल्स ऑफ इण्डिया प्रा. लि.	4
21.	अकबर ट्रेवल्स ऑफ इण्डिया प्रा. लि.	3
22.	विजयदीप होटल्स प्रा. लि.	4
23.	चलेत होटल्स लि.	1
24.	चलेत होटल्स लि.	1

1	2	3
25.	चलेत होटल्स लि.	1
26.	खन्ना होटल प्रा. लि.	2
27.	बी डी एंड पी होटल्स प्रा. लि.	9
28.	सी प्रिंसेस होटल्स प्रोपर्टीज लि.	1
29.	बी डी एंड पी होटल्स प्रा. लि.	1
30.	गोल्डेन ग्रीन्स गोल्फ एंड रिजोर्ट लि.	2
31.	फेरीयास होटल प्रा. लि.	1
32.	बी डी एंड पी होटल्स प्रा. लि.	2
33.	होटल मेफेयर प्रा. लि.	1
34.	डिजायनर होलीडेज	1
35.	बनयान टूर एंड ट्रेवल प्रा. लि.	1
36.	बी डी एंड पी होटल्स प्रा. लि.	2
37.	डिजायनर होलीडेज	1
38.	एन-एन. सैंड होटल	1
39.	डिजायनर होलीडेज	2
40.	राइट च्वाइस टूर एंड ट्रेवल	1
41.	ट्रेवल कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	3
42.	ट्रेवलपैक मार्केटिंग एंड लेजर सर्विस (आई) लि.	1
43.	द कम्फोर्ट्स ट्रेवेल टूर्स	8
44.	ट्रेवल कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	2
45.	फ्यूचुरा ट्रेवल्स लि.	3
46.	सन होस्पीटलिटी सर्विसेज	12
47.	एसोसिएटेड होटल्स लि.	1

1	2	3
48.	लेक व्यू डेवलपर्स	1
49.	फेरीयास होटल्स प्रा. लि.	1
50.	होटल मीडटाउन प्रीतम	1
51.	ट्रस्ट ट्रेवल एंड टूर प्रा. लि.	1
52.	एन-एन. सैंड होटल प्रा. लि.	1
53.	एन-एन. सैंड होटल प्रा. लि.	1
54.	फॉरवोल इंटेल सर्विसेज	1
55.	कमत होटल्स आई लि.	1
56.	श्रीराज ट्रेवल्स एंड टूर लि.	1
57.	कुओनी ट्रेवल (आई) लि.	2
58.	कुओनी ट्रेवल (आई) लि.	1
59.	होटल ट्रांजिल प्रा. लि.	1
60.	ट्रैवल पैक मार्केटिंग एंड लेजर सर्विसेज (इं.) लि.	1
61.	ट्रैवल पैक मार्केटिंग एंड लेजर सर्विसेज (इं.) लि.	1
62.	खन्ना होटल्स	1
63.	जुनीपर होटल्स प्रा. लि.	10
64.	जुहू बीच रिजोर्ट लि.	10
65.	बी डी एंड पी होटल्स (आई) प्रा. लि.	1
66.	पाम ग्रोव बीच होटल्स प्रा. लि.	1
67.	कुओनी ट्रेवल (आई) लि.	1
68.	कुओनी ट्रेवल (आई) लि.	1
69.	कुओनी ट्रेवल (आई) लि.	1
70.	होटल नटराज	2

1	2	3
71.	बी डी एंड पी होटल्स (इंडिया) प्रा. लि.	1
72.	बी डी एंड पी होटल्स (इंडिया) प्रा. लि.	4
73.	फेरीयास होटल प्रा. लि.	1
74.	कुओनी ट्रेवल (आई) लि.	1
75.	होटल लीला वेनचुरा लि.	30
76.	सुप्रीम होलीडे रिजोर्ट प्रा. लि.	1
77.	केशव ट्रेवल्स	1
78.	रमनी होटल्स लि.	1
79.	रमनी होटल्स लि.	1
80.	प्राइड होटल्स प्रा. लि.	1
81.	एन-एन. सैंड होटल प्रा. लि.	2
82.	ट्रेवल्स पैक मार्केटिंग एंड लेजर सर्विसेज (ई) लि.	6
83.	पाम ग्रोव बीच होटल्स प्रा. लि.	2
84.	सी प्रिंसेस होटल्स एंड प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1
85.	फेरीयास होटल प्रा. लि.	1
86.	फेरीयास होटल प्रा. लि.	1
87.	जुनीपर होटल्स प्रा. लि.	2
88.	ट्रैवलपैक मार्केटिंग एंड लेजर सर्विसेज (आई) लि.	11
89.	फेरीयास होटल प्रा. लि.	1
90.	अडवानी होटल्स एंड रिजोर्ट प्रा. लि.	1
91.	जूहू बीच रिजोर्ट लि.	5
92.	जूहू बीच रिजोर्ट लि.	5
93.	होटल ट्रांबिट प्रा. लि.	2

1	2	3
94.	कमांडो होटल्स प्रा. लि.	2
95.	रॉयल पाम इंडिया प्रा. लि.	4
2. पुणे		
96.	वी.एच. अपराधि होटल्स प्रा. लि., कोल्हापुर	1
97.	मोन्ना होटल्स लि., पुणे	1
98.	ब्रह्मा बजाज होटल्स लि., पुणे	8
99.	क्लासिक सिटी इन्वेंटर प्रा. लि., पुणे	5
100.	प्राइड होटल प्रा. लि., पुणे	2
	कुल	269
3. सी एल ए, नई दिल्ली		
1.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
2.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
3.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
4.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
5.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
6.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
7.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
8.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
9.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
10.	इंडिका ट्रेवल्स	1
11.	इंडो विजन	1
12.	कपिल टूर्स	1
13.	कपिल टूर्स	1

1	2	3
14.	होलीडे मेकर	2
15.	इंडो एशियन टूर्स	5
16.	जेटवेज ट्रेवल्स	1
17.	इंटरनेशनल वेंचर्स	1
18.	इंटरनेशनल वेंचर्स	1
19.	इंडियन होलीडे	3
20.	इंडियन होलीडे	1
21.	इंडियन होलीडे	1
22.	इंडियन होलीडे	1
23.	इंडियन होलीडे	1
24.	इंसाइट ट्रैवल्स	1
25.	इंसाइट ट्रैवल्स	1
26.	जे वी डी मोटर्स	1
27.	के जे होलीडे	4
28.	के जे होलीडे	2
29.	के जे होलीडे	2
30.	इंडेक्षो इंडिया	2
31.	एल टी सी ट्रेवल्स	1
32.	एल टी सी ट्रेवल्स	1
33.	ग्लोबल एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.	2
34.	डोल्फिन ट्रेवल्स	1
35.	इस्टर्न पार्क होटल प्रा. लि.	2
36.	इस्टर्न क्याएज इंडिया प्रा. लि.	2

1	2	3
37.	ग्लोबल ट्रैवल	2
38.	ग्लोबल ट्रैवल	1
39.	ग्लोबल ट्रैवल	2
40.	जी बी मॉरीशन ट्रैवल प्रा. लि.	1
41.	जी बी मॉरीशन ट्रैवल प्रा. लि.	1
42.	एक्सकेडिकशन टूर्स एंड प्रा. लि.	1
43.	एयर ट्रैवल बेवन्स लि.	1
44.	एयर ट्रैवल बेवन्स लि.	1
45.	ब्राइट स्टार होटल्स प्रा. लि.	1
46.	अपोलो वयाएज प्रा. लि.	2
47.	एयरवेट टूर्स प्रा. लि.	1
48.	एबरक्रोमब एंड कार्ट इंडिया प्रा. लि.	1
49.	एबरक्रोमब एंड कार्ट इंडिया प्रा. लि.	1
50.	एयर ट्रैवल	1
51.	एयरकोन एयरस्पेयर्स एंड सर्विस	1
52.	एग्रोसी ट्रैवल प्रा. लि.	1
53.	एग्रोसी ट्रैवल प्रा. लि.	1
54.	एग्रोसी ट्रैवल प्रा. लि.	1
55.	एबरक्रोमब एंड कार्ट इंडिया प्रा. लि.	1
56.	ब्राइट स्टार होटल्स प्रा. लि.	1
57.	अफ्रीमिक एसोसिएट्स प्रा. लि.	1
58.	हिस्ट्री लॉजिस्टिक्स	2
59.	मिनार ट्रैवल्स (आई) प्रा. लि.	1

1	2	3
60.	मुस्कान टीवीकेबी रेबल एसोसिएट्स प्रा. लि.	1
61.	प्रोमीनेंट होटल लि.	5
62.	भिनार ट्रेवल्स (आई) प्रा. लि.	2
63.	मन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रा. लि.	3
64.	निजहवा ट्रेवल्स सर्विस प्रा. लि.	1
65.	मिड टाउन ट्रेवल प्रा. लि.	1
66.	ओंकार इंटेल प्रा. लि.	1
67.	ओंकार इंटेल प्रा. लि.	1
68.	ओंकार इंटेल प्रा. लि.	1
69.	प्रेजीडेंट ट्रेवल सर्विस	1
70.	मांड ट्रेवल	3
71.	साब ट्रेबल एंड टूर प्रा. लि.	1
72.	स्टोन ट्रेवल्स प्रा. लि.	1
73.	सनएयर होटल प्रा. लि.	1
74.	शिखर ट्रेवल लि.	1
75.	स्टोन ट्रेवल्स	1
76.	सनएयर होटल प्रा. लि.	1
77.	शिप्रा होटल एंड रेस्टोरेंट	2
78.	एस आर सी एवीएशन प्रा. लि.	1
79.	वैकेशनल ट्रेवल	1
80.	विवा होलीडे टूर	1
81.	यादव टूर	1
82.	वर्ल्ड एक्सपीडिशन	1

1	2	3
83.	यू पी होटल्स	1
84.	ट्रैवेल इन्न	1
85.	ट्रैवेल इन्न	1
86.	यादव टूर	1
87.	यू पी होटल्स	1
88.	वेनटूर्स इंटेल	1
89.	वेनटूर्स इंटेल	1
90.	यू पी होटल्स	1
91.	वैकेशन ट्रैवेल	1
92.	वैकेशन ट्रैवेल	1
93.	वैकेशन ट्रैवेल	1
94.	वैकेशन ट्रैवेल	1
95.	ट्रैवेल मेकर	1
96.	वास्को ट्रैवेल	1
97.	जुत्सी ट्रैवेल	1
98.	रॉयल आर्चिड	1
99.	टूरिज्म इंडिया	1
100.	टी एस आई ट्रैवेल	1
101.	विवा होली डे टूर	2
102.	विवा होली डे टूर	2
103.	टवेन्टी फर्स्ट सेंचुरी	1
104.	वेकेशनल ट्रैवेल	1
105.	टवेन्टी फर्स्ट सेंचुरी	1

1	2	3
106.	टवेन्टी फर्स्ट सेंचुरी	1
107.	ट्रेवेल मेट	1
108.	प्रेजीडेंट ट्रेवल सर्विस	1
109.	उप्पल प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1
110.	रेनबो ट्रेवेल्स (आई) प्रा. लि.	1
111.	ट्रेवेलाइट इंडिया	10
112.	ट्रेवेलाइट इंडिया	2
113.	ओंकार इंटेल	1
114.	ओंकार इंटेल	1
115.	ट्रेवेलाइट (इंडिया)	7
116.	वैकेशन टूर	1
117.	वैकेशन टूर	1
118.	वैकेशन टूर	1
119.	मर्करी कार	1
120.	ट्रेवेलाइट (इंडिया)	1
121.	एकमे टूर्स	1
122.	इंडिया ट्रेवेल	2
123.	फ्रेंड्स टूर	1
124.	एरगोसी ट्रेवेल	1
125.	एरगोसी ट्रेवेल	1
126.	कुनोनी ट्रैवल्स	1
127.	कुनोनी ट्रैवल्स	2
128.	अम्बार टूर्स	1

1	2	3
129.	जेटवे ट्रेवेल	1
130.	दि इंडियन होटल्स	1
131.	दि इंडियन होटल्स	1
132.	एशियन होटल्स लि.	2
133.	स्वागतम टूर एंड ट्रेवल्स	1
134.	स्वागतम टूर एंड ट्रेवल्स	2
135.	स्वागतम टूर एंड ट्रेवल्स	3
136.	सिनेटर ट्रेवल प्रा. लि.	1
137.	सेलेक्ट होलीडे रिजोर्ट प्रा. लि.	1
	कुल	191
4.	**पानीपत (हरियाणा)**	शून्य
5.	**वाराणसी, उत्तर प्रदेश**	
1.	रामनाथ होटल्स प्रा. लि.	2
6.	**कानपुर, उत्तर प्रदेश**	शून्य
7.	**रांची, झारखंड**	शून्य

विवरण-II

क्र. सं	आयातक का नाम	जब्त की गई कारों की संख्या	जब्त की गई कारों का मूल्य (लाख रुपए में)	अंतर्ग्रस्त सीमा-शुल्क (लाख रुपए में)	वसूल किए गए सीमाशुल्क (लाख रुपए में)	अनंतिम रूप से जारी कारों की संख्या)	विभाग के पास छोड़ी गई कारों की संख्या	जारी किए गए एस सी एन, यदि कोई हों, की तारीख	मांगा गया शुल्क (लाख रुपए में)	एस सी एन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मैसर्स प्लेनेट एवीक्वेन प्रा. लि.	2	60.48	58.71	58.71	2	0	30.08.06	58.71	न्याय निर्णयाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	मैसर्स ग्लेव्यू ट्रैवल्स	1	8.48	8.66	8.66	1	0	25.09.06	8.66	न्याय निर्णयाधीन
3.	मैसर्स जय पी होटल्स लि.	30	280.00	296.24	257.17	28	2	22.08.06	296.24	पार्टी ने अपनी शुल्क देनदारी को स्वीकार करते हुए समझौता आयोग से संपर्क किया है।
4.	मै. वैकेशन टूर एंड ट्रेवल्स, दिल्ली	5	149.83	145.03	145.03	5	0	31.05.06	145.03	समझौता आयोग द्वारा शुल्क की पूरी मांग की पुष्टि करते हुए, 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाते हुए और जुर्माना तथा अर्थदंड भी लगाते हुए इस मामले का 29.09.06 को अंतिम रूप से समाधान कर दिया है।
5.	मै. जी बी मोरीशन ट्रेवल (प्रा.) लि., नई दिल्ली	4	109	69.3	69.3	4	0	31.08.06	69.3	न्याय निर्णयाधीन
6.	मैसर्स इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेज	3	150.00	76.28	76.28	3	0	31.08.06	76.28	न्याय निर्णयाधीन
7.	मैसर्स ब्राइट स्टार होटल्स	2	223.00	102.74	102.74	2	0	31.08.06	102.74	न्याय निर्णयाधीन
8.	मैसर्स ओंकार इंटरनेशनल	2	45	36.46	36.46	2	0	31.08.06	36.46	न्याय निर्णयाधीन
9.	मैसर्स हिस्ट्री लॉजिस्टिक्स	20	735	490.61	271.95	14	6	23.08.06	490.61	न्याय निर्णयाधीन
10.	मैसर्स वी के टूर एंड ट्रांसपोर्ट	17	576.50	402.67	145.72	7	10	24.08.06	402.67	न्याय निर्णयाधीन
11.	मैसर्स राज महल भिंडर	13	369.25	243.92	130.96	7	6	23.08.06	243.92	न्याय निर्णयाधीन
12.	मैसर्स नॉर्थ वेस्ट मारवार रिजोर्ट एंड हेल्थ स्पा (प्रा.) लि.	4	252.03	120.72	92.54	3	1	22.08.06	120.72	न्याय निर्णयाधीन
	कुल	103	2958.57	2051.34	1395.52	78	25		2051.34	

[अनुवाद]

स्त्रियों की संख्या

3007. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में स्त्रियों की संख्या में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी वेबसाइट www.un.org/esa/population/publication/wpp2000/annex-tables.pdf, पर उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मध्य-पूर्व के कुछ देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात भारत में महिलाओं के अनुपात से कम है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मादा भ्रूण हत्या को रोकने के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समस्या-ग्रस्त राज्यों का दौरा करके वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए केन्द्र में एक राष्ट्रीय अनुवीक्षण एवं निरीक्षण समिति गठित की गई है।

(ii) पुलिस, चिकित्सा, विधि और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में विशेषज्ञों को पूर्णकालिक परामर्शदाता नियुक्त करके संबंधित अधिनियम के कारगर कार्यन्वयन के लिए बाह्य सहायता से एक राष्ट्रीय समर्थन एवं अनुवीक्षण कक्ष का गठन किया गया है।

(iii) संबंधित प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

(iv) चिकित्सा समुदाय को संवदेनशील बनाया जा रहा है।

(v) अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री नियंत्रित की जा रही है।

(vi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न प्रकाशन निकाले हैं।

(vii) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय भी बालिकाओं के महत्व को उजागर करने के लिए मादा भ्रूण हत्या की कुरीति पर विभिन्न संचेतना और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

पुरातत्व एवं परम्पराएं

3008. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "पुरातत्व एवं परम्पराएं-इंडो यूरोपियन तथा इंडो आर्यन भाषाओं एवं पुरातत्व का अध्ययन" नामक परियोजना के संबंध में अनियमितताओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वार अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

3009. **डा. टोकचोम मैन्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों/विषयों के काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, क्षेत्रवार और विषयवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की क्षेत्रवार, राज्यवार एवं विषयवार रिक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। रिक्तियों को भरने हेतु कर्मचारियों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों की राज्यवार, क्षेत्रवार और विषयवार स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	भौतिक	रसायन	इतिहास	जीईओ	वाणिज्य	अर्थशास्त्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भोपाल												
		1.	छत्तीसगढ़	3	5	0	1	0	1	0	0	0	1
		2.	मध्य प्रदेश	2	14	3	12	8	11	1	1	6	8
		3.	उड़ीसा	6	4	0	2	2	2	0	4	1	2
			कुल	11	23	3	15	10	14	1	5	7	11
2.	चंडीगढ़												
		1.	पंजाब	2	4	4	4	7	4	1	4	2	6
		2.	हिमाचल प्रदेश	0	1	3	2	3	2	2	2	1	2
		3.	जम्मू व कश्मीर	1	1	2	1	5	2	1	2	1	2
		4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			कुल	3	6	9	7	15	8	4	8	4	10
3.	हैदराबाद												
		1.	आंध्र प्रदेश	1	2	0	2	7	6	1	3	1	1
		2.	कर्नाटक	9	4	0	4	5	8	2	3	2	1
		3.	केरल	1	0	2	0	1	2	1	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.	पांडिचेरी, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1
			कुल	13	6	2	7	15	16	4	6	5	4
4.	जयपुर												
		1.	राजस्थान	1	11	4	7	5	2	9	3	2	6
		2.	हरियाणा	0	2	1	2	5	2	0	0	0	1
		3.	दिल्ली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			कुल	1	13	6	9	10	4	9	3	2	7
5.	लखनऊ												
		1.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड)	2	11	3	10	5	8	3	2	4	2
			कुल	2	11	3	10	5	8	3	2	4	2
6.	पटना												
		1.	बिहार	4	7	6	9	2	2	4	4	0	0
		2.	झारखंड	4	6	5	7	0	2	5	2	0	0
		3.	पश्चिम बंगाल	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0
			कुल	8	13	15	20	2	4	12	8	0	0
7.	पुणे												
		1.	महाराष्ट्र	7	4	3	4	10	9	5	5	0	2
		2.	गुजरात	2	11	5	7	6	7	1	1	1	1
		3.	गोवा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4.	दमन दीव, दादरा और नगर हवेली	2	1	2	2	0	0	1	1	0	0
			कुल	12	16	10	13	16	17	7	7	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	शिलांग												
		1.	नागालैंड	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		2.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			कुल	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			कुल योग	50	88	49	81	73	71	40	39	23	38

जवाहर नवोदय विद्यालयों में टीजीटी की राज्यवार/क्षेत्रवार तथा विषयवार रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	गणित	तृतीय भाषा	संगीत	कला	पीईटी	एसयू पीडब्ल्यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भोपाल												
		1.	छत्तीसगढ़	3	9	3	5	10	3	3	0	1	2
		2.	मध्य प्रदेश	7	18	12	13	26	22	6	4	6	12
		3.	उड़ीसा	17	18	4	5	4	6	4	0	14	8
			कुल	27	45	19	23	40	31	13	4	21	22
2.	चंडीगढ़												
		1.	पंजाब	0	2	2	1	2	1	0	3	0	2
		2.	हिमाचल प्रदेश	0	3	1	1	0	8	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3.	जम्मू व कश्मीर	0	1	1	2	0	8	1	0	1	12
		4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			कुल	0	6	4	4	2	17	1	3	1	18
3.	हैदराबाद												
		1.	आंध्र प्रदेश	5	2	1	0	2	0	0	0	2	9
		2.	कर्नाटक	3	3	0	0	3	0	1	0	7	4
		3.	केरल	2	0	0	0	0	5	2	0	0	3
		4.	पांडिचेरी, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप	4	2	0	1	1	3	1	0	2	3
			कुल	14	7	1	1	6	8	4	0	11	19
4.	जयपुर												
		1.	राजस्थान	2	13	9	10	17	2	2	1	5	11
		2.	हरियाणा	0	1	1	0	1	7	1	0	0	3
		3.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			कुल	2	14	10	10	18	9	3	1	5	14
5.	लखनऊ												
		1.	उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड	0	12	10	11	11	35	5	3	1	2
			कुल	0	12	10	11	11	35	5	3	1	2
6.	पटना												
		1.	बिहार	3	2	12	1	13	42	1	0	7	11
		2.	झारखंड	0	1	2	2	8	3	1	1	2	2
		3.	पश्चिम बंगाल	7	7	6	6	8	10	3	1	2	0
			कुल	10	10	20	9	29	55	5	2	11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	पुणे												
		1.	महाराष्ट्र	10	3	1	2	1	0	1	2	1	0
		2.	गुजरात	1	4	8	2	11	1	0	1	2	4
		3.	गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4.	दमन दीव, दादरा और नागर हवेली	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
			कुल	11	7	11	4	13	1	1	3	3	8
8.	शिलांग												
		1.	नागालैंड	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0
		2.	मेघालय	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
		3.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	असम	0	6	0	0	3	21	0	0	0	0
		5.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0
		6.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.	मिजोरम	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
		8.	त्रिपुरा	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
			कुल	0	10	0	0	6	41	0	0	0	0
			कुल योग	64	111	75	62	125	197	32	16	53	96

आई.एस.आई. एजेंट

3010. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और मुख्यत: ऐसे जिलों, जहां पर काफी मात्रा में संदिग्ध विदेशी नागरिक रह रहे हैं, में काफी संख्या में आई.एस.आई. एजेंट सक्रिय हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार दोषियों को पकड़ने के लिए क्या योजना बना रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) असम राज्य के कुछ जिलों में कुछ आई एस आई मॉडयूल्स सक्रिय होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सरकार ने राष्ट्र विरोधी तत्वों/आई एस आई एजेंटों की

योजनाओं को निष्प्रभावी बनाने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों एवं सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयास के परिणामस्वरूप असम सहित देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तान समर्थित अनेकों आतंकवादियों/जासूसों का पता लगाया गया है/उन्हें निरस्त कर दिया गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

3011. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की संरचना की रूपरेखा क्या है;

(ख) उसमें गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) इन पदों में से कितने पद छह से अधिक महीनों से रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (आज तक यथासंशोधित) के सम्बद्ध उपबंधों के तहत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नोक्त 13 सदस्य सम्मिलित हैं, अर्थात:

(1) छः गैर-सरकारी सदस्य जो कि विशिष्ट ज्ञान रखते हैं तथा वे खादी और ग्रामोद्योग का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हैं तथा उन्होंने देश के निर्धारित छः भूगौलिक जोन्स का प्रतिनिधित्व किया है।

(2) चार गैर-सरकारी सदस्य जिसमें प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित डिसीपिलिन (विधा) से होगा, अर्थात्:

(i) एक सदस्य जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सुविज्ञ ज्ञान और अनुभव हो;

(ii) एक सदस्य जिसे विपणन का सुविज्ञ ज्ञान और अनुभव हो;

(iii) एक सदस्य जिसे ग्रामीण विकास का सुविज्ञ ज्ञान और अनुभव हो; तथा

(iv) एक सदस्य जिसे तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का सुविज्ञ ज्ञान और अनुभव हो।

(3) प्रबंध निदेशक जिसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए—जो कि एक पदेन सदस्य है;

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के वी आई सी, जो कि एक पदेन सदस्य है; तथा

(5) वित्तीय सलाहकार, के वी आई सी, जो कि एक पदेन सदस्य है।

(ख) 10 गैर-सरकारी सदस्य तथा 3 पदेन सदस्य हैं।

(ग) आयोग में सभी सदस्य विद्यमान हैं।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) ने कार्य-निष्पादन में अच्छा सुधार दर्शाया है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान के वी आई क्षेत्र का उत्पादन और बिक्री के मूल्य के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि संबंधी ब्यौरा निम्नोक्त है:

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु. में)	बिक्री (करोड़ रु. में)	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
2003-04	9681.78	11575.22	71.19
2004-05	10920.43	13105.19	76.78
2005-06	12383.84	15276.02	82.77

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में बी.एड. की शिक्षा

3012. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश में कितने विश्वविद्यालयों को राज्यवार और विश्वविद्यालयवार बी.एड. की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) बी.एड. की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं होती हैं और इन्हें अपने संबंधित अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन की स्वायत्तता प्राप्त है और इसलिए इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी डिग्री पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित सांविधिक परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु मानक निर्धारित करती है।

(ख) कोई संस्था जो शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहती हो उसे राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समिति, जिसके क्षेत्राधिकार में वह राज्य आता है जिसमें शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव हो, को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। मान्यता प्रदान करने संबंधी मानकों का विस्तृत ब्यौरा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14 एवं 15 में, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 में और 27 दिसम्बर, 2005 की राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियामक जिसे 13 जनवरी, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग III, के खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे, में दिया गया है।

[अनुवाद]

हथकरघा मार्क

3013. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सप्लाई किए जा रहे सभी सामान पर हथकरघा मार्क/लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन ऑफ कारपोरेशंस एंड एपेक्स सोसाइटी ऑफ हैंडलूम्स (ए.सी.ए.एस.एच.) द्वारा सरकारी विभागों विशेषकर रेलवे को हथकरघा सामान की सप्लाई करते समय कोई अनियमितताएं पायी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी नहीं श्रीमान। यह अनिवार्य नहीं है। यह पूर्णतया: स्वैच्छिक आधार पर है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु धनराशि

3014. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने हेतु राज्यों के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के 141.36 लाख रुपए के प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई 276.36 लाख की राशि को स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत इस समय मध्य प्रदेश राज्य में 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के स्थानों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	केन्द्र का स्थान	जिला
1.	आदर्श हाई स्कूल, बदवानी	बदवानी
2.	आदर्श हाई स्कूल, मांडला	मांडला
3.	आदर्श हाई स्कूल, सैलाना	रतलाम
4.	आदर्श हाई स्कूल, संचुरहाट	सिद्धी
5.	आईआईटी बैहार	बालाघाट
6.	आईआईटी दामनोद	दामनोद
7.	आईआईटी पीथमपुर	धार
8.	टीसीपीसी बदवानी	बदवानी
9.	टीसीपीसी झाबुआ	झाबुआ
10.	टीसीपीसी मांडला	मांडला

(ग) से (च) राज्य सरकार ने फरवरी, 2006 में उस समय तक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर 276.36 लाख रुपए व्यय होने के बारे में सूचित किया था। निधियों की उपलब्धता के आधार पर, मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 158.34 लाख रुपए (वर्ष 2005-06 में 57.00 लाख रुपए तथा वर्ष 2006-07 में 101.34 लाख रुपए निर्मुक्त किए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000

3015. **श्री बाबू राव मिडियम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 आधुनिकीकरण के नाम पर हथकरघा क्षेत्र से विद्युतकरघा क्षेत्र में आबंटन बदलने को प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल वस्त्र निर्यात में हथकरघा क्षेत्र का हिस्सा कितना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। हथकरघा क्षेत्र राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 का भाग है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:

हथकरघा क्षेत्र अपनी विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कला की परंपरा के लिए सुविख्यात है। यह लाखों बुनकरों और शिल्पकारों को आजीविका प्रदान करता है। यह उद्योग अपनी निहित शक्ति जिसमें छोटी मात्राओं में उत्पादन का लचीलापन, नए परिवर्तन के प्रति खुलापन, पूंजी निवेश का निम्न स्तर और वस्त्रों को डिजाइन करने की विशाल संभावना शामिल है, के कारण दशकों से न केवल अपनी प्रतिजीविता बनाए हुए है बल्कि लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। सरकार इस क्षेत्र को निरंतर प्राथमिकता देती रहेगी। इसकी विशिष्टता को विश्व बाजार के लिए संवर्धित और विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इन उपायों में निम्नलिखित कदम शामिल होंगे:—

- कम मूल्य वर्धित वस्तुओं के उत्पादन में कार्यरत उन बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप स्पर्धा से अपने आप को बचा पाने में सक्षम नहीं होते। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य बुनकरों की दक्षता में सुधार लाना है ताकि उन्हें वस्त्र अथवा अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार मिल सके।
- व्यापक कल्याण उपायों को राज्य सरकारों के निकट सहयोग से कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा ताकि बुनकरों के लिए कार्य करने का बेहतर वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो सके।
- अनुसंधान और विकास, डिजाइन निवेश, कौशल उन्नयन तथा बाजार संपर्कों में प्रभावी सहयोग तंत्र मुहैया कराया जाएगा।
- हथकरघा (वस्तुओं के उत्पादन का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जारी हैंक यार्न प्रतिबद्धता आदेश और

आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन की हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए समीक्षा की जाएगी।

- बुनकर सेवा केन्द्रों को सामयिक प्रवृत्तियों के अनुरूप तथा कुशलता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सुदृढ़ किया जाएगा तथा निफ्ट और निड जैसे डिजाइन उत्कृष्टता केन्द्रों के कार्यकलापों के साथ उपयुक्त रूप से अवगत करते हुए उनके कार्यकलापों को पुनः सुदृढ़ किया जाएगा।

- चूंकि हथकरघा क्षेत्र की सफलता के लिए वस्तुओं को विदेशों में भेजना और विपणन करना मुख्य कार्य होगा इसलिए मूल्य वर्धित वस्त्रों के उत्पादन के लिए योजनाओं का वर्तमान पैकेज सुचारु बनाया जाएगा, बाजारुन्मुखी नई योजनाओं को आरंभ किया जाएगा और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हथकरघा वस्तुओं की ब्रांड इक्विटी को हर संभव सीमा तक वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त किया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड कार्यालय द्वारा 01.4.2003 से अपनाए गए संशोधित आईटीसी (एचएस) कोड अनुसूचि में मिल में तैयार, विद्युतकरघा, हथकरघा आदि क्षेत्रीय वर्गीकरण के अभाव के कारण हथकरघा निर्यात के आंकड़े 01.4.2003 के बाद से सृजित नहीं किए जा सके। इसलिए हथकरघा क्षेत्र के वस्त्र निर्यात का हिस्सा 1.4.2003 के बाद से उपलब्ध नहीं है। तथापि, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2002-03 के दौरान हथकरघा वस्त्रों का निर्यात 2633.27 करोड़ रुपये था।

[हिन्दी]

कॉटन का निर्यात

3016. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपनायी जा रही कॉटन निर्यात नीति और गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कॉटन के निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कॉटन के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार देश से कपास का निर्यात शून्य शुल्क से खुले सामान्य लाइसेंस (आजीएल) के तहत करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त कपास मौसम (2005-06) से देश के कपास का निर्यात प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से सरकार शुल्क वापसी के तहत 1% का प्रोत्साहन दे रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। कपास के निर्यात में कपास मौसम 2005-06 में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई है, जब देश ने 2004-05 के दौरान हुए 9.14 लाख गांठों की तुलना में 47 लाख गांठों की रिकार्ड मात्रा का निर्यात किया। चालू वर्ष 2006-07 के दौरान कपास के निर्यात में वही गति बने रहने की आशा है। कपास सलाहकार बोर्ड ने 2006-07 के दौरान 48 लाख गांठ कपास का निर्यात होने का अनुमान लगाया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में कपास-निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:—

वर्ष	भारत द्वारा कपास निर्यात	
	मात्रा लाख गांठ में, 170 कि.ग्रा.	मूल्य (करोड़ रु. में)
2002-03	0.84	66.31
2003-04	12.11	1089.15
2004-05	9.14	657.34
2005-06	47.00	3712.21
2006-07	48.00*	3791.19*

स्रोत : सीसीआई *अनुमानित

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान आशा है कि 48 लाख गांठ कपास का निर्यात होगा जिसका अनुमानित मूल्य 3791.19 करोड़ रु. होगा।

हिन्दी सलाहकार समिति

3017. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में किसी हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि अभी तक सभी मत्रांलयों और विभागों में हिन्दी सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति गठित न करने हेतु कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों में ऐसी समिति गठित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) हिन्दी सलाहकार समिति के गठन का दायित्व प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का है। प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित मंत्रालय/विभागों में अभी तक हिंदी सलाहकार समितियों का गठन नहीं हुआ है:-

(1) औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग;

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय;

(3) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय;

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय;

(5) पंचायती राज मंत्रालय;

(6) अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय; तथा

(7) पर्यटन मंत्रालय।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में हाल ही में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन नहीं हुआ है। यद्यपि, हिंदी सलाहकार समितियों का गठन करना विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का दायित्व है।

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समिति शीघ्र गठित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

प्रवेश में अनियमितताएं

3018. श्री अधीर चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में अनियमितताएं पाई गई हैं जैसाकि दिनांक 12 फरवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए कोई रणनीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केंद्रीय विद्यालयों में वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया को बदलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई प्रक्रिया को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में अनियमितताओं का ऐसा कोई उदाहरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल

3019. श्री कैलाश मेघवाल : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल को प्रख्यापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लघु और मध्यम उद्यमों को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने 15 दिसम्बर, 2006 का राज्यसभा में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) बिल, 2006 प्रस्तुत किया है। अपनी संरचना तथा प्रचालन में लचीलेपन को अपनाने के कारण, एलएलपी पूंजी अनुप्रेरण को सुगम बनाने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उपयुक्त व्हीकल होगा।

चंदन के तेल का निर्यात

3020. **श्री एम. अप्पादुरई :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चंदन के तेल की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य देशों को चंदन के तेल का निर्यात करने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित चंदन के तेल (कोड 33012937) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

2003-04		2004-05		2005-06	
मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
3145	5.21	9532	10.10	5707	9.13

चंदन के तेल के प्रमुख निर्यात बाजार हैं — यू ए ई, फ्रांस, ताईवान तथा सऊदी अरब।

(ग) चंदन के तेल सहित सभी वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस स्कीम (ए एल एस), शुल्क हकदारी पास बुक (डी ई पी बी), विपणन विकास सहायता (एम डी ए), बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) आदि जैसी स्कीमों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निर्यातकों को व्यापार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है।

महिला उद्यमी

3021. **श्री विजय कृष्ण :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या महिला उद्यमियों को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महिला उद्यमियों को दिए गए प्रशिक्षण का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित समग्र देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाओं अर्थात् उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) तथा व्यापार सम्बद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास (ट्रैड) योजना का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान ई.डी.पी. और ट्रैड योजना में प्रशिक्षित महिला हितग्राहियों की राज्य-वार संख्या निम्नोक्त है:

प्रशिक्षित महिला हितग्राहियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	असम	180	639	534
2.	आंध्र प्रदेश	95	193	109
3.	बिहार	166	252	476
4.	छत्तीसगढ़	26	99	103
5.	दिल्ली	122	129	169
6.	गुजरात	47	136	149
7.	गोवा	23	90	–
8.	हिमाचल प्रदेश	9	55	23
9.	हरियाणा	–	140	129
10.	जम्मू एवं कश्मीर	37	1	5
11.	केरल	71	207	471
12.	कर्नाटक	171	503	639
13.	मणिपुर	96	138	214
14.	मध्य प्रदेश	45	20	258
15.	महाराष्ट्र	621	611	683
16.	उड़ीसा	42	198	176
17.	पंजाब	25	38	273
18.	राजस्थान	34	181	444
19.	सिक्किम	35	80	36
20.	त्रिपुरा	49	204	246
21.	तमिलनाडु	281	543	1306

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश	140	366	1772
23.	उत्तरांचल	—	388	138
24.	पश्चिम बंगाल	25	176	329
	कुल	2340	5387	8682

अर्ध-सैनिक बलों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण

3022. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अर्ध-सैनिक बलों (पी एम एफ) के प्रत्येक कर्मचारी को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रशिक्षण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) अर्ध-सैनिक बलों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण ऑपरेशनल तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

लघु उद्योगों द्वारा आयात

3023. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की आरक्षित सूची में कुछ मदों का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन मदों को कितनी अवधि के लिए आरक्षित सूची में रखा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार की नीति लघु उद्योगों की आरक्षित सूची के मदों के संबंध में बड़े विदेशी व्यापारियों को अनुमति देने की है किन्तु बड़े भारतीय उद्योगों को इस क्षेत्र से दूर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार 1991 से आयात पर प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटाने संबंधी नीति का पालन कर रही है तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआरएस) को हटाने/चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के प्रभावों से अवगत है। नीति के अनुसार, भारत ने कई मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया है, जो पहले लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों सहित विभिन्न मदों पर लागू रखे जा रहे थे।

(ख) से (घ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए अंतिम मद 1989 में आरक्षित की गई थी तथा इसके बाद कोई आरक्षण नहीं किया गया है। सरकार ऐसी मदों के क्रमिक अनारक्षण की नीति का पालन कर रही है। ऐसी आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके दौरान उच्चतर निवेश के लिए अवसर सृजित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण को सुगम बनाने, गुणवत्ता में सुधार लाने, निर्यात संवर्धन तथा उक्त मदों के विनिर्माण में उन्नत अर्थव्यवस्था प्राप्त करने को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी आरक्षित मदों के बड़े पैमाने पर आयात की निगरानी के लिए घरेलू प्रतिस्पर्धा को अनुमति देने के मामले पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

प्लास्टिक उद्योग हेतु विनियामक प्राधिकरण

3024. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक सामग्री के कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर प्लास्टिक उद्योग के लिए एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है और विनियामक प्राधिकरण का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में प्लास्टिक उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) प्लास्टिक उद्योग के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। प्लास्टिक उद्योग नियंत्रणमुक्त और लाइसेंसमुक्त है। प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाता है। प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए कच्चे माल की कीमतें बाजार की शक्तियों से तय होती हैं।

नक्सल रोधी अभियान

3025. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना अध्यक्ष ने मंत्रालय को नक्सल रोधी अभियानों में सेना को शामिल नहीं करने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

3026. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और कितनी छात्रवृत्ति राशि जारी की गयी है;

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में सरकार के पास आय मानदण्ड की समीक्षा तथा छात्रवृत्ति राशि बढ़ाए जाने के संबंध में काई अनुरोध लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा-IX तथा X में अध्ययनरत 10976 प्रतिभावान विद्यार्थियों और साथ ही स्कूलों तथा कॉलेजों में उत्तर मैट्रिक से स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत 17000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति राशि की दर 250/- रु. प्रतिमाह से 750/- रु. प्रतिमाह के बीच है। यह राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से संचालित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। ये छात्रवृत्तियां संबंधित राज्य/संघशासित प्रदेश द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को दी जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के संवितरण हेतु राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा व्यय की गई संपूर्ण राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

कक्षा-X के समापन पर 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के निमित्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम मौजूद है। इस योजना के तहत वाणिज्य विषय सहित बुनियादी विज्ञानों तथा समाज विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी पी.एच.डी. स्तर तक की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि चिकित्सा, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा विधि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी द्वितीय डिग्री स्तर तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति की राशि पी.एच.डी. विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु 500/- रु. प्रतिमाह है। पी.एच.डी. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार भुगतान किया जाता है। प्रतिभाओं का अभिनिर्धारण द्विचरणीय चयन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। प्रथम चरण की चयन प्रक्रिया अलग-अलग राज्य/संघशासित प्रदेश द्वारा संचालित की जाती हैं, जबकि दूसरे चरण की चयन प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित की जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्र के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इस समय राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के तहत माता-पिता की आय की सीमा 1.00 लाख रु. प्रति वर्ष है। हालांकि, राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के तहत माता-पिता की 1.50 लाख रु. प्रतिवर्ष की आय संबंधी शर्त को वित्त वर्ष 2005-06 से समाप्त कर दिया गया है। अब सभी पात्र विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

*राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के तहत लाभग्राही विद्यार्थियों की संख्या तथा उन्हें दी गई छात्रवृत्ति की राशि**

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2005-2006		2006-2007 (14.03.2007 तक)	
		जारी की गई राशि (रु. में)**	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रु. में)**	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57,00,000	2013	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,98,500	116	0	0
3.	असम	30,68,500	925	0	0
4.	छत्तीसगढ़	19,56,000	598	3017000	1068
5.	दिल्ली	9,79,500	277	392000	222
6.	गोवा	1,44,000	44	273000	87
7.	गुजरात	71,54,830	2198	11082000	3424
8.	हरियाणा	48,25,500	1254	2455970	1127
9.	हिमाचल प्रदेश	1,42,605	241	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	11,94,500	386	0	0
11.	झारखंड	28,24,000	857	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	8850709	3325
13.	मध्य प्रदेश	47,13,110	1426	4871000	2331

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	68,10,000	2346	6594000	2166
15.	मणिपुर	3,27,000	106	0	0
16.	मेघालय	2,36,400	98	0	0
17.	मिजोरम	1,24,000	48	0	0
18.	नागालैण्ड	3,30,000	121	0	0
19.	उड़ीसा	93,13,000	2539	5162000	1274
20.	राजस्थान	30,95,000	1215	5315000	2300
21.	सिक्किम	3,000	1	0	0
22.	तमिलनाडु	51,58,910	1856	7756000	2842
23.	त्रिपुरा	3,49,500	134	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1,53,70,000	4412	5900000	1710
25.	उत्तराखण्ड	9,80,000	316	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	74,49,000	2099	0	0
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43,500	14	0	0
28.	चंडीगढ़	5,22,843	80	0	0
29.	दादरा और नागर हवेली	16,000	5	0	0
30.	दमन और दीव	16,000	6	32000	12
31.	लक्षद्वीप	48,000	19	0	0
32.	पांडिचेरी	4,29,000	107	0	0
	कुल	8,36,22,190	25,857	6,17,00,679	21,888

[*राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम की अधिकारिक घोषणा 16.2.2005 को की गई थी और वित्त वर्ष 2005-06 अर्थात् 1.4.2005 से कारगर ढंग से लागू की जा रही है।]

**राज्य सरकारों को उनकी मांग के आधार पर राशि जारी की जाती है बशर्ते वे पहले जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

*राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के तहत लाभग्राही विद्यार्थियों की संख्या तथा उन्हें दी गई छात्रवृत्ति की राशि****

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई राशि	छात्रवृत्तियों की संख्या
1.	2003-2004	11866704	4477
2.	2004-2005	11436314	4182
3.	2005-2006	10084550	4850
	कुल	3,33,87,568	13,509

[***राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कोई राज्य-वार ब्यौरा नहीं है क्योंकि किसी राज्य के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।]

रेशम से बनी वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3027. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम से बनी वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने रेशम कोया एवं कच्ची रेशम के लिए गुणवत्ता संबद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के संबंध में एक प्रस्ताव का प्रारूप सरकार को प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव, जांच किए जाने पर, सरकार द्वारा असंतोषजनक पाया गया था और राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जाने तथा राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में योजना को पुनः बनाए जाने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड को लौटा दिया गया।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नम्बर

3028. **श्रीमती भावना पुण्डलिकराव गवली :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन हेल्पलाइन नम्बरों द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश के सभी भागों में हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉलों की संख्या बढ़ी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन नंबरों पर चौबीसों घंटे कॉल एटेंड किए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, हेल्पलाइन पर प्रधानाचार्य, प्रशिक्षित परामर्शदाता और सामाजिक वैज्ञानिक उपस्थित रहते हैं जो विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को

शैक्षिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के संबंध में टेलीफोन पर परामर्श देते हैं।

(ग) वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दूर परामर्श नेटवर्क देश में 37 अलग-अलग केन्द्रों से और विदेशों में विशेषकर गल्फ क्षेत्र में 5 केन्द्रों से संचालित किया जाता है।

(घ) प्रत्येक दूर परामर्शदाता औसतन 25-30 कॉल प्रतिदिन प्राप्त करता है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दूर-परामर्श के समय निर्धारण में स्वयंसेवकों की सुविधानुसार लचीलापन रखा गया है। सामान्यत: समय सुबह 8.00 बजे से आधी रात तक होता है। स्वयंसेवकों द्वारा एमरजेंसी कॉलों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

स्वर्ण खानों का अनुसंधान व सर्वेक्षण

3029. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण खनन संबंधी अनुसंधान और सर्वेक्षण में लगी भारतीय और विदेशी कंपनियों तथा सरकारी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में विशेषत: झारखंड में आज की तिथि के अनुसार स्वर्ण अन्वेषण करने के लिए प्रत्येक एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(1) के अनुसार भारतीय नागरिक अथवा भारत में पंजीकृत कम्पनी को टोही परमिट (आर.पी.) सहित खनिज रियायत मंजूर की जा सकती है। खान मंत्रालय ने 1.4.2005 से 28.2.2007 तक की अवधि के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित कंपनियों को स्वर्ण के लिए ग्यारह आर.पी. मंजूर करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है:-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	आर.पी. की संख्या	राज्य
1.	मै. एमिल माइनिंग इंडिया प्रा. लि.	02	उड़ीसा
2.	मै. मेटल माइनिंग इंडिया प्रा. लि.	01	राजस्थान
3.	मै. क्राउन माइनिंग प्रा. लि.	02	राजस्थान
4.	मै. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	01	झारखंड
5.	मै. हीरा कुण्ड डायमण्ड एक्सप्लोरेशन प्रा. लि.	01	उत्तर प्रदेश
6.	मै. डेकन गोल्ड माइंस लि.	01	केरल
7.	मै. जय प्रकाश एसोसिएट्स लि.	01	मध्य प्रदेश
8.	मै. रूंगटा माइंस लि.	02	उड़ीसा

(स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो)

उपर्युक्त कंपनियों के अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) सरकार की एजेंसी तथा खनिज गवेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम देश में विभिन्न राज्यों में स्वर्ण के लिए क्रमश: क्षेत्रीय तथा विस्तृत गवेषण कार्य करती रही हैं। इन एजेंसियों द्वारा झारखंड सहित अलग-अलग राज्यों में किया गया कार्य नीचे दिया गया है:

जी.एस.आई.

क्र.सं.	राज्य	कार्य का स्वरूप	कार्य के घटक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल, अनन्तपुर, कुड्डापाह, नेल्लोर जिलों में स्वर्ण के लिए गवेषण/प्रारंभिक अन्वेषण।	विस्तृत मानचित्रण (डी एम) वृहद पैमाने पर मानचित्रण (एल एस एम), ड्रिलिंग (डी), पिटिंग ट्रेंचिंग (पी टी) सैम्पलिंग।
2.	बिहार	जमुई जिले में स्वर्ण के लिए अन्वेषण	डी.एम., थिमेटिक मानचित्रण (टी एम) सैम्पलिंग, पी.टी.
3.	छत्तीसगढ़	कांकेर, रायपुर, महासमुन्द जिलों में स्वर्ण के लिए पूर्वेक्षण	डी.एम., सैंम्पलिंग, पी.टी., डी
4.	गुजरात	जामनगर जिले में स्वर्ण की खोज	एल एस एम, सैम्पलिंग
5.	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा रांची जिलों में स्वर्ण के लिए अन्वेषण तथा पूर्वेक्षण।	डी एम, एल एस एम, डी, पी टी, सैम्पलिंग
6.	कर्नाटक	हावेरी, चिकमगलूर, हासन, यतकल, रायचुर, तुमकुर चित्रदुर्ग, धारवाड़, गडग, बेल्लारी, उत्तर कन्नडा, दावनगिरि तथा बेलगाम जिलों में स्वर्ण के लिए गवेषण/प्रारंभिक अन्वेषण।	डी एम, एल एस एम, डी, पी टी, सैम्पलिंग
7.	केरल	मल्लपुरम, पालकाड, वायनाड जिलों में स्वर्ण के लिए अन्वेषण	टी एम, डी एम, पी टी, सैम्पलिंग
8.	मध्य प्रदेश	सिधी, कटनी, जबलपुर, बालघाट जिलों में स्वर्ण के लिए गवेषण	डी एम, पी टी, डी
9.	महाराष्ट्र	भंडारा, नागपुर जिलों में स्वर्ण के लिए गवेषण/प्रारंभिक अन्वेषण	डी, सैम्पलिंग
10.	उड़ीसा	मयूरभंज, सुकिन्दा, मलकानगिरि, क्योंझर, बालसौड़ तथा जेपोर जिलों में स्वर्ण के लिए गवेषण।	एल एस एम, डी एम, डी, पी टी, सैम्पलिंग
11.	राजस्थान	उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा जयपुर जिलों में स्वर्ण के लिए अन्वेषण	डी एम, पी टी, एल एस एम, डी, पी टी, सैम्पलिंग

1	2	3	4
12.	सिक्किम	पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सिक्किम में स्वर्ण की खोज	एल एस एम, डी एम, सैम्पलिंग
13.	तमिलनाडु	नीलगिरि, कृष्णागिरि जिलों में स्वर्ण के लिए अन्वेषण	डी एम, पी टी, डी, सैम्पलिंग
14.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र, झांसी जिलों में स्वर्ण के लिए गवेषण।	डी, सैम्पलिंग, पी टी
15.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा जिले में स्वर्ण गवेषण	एल एस एम, सैम्पलिंग

(स्रोत : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

एम ई सी एल

क्र.सं.	राज्य	कार्य का स्वरूप	कार्य के घटक
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, जोनागिरि तथा कुरनूल जिलों में स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण।	एल एस एम, डी, सैम्पलिंग
2.	झारखंड	सिंहभूम जिले में स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण	एल एस एम, डी, सैम्पलिंग
3.	कर्नाटक	रायचूर, धारवाड़, कोलार, हासन और हावेरी जिलों में स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण	एल एस एम, डी, सैम्पलिंग
4.	केरल	मल्लपुर जिले में स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण	एल एस एम, डी, सैम्पलिंग
5.	महाराष्ट्र	नागपुर जिले में स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण	एल एस एम, डी, सैम्पलिंग

(स्रोत : खनिज गवेषण निगम लिमिटेड)

अरुणाचल प्रदेश में आतंकवादी शिविर

3030. **श्री संतोष गंगवार :**

श्री कैलाश मेघवाल :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्फा उग्रवादियों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में अपने शिविर लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उल्फा उग्रवादियों की ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) रिपोर्टों के अनुसार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम (उल्फा) अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मौजूद है। रिपोर्ट दर्शाती है कि उन्होंने अपनी आवाजाही को सुकर बनाने के लिए अस्थायी कैम्प/ठिकाने स्थापित कर लिए हैं।

(ग) सरकार द्वारा उल्फा की गतिविधियों से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस गुट

को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1976 के तहत ''गैर कानूनी संघ'' के रूप में घोषित करना, पूरे असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के आसपास के 20 कि.मी. के क्षेत्र को ''विक्षुब्ध क्षेत्र'' के रूप में घोषित करना और सुरक्षा बलों के अभियानों को समन्वित करने के लिए संयुक्त मुख्यालयों की स्थापना करना शामिल है। उल्फा के खिलाफ उग्रवाद-रोधी अभियान भी तेज किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत कपास उद्योग को आवंटन

3031. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कपास के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) टीयूएफएस के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) क्या टीयूएफएस के अंतर्गत अपर्याप्त धनराशि आबंटित की जा रही है जिसके परिणामतः कपास के उत्पादन और विपणन में आधुनिक तकनीक अपनाने में कठिनाई आ रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) टीयूएफएस के तहत निधियों का आवंटन फाइबर आधारित नहीं है। तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय वस्त्र उद्योग 62:38 के अनुपात (कपास : गैर-कपास) में मुख्य रूप से कपास के पक्ष में है। कपास सहित सभी क्षेत्रों/फाइबरों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान टीयूएफएस के तहत निधियों का आवंटन निम्नलिखितानुसार है:–

क्र.सं.	वर्ष	निधि आवंटन (करोड़ रु. में)
1.	2003-2004	249.07
2.	2004-2005	283.60
3.	2005-2006	485.00

(ख) टीयूएफएस में भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित लाभों का प्रावधान है-

(i) रुपए आवधिक ऋण (आरटीएल) पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा वसूले जाने वाले सामान्य ब्याज की 5% ब्याज प्रतिपूर्ति; अथवा

(ii) विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएफ) पर मूल दर से 5% विनिमय उतार-चढ़ाव (ब्याज व पुनर्भुगतान); अथवा

(iii) लघु उद्योग वस्त्र और पटसन क्षेत्र के लिए 15% ऋण संबद्ध पूंजीगत सहायता (सीएलसीएस); अथवा

(iv) विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 20% ऋण संबद्ध पूंजीगत सहायता (सीएलसीएस); अथवा

(v) विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति और 10% पूंजीगत सब्सिडी।

(vi) करघा पूर्व तथा करघा पश्चात कार्यवाहियों के लिए नई मशीनरी एवं उपस्कर की खरीद पर 25% पूंजीगत सहायता, हथकरघा का उन्नयन तथा हथकरघा उत्पादन एककों के लिए जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपस्कर।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराध न्याय प्रणाली

3032. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अपराध न्याय प्रणाली में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में न्यायमूर्ति मलिमथ समिति का गठन किया है और इसकी बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में न्यायमूर्ति मलिमथ द्वारा की गयी सिफारिशें कौन सी हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष साक्ष्य सुनिश्चित

करने के लिए साक्षियों को सुरक्षा सहित न्यायमूर्ति मलिमथ द्वारा की गयी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है/जांच कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का अपराध न्याय प्रणाली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में दांडिक न्याय प्रणाली लागू करने के उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति मालीमथ समिति का गठन किया था। समिति ने चेन्नै, जयपुर, मुम्बई और दिल्ली में सेमिनार आयोजित किए थे।

(ग) समिति ने दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए 158 सिफारिशें की थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा की जाये और प्रत्येक दोषी व्यक्ति को अतिशीघ्र दंडित किया जाए।

(घ) और (ङ) उन सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह जारी की गई थीं जिन्हें प्रशासनिक उपायों से कार्यान्वित किया जाना था।

चूंकि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इसलिए उन सिफारिशों के संबंध में, जिनके लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन किया जाना अपेक्षित है तथा गवाहों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कानून भी अधिनियमित किया जाना अपेक्षित है, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(च) और (छ) भारत के विधि आयोग की 154वीं, 177वीं और 178वीं रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 23 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया। विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:—

- पुलिस और अदालत के सम्मुख गवाहों और अभियुक्त के बयानों की श्रव्य/वीडियो रिकार्डिंग करना;
- मजिस्ट्रेट द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों के बयान की रिकार्डिंग करके गवाहों के मुकरने की प्रथा रोकने के लिए कदम उठाना;
- झूठी गवाही के लिए संक्षिप्त विचारण और उच्च सजा का प्रावधान;
- पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देना;
- गिरफ्तारी से पहले हाजिर होने का नोटिस जारी करना;
- गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जांच-पड़ताल के दौरान अधिवक्ता को अपने साथ रखने का अधिकार;
- महिला अभियुक्त को पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा स्पर्श न किया जाना;
- विचारण समापन या अपील निपटाने से पहले आपराधिक अदालतों द्वारा उन मामलों में जमानती बांड का लिया जाना जिसमें अभियुक्त को अगली अपीलीय अदालत में हाजिर होना अपेक्षित होता है;
- समन और वारंट के मामलों की परिभाषाओं में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास वाले अपराध के सभी मामले वारंट के मामलों के अंदर आ जाएं;
- समन के सभी मामलों का तत्काल विचारण किया जाना चाहिए;
- अदालत की अनुमति के बगैर और अधिक अपराधों को आई पी सी के तहत शमनीय बनाया जाना चाहिए;
- पीड़ित लोगों के मुआवजे के लिए व्यापक योजना;
- जांच और विचारण के दौरान मानसिक रूप में विक्षिप्त लोगों को राहत प्रदान करना;
- महिलाओं को विशेष संरक्षण प्रदान करना;
- यौन अपराधों के लिए वरीयतः महिला जज द्वारा गुप्त विचारण किया जाना;

- गिरफ्तारी के तुरंत बाद अभियुक्त की चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन योजना के अंतर्गत शामिल आदिम जनजातीय समूह

3033. डा. बाबू राव मिडियम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) गरीबी उपशमन योजना के अंतर्गत शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्य निष्पादन और आकलन रिपोर्ट के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ''आदिम जनजातीय समूहों का विकास'' नामक एक उदार एवं विशेष योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत मंत्रालय राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गृह निर्माण, अवस्थापना विकास, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, आय सृजनात्मक गतिविधियों, आजीविका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि हेतु 100% वित्तीय सहायता देता है। इस योजना का लक्ष्य आदिम जनजातीय समूहों की गरीबी उन्मूलन तथा समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिम जनजातीय समूहों सहित जनजातीय आबादी के समाजार्थिक विकास हेतु रोजगार एवं आय सृजनात्मक गतिविधियों एवं अवस्थापना विकास के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्यों में ''आदिम जनजातीय समूहों के विकास'' की योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन का कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुएं

3034. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री काशीराम राणा :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में बनाई जाने वाली आरक्षित वस्तुओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है;

(ख) उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिन्हें पिछली बार आरक्षित सूची से हटाया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आरक्षित वस्तुओं की संख्या में ऐसी कमी से लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) लघु उद्योग (विनिर्माणरत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए अंतिम मद 1989 में आरक्षित की गई थी तथा इसके बाद कोई आरक्षण नहीं किया गया है। सरकार ऐसी मदों के क्रमिक अनारक्षण की नीति का पालन कर रही है और वर्तमान में विनिर्माणरत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए 239 मदें आरक्षित हैं।

(ख) 22 जनवरी, 2007 को अनारक्षित 87 मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। लघु उद्योग क्षेत्र (अब सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र) के लिए आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। समीक्षा के दौरान विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में, अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर निवेश के लिए अवसर सृजित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण को सुगम बनाने, गुणवत्ता में सुधार लाने, निर्यात संवर्धन तथा उक्त मदों के विनिर्माण में उन्नत अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए, संशोधन किया जाता है।

(ग) से (ङ) विगत नौ वर्षों के दौरान अनारक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए दो अध्ययनों से विनिर्माणरत सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का पता नहीं चला है।

1	2	3
48.	330	सिरेमिक टेबल वेयर्स और स्टोन वेयर्स में संबद्ध मदें, सेमी विट्रस वेयर्स और मिट्टी के बर्तन
		1. डिनर सैट्स
		2. टी सैट्स
		3. कप्स एंड प्लेट्स
		4. जार एंड अन्य कन्टेनर्स
49.	330ए	ब्लाक ग्लास
50.	330बी	वीटराइट ग्लास
51.	331	औद्योगिक बीडों को छोड़कर ग्लास बीड
52.	331ए	आटोमेटिक स्प्रे या वैक्यूम कोटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बनाए गए शीशों को छोड़कर कांच के शीशे
53.	333	वैज्ञानिक प्रयोगशाला ग्लासवेयर (बोरो सिलीकेट टाइप को छोड़कर)
54.	334	माइक्रो कवर गिलास और माइक्रोस्कोप के स्लाइड
55.	336	माउथ ब्लोन और/या सेमी आटोमेटिक प्रक्रिया द्वारा ग्लास हालोवेयर
56.	337	सोडालाइम सिलिका प्रेसड ग्लास टम्बलर्स
		1. सोडालाइम सिलिका प्रेसड ग्लास प्लेट्स
		2. सोडालाइम सिलिका प्रेसड ग्लास बाउल्स
		3. सोडालाइम सिलिका प्रेसड ग्लास ऐश ट्रेज
		4. सोडालाइम सिलिका प्रेसड ग्लास वेसिज
57.	337ए	ग्लास मारबल्स (सभी प्रकार के)
58.	338	लो टेन्शन इन्सुलेटर्स
59.	339	केमिकल पोर्सिलेन, आइटम्स निम्नलिखित हैं:
		1. फलैट टिप्पड बांसिनस

1	2	3
		2. राउंड एंड रेक्टेंगुलर टाइप डिशिज
		3. कम्बशन पोस्टस
		4. क्रूसिबल्स
		5. फिल्टर फनल्स फार वेकम प्रेशर
		6. ग्रेविटी फिलट्रेशनस
		7. पिपेट रेस्टस
		8. स्पाटिंग प्लेट्स
		9. डेसीकेटर प्लेटस
60.	339ए	निर्माण के लिए इस्तेमाल चूना और चूने की पुताई
61.	339बी	निर्माण और पुताई के लिए इस्तेमाल हाइड्रेटेड चूना
62.	340	प्लास्टर आफ पेरिस
63.	341	चाक क्रेयान्स इन्कलुडिंग टेलर चाक
64.	342	प्लास्टर बोर्ड
65.	343	स्टोनवेयर जार्स एंड बाउल्स कुंडी
66.	344	साल्ट ग्लेजड सीवर पाइपस
67.	345	एस्बेस्टस पाइप और फिटिंग—आईएसआई विनिर्देश के अनुसार केवल घरेलू उद्देश्य के लिए
68.	347	100 सेमी व्यास तक के रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप
69.	348	ग्रेफाइट क्रूसिबल्स—500 की संख्या तक
70.	349	सिलीकान कारबाइड क्रूसिबल्स 150 की संख्या तक
अन्य विविध परिवहन उपकरण		
71.	728	हाथ से तथा पशु चालित वाहन, फिटिंग्स, तांगे के पुर्जे और चक्के के रिंग
72.	729	व्हील बौरो
73.	730	पशु चालित वाहन

1	2	3
14.	429	सेफ/केबिनेट लाक्स
15.	430	डोर लाकस
16.	441	डिस्क हेरोज
17.	490	विद्यमान इकाइयों के विस्तार को छोड़कर वेल्डेड वायर मेश
18.	491	वायर गाज और बायर नेटिंग मेटलिक-100 मेश आकार से भारी और 2 मीटर चौड़ाई तक
19.	502	सीड कलीनर्स—अपटू 5 एचपी मोटिव पावर
20.	503	ग्रेन ड्रायर अपूट 5 एचपी मोटिव पावर
21.	504	शेल हसकर्स—अपटू 5 एचपी मोटिव पावर
22.	510	15 एचपी तक के डीजल इंजिन—धीमी गति वाले, 180 जीआर प्रति बीएचपी/प्रति घंटे से कम ईंधन उपभोग वालों को छोड़कर
23.	515	बैंक सा ब्लेड—लकड़ी के लट्ठों को काटने के लिए
24.	519	स्प्रे पेंटिंग रिपेयर दुकानों के लिए 5 एचपी तक के एयर कंप्रेसर
25.	523ए	स्क्रू पेसिज (मेनुअली आपरेटिड)
26.	523बी	हैंड प्रेसिज (मेनुअली आपरेटिड)
अन्य मैकेनिकल मदें		
27.	786	स्टेरीलाइजर स्टेनलस स्टील तथा एल्यूमिनियम
28.	790	रेवोल्यूशन काउन्टर्स (घूर्णक सूचक)—यांत्रिक
29.	791	लिक्विड लेवल कन्ट्रोलर (इलैक्ट्रोनिक किस्म को छोड़कर)
30.	793	फोटोग्राफिक एन्लार्जर्स
31.	795	तार के ब्रुश
32.	804	कफ के बटन, टाईपिन, धातु के ड्रेस बटन तथा बकसुए)
33.	807	सिगरेट लाइटर
34.	620	लकड़ी की नाव का बनाना

1	2	3
35.	621	ट्रक की लड़की के ढांचे का निर्माण
36.	622	बसों तथा ट्रकों के लिए सीटें
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कांच और मृत्तिका, विविध परिवहन उपकरण और अन्य		
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद		
37.	37ए	सान टिम्बर
38.	38	लकड़ी की क्रेटें
39.	40	सिझाई हुई लकड़ी
40.	41	सिलाई की मशीन के लकड़ी के ढक्कन
41.	42	ए.ए. और ए.सी.एस.आर. कंडक्टरों के लिए केबल ड्रम
42.	48	सामान रखने को लकड़ी की अलमारी
43.	49	सामान रखने के लकड़ी के सेल्फ और रैक
44.	50	लकड़ी के बने तख्ते
कांच और मृत्तिका		
45.	327	फायर क्ले, 40 प्रतिशत से कम एलुमिना वाली ईंटें और ब्लाक
46.	328	छत की टाइलें
		3. रूफिंग टाइल्स—कले
		7. रूफिंग टाइल्स—सीमेन्ट कन्क्रीट
47.	329	फर्श की टाइलें
		3. फलोरिंग टाइल्स—कले
		5. फलोरिंग टाइल्स—मारबल (10 मिमी से कम मोटाई वाली टाइलों को छोड़कर)
		6. फलोरिंग टाइल्स—ग्रेनाइट (10 मिमी से कम मोटाई वाली टाइलों को छोड़कर)
		7. फलोरिंग टाइल्स—सीमेन्ट मोजाइक
		8. फलोरिंग टाइल्स—सीमेन्ट कंक्रीट

विवरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2007

का.आ. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश देती है कि भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना 477 (अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची 3 में, लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए ही आरक्षित मदों की सूची से संबंधित क्र. संख्याक 37क, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 143, 210क, 244, 288, 295, 325, 327, 328, 329, 330, 330क, 330ख, 331, 331क, 333, 334, 336, 337, 337क, 338, 339, 339क, 339ख, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 354, 367, 379, 416, 418, 424, 429, 430, 441, 490, 491, 502, 503, 504, 510, 515, 519, 523क, 523ख, 620, 621, 622, 728, 729, 730, 731, 784, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 792क, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803क, 803ख, 804, 806 और 807 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं.7(5)/2002-आईपी]

आर.एस. जुलानिया, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 477(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए:-

(1) का.आ. 298 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1997,

(2) का.आ. 71 (अ), तारीख 3 फरवरी, 1999,

(3) का.आ. 673 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2000,

(4) का.आ. 2 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2001 और का.आ. 20(अ), तारीख 9 जनवरी, 2001,

(5) का.आ. 603 (अ), तारीख 29 जून, 2001,

(6) का.आ. 533 (अ), तारीख 20 मई, 2002,

(7) का.आ. 649 (अ), तारीख 3 जून, 2003,

(8) का.आ. 1169 (अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004,

(9) का.आ. 420 (अ), तारीख 28 मार्च, 2005 और

(10) का.आ. 722 (अ), तारीख 16 मई, 2006

[दिनांक 22 जनवरी, 2007 की अधिसूचना एस.ओ. 62(ई) द्वारा अनारक्षित]

क्र.सं.	क्र.सं. (राजपत्र अधिसूचना)	उत्पाद का नाम
1	2	3
इन्जेक्शन मोल्डिंग थरमो-प्लास्टिक के उत्पाद		
1.	143	एक्सपेंडल पोलिस्टरीन बीड्स के पोलीस्ट्रीन फोम उत्पाद (एक्सपेंडेबल पोलीस्ट्रीन बीडस मैन्युफैक्चर्स के स्लेबों को छोड़कर)
आग्रेनिक रसायन, ड्रग इण्टरमीडिऐट, अन्य रसायन और रसायन उत्पाद और तात्विक तेल		
2.	210ए	कोपर, क्रीम आर्सेनिक बोरिक कम्पाउंड्स पर आधारित पानी में घुलनशील लकडी के परिरक्षक पदार्थ
3.	244	पैरासिटामोल
4.	288	मैगनिशियम सल्फेट
5.	295	तेल, पानी तथा मोम पर आधारित कलाकारों द्वारा प्रयोग हेतु रंग
6.	325	केल्शियम सिलिकेट
7.	806	एब्सारबेंट काटन
परिवहन उपकरण, बोट और ट्रक बाडी बिल्डिंग सहित मेकेनिकल इंजीनियरिंग		
मैकेनिकल इंजीनियरिंग मदें		
8.	354	प्रेशर डाई कास्टिंग-0.75 के.जी. तक
9.	367	स्टील की अल्मारी—सभी प्रकार की
10.	379	प्रेशर स्टोव
11.	416	वुड वर्किंग साज
12.	418	नाइव्स एंड शियरिंग ब्लेडस (मैनुअल कार्यों के लिए मेटल, पेपर, बांस और लकड़ी सहित सभी प्रकार के)
13.	424	बोल्ट और नट—हाई टेन्साइल और विशेष प्रकार को छोड़कर

1	2	3
74.	731	हस्त से चलने वाली सभी प्रकार की गाड़िया
अन्य		
75.	784	छाते
76.	787	विद्यार्थियों तथा चिकित्सा में काम आने वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र
77.	788	पानी के मीटर
78.	792	थर्मामीटर—150 सेंग्र. तक
79.	792ए	आफथेल्मिक लेन्स फ्राम ब्लेन्कस (ग्लास)
80.	796	पेंट करने के ब्रुश
81.	797	बालों के ब्रुश
82.	798	रेशे वाले ब्रुश
83.	799	दांत ब्रुश
84.	800	ब्रुश प्राकृतिक बालों वाले
85.	801	अन्य ब्रुश
86.	803ए	बोन मील (शत प्रतिशत निर्यात के लिए कैप्टिव खपत को छोड़कर)
87.	803बी	क्रशड बोन्स

[अनुवाद]

शिक्षा संबंधी भारत-पाक समझौता

3035. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं जिसके परिणमत: एनसीईआरटी तथा नेशनल बुक फाउण्डेशन, पाकिस्तान के बीच पुस्तकों का आदान-प्रदान हो सकेगा जैसा कि दिनांक 23 फरवरी, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुनियादी, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की विशेषज्ञता और अनुभव को बांटने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एनसीईआरटी और नेशनल बुक फाउण्डेशन, पाकिस्तान के बीच अनुभव के आदान-प्रदान की संभावनाओं

का पता लगाने तथा पाठ्य पुस्तकें पुन: तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) इंडो-पाकिस्तान संयुक्त आयोग द्वारा गठित शिक्षा संबंधी कार्यदल की पहली बैठक 20 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में हुई और सहयोग के लिए अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई;

(i) दोनों देशों में शैक्षिक विकास पर मुद्रित सामग्री का आदान-प्रदान;

(ii) शिक्षा के लिए अपेक्षित पुस्तकें पुन: तैयार करने के लिए पाकिस्तान स्थित राष्ट्रीय पुस्तक फाउंडेशन तथा भारत स्थित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान;

(iii) प्रारंभिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञों और अनुभव का आदान-प्रदान;

लघु उद्योगों में रोजगार

3036. श्री विजय कृष्ण : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में विशेषरूप से बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में रोजगार कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में लघु उद्योगों के माध्यम से बेरोजगार युवकों को प्रदान किए गए रोजगारों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश में लघु उद्योगों में अनुमानित रोजगार में निरंतर वृद्धि हुई है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिए गए 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान लघु उद्योगों के माध्यम से सृजित अनुमानित रोजगार के राज्यवार ब्यौरे से देखा जा सकता है।

विवरण

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान लघु उद्योगों के माध्यम से सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (नवीनतम उपलब्ध)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित रोजगार		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	166309	173542	181293
2.	हिमाचल प्रदेश	141477	146085	151514
3.	पंजाब	970644	1003533	1031406
4.	चंडीगढ़	52047	54257	56181
5.	उत्तराखंड	212496	221382	231477
6.	हरियाणा	587449	605552	620530

मानव दुर्व्यापार

3040. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर मानव दुर्व्यापार को रोकने पर विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी संगोष्ठियां आयोजित की गई;

(ग) देश में मानव दुर्व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मानव दुर्व्यापार की बढ़ती बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना तैयार करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने 27-28 अक्तूबर, 2005 को मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय के साथ मिलकर मानवों के अवैध व्यापार विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था। इस सेमिनार का उद्देश्य मानवों के अवैध व्यापार की समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करना और विधि प्रवर्तन अधिकारियों तथा अन्य उद्यमियों (स्टेकहोल्डर) को सुविज्ञ बनाना तथा परामर्श करके भारत में मानवों के अवैध व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की सिफारिश करना था।

(ग) सेमिनार में की गई सिफारिशों में शामिल हैं—अवैध मानव व्यापार की विस्तृत परिभाषा किए जाने की आवश्यकता, प्रभावी रोकथाम पहलुओं की आवश्यकता, अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए एक विशिष्ट नोडल प्राधिकरण का गठन किए जाने और अवैध मानव व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी और निवारक सजा का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता, अपराध न्याय प्रणाली में कार्यरत एजेंसियों को सुविज्ञ बनाने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता, मानवों के पुन: अवैध व्यापार को रोकने के लिए पीड़ितों का योजनाबद्ध पुनर्वास और सुधार किए जाने की आवश्यकता और मानवों के अवैध व्यापार के खिलाफ जनमत बनाने में उत्तरदायी और सकारात्मक भूमिका निभाए जाने में मीडिया और सिविल सोसाइटियों की सक्रियता की आवश्यकता और इसके पुन: व्यापार को रोकने के लिए समर्थक प्रक्रिया की आवश्यकता।

(घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अवैध मानव व्यापार और महिलाओं और बच्चों के यौन-शोषण व्यापार का सामना करने के लिए वर्ष 1998 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी। तथापि, अवैध मानव व्यापार का सामना करने में सभी संबंधितों की ओर से एक समन्वित और एकरूप कार्रवाई सुकर बनाने के लिए एम डब्ल्यू सी डी, गृह मंत्रालय, एन एच आर सी और राष्ट्रीय महिला आयोग एक साथ मिलकर बाल और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने और उसका सामना किए जाने के लिए एक एकीकृत कार्रवाई योजना का मसौदा तैयार कर रहे हैं।

महिला समाख्या कार्यक्रम

3041. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में महिला समाख्या कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं;

(ख) इस कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में 'महिला समाख्या कार्यक्रम' शुरू किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर महिला समाख्या कार्यक्रम नौ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर वर्ष 2006-07 से इन दो राज्यों में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। कर्नाटक में यह कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली

3042. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि यह प्रतिस्पर्द्धी माहौल में आगे बढ़ पाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन एककों की वित्तीय सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाने का भी है ताकि वे लघु उद्योग में बने रहें?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एम.एस. एम.ई.) के विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है जोकि 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हो गया है। अधिनियम सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है और इस प्रकार से उद्योग से उद्यम की अवधारणा में परिवर्तन करता है। इसके अलावा, अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सांविधिक परामर्श तंत्र के रूप में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड, एस.एम.ई. के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों की अधिसूचना, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में सरकारी अधिप्राप्ति में वरीयता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को विलम्बित अदायगियों की समस्या को कम करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र तथा सभी तीनों श्रेणियों के उद्यमों द्वारा बिजनेस के बंद करने संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था है।

(ङ) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के खंड 7 के उप-खंड (1) के अनुसार विनिर्माणरत मध्यम उद्यमों की एक नई श्रेणी, जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रु. तथा 10 करोड़ रु. के बीच का है अधिसूचित किया गया है।

तमिलनाडु में कॉफी उत्पादक

3043. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कॉफी उत्पादकों ने सरकार को देश के विभिन्न भागों में उत्पादों को वर्तमान में मिल रही छूट तथा रियायत उन्हें भी प्रदान किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पालानीमलय, काफी व्यवसायीगल संगम, पट्टीविरनपट्टी ने दिसम्बर, 2006 में अभ्यावेदन दिए थे जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के 25 जिलों के ऋणग्रस्त किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री राहत पैकेज का समय बढ़ाने की मांग की गई थी। इसने बागान क्षेत्र के लिए मंत्री समूह द्वारा पैकेज तैयार करने में डिंडीगुल जिले को भी शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री राहत पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ कर्नाटक के चिकमंगलूर, हसन, कुर्ग और केरल के वायनाड पालाक्कड जैसे काफी उपजकर्ता जिलों को भी शामिल किया गया था परन्तु यह केवल उपर्युक्त राज्यों के अभिज्ञात ऋणग्रस्त जिलों के लिए कॉफी उपजकर्त्ताओं की आवश्यकताओं का निवारण करने के लिए नहीं था। जहां तक मंत्री समूह के विचार के लिए डिंडीगुल जिले को शामिल करने का संबंध है मंत्री समूह ने पूरे कॉफी क्षेत्र पर विचार किया है जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं।

जारवा जनजातियों हेतु आवास कार्यक्रम

3044. डा. बाबू राव मिडियम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सुनामी के पश्चात जारवा आदिवासी रिजर्व में अनुसूचित जनजातियों विशेष रूप से जारवा (पीटीजी आदिवासी) के लिए कोई आवास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक आदिवासी परिवारों को उपलब्ध कराए गए आवासों का ब्यौरा क्या है;

जूट पैकिंग

3038. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों और चीनी हेतु 100 प्रतिशत जूट पैकिंग के लिए आरक्षण जारी रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे आरक्षण से प्लास्टिक वूवन सैक उद्योग पर प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उपबंधों की शक्ति कम करने/उनका निरसन करने का विचार कर रही है;

(घ) क्या स्थायी सलाहकार समिति ने जूट वर्ष 2006-07 हेतु पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 के अंतर्गत खाद्यान्नों हेतु 75% और चीनी हेतु 20% आरक्षण की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या अंतिम निर्णय लिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ङ) 14वीं स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) ने पटसन वर्ष 2006-07 (जुलाई-जून) के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत खाद्यान्नों के लिए 75% और चीनी के लिए 70% आरक्षण की सिफारिश की थी। तथापि, केंद्रीय सरकार ने पटसन वर्ष 2006-07 के दौरान उपर्युक्त दोनों वस्तुओं के लिए 100% के आरक्षण को जारी रखने का निर्णय लिया। तदनुसार खाद्यान्न एवं चीनी के लिए 100% अनिवार्य पैकेजिंग निर्धारित करते हुए सरकारी राजपत्र में 24.07.2006 को एक आदेश जारी किया गया था। यह आरक्षण पटसन उत्पादकों एवं समग्र रूप से पटसन क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस नीति से प्लास्टिक वूवन थैला उद्योग थोड़ा सा प्रभावित होता है क्योंकि खाद्यान्न और चीनी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं ऐसे आरक्षण के क्षेत्र से बाहर हैं। गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या 19592-19594 में दिनांक 19.11.2006 के आदेश एवं निर्णय द्वारा 27.07.2006 के आदेश को रद्द कर दिया और सरकार को मामले पर फिर से निर्णय लेने का आदेश दिया और इस बीच में 14वीं एसएसी सिफारिश लागू रहेगी। एकल न्यायाधीश के उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद की खंड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की गई है। फिलहाल उपर्युक्त प्रावधान को समाप्त/रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अर्द्ध-सैनिक बलों में महिलाओं की भर्ती

3039. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्द्धसैनिक बलों में महिलाओं की भर्ती के लिए सरकार द्वारा अपनाये जा रहे मानदंड का बल-वार तथा पदनाम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे अधिकारियों की भर्ती में कुछ छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी छूटों को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है तथा इनका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) संबंधित रैंकों के भर्ती नियमों के अनुसार, महिलाओं की भर्ती एस एस बी और असम राइफल्स को छोड़कर अर्द्ध सैनिक बलों (पी एम एफ) में विभिन्न रैंकों में की जाती है। ऊंचाई भार और शारीरिक दक्षता परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों को छूट दी जाती है, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बल	रैंक	महिला अभ्यर्थियों के लिए
1	2	3
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	उप निरीक्षक (जी डी)	**ऊंचाई—**
		सामान्य श्रेणी के लिए-157 से.मी.
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	उप निरीक्षक (कार्यकारी)	विशिष्ट क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 155 से.मी. और
		अनुसूचित जनजाति के लिए 154 से.मी.

1	2	3
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	कांस्टेबल (जी डी) कांस्टेबल कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)	ऊंचाई— सामान्य श्रेणी के लिए 157 से.मी. विशिष्ट क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 155 से.मी. और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 से.मी.
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	सहायक कमांडेंट (जी डी)	ऊंचाई—157 से.मी.
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (उप कमांडेंट) और चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट)	ऊंचाई— सामान्य श्रेणी हेतु 142 से.मी., विशेष क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 140 से.मी. और अनुसूचित जनजाति के लिए 139 से.मी.
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	सहायक उप निरीक्षक/स्टेनो और हैड कांस्टेबल लिपिकवर्गीय)	ऊंचाई—157 से.मी. विशेष क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 2 से.मी. और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से. मी. की छूट
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	उप निरीक्षक (स्टाफ नर्स) सहायक उप निरीक्षक (फार्मसिस्ट)	ऊंचाई— सामान्य श्रेणी के लिए 157 से.मी. विशेष क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 155 से.मी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 154 से.मी.
सीमा सुरक्षा बल	स्टाफ नर्स (उप निरीक्षक) सहायक उप निरीक्षक/फार्मसिस्ट (अर्हता प्राप्त)	ऊंचाई—150 से.मी.
सीमा सुरक्षा बल	सहायक उप निरीक्षक/स्टेनो और हैड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय)	ऊंचाई— सामान्य श्रेणी के लिए 157 से.मी. विशिष्ट क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 155 से.मी. अनुसूचित जनजाति के लिए 152.5
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	उप निरीक्षक (स्टाफ नर्स) सहायक उप निरीक्षक (फार्मसिस्ट), सहायक उप निरीक्षक/रेडियोग्राफर, कांस्टेबल/प्रयोगशाला सहायक, हविलदार (ए एन एम), कांस्टेबल (मेडिक्स)	ऊंचाई—142 से.मी.
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो) और हैड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय)	ऊंचाई— सामान्य श्रेणी के लिए 153 से.मी. विशिष्ट क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 153 से.मी. और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 से.मी.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भार और शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाती है।

1	2	3	4	5
7	दिल्ली	674555	700198	723030
8.	राजस्थान	947231	990152	1035321
9.	उत्तर प्रदेश	4357060	4547321	4763309
10.	बिहार	1173594	1221792	1270809
11.	सिक्किम	1482	1580	1673
12.	अरुणाचल प्रदेश	4169	4330	4630
13.	नागालैंड	62918	66466	74677
14.	मणिपुर	147873	153715	158914
15.	मिजोरम	27286	28622	30183
16.	त्रिपुरा	61558	62861	64763
17.	मेघालय	71917	75607	79975
18.	असम	468013	487871	509601
19.	पश्चिम बंगाल	2345079	2437465	2522757
20.	झारखंड	300752	313468	327487
21.	उड़ीसा	1002565	1038909	1077211
22.	छत्तीसगढ़	575895	598870	620356
23.	मध्य प्रदेश	1460576	1522614	1585666
24.	गुजरात	1386967	1455975	1528234
25.	दमन और दीव	51953	59121	67839
26.	दादरा और नागर हवेली	51953	59121	67839
27.	महाराष्ट्र	2240066	2383801	2500040
28.	आंध्र प्रदेश	2308178	2397876	2479242

1	2	3	4	5
29.	कर्नाटक	1781588	1859142	1942994
30.	गोवा	32428	33604	35610
31.	लक्षद्वीप	1781	1856	1953
32.	केरल	1212017	1207433	1237893
33.	तमिलनाडु	2265461	2350831	2520485
34.	पांडिचेरी	40468	42419	45093
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8350	8726	9287
	अखिल भारतीय	27142200	28256978	29491435

महानिदेशक स्तर की वार्ता

3037. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा बांग्लादेश राइफल्स (बीडीआर) के बीच हाल ही में महानिदेशक स्तर की बैठक हुई थी जैसा कि दिनांक 4 मार्च, 2007 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये निर्णय दोनों देशों द्वारा कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल-महानिदेशक बंग्लादेश राइफल्स (बी डी आर) सीमा समन्वय सम्मेलन 26 फरवरी-3 मार्च, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बंग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासियों का आगमन;

(2) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर सीमा पर बाड़ के निर्माण में बाधा डालना;

(3) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर विकासात्मक कार्य में बाधा डालना;

(4) सीमा पार से अपराध और अकारण गोलीबारी;

(5) बंग्लादेश में भारतीय विद्रोहियों की गतिविधियां;

(6) पशुओं की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा इत्यादि की रोकथाम करना और बंग्लादेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय संसाधनों का अनधिकार रूप से दोहन करना;

(7) सुरक्षा संबंधी मुद्दे; और

(8) विश्वास निर्माण संबंधी उपाय।

दोनों सीमा चौकसी बल विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु उचित उपाय करने के लिए सहमत हुए। यह संकल्प लिया गया कि बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) क्या जारवा आदिवासी रिजर्व क्षेत्र में विशेष कानून तथा न्यायादेश लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जारवा, शोम्पेन तथा सेंटनिलीज शिकारी एवं भोजन संग्राहक खानाबदोश जनजातियां हैं, जिनके अपने स्थायी गांव नहीं हैं अतएव, उनके लिए गृह निर्माण का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 के अंतर्गत जारवा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने एक जारवा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य जारवा को बाहरी दुनिया के प्रभाव में आने और संसर्ग के हानिकारक दुष्परिणाम से सुरक्षा प्रदान करना, जब वे भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से ऐसे संसर्ग के लिए तैयार नहीं हों, उनके सामाजिक संगठन एवं सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना तथा जारवा संरक्षित क्षेत्र की पारिस्थितिकी संरक्षण करना इत्यादि है। यह नीति इस समय प्रचालन में है।

[हिन्दी]

नक्सलवाद के कारण हुई हानि

3045. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गृह मंत्रालय से नक्सलवाद के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना को हो रही हानि को रोकने के लिए शीघ्र उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

चाइल्ड लाइन सेवा

3046. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने शहरों/नगरों में चाइल्ड लाइन सेवा उपलब्ध है;

(ख) इस सेवा को प्रदान करने वाली संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसे अन्य शहरों/नगरों में भी शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) चाइल्ड लाइन सेवा 75 नगरों में उपलब्ध है।

(ख) सूचना मंत्रालय के वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। नये शहरों में सेवा शुरू करने का कार्य चाइल्डलाइन इण्डिया फाउंडेशन, मुम्बई द्वारा, जो चाइल्डलाइन सेवा के अनुवीक्षण और विस्तार के लिए केन्द्रक अभिकरण है, सतत् रूप से चलता रहता है।

एनसीईआरटी पुस्तकों को वापस लेना

3047. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाठ्यक्रम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की कुछ पुस्तकें वापस ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किस सत्र से पुस्तकें वापस ली गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अपनाए जाने के साथ नए पाठ्यक्रम पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित की जा रही हैं। तद्नुसार चरण-I में कक्षा-I, III, VI, IX तथा XI, हेतु नई पाठ्यपुस्तकें शैक्षिक सत्र 2006-07 से शुरू की गई हैं तथा इन कक्षाओं की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 से पूर्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को हटा लिया गया है। इसी प्रकार, कक्षा II, IV, VII, X और XII की पुरानी पाठ्यपुस्तकों तथा कक्षा-V और VIII की पाठ्यपुस्तकों को क्रमशः शैक्षिक सत्र 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान हटाया जाना निर्धारित है।

बाक्साइट खनन हेतु समझौता ज्ञापन

3048. डा. बाबू राव मिडियम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमएमडीसी (एपीएमडीसी) ने विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में बाक्साइट के खनन हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) मैं. जिंदल साउथ वेस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (जे.एस.डब्ल्यू.एच.एल.) के साथ और दूसरा समझौता ज्ञापन रास अल खैमाह सरकार, संयुक्त अरब अमीरात के साथ निष्पादित किया है। उक्त समझौता ज्ञापनों के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

(i) आंध्र प्रदेश मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (ए.पी.एम.डी.सी.) उक्त एल्युमीनियम कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, ए.पी.एम.डी.सी. द्वारा आवेदित खनन पट्टा क्षेत्रों से बाक्साइट की आपूर्ति करेगा;

(ii) ए.पी.एम.डी.सी. बाक्साइट खनन से होने वाले अपने लाभ का 20% भाग जनजातियों को आबंटित करेगा;

(iii) उक्त एल्युमीनियम कंपनियां ए.पी.एम.डी.सी. को इक्विटी की आफर करेंगी;

(iv) राजस्व का कम-से-कम 0.5% भाग, जनजातीय विकास हेतु आबंटित किया जाएगा; और

(v) यह संयंत्र जनजातीय क्षेत्रों से बाहर स्थित होगा, आदि।

[हिन्दी]

पुलिस बल को आधुनिक उपस्कर

3049. श्री हंसराज ग. अहीर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी पुलिस बलों को अद्यतन तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों में इस संबंध में कवायद शुरू हो गई है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राजसहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) राज्य सरकारों की उनके पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने का प्रयासों में मदद करने के लिए सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी गैर-योजना स्कीम के जरिए सहायता प्रदान करती है। स्कीम के अंतर्गत पुलिस आधारभूत ढांचे की सभी मुख्य मदों अर्थात् सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, बाह्य चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, परिवहन, आधुनिक हथियार, सुरक्षा और निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि को शामिल किया गया है। राज्यों द्वारा अपने आकलन/आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजनायें तैयार की जाती हैं तथा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को क्रमशः 705.27 करोड़ रुपए, 960 करोड़ रुपए तथा 1025 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

राज्य का नाम	2003-04 जारी केन्द्रीय धनराशि	2004-05 जारी केन्द्रीय धनराशि	2005-06 जारी केन्द्रीय धनराशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	69.46	79.93	101.41
अरुणाचल प्रदेश	7.24	9.13	7
असम	36.52	41.37	56.68
बिहार	0.43	45.25	39.87
छत्तीसगढ़	17.47	32.72	40.74
गोवा	1.4	0.28	1.06
गुजरात	42.21	39.54	39.85
हरियाणा	20	22.13	14.95
हिमाचल प्रदेश	0.69	2.57	6.78
जम्मू और कश्मीर	25	110.89	109.22
झारखंड	8.5	22.33	40.74
कर्नाटक	69.31	58.87	65.85
केरल	22	26.55	18.84
मध्य प्रदेश	48.24	42.27	31.65
महाराष्ट्र	62.84	71	88.78
मणिपुर	11.5	15.24	16.97
मेघालय	5.29	7.58	6.57
मिजोरम	8.47	7.45	6
नागालैंड	21	13.09	17.52
उड़ीसा	21.91	27.76	35.08
पंजाब	19.34	21.79	20.31
राजस्थान	43.1	42.67	34.81
सिक्किम	0.94	5.9	2.43

1	2	3	4
तमिलनाडु	54.98	56.78	65.51
त्रिपुरा	12.83	11.17	11.83
उत्तर प्रदेश	65.02	108.55	98.12
उत्तराखंड	7.41	7.99	16.76
पश्चिम बंगाल	2.17	29.2	29.67
कुल	705.27	960.00	1025.00

[अनुवाद]

एस सी/एस टी/ओ बी सी छात्रों को केंद्रीय विद्यालयों/ नवोदय विद्यालयों में आरक्षण

3050. **डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रदान किए गए आरक्षण और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों में श्रेणी-वार, कक्षा-वार और राज्य-वार कितने छात्रों और छात्राओं को नामांकित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार ओ बी सी के ऐसे छात्रों को उनके पिछड़ेपन के मद्देनजर आरक्षण प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रदत्त आरक्षणों एवं अन्य सुविधाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

केंद्रीय विद्यालय

अर्द्धसैनिक बलों के लिए अभिप्रेत केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर सिविल क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में नए दाखिलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के समानुपात में होता है, जो अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 7.5% है और अधिकतम आरक्षण 50% तक समिति है। रक्षा, परियोजना, उच्च अध्ययन संस्थान क्षेत्र तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए अभिप्रेत केंद्रीय विद्यालयों में नए दाखिलों के लिए 15% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 7.5% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कोई शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाता। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नहीं है।

जवाहर नवोदय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए सीटें जिले में उनकी जनसंख्या के समानुपात में आरक्षित होती हैं किंतु यह आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 15% से कम नहीं होगा और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% से कम नहीं होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 और 2005-06) के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में नामांकित छात्र एवं छात्राओं की श्रेणीवार, कक्षावार और राज्यवार संख्या संलग्न विवरण 1 से 3 में दी गई है। केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और पृथक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) और (घ) फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए दाखिलों में आरक्षण उपलब्ध है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में राज्यवार, कक्षावार, श्रेणीवार (बालक, बालिका, सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) नामांकन की स्थिति

राज्य	कक्षा-VI					कक्षा-VII					कक्षा-VIII					
	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
छत्तीसगढ़	462	244	324	150	232	403	223	310	125	191	395	202	285	123	189	433
मध्य प्रदेश	2087	1069	1835	695	626	1859	952	1639	647	525	1821	949	1596	678	496	2006
उड़ीसा	941	539	729	325	426	853	488	623	302	416	801	428	589	276	364	874
चंडीगढ़	49	23	48	23	1	48	23	48	23	0	43	22	42	23	0	39
हिमाचल प्रदेश	422	319	385	245	131	465	297	372	251	139	411	263	356	219	99	424
जम्मू और कश्मीर	489	250	425	100	214	390	229	361	80	178	356	193	296	86	167	471
पंजाब	699	466	555	609	1	640	388	528	499	1	555	377	471	461	0	649
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35	27	61	0	1	40	37	68	0	9	35	42	65	1	11	33
आंध्र प्रदेश	1104	616	1113	405	202	1086	601	1077	414	196	1042	585	1061	385	181	1080
कर्नाटक	1294	776	1367	453	250	1262	766	1387	439	202	1218	777	1375	416	204	1196
केरल	654	422	798	224	54	541	416	706	207	44	528	390	673	214	31	615
लक्षद्वीप	25	13	3	0	35	15	19	0	0	34	29	22	0	0	51	21
पांडिचेरी	147	129	211	65	0	139	86	166	59	0	113	104	174	43	0	150
दिल्ली	98	59	116	43	8	95	51	100	41	5	90	50	97	39	4	101

कक्षा-IX				कक्षा-X					कक्षा-XI					कक्षा-XII				
बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
223	344	127	185	412	220	299	234	199	256	119	211	69	95	197	100	150	66	81
982	1743	684	561	1868	819	1615	659	413	1546	623	1387	536	246	1116	450	975	388	203
467	709	264	368	758	409	609	247	311	566	319	449	180	256	485	244	332	164	233
23	42	18	2	35	25	42	18	0	35	28	42	21	0	37	27	52	11	1
297	387	246	88	442	294	380	247	109	335	277	323	201	88	234	175	227	139	43
280	476	116	159	533	289	566	114	142	302	177	307	79	93	185	95	185	58	37
472	615	498	8	509	357	468	396	2	373	355	455	272	1	261	189	262	188	0
33	51	1	14	38	33	59	2	10	29	38	55	4	8	32	8	35	1	4
605	1109	395	181	1053	560	1090	359	164	597	328	587	238	100	474	235	433	198	78
713	1310	390	209	1212	744	1417	367	172	610	381	757	156	78	481	291	593	118	61
395	769	213	28	571	441	789	200	23	424	300	573	128	23	384	303	533	140	14
17	2	0	36	21	13	1	0	33	12	8	1	0	19	5	2	1	0	6
82	161	63	8	101	74	125	49	1	84	62	111	28	7	55	35	64	26	0
54	108	42	5	94	51	105	33	7	82	53	96	36	3	64	37	79	20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
हरियाणा	681	360	704	332	5	660	338	676	320	2	606	326	619	313	0	731
राजस्थान	1441	754	1264	530	401	1421	683	1214	517	373	1365	607	1146	491	335	1557
उत्तर प्रदेश	2647	1325	2575	1299	98	2679	1290	2581	1323	65	2663	1248	2560	1321	30	2768
उत्तरांचल	419	212	423	170	38	400	194	400	158	36	336	167	332	132	39	333
बिहार	1506	780	1725	484	77	1386	718	1572	443	89	1276	693	1468	429	72	1348
झारखंड	725	384	570	216	323	688	359	546	203	298	748	391	573	241	325	664
पश्चिम बंगाल	266	134	222	147	31	93	50	83	56	4	122	65	112	60	15	0
दादरा और नागर हवेली	21	12	10	1	22	13	7	10	0	10	14	12	9	3	14	23
दमन और दीव	34	35	59	9	1	32	46	69	6	3	37	38	73	1	1	56
गोवा	72	56	113	2	13	48	45	80	3	10	48	57	104	1	0	46
गुजरात	701	388	678	223	188	719	382	699	228	174	647	343	648	190	152	718
महाराष्ट्र	1302	780	1332	509	241	1247	716	1267	465	231	1167	701	1201	469	198	1267
अरुणाचल प्रदेश	297	197	39	25	430	238	172	34	11	365	203	144	52	8	287	236
असम	799	440	716	249	274	681	345	579	177	270	758	412	650	236	284	858
मणिपुर	397	214	229	90	292	356	202	219	78	261	346	215	215	65	281	394
मेघालय	209	180	30	8	351	143	87	27	12	191	152	119	21	9	241	127
मिजोरम	49	31	0	0	80	53	19	0	0	72	21	22	0	0	43	12
नागालैंड	102	104	7	1	198	101	74	3	2	170	62	66	1	0	127	78
सिक्किम	91	95	67	17	102	88	61	149	14	78	67	58	51	9	65	62
त्रिपुरा	64	48	36	34	42	91	53	55	37	52	127	68	63	57	75	153

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
338	711	339	19	570	290	590	267	3	531	289	590	230	0	307	204	351	159	1
650	1328	494	385	1392	514	1151	450	305	1399	466	1202	404	259	912	338	731	312	207
1212	2677	1242	61	2514	1074	2382	1181	25	1820	745	1753	793	19	1408	601	1372	633	4
156	330	133	26	268	117	271	87	27	247	113	237	109	14	153	90	173	58	12
697	1477	449	119	1276	605	1384	412	85	912	458	1108	232	30	690	388	822	217	39
317	527	192	262	596	314	456	163	291	360	189	300	85	164	265	162	224	73	130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11	4	18	16	7	11	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	80	15	3	50	28	73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	104	4	1	37	46	73	6	4	32	34	61	3	2	7	22	27	2	0
344	677	223	162	661	329	649	207	134	412	214	452	118	56	324	157	344	96	41
718	1281	492	212	1238	650	1232	498	158	737	328	694	281	90	518	213	503	164	64
145	55	5	321	195	158	65	3	285	107	60	45	3	119	70	44	22	11	81
455	697	222	394	790	411	626	194	381	439	234	410	86	177	391	235	330	101	195
246	274	76	290	306	223	199	55	275	287	157	158	44	242	171	129	116	30	154
108	34	18	183	111	108	28	8	183	57	27	17	2	65	54	47	10	4	87
14	0	0	26	20	16	0	0	36	14	10	0	0	24	7	3	0	0	10
58	2	2	132	60	49	0	0	109	25	15	0	0	40	7	9	0	0	16
66	67	7	54	62	71	48	13	72	76	29	37	2	66	16	25	16	0	25
74	70	59	98	133	48	50	48	83	67	25	35	24	33	54	27	30	22	29

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में राज्यवार, कक्षावार, श्रेणीवार (बालक, बालिका, सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) नामांकन की स्थिति

राज्य	कक्षा-VI					कक्षा-VII					कक्षा-VIII					
	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मध्य प्रदेश	1992	968	1713	699	548	1949	960	1689	710	510	1866	932	1613	676	509	1919
छत्तीसगढ़	424	232	334	127	195	406	204	290	128	192	396	204	285	126	189	416
उड़ीसा	872	502	643	306	425	823	450	605	290	378	754	393	566	237	344	808
हिमाचल प्रदेश	472	299	386	251	134	432	274	375	232	99	399	277	361	224	91	441
जम्मू और कश्मीर	405	235	374	93	173	371	199	309	89	172	398	248	390	92	164	544
पंजाब	656	405	536	524	1	595	392	498	489	0	558	384	464	477	1	597
चंडीगढ़	52	26	52	26	0	45	23	42	26	0	45	24	52	17	0	47
आंध्र प्रदेश	1122	613	1107	420	208	1087	606	1100	398	195	1012	593	1054	360	191	1100
कर्नाटक	1281	774	1405	438	212	1253	795	1404	432	212	1119	696	1261	379	175	1254
केरल	564	421	726	217	42	552	399	700	219	32	541	379	697	191	32	614
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	42	70	4	14	38	50	67	1	20	44	36	56	1	23	49
पांडिचेरी	140	95	172	63	0	129	111	184	56	0	113	78	129	62	0	129
लक्षद्वीप	21	19	0	0	40	34	22	0	0	56	17	16	3	0	30	21
हरियाणा	652	336	656	330	2	657	337	663	330	1	629	315	652	287	5	606
राजस्थान	1513	751	1336	551	377	1426	662	1225	528	335	1326	633	1124	491	344	1408

कक्षा-IX				कक्षा-X					कक्षा-XI					कक्षा-XII				
बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
853	1656	665	451	1873	736	1544	682	383	1162	497	1018	410	231	1032	429	884	352	225
222	306	132	200	396	191	309	106	172	231	114	162	75	108	193	88	147	59	75
425	655	250	328	425	341	473	205	88	466	251	346	156	215	462	219	319	146	216
294	376	239	120	462	350	390	288	134	242	179	226	151	44	254	162	240	143	24
305	563	118	168	416	264	385	113	182	184	93	173	61	43	196	99	180	46	43
382	558	412	9	540	285	535	296	0	355	188	267	182	0	181	185	203	150	13
23	43	27	0	42	30	51	21	0	38	27	52	12	1	28	13	22	18	1
589	1140	384	165	1072	559	1076	383	172	478	237	442	201	72	509	236	481	191	73
767	1417	413	191	1078	643	1262	330	129	512	309	627	132	62	505	312	592	147	78
437	790	232	29	548	390	714	202	22	391	302	540	137	16	416	302	579	122	17
49	63	2	23	42	45	69	2	16	31	9	35	1	4	25	23	48	0	2
90	155	62	2	117	54	128	42	1	57	36	66	27	0	66	36	81	21	0
14	0	0	35	26	14	1	0	39	5	2	0	0	7	8	5	2	0	11
301	588	295	24	576	302	610	267	1	353	197	407	143	0	296	181	309	147	1
560	1207	466	295	1429	505	1182	453	299	919	352	779	297	195	806	278	633	273	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
दिल्ली	106	54	108	45	7	91	53	101	38	5	86	50	92	39	5	100
उत्तर प्रदेश	2712	1345	2650	1337	70	2718	1284	2631	1344	27	2418	1179	2385	1186	26	2481
उत्तरांचल	423	212	434	166	35	357	177	370	126	38	308	142	317	108	25	293
बिहार	1393	718	1579	443	89	1329	712	1514	439	88	1278	670	1452	417	79	1367
झारखंड	662	375	523	201	313	762	401	573	247	343	627	314	465	183	293	570
पश्चिम बंगाल	95	50	85	56	4	126	68	119	60	15	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	1298	741	1310	493	236	1224	729	1267	483	209	1128	634	1164	407	191	1345
गुजरात	760	397	735	239	183	682	361	378	205	160	629	333	618	200	144	777
गोवा	52	48	86	4	10	51	59	109	1	0	43	54	94	3	0	38
दमन और दीव	33	48	72	6	3	38	40	73	3	2	4	30	64	7	1	95
दादरा और नागर हवेली	13	8	10	0	11	16	12	11	1	14	19	9	9	3	16	16
अरुणाचल प्रदेश	208	168	38	11	327	203	154	52	9	297	219	128	48	7	287	204
असम	665	357	563	179	280	775	428	683	234	285	811	455	680	246	340	727
मेघालय	157	100	32	12	213	135	97	22	5	205	109	105	14	6	194	120
मणिपुर	374	212	215	82	289	383	224	204	75	328	356	212	242	64	262	336
मिज़ोरम	54	24	0	0	78	25	23	0	0	48	6	11	0	0	17	25
नागालैंड	148	81	7	5	214	80	69	1	0	148	74	53	1	0	126	68
सिक्किम	92	58	58	15	77	77	61	61	13	64	62	74	55	12	69	108
त्रिपुरा	95	54	60	37	52	128	74	64	59	79	147	72	68	56	95	133

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
51	107	37	7	85	54	95	40	4	67	37	80	22	2	44	30	55	19	0
1102	2389	1143	51	2193	925	2074	1008	36	1448	605	1390	659	4	1281	513	1237	547	10
125	268	125	25	245	115	239	108	13	156	90	177	58	11	170	88	186	59	13
647	1439	456	119	1298	586	1413	397	74	719	412	882	224	45	770	444	957	224	33
304	430	161	283	458	228	335	121	230	288	154	247	67	128	363	189	292	85	175
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	1278	542	208	1262	660	1269	463	210	589	250	560	201	78	508	247	447	194	83
374	714	234	139	616	292	607	187	114	342	160	366	96	40	218	105	227	58	38
47	74	7	4	53	41	90	2	2	25	19	32	12	0	60	20	77	2	1
32	75	11	2	56	18	72	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12	1	13	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	77	6	265	191	120	73	4	234	93	59	57	2	80	63	45	15	1	81
427	613	188	353	605	281	534	128	224	413	244	335	97	225	422	229	293	126	232
123	48	20	175	107	72	21	3	155	42	39	10	4	67	78	55	4	0	129
210	222	67	257	344	199	180	59	304	204	126	140	31	159	222	118	175	30	135
20	0	0	45	36	32	0	0	68	5	4	0	0	9	14	11	0	0	25
61	33	7	89	77	56	1	0	132	7	10	0	0	17	16	7	1	0	22
43	78	16	57	82	30	64	3	45	11	28	23	4	12	31	28	26	4	29
52	60	47	78	80	35	47	24	44	40	24	22	16	26	36	24	20	20	20

विवरण-III

वर्ष 2003-04 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में राज्यवार, कक्षावार, श्रेणीवार (बालक, बालिका, सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) नामांकन की स्थिति

राज्य	कक्षा-VI					कक्षा-VII					कक्षा-VIII					
	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मध्य प्रदेश	1959	990	1730	721	498	1939	979	1689	705	524	1754	851	1518	663	424	1936
छत्तीसगढ़	400	215	294	120	201	392	205	290	112	195	392	219	291	123	197	398
उड़ीसा	862	463	676	305	344	792	404	634	243	319	716	387	592	241	270	668
हिमाचल प्रदेश	426	268	393	239	62	429	265	373	224	97	441	284	353	242	130	430
जम्मू और कश्मीर	389	209	329	94	175	434	254	425	95	168	487	290	535	99	143	436
पंजाब	628	395	505	518	0	602	403	507	497	1	514	322	439	396	1	551
चंडीगढ़	45	24	42	27	0	48	25	52	21	0	43	21	39	25	0	43
आंध्र प्रदेश	1119	609	1111	411	206	1059	607	1091	364	211	1032	555	1040	368	179	1136
कर्नाटक	1237	817	1408	440	206	1126	739	1285	401	179	1152	744	1336	382	178	1104
केरल	561	404	713	221	31	566	396	719	197	46	561	428	760	207	22	586
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34	57	56	19	16	53	48	48	25	28	46	49	46	20	29	55
पांडिचेरी	145	119	216	44	4	121	77	145	47	6	106	73	139	36	4	151
लक्षद्वीप	37	23	1	0	59	21	19	3	1	36	20	10	1	0	29	26
हरियाणा	675	341	667	340	9	682	338	689	325	6	512	264	524	239	13	561
राजस्थान	1497	695	1287	532	373	1432	692	1215	526	383	1227	525	1016	446	290	1489

कक्षा-IX				कक्षा-X					कक्षा-XI					कक्षा-XII				
बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	बालक	बालिका	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
781	1657	657	403	1460	622	1230	523	329	1042	424	876	353	237	1205	365	858	323	209
194	312	116	164	289	135	198	89	137	197	89	152	61	73	194	88	142	56	84
357	510	234	281	588	301	453	205	231	468	204	327	149	196	427	196	321	144	158
319	359	280	110	330	277	300	213	94	248	167	241	149	25	226	161	235	124	28
276	434	114	164	340	157	310	100	87	185	100	207	40	38	160	77	166	50	21
344	503	385	7	426	296	390	331	1	259	213	255	199	18	203	136	211	121	7
27	51	19	0	36	25	41	19	0	28	15	26	16	1	43	32	60	14	1
584	1127	402	191	897	473	920	307	143	528	238	484	204	78	438	227	431	176	58
679	1254	375	154	644	567	1026	259	126	521	326	623	150	74	455	251	508	141	57
386	711	227	34	490	385	657	199	19	422	302	580	125	19	405	261	516	128	22
47	57	20	25	26	47	33	19	21	10	8	15	3	0	12	16	20	8	0
90	191	45	5	85	47	103	28	1	85	51	116	17	3	68	31	77	19	3
14	1	0	39	13	8	1	1	19	8	5	2	0	11	11	6	0	0	17
278	563	261	15	397	216	431	182	0	296	159	317	136	2	300	172	320	152	0
542	1208	508	315	1140	435	937	382	256	839	291	677	286	167	782	226	589	253	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
दिल्ली	91	52	93	47	3	88	50	93	40	5	90	42	90	37	5	93
उत्तर प्रदेश	2812	1328	2729	1380	31	2529	1230	2480	1244	35	2335	1103	2251	1163	24	2234
उत्तरांचल	379	189	386	142	40	326	149	336	113	26	269	122	267	99	25	259
बिहार	1278	693	1472	429	70	1286	667	1451	424	78	1265	645	1428	415	67	133
झारखंड	771	409	602	245	333	635	331	502	190	274	571	315	440	168	278	475
पश्चिम बंगाल	129	69	119	57	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	1277	754	1306	514	211	1182	664	1218	429	199	1188	614	1149	475	178	1368
गुजरात	708	379	708	211	168	673	359	666	213	153	676	336	659	207	146	684
गोवा	56	60	115	1	0	46	58	101	3	0	22	23	45	0	0	60
दमन और दीव	37	38	73	1	1	41	25	59	7	0	48	26	71	3	0	41
दादरा और नागर हवेली	16	13	12	3	14	21	11	11	3	18	15	5	4	2	14	31
अरुणाचल प्रदेश	209	158	9	306	52	234	138	7	312	53	188	136	7	261	56	220
असम	819	425	241	303	700	832	464	238	371	687	744	375	191	347	581	598
मेघालय	156	124	5	254	21	112	102	4	189	21	105	102	5	182	20	108
मणिपुर	387	212	69	315	215	393	221	76	264	254	305	194	52	244	203	353
मिजोरम	28	33	0	61	0	7	14	0	21	0	15	16	0	31	0	38
नागालैंड	79	73	2	148	2	78	65	0	141	2	48	34	0	81	1	95
सिक्किम	81	59	13	59	68	66	81	13	63	71	65	60	16	52	57	64
त्रिपुरा	138	76	61	84	69	149	70	57	95	67	130	50	45	84	51	92

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
57	111	36	3	74	42	91	23	2	51	29	56	24	0	44	31	55	20	0
970	2124	1018	62	1801	812	1727	871	15	1278	516	1232	552	10	1113	461	1109	463	12
120	245	118	16	197	109	214	78	14	172	90	191	57	14	141	68	145	54	10
590	1398	417	108	1093	550	1228	348	67	823	454	1002	244	31	642	367	788	186	35
229	348	135	221	382	211	292	112	189	359	176	303	85	147	277	156	240	65	128
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	1337	503	236	1055	561	1033	398	185	570	281	530	215	106	386	171	350	158	49
314	646	218	134	426	223	443	125	81	190	99	209	56	24	145	81	162	52	22
45	101	2	2	19	29	46	2	0	32	29	59	2	0	25	17	40	2	0
23	54	8	2	28	23	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	31	5	2	7	8	5	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	4	274	66	196	106	9	250	43	78	65	4	108	31	53	31	2	64	18
281	131	239	509	463	239	115	182	405	383	201	95	219	270	285	150	53	134	248
56	4	141	19	71	50	3	97	21	72	50	0	118	4	77	44	1	101	19
198	62	296	193	228	157	37	178	170	198	119	39	139	139	128	90	17	113	88
39	0	77	0	14	8	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5	130	17	36	47	0	82	1	21	8	0	28	1	0	0	0	0	0
41	10	40	55	29	39	2	35	31	43	34	3	45	29	47	33	6	42	32
40	31	38	63	64	33	25	43	29	43	25	19	23	26	57	39	21	51	24

[हिन्दी]

विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं

3051. **श्री राकेश सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें अखिल भारतीय विद्यालय सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले अनेक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए 7वें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार दिनांक 30.9.2002 को संदर्भ तिथि मानते हुए देश के 65.12 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं थीं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले 95.83 प्रतिशत विद्यालयों, रसायन विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले 95.92 प्रतिशत विद्यालयों और जीव-विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले 95.09 प्रतिशत विद्यालयों में संबंधित विषयों की प्रयोगशाला सुविधाओं की व्यवस्था थी। सर्वेक्षण में कुछ स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपलब्ध न होने के कारणों संबंधी जानकारी एकत्र नहीं की गई है।

(ग) मुख्यत: यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है कि वे विज्ञान प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सहित विद्यालयों के अकादमिक स्तर में सुधार करने के लिए कार्यक्रम बनाएं। इस मंत्रालय की विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार संबंधी स्कीम थी जिसके तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तर में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इस स्कीम को दिनांक 1.4.2006 से राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

3052. **श्री अनिल बसु** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किन्हीं सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) एस ई जेड अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी/आई टी ई एस) के लिए अब तक 42 क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक जोन (एस ई जेड्स) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एस ई जेड अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित आई टी/आई टी ई एस एस ई जेड्स
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	चंडीगढ़	1
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	8
6.	केरल	3
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	3
9.	पंजाब	1
10.	तमिलनाडु	9
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	42

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास

3053. श्री पी. करुणाकरन :

श्री प्रशान्त प्रधान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रावासों की कुल संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे और छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पसंख्यक बालिकाओं को छात्रवृत्ति दिए जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लाभान्वित अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या सहित इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जहां तक राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियां दिए जाने का संबंध है, केंद्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विशेष रूप से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास उपलब्ध करवाने की कोई योजना नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय के अनुसार फिलहाल विशेष रूप से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोई योजनाएं मौजूद नहीं है।

(ग) अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन प्रतिभावान छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या			कुल
		2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	53	110	145	308
3.	असम	2	81	131	214
4.	बिहार	2	178	221	401
5.	चंडीगढ़	0	9	0	9
6.	छत्तीसगढ़	8	0	12	20
7.	गोवा	0	8	6	14
8.	गुजरात	0	505	77	582

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	8	5	0	13
10.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	4
11.	जम्मू और कश्मीर	0	319	34	353
12.	झारखंड	2	40	62	104
13.	कर्नाटक	31	137	838	1006
14.	केरल	80	150	159	389
15.	मध्य प्रदेश	17	70	64	151
16.	महाराष्ट्र	53	147	406.	606
17.	मणिपुर	11	11	12	34
18.	मेघालय	0	0	2	2
19.	मिजोरम	0	2	13	15
20.	नागालैंड	8	0	0	8
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	50	48	105
22.	उड़ीसा	12	30	13	55
23.	पंजाब	4	14	15	33
24.	राजस्थान	2	41	76	119
25.	तमिलनाडु	34	120	91	245
26.	त्रिपुरा	0	0	3	3
27.	उत्तर प्रदेश	174	452	727	1353
28.	उत्तरांचल	6	11	14	31
29.	पश्चिम बंगाल	116	291	398	805
	कुल	634	2781	3571	6986

स्रोत: मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय।

शिक्षा की गुणवत्ता

3054. श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के स्कूल में नामांकन में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए बालक-बालिकाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) गुणवत्ता के मुद्दे हमेशा से शिक्षा नीति के केंद्र-बिन्दु रहे हैं। सरकार का यह प्रयास रहा है कि सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में नियमित तथा सतत् सुधार सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का प्रावधान करती है जिसका निहितार्थ यह है कि एक निर्धारित स्तर तक सभी बच्चों को जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंग का भेद किए बिना तुलनात्मक गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। यह सभी स्तरों पर शिक्षा के मानकों में सुधार को भी प्राथमिकता देती है।

गुणवत्ता एवं समानता के सरोकारों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे कार्यकलापों में शामिल हैं—अवसंरचना विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति, पाठ्यक्रमों में समय-समय पर संशोधन, नए एवं उभरते हुए क्षेत्रों में विषयों की शुरुआत, मूल्य शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण एवं तैनाती, परीक्षा प्रणाली में सुधार, बालिकाओं के लिए पृथक स्कूल एवं छात्रावास, ट्यूशन एवं अन्य शुल्कों से छूट, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री, पोशाक, छात्रवृत्तियां, निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों के लिए शुल्क मुक्ति, उपयुक्त मामलों में प्रवेश आदि में आरक्षण जैसे प्रोत्साहन।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना को 6 से 14 वर्ष आयु-वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोग एवं संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह देश भर में गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा की मांग का परिणाम है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना नामांकन, उपस्थिति तथा अवधारण एवं कक्षा I से V में अध्ययनरत बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर प्रभाव डालती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल छात्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लिंगवार सूचना संग्रहित नहीं की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किए गए छात्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9081299	6361814	6700878
2.	अरुणाचल प्रदेश	177984	218905	218905
3.	असम	3387583	4795759	3525467
4.	बिहार	9791760	12638429	12858653

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	2828582	2888868	3104573
6.	गोवा	68489	67225	67686
7.	गुजरात	3017669	5132959	3548712
8.	हरियाणा	1627834	1645509	1612509
9.	हिमाचल प्रदेश	590351	577998	555378
10.	जम्मू और कश्मीर	831215	1028425	1093613
11.	झारखंड	3335485	4101554	4228353
12.	कर्नाटक	5126042	4962764	4653694
13.	केरल	2116354	1907000	2029411
14.	मध्य प्रदेश	7649784	8665342	8891737
15.	महाराष्ट्र	9665362	9779283	8147690
16.	मणिपुर	305695	295096	295096
17.	मेघालय	502573	597555	627596
18.	मिजोरम	95619	104300	86504
19.	नागालैंड	173598	173598	173598
20.	उड़ीसा	5151346	5156154	5002269
21.	पंजाब	1498697	1552404	1488412
22.	राजस्थान	7662192	10215570	7335359
23.	सिक्किम	83602	98000	102520
24.	तमिलनाडु	4305932	4152167	3909913
25.	त्रिपुरा	458020	525645	520610
26.	उत्तरांचल	811204	779596	779826
27.	उत्तर प्रदेश	16996916	18644467	14975702

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	10326600	10886311	9247449
	संघराज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35186	34517	34107
30.	चंडीगढ़	42366	56500	59993
31.	दादरा और नागर हवेली	30176	33454	32251
32.	दमन और दीव	15187	15300	13539
33.	दिल्ली	1078241	1238188	1116492
34.	लक्षद्वीप	0	0	10430
35.	पांडिचेरी	53221	50723	55200
	कुल	108922164	119381379	107104125

विशेष जरूरतों वाले बच्चे

3055. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार स्कूल जा रहे बच्चों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सी.डब्ल्यू.एस.एन. निःशक्त बच्चों को समान शिक्षा के अवसर कहां तक मुहैया करा पायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। 'सर्व शिक्षा अभियान' स्कीम के अंतर्गत विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता है। 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 30,38,038 विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान की गई थी। विद्यालयों में पता लगाए गए और नामांकित किए गए विशेष जरूरतों वाले बच्चों तथा इसके साथ ही विद्यालय में नामांकित बच्चों की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान में संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सहायता सामग्री तथा उपकरण प्रदान करने, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा के सभी पहलुओं में गैर-सरकार संगठनों की भागीदारी तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निर्बाध सुलभता का प्रावधान है। अब तक सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधानों का उपयोग करके 23 राज्यों में 6147 संसाधन शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, 77.19 प्रतिशत विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं तथा 4.44 लाख स्कूलों को निर्बाध बनाया गया है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पहचाने गए विशेष जरूरतों वाले बच्चे	स्कूलों में नामांकित विशेष जरूरतों वाले बच्चे	स्कूलों में नामांकित बच्चों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	138467	127851	92.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	6917	3000	43.37
3.	असम	106209	65959	62.10
4.	बिहार	182655	115706	63.35
5.	छत्तीसगढ़	26302	25199	95.81
6.	गोवा	2340	0	0.00
7.	गुजरात	77819	61224	78.67
8.	हरियाणा	27810	24346	87.54
9.	हिमाचल प्रदेश	26370	24217	91.84
10.	जम्मू और कश्मीर	34825	23080	66.27
11.	झारखंड	36376	24073	66.18
12.	कर्नाटक	129491	117401	90.66
13.	केरल	132193	130002	98.34
14.	मध्य प्रदेश	100929	85332	84.55
15.	महाराष्ट्र	1040325	345241	33.19
16.	मणिपुर	7411	4739	63.95
17.	मेघालय	9306	5653	60.75
18.	मिजोरम	4838	4033	83.36
19.	नागालैंड	4490	3160	70.38
20.	उड़ीसा	129659	113711	87.70

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	46320	24603	53.12
22.	राजस्थान	149093	145131	97.34
23.	सिक्किम	0	0	0.00
24.	तमिलनाडु	95913	94802	98.84
25.	त्रिपुरा	8546	3741	43.77
26.	उत्तर प्रदेश	351084	251536	71.65
27.	उत्तराखंड	12049	10510	87.23
28.	पश्चिम बंगाल	140699	116623	82.89
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	896	642	71.65
30.	चंडीगढ़	1500	1500	100.00
31.	दादरा और नगर हवेली	268	0	0.00
32.	दमन और दीव	110	73	66.36
33.	दिल्ली	4028	3128	77.66
34.	लक्षद्वीप	100	20	20.00
35.	पांडिचेरी	2700	2359	87.37
	कुल	3038038	1958595	64.47

चाय बागान

3056. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय चाय उत्पादकों ने सरकार की प्रस्तावित बागान योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग की समान वर्तमान राज सहायता में वृद्धि करने तथा चाय बागान को फिर से लगाने और इसका कायाकल्प करने हेतु अत्यधिक धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समूचे चाय क्षेत्र के पुनर्रोपण तथा नवीकरण के वित्त पोषण हेतु एस पी टी एफ (विशेष प्रयोजन चाय निधि) की स्थापना करने की घोषणा की है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार से

सब्सिडी 25 प्रतिशत होगी, मालिकों का अंशदान 25 प्रतिशत तथा एस पी टी एफ से ऋण 50 प्रतिशत होगा।

[हिन्दी]

शिक्षक विहीन विद्यालय

3057. श्री ब्रजेश पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) एवं राज्य सरकारों के सहयोग से देश में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है, जैसाकि दिनांक 6 मार्च, 2007 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके 30.9.2002 को संदर्भ तिथि मानते हुए सातवां अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण में शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताओं तथा प्रशिक्षण स्तर और उनकी उपलब्धता सहित स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इस सर्वेक्षण के अनंतिम आंकड़े प्रकाशित किये हैं।

(ग) और (घ) बेहतर शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् ने शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया है। शिक्षकों की नियुक्ति तथा आधारभूत सुविधाओं/अनुदेशात्मक आवश्यकताओं हेतु न्यूनतम अर्हताओं जैसे मानक तथा मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदों को वित्तीय सहायता

3058. श्री उदय सिंह :
श्रीमती प्रिया दत्त :
श्री ई. पोन्नुसामी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों को किसी वित्तीय सहायता की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयात-निर्यात के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एम डी ए) स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को कोडगत कार्यकलाप शुरू करने और प्रतिपूर्ति हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) स्कीम के अंतर्गत भी निर्यात संवर्धन परिषदों, अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों आदि को सहायता प्रदान की जाती है। ये स्कीमें वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान एम डी ए स्कीम के अंतर्गत लगभग 38.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और एम ए आई स्कीम के अंतर्गत लगभग 19.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग) और (घ) आर आई एस द्वारा वर्ष 2005 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान व्यापार से जुड़े कार्यकलापों में सृजित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारों का अनुमान निम्नानुसार है:-

2002-03	130.96 लाख
2003-04	133.92 लाख
2004-05 प्रस्तावित	159.72 लाख

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय

3059. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) वर्ष 2007-2008 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से जिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) विश्व बैंक ने कार्यक्रम की वर्तमान संरचना, दिशा-निर्देशों और कार्यान्वयन तंत्र को स्वीकार करते हुए एक सतत् कार्यक्रम के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान को वित्तपोषित किया था। विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता इस शर्त पर प्रतिपूर्ति आधार पर है, कि इन कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई केंद्र सरकार की निधियों का पहले उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक निधियां स्कूलों के समूह जैसे किसी विशिष्ट घटक के लिए उद्दिष्ट नहीं की गई हैं।

विश्व बैंक ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए वर्ष 2004-05 से 2006-07 के बीच 500 मिलियन यू.एस. डालर प्रदान किए थे। वर्ष 2006-07 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2.4 लाख स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम फिलहाल राजस्थान के 9 जिलों में ही चल रहे हैं। वर्ष 2001 से मार्च 2007 की अवधि तक विश्व बैंक के साथ 74.34 मिलियन यू.एस. डालर के निधियन का करार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 729 प्राथमिक स्कूल भवन संस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

लघु एवं मझौले उद्योग

3060. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री विजय कृष्ण :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित, संस्वीकृत तथा खर्च की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लघु एवं मझोले उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को ऋण तथा गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार को प्राप्त आवेदनों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है तथा आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे लंबित आवेदनों को शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास तथा संवर्धन की योजनाओं के संदर्भ में निधियों का आबंटन राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार न करके योजनावार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत उद्दिष्ट तथा खर्च की गई राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार सहित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रेडिट सुविधाओं पर गारंटी कवर प्रदान करने के लिए लघु उद्योगों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई) द्वारा प्राप्त/अनुमोदित आवेदन-पत्रों की राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है। सी जी टी एस आई द्वारा कोई पात्र आवेदन-पत्र रद्द नहीं किया गया है।

(घ) आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए योजना कार्य संचालन को कंप्यूटरीकृत किया गया है और बी 2 बी ई-बिजनेस संकल्पना अर्थात् दो अथवा इससे अधिक बिजनेस सहभागियों के बीच इंटरनेट के माध्यम से आयोजित बिजनेस टू बिजनेस कार्य संचालन का प्रयोग करके ऑन-लाइन बनाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान लघु उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के संबंध में बजट और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	ब.अ. 2003-04	सं.अ. 2003-04	व्यय अ. 2003-04	ब.अ. 2004-05	सं.अ. 2004-05	व्यय अ. 2004-05	ब.अ. 2005-06	सं.अ. 2005-06	व्यय अ. 2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	लघु उद्योगों का संवर्धन	11.02	10.33	8.29	10.98	10.94	8.92	11.31	11.31	9.72
II.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	9.27	9.09	8.69	10.43	10.41	10.39	11.20	9.94	9.70
III.	(1) प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास	3.88	5.47	4.76	6.34	6.34	4.84	6.76	6.58	6.09
	(2) ट्रेड स्कीम	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.26	0.50	0.50	0.43
IV.	अनुषंगी विकास के लिए उपसंविदा केन्द्र	1.90	0.95	1.24	1.00	1.00	0.81	1.10	1.10	1.03
V.	टूल रूम के लिए स्कीम	23.68	23.68	23.54	26.85	27.27	27.24	30.00	30.00	29.96
VI.	मार्किटिंग सहायता और ई पी स्कीम	2.00	2.10	1.75	2.32	2.32	2.02	2.32	2.32	2.46
VII.	क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र तथा फील्ड टेस्टिंग स्टेशन	4.55	3.55	2.68	3.55	3.55	2.40	4.05	4.05	2.54
VIII.	प्रौद्योगिकी उन्नयन	17.45	14.48	11.53	25.49	25.65	22.30	30.00	32.25	27.80
IX.	कैड/कैम केन्द्र चैन्नई	0.10	0.01	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
X.	एकीकृत बुनियादी संरचना विकास स्कीम	10.00	10.29	10.93	15.45	15.45	16.24	30.00	20.35	20.68
XI.	सांख्यिकी का संग्रहण	6.20	6.10	5.36	4.40	4.25	3.24	5.00	5.00	4.38
XII.	1. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए गारंटी स्कीम	192.00	207.34	207.34	196.29	196.29	196.29	200.00	200.00	205.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. माइक्रो वित्त प्रोग्राम	0.25	0.25	0.25	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.75
XIII.	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम	12.00	3.41	3.10	6.10	6.33	5.40	20.00	27.94	25.88
XIV.	लघु उद्योग मंत्रालय () मुख्य तथा एन एस आई सी स्कीम	51.69	48.94	45.34	50.45	49.85	43.85	51.57	52.57	51.63
	कुल	346.49	346.49	334.80	362.25	362.25	346.20	408.91	408.91	400.95

विवरण-II

लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या			
		2003-04	2004-05	2005-06	संचयी (28.2.07 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	0	1	23
2.	आंध्र प्रदेश	89	327	1371	5579
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	20	128
4.	असम	59	159	188	1853
5.	बिहार	172	89	186	2740
6.	चंडीगढ़	2	19	41	129
7.	छत्तीसगढ़	20	184	261	877
8.	दादरा एवं नागर हवेली	0	7	1	12
9.	दमन एवं दीव	3	3	2	20
10.	दिल्ली	22	48	83	283
11.	गोवा	4	16	41	157

1	2	3	4	5	6
12.	गुजरात	52	183	294	1392
13.	हरियाणा	40	214	409	1867
14.	हिमाचल प्रदेश	29	156	204	1026
15.	जम्मू एवं कश्मीर	6	293	185	803
16.	झारखंड	99	320	166	1392
17.	कर्नाटक	317	735	1349	4961
18.	केरल	566	2207	2851	11337
19.	मध्य प्रदेश	183	505	503	2957
20.	महाराष्ट्र	101	246	401	1544
21.	मणिपुर	28	1	36	101
22.	मेघालय	1	5	8	246
23.	मिजोरम	0	1	41	231
24.	नागालैंड	2	1	3	59
25.	उड़ीसा	185	363	427	3699
26.	पांडिचेरी	6	6	23	174
27.	पंजाब	57	248	247	1205
28.	राजस्थान	198	110	147	1992
29.	सिक्किम	2	19	7	59
30.	तमिलनाडु	311	869	1487	6773
31.	त्रिपुरा	0	9	34	123
32.	उत्तर प्रदेश	3874	1368	823	8868
33.	उत्तरांचल	8	19	23	175
34.	पश्चिम बंगाल	165	784	864	3932

चीन के साथ समझौता

3061. श्री ई. पोन्नुसामी :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन दोनों देशों के बीच मूल व्यापार समझौते करने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में संयुक्त अध्ययन समूह, जिसमें भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की पहल करने की ओर सकारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) क्या चीन के साथ व्यापार में कुछ कंपनियों का कोई सर्वेक्षण भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो भारत और चीन के बीच व्यापार में सुधार लाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जून, 2003 में बीजिंग की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर की गई घोषणा के अनुसरण में एक भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया था। संयुक्त अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि दोनों सरकार चीन-भारत व्यापार करार से संभव होने वाले लाभों और इसकी सहायता के ब्यौरे का अध्ययन करने तथा इसकी विषय-विस्तु के बारे में अपनी सिफारिश करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की नियुक्ति करें। संयुक्त कार्य बल की सिफारिशों के अनुसरण में एक संयुक्त कार्य बल गठित किया गया है। संयुक्त कार्य बल की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने कंपनियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, अर्थव्यवस्था/व्यापार के क्षेत्र में अनेक करार समझौता ज्ञापनों पर पिछले कुछेक वर्षों में भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

3062. श्री कैलाश मेघवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)/आई टी समर्थित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 'स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करने से संबंधित उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 'कंप्यूटर शिक्षा योजनाओं' के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यद्यपि यह स्कीम केवल देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को ही सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने तक सीमित नहीं है, तथापि इन क्षेत्रों में स्थित स्कूल भी राज्य सरकारों के माध्यम से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता अनुदान स्कीम कार्यान्वित करता है जिसके एक घटक के रूप में कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायोन्मुखी प्रशिक्षण देने संबंधी एक अन्य स्कीम के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण को भी एक ऐसा ट्रेड माना जाता है जिसमें व्यावसायोन्मुखी शिक्षा प्रदान की जाती है। यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

[हिन्दी]

व्यय की आपूर्ति

3063. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में विदेशियों के पंजीकरण के काम में लगे हुए कर्मचारियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई और उक्त प्रतिपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशियों के पंजीकरण के काम में लगे हुए कर्मचारियों पर वित्तीय वर्ष 2004-05 तक हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत किए थे और उक्त दावों की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

[अनुवाद]

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटन

3064. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी राशि निर्धारित, स्वीकृत और खर्च की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी):-** वर्ष 2003-04, 2004 05 और 2005-06 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से कार्यान्वित आर ई जी पी के अंतर्गत प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा-संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) **प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई):-** सब्सिडी का आबंटन तथा निधियों को जारी किया जाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों से सम्बधित है। सब्सिडी की राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) को सीधे जारी की जाती है, जो तत्पश्चात कार्यान्वयन बैंकों को अपेक्षित राशि जारी करता है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई सब्सिडी की राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	पी एम आर वाई के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रुपए)
2003-04	147.63
2004-05	190.48
2005-06	251.36

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पी एम आर वाई के अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई अनुदान राशियों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त की गई राशियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(iii) **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आई एस ई सी) योजना:-** ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आई एस ई सी) योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) द्वारा जारी किए गए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्रों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसकी वास्तविक उपयोगिता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III, IV और V में दिया गया है।

(iv) **उत्पाद विकास, डिजाईन हस्तक्षेप एवं पैकेजिंग (पी आर ओ डी आई पी) योजना:-** वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पी आर ओ डी आई पी योजना के अंतर्गत निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

(v) कॅयर क्षेत्र में आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के एक मुख्य भाग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभाज्य घटक नहीं है और इसलिए निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए कॅयर क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशियों तथा स्वीकृत एवं खर्च की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है।

विवरण-I

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आर ई जी पी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
I.	**उत्तरी क्षेत्र**			
1.	चंडीगढ़	10.24	21.45	3.63
2.	दिल्ली	12.31	8.09	16.66
3.	हरियाणा	1938.96	2142.25	1782.18
4.	हिमाचल प्रदेश	757.11	657.72	889.90
5.	जम्मू और कश्मीर	363.45	584.55	833.56
6.	पंजाब	819.03	1834.63	837.21
7.	राजस्थान	2890.28	2064.33	2679.91
II.	**पूर्वी क्षेत्र**			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.44	4.16	218.87
2.	बिहार	186.03	281.69	570.54
3.	झारखंड	198.08	320.60	351.12
4.	उड़ीसा	784.11	863.05	837.22
5.	पश्चिम बंगाल	1593.51	1999.62	2100.06
III.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	52.77	66.03	126.54
2.	असम	806.83	1277.42	2719.99
3.	मणिपुर	41.19	73.66	43.85

1	2	3	4	5
4.	मेघालय	121.79	196.03	234.14
5.	मिजोरम	61.10	257.48	995.54
6.	नागालैंड	117.20	204.46	286.22
7.	त्रिपुरा	224.02	214.14	289.95
8.	सिक्किम	127.67	165.78	139.54
IV.	दक्षिण क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	1675.40	3394.19	3627.58
2.	कर्नाटक	1692.17	1063.83	1697.66
3.	केरल	2753.15	1027.95	1603.41
4.	लक्षद्वीप	7.42	0.00	16.39
5.	पांडिचेरी	11.38	9.05	12.66
6.	तमिलनाडु	1362.17	1147.28	1217.13
V.	पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गोवा	82.99	88.90	103.68
2.	गुजरात	130.34	530.55	883.08
3.	महाराष्ट्र	877.38	1439.17	1596.48
VI.	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	छत्तीसगढ़	1098.00	1000.91	1152.87
2.	मध्य प्रदेश	1355.07	2125.71	1114.33
3.	उत्तरांचल	979.70	578.63	617.86
4.	उत्तर प्रदेश	3415.18	3596.64	2495.99
	कुल जोड़	26574.46	29239.95	32095.75

विवरण-II

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पी एम आर वाई के अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई एवं प्रयुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
		जारी निधियां	प्रयुक्त निधियां	जारी निधियां	प्रयुक्त निधियां	जारी निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	191.44	176.16	293.34	187.81	176.72	एन.आर
2.	असम	58.97	67.13	100.71	87.44	77.80	एन.आर
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.47	4.08	5.39	3.54	4.54	5.83
4.	बिहार	101.54	32.71	19.87	एन.आर	0.00	एन.आर
5.	छत्तीसगढ़	36.08	26.34	50.84	30.52	41.02	एन.आर
6.	दिल्ली	0.00	एन.आर	0.00	एन.आर	0.00	एन.आर
7.	गोवा	0.00	1.43	0.00	एन.आर	0.00	0.12
8.	गुजरात	20.27	40.06	53.07	29.21	13.38	28.90
9.	हरियाणा	68.99	45.15	74.20	41.78	45.64	60.04
10.	हिमाचल प्रदेश	19.48	13.34	5.12	14.06	15.03	10.67
11.	जम्मू एवं कश्मीर	13.16	एन.आर	0.00	एन.आर	11.71	0.00
12.	झारखंड	0.00	23.19	34.56	17.03	0.06	33.28
13.	कर्नाटक	148.93	105.36	173.19	163.16	124.08	139.09
14.	केरल	112.21	130.20	175.75	165.13	176.63	211.27
15.	मध्य प्रदेश	149.32	152.58	265.38	164.66	226.32	114.15
16.	महाराष्ट्र	191.31	124.99	173.92	145.05	128.04	101.52

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर	5.57	3.81	4.55	8.82	1.23	4.01
18.	मेघालय	7.10	8.54	8.29	9.58	8.22	10.61
19.	मिजोरम	3.61	2.00	3.24	एन.आर	8.22	एन.आर
20.	नागालैंड	1.00	7.76	17.12	13.44	22.03	एन.आर
21.	उड़ीसा	91.34	95.89	147.50	111.35	135.46	134.26
22.	पंजाब	78.18	45.37	81.45	20.17	55.67	एन.आर
23.	राजस्थान	106.01	87.71	104.30	103.41	109.97	126.83
24.	तमिलनाडु	147.94	104.50	136.75	128.27	155.27	159.27
25.	त्रिपुरा	18.23	21.96	21.24	19.20	22.70	20.44
26.	उत्तर प्रदेश	402.53	433.40	644.91	359.17	422.85	446.25
27.	उत्तरांचल	25.83	52.92	92.76	52.58	64.16	एन.आर
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	21.67	19.12	20.27	29.10	30.82
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.06	0.14	2.51	0.33	0.56	0.82
30.	चंडीगढ़	0.47	एन.आर	1.02	1.17	3.98	1.43
31.	दमन एवं दीव	0.04	एन.आर	0.03	एन.आर	0.03	एन.आर
32.	दादरा एवं नागर हवेली	0.15	एन.आर	0.20	एन.आर	0.19	एन.आर
33.	लक्षद्वीप	0.12	एन.आर	0.14	एन.आर	0.05	एन.आर
34.	पांडिचेरी	5.37	3.38	4.74	2.08	0.57	2.22
35.	सिक्किम	0.48	0.38	0.25	0.29	0.89	0.46
	जोड़	2010.20	1832.13	2715.43	1899.50	2082.12	1642.28

*अनुमानित तौर पर स्थापित इकाइयों का लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों में है।

विवरण-III

वर्ष 2003-04 के दौरान जारी की गई आई एस ई सी तथा उनकी वास्तविक उपयोगिता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई एस ई सी			वास्तविक उपयोग		
		खादी	ग्रामोद्योग	जोड़	खादी	ग्रामोद्योग	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04
2.	दिल्ली	1.39	0.03	1.42	0.35	0.03	0.38
3.	हरियाणा	17.27	1.10	18.37	13.88	0.31	14.19
4.	हिमाचल प्रदेश	7.22	26.95	34.17	6.96	21.91	28.87
5.	जम्मू एवं कश्मीर	3.33	0.03	3.36	3.33	0.00	3.33
6.	पंजाब	14.09	0.07	14.16	10.98	0.07	11.05
7.	राजस्थान	27.82	5.91	33.73	22.2	0.66	22.86
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0	0.00	0
9.	बिहार	11.08	0.05	11.13	11.08	0.05	11.13
10.	झारखंड	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72
11.	उड़ीसा	3.93	0.22	4.15	2.43	0.06	2.49
12.	पश्चिम बंगाल	16.92	0.38	17.30	9.15	0.09	9.24
13.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0	0.00	0
14.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
15.	मणिपुर	0	0.00	0	0	0.00	0
16.	मेघालय	0	0.00	0	0	0.00	0
17.	मिजोरम	0	0.00	0	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	नागालैंड	0	0.00	0	0	0.00	0
19.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0	0.00	0
20.	सिक्किम	0	0.00	0	0	0.00	0
21.	आंध्र प्रदेश	6.27	0.71	6.98	1.98	0.06	2.04
22.	कर्नाटक	4.27	11.28	15.55	3.19	10.15	13.34
23.	केरल	18.52	1.26	19.78	6.27	1.26	7.53
24.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	0.00	0
25.	पांडिचेरी	0.14	0.02	0.16	0.14	0.00	0.14
26.	तमिलनाडु	71.00	4.65	75.65	32.6	2.72	35.32
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0	0	0.00	0
28.	दमन एवं दीव	0	0.00	0	0	0.00	0
29.	गोवा	0	0.00	0	0	0.00	0
30.	गुजरात	37.34	9.04	46.38	35.91	6.88	42.79
31.	महाराष्ट्र	9.92	11.41	21.33	8.45	7.40	15.85
32.	छत्तीसगढ़	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22
33.	मध्य प्रदेश	25.71	0.58	26.29	24.01	0.58	24.59
34.	उत्तरांचल	4.81	0.17	4.98	4.81	0.17	4.98
35.	उत्तर प्रदेश	97.91	24.81	122.72	92.91	11.52	104.43
	केवीआईसी की विभागीय इकाइयां	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15
	जोड़	387.09	98.67	485.76	298.78	63.92	362.70

टिप्पणी: ग्रामोद्योग (उदाहरणार्थ पोलि वस्त्र मदें)

विवरण-IV

वर्ष 2004-05 के दौरान जारी की गई आई एस ई सी तथा उनकी वास्तविक उपयोगिता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई एस ई सी			वास्तविक उपयोग		
		खादी	ग्रामोद्योग	जोड़	खादी	ग्रामोद्योग	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दिल्ली	0.54	0.11	0.65	0.35	0.03	0.38
3.	हरियाणा	17.10	1.74	18.84	7.05	0.00	7.05
4.	हिमाचल प्रदेश	8.62	0.04	8.66	7.03	0.00	7.03
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1.51	0.03	1.54	1.00	0.03	1.03
6.	पंजाब	11.11	0.05	11.16	9.89	0.81	10.70
7.	राजस्थान	24.62	0.11	24.73	11.76	0.08	11.84
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	बिहार	9.97	0.74	10.71	3.73	0.05	3.78
10.	झारखंड	5.15	0.14	5.29	1.39	0.04	1.43
11.	उड़ीसा	1.54	0.31	1.85	1.24	0.25	1.49
12.	पश्चिम बंगाल	15.44	0.34	15.78	8.00	0.09	8.09
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	आंध्र प्रदेश	4.62	0.54	5.16	2.13	0.06	2.19
22.	कर्नाटक	3.24	0.26	3.50	2.13	0.07	2.20
23.	केरल	19.85	1.09	20.94	6.04	0.03	6.07
24.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पांडिचेरी	0.19	0.02	0.21	0.04	0.00	0.04
26.	तमिलनाडु	52.66	8.55	61.21	38.41	4.62	43.03
27.	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	गुजरात	49.32	10.97	60.29	32.73	6.28	39.01
31.	महाराष्ट्र	2.29	8.82	11.11	0.71	8.70	9.41
32.	छत्तीसगढ़	2.23	0.12	2.35	0.10	0.00	0.10
33.	मध्य प्रदेश	25.71	0.58	26.29	24.01	0.58	24.59
34.	उत्तरांचल	7.31	0.19	7.5	2.79	0.00	2.79
35.	उत्तर प्रदेश	106.06	23.55	129.61	77.38	10.54	87.92
	केवीआईसी की विभागीय इकाइयां	19.28	0.00	19.28	8.28	0.00	8.28
	जोड़	388.38	58.30	446.68	246.21	32.26	278.47

विवरण-V

वर्ष 2005-06 के दौरान जारी की गई आई एस ई सी तथा उनकी वास्तविक उपयोगिता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई एस ई सी		जोड़	उपयोग		जोड़
		खादी	ग्रामोद्योग		खादी	ग्रामोद्योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दिल्ली	1.07	0.15	1.22	0.21	0.11	0.32
3.	हरियाणा	8.82	0.40	9.22	3.80	0.29	4.09
4.	हिमाचल प्रदेश	6.96	0.18	7.14	6.03	0.17	6.20
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2.03	0.03	2.06	1.19	0.03	1.22
6.	पंजाब	10.69	0.06	10.75	9.34	0.00	9.34
7.	राजस्थान	20.62	0.20	20.82	15.15	0.20	15.35
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	बिहार	6.79	0.29	7.08	3.85	0.05	3.90
	झारखंड	5.15	0.14	5.29	1.39	0.04	1.43
10.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	पश्चिम बंगाल	14.27	0.29	14.56	8.21	0.09	8.30
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	आंध्र प्रदेश	4.74	0.56	5.30	2.16	0.04	2.20
21.	कर्नाटक	3.66	0.41	4.07	1.66	0.09	1.75
22.	केरल	16.09	1.12	17.21	6.39	0.00	6.39
23.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	पांडिचेरी	0.19	0.02	0.21	0.04	0.00	0.04
25.	तमिलनाडु	52.72	6.42	59.14	39.34	3.94	43.28
26.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	गुजरात	41.61	10.97	52.58	34.59	9.10	43.69
28.	महाराष्ट्र	1.82	8.84	10.66	0.80	8.75	9.55
	छत्तीसगढ़	1.86	0.11	1.97	0.20	0.00	0.20
29.	मध्य प्रदेश	10.04	2.11	12.15	2.92	0.22	3.14
	उत्तरांचल	5.92	0.15	6.07	2.61	0.00	2.61
30.	उत्तर प्रदेश	90.98	6.88	97.86	56.86	1.79	58.65
	विभागीय इकाइयां	11.56	0.00	11.56	11.56	0.00	11.56
	जोड़	317.61	39.33	356.94	208.32	24.91	233.23

टिप्पणी: ग्रामोद्योग (उदाहरणार्थ पोलि वस्त्र मदें)

विवरण-VI

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पी आर ओ डी आई पी योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	11.25	9.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	2.00	2.00
3.	असम	7.51	5.00	8.00
4.	बिहार	5.00	7.50	5.64
5.	छत्तीसगढ़	3.50	4.75	4.15
6.	गोवा	0.00	1.50	0.00
7.	गुजरात	7.16	7.50	7.19
8.	हरियाणा	3.00	3.75	4.50
9.	हिमाचल प्रदेश	3.00	3.75	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2.50	3.00	0.00
11.	झारखंड	3.00	3.75	0.75
12.	कर्नाटक	5.35	11.25	13.50
13.	केरल	20.39	5.75	6.72
14.	मध्य प्रदेश	4.00	7.50	4.50
15.	महाराष्ट्र	5.00	3.75	3.75
16.	मणिपुर	2.00	2.00	2.00
17.	मेघालय	0.00	2.00	2.00
18.	मिजोरम	2.00	2.00	2.00
19.	नागालैंड	2.00	2.00	2.00
20.	उड़ीसा	5.52	3.75	0.00
21.	पंजाब	2.72	3.75	3.38
22.	राजस्थान	6.50	11.25	8.25
23.	सिक्किम	0.00	2.00	1.00
24.	तमिलनाडु	10.74	18.74	10.45
25.	त्रिपुरा	0.00	2.00	1.00

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	12.84	18.29	30.25
27.	उत्तरांचल	3.00	3.75	2.25
28.	पश्चिम बंगाल	12.18	7.50	5.14
29.	दिल्ली	3.59	3.00	2.25
	जोड़	142.00	164.03	141.67

विवरण-VII

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान कॉयर बोर्ड की विभिन्न आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित, स्वीकृत एवं खर्च की गई राशियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपया)

योजना का नाम	2003-04			2004-05			2005-06		
	उद्दीष्ट	स्वीकृत राशि	चार्ज की गई राशि	उद्दीष्ट	स्वीकृत राशि	चार्ज की गई राशि	उद्दीष्ट	स्वीकृत राशि	चार्ज की गई राशि
आयोजनागत—(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	5.00	4.25	5.53	5.00	5.00	5.62	5.50	5.50	5.50
आयोजनागत—(सामान्य)									
प्रशिक्षण, विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार महिला कॉयर योजना एवं कल्याण उपाय	0.95	0.95	1.71	1.05	2.25	2.58	2.00	11.00	10.70
घरेलू बाजार संवर्धन*	5.50	5.20	5.25	4.84	6.14	5.96	5.50	10.00	12.15
निर्यात बाजार संवर्धन	2.00	1.25	0.77	2.20	1.00	0.83	2.00	2.00	1.97
व्यापार सूचना सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	2.15	1.80	1.22	2.37	1.20	1.13	3.00	3.00	2.48
उत्पादन आधारिक संरचना का विकास	1.30	1.20	1.24	1.43	1.30	1.21	3.50	3.50	2.59
आर्थिक बाजार अनुसंधान	0.10	0.10	0.00	0.11	0.11	0.08	0.50	0.50	0.03
सहयोगीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	1.00	1.00	0.83	1.00	1.00	0.00	1.00	0.01	—
जोड़	18.200	15.75	16.55	18.00	18.00	17.41	23.00	35.51	35.42

*पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन सहित।

[हिन्दी]

अर्ध सैनिक बलों में बढ़ोत्तरी

3065. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा को खतरे के कारण अर्धसैनिक बलों की बटालियन की संख्या बढ़ाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार राज्यों को इण्डिया रिजर्व बटालियन गठित करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की बढ़ती हुई मांग से संबंधित मामले के प्रति पूरी तरह से सचेत है और इसने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त बटालियनें गठित की हैं।

(ग) और (घ) इंडिया रिजर्व बटालियनें समय-समय पर विभिन्न राज्यों के लिए मंजूर की जाती रही हैं। अब तक राज्यों के लिए 104 इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति

3066. श्री एम. अप्पादुरई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति बालक/बालिका स्कूल फीस की कितनी राशि प्रतिपूर्ति की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान राशि के मानदण्डों की समीक्षा करने का है क्योंकि निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस अत्यधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने बालक/अपनी बालिका के लिये देय और वास्तव में भुगतान की गई शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमाओं तक की जा सकती है:-

(क)	कक्षा I से X	40 रु. प्रति माह प्रति विद्यार्थी
(ख)	कक्षा XI से XII	50 रु. प्रति माह प्रति विद्यार्थी
(ग)	शारीरिक रूप से विकलांग और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिये कक्षा I से XII	100 रु. प्रति माह प्रति विद्यार्थी

कक्षा IX से XII में विज्ञान विषयों की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से यदि 'विज्ञान शुल्क' अलग से लिया जाता है तो शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अधिकतम 10 रु. प्रति माह की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) से (घ) कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि इस समय शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के मानदंडों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों जो कि पूरे देश में कुल विद्यालयों के लगभग 85 प्रतिशत हैं, में विद्यार्थियों के लिये विद्यालय शुल्क बहुत ही कम है।

केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत एक अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करना

3067. श्री कैलाश मेघवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा VI से VIII तक संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कक्षा IX और X में छात्र अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में से कोई दो भाषाएं ले सकते हैं। कक्षा XI और XII के छात्रों को अंग्रेजी/ हिंदी/ संस्कृत में से एक भाषा को कोर भाषा के रूप में लेना होता है।

(ग) और (घ) जी, हां। केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा VI से X में अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ाने का प्रावधान है बशर्ते कि किसी एक कक्षा के 20 अथवा अधिक छात्र उस भाषा को लें। कक्षा X परिक्षा में एक क्षेत्रीय भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लेने का विकल्प छात्र के पास उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 20 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त छठे विषय का अध्ययन करने का प्रावधान किया गया है और यह विषय भाषा हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इन प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहु-भाषायी और बहु-सांस्कृतिक संदर्भ में विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

3068. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम किसानों से कपास खरीदने में सफल नहीं रहा है जिसकी वजह से कपास की कीमत में तीव्र गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कॉटन फेडरेशन ने इस संबंध में कोई मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) जी, नहीं। जब कभी कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुंच जाती हैं तो भारत सरकार के एक प्रमुख एजेंसी के रूप में भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाता है। सीसीआई, कपास गांठों के प्रसंस्करण एवं भंडारण के लिए क्रमशः बाजार यार्ड में कपास की आवक एवं जिनिंग तथा प्रैसिंग और भंडागार आदि जैसी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों में खरीद केंद्र खोलता है। सुदूर क्षेत्रों के कपास किसानों की सहायता के लिए सीसीआई सैटेलाइट केंद्र भी चलाता है और प्रसंस्करण स्थल तक कपास की ढुलाई की व्यवस्था भी करता है। सीसीआई, एमएसपी अभियान के तहत कपास की पर्याप्त मात्रा में खरीद करने में सक्षम है, इसने अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। सरकार के उपायों से कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हुए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सरकारी कपास उत्पादक विपणन संघ ने भारत सरकार की ओर से एक एजेंट के रूप में महाराष्ट्र राज्य में एमएसपी अभियान चलाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया गया था कि वे महाराष्ट्र में एमएसपी अभियान चलाने के लिए कृषि मंत्रालय के माध्यम से सीधे ही नैफेड से सम्पर्क करें।

[अनुवाद]

पुलिस सुधार हेतु निधियां

3069. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलिस सुधार हेतु निधियों के आवंटन के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सभी राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन किया जाता है जोकि सरकार द्वारा शुरू किए गए समग्र पुलिस सुधारों का एक हिस्सा है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत पुलिस कार्मिकों के आवास, पुलिस संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने, राज्य पुलिस बलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। स्कीम में सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण, विभिन्न रैंकों के लिए पर्याप्त आवास हेतु प्रावधान, अपेक्षित गतिशीलता, आधुनिक हथियार, संचार और निगरानी उपकरण, अच्छे विधि-विज्ञान सेट अप, कम्प्यूटरों, सुरक्षा उपकरणों आदि के साथ पुलिस स्टेशनों को सुसज्जित करके पुलिस आधारभूत ढांचे के विभिन्न स्तरों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा जारी केन्द्रीय धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2003-04 जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	2004-05 जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	2005-06 जारी की गई केन्द्रीय धनराशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	69.46	79.93	101.41
अरुणाचल प्रदेश	7.24	9.13	7
असम	36.52	41.37	56.68
बिहार	0.43	45.25	39.87
छत्तीसगढ़	17.47	32.72	40.74
गोवा	1.4	0.28	1.06
गुजरात	42.21	39.54	39.85
हरियाणा	20	22.13	14.95
हिमाचल प्रदेश	0.69	2.57	6.78
जम्मू और कश्मीर	25	110.89	109.22
झारखंड	8.5	22.33	40.74
कर्नाटक	69.31	58.87	65.85
केरल	22	26.55	18.84
मध्य प्रदेश	48.24	42.27	31.65

1	2	3	4
महाराष्ट्र	62.84	71	88.78
मणिपुर	11.5	15.24	16.97
मेघालय	5.29	7.58	6.57
मिजोरम	8.47	7.45	6
नागालैंड	21	13.09	17.52
उड़ीसा	21.91	27.76	35.08
पंजाब	19.34	21.79	20.31
राजस्थान	43.1	42.67	34.81
सिक्किम	0.94	5.9	2.43
तमिलनाडु	54.98	56.78	65.51
त्रिपुरा	12.83	11.17	11.83
उत्तर प्रदेश	65.02	108.55	98.12
उत्तराखंड	7.41	7.99	16.76
पश्चिम बंगाल	2.17	29.2	29.67
कुल	705.27	960.00	1025.00

[हिन्दी]

विशेष सशस्त्र बलों पर व्यय

3070. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य राज्यों में तैनात किए मध्य प्रदेश के विशेष सशस्त्र बलों पर खर्च किए गए 11.42 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जो अभी केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है तथा उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) मई 1985 से अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान असम में विशेष सशस्त्र बल के कार्मिकों की तैनाती किए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का 10,24,17,439/- रुपए की राशि का दावा बकाया है। असम सरकार द्वारा इस राशि का आगे भुगतान किया जाना, असम सरकार को दी गई केन्द्रीय योजना सहायता का समायोजन करके मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही जारी की गई 22.16 करोड़ रुपए की राशि का समाधान किए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण शिक्षा प्रकोष्ठ

3071. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, ग्रामीण विद्यालयों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं का पता लगाने तथा इन विद्यालयों के समग्र कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए एक ग्रामीण शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने का है जैसाकि 9 मार्च, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ग्रामीण शिक्षा प्रकोष्ठ को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ग्रामीण स्कूलों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए ग्रामीण शिक्षा सैल गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सैल को गठित करने की समय-सीमा के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कारागारों में कैद महिलाएं

3072. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपने अवयस्क बच्चों के साथ कारागारों में कैद महिलाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन महिला कैदियों के अवयस्क बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 31.12.2005 तक 1333 महिला कैदियों के साथ उनके बच्चे जेल में बंद हैं। राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रवृष्टि के अनुसार कारागार राज्य का विषय है, इसलिए कैदियों और कारागारों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जेलों में अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए दिशानिर्देश नियत किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने इन दिशा निर्देशों का अनुपालन किए जाने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। इन दिशा निर्देशों में बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण, पोषक खुराक, अच्छी चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त कपड़े, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। तीन वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिशु गृह में और 3-6 वर्ष के बच्चों को नर्सरी में रखा जाना अपेक्षित होता है। राज्य विधिक सेवा के प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे यह मानीटर करने के लिए कारागारों का आवधिक निरीक्षण करें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कारागारों में पूरी-पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को लिखा है।

विवरण

31.12.2005 की स्थिति के अनुसार जेलों में अपने बच्चों के साथ बंद महिला कैदियों की संख्या*

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बच्चों सहित महिला कैदियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	24
4.	बिहार	32
5.	छत्तीसगढ़	48
6.	गोवा	1

1	2	3
7.	गुजरात	22
8.	हरियाणा	46
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	6
11.	झारखण्ड	162
12.	कर्नाटक	34
13.	केरल	8
14.	मध्य प्रदेश	121
15.	महाराष्ट्र	136
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	50
21.	पंजाब	94
22.	राजस्थान	41
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	75
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	246
27.	उत्तरांचल	3
28.	पश्चिम बंगाल	77
	कुल (राज्य)	1294
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा व नगर हवेली	0
32.	दमन व दीव	0
33.	दिल्ली	38
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पाण्डिचेरी	
	कुल (संघ शासित)	39
	कुल (समस्त भारत)	1333

*आंकड़े अनंतिम है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं मेरे वरिष्ठ साथी श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुमोदनों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी 6046/07]

(2) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी 6047/07]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र) की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी 6048/07]

(3) गृह मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी 6049/07]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खान मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6050/07]

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमैंट एंड डिजाइन सैंटर, नागपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमैंट एंड डिजाइन सैंटर, नागपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 6051/07]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं, मेरे वरिष्ठ साथी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6052/07]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6054/07]

(2) लघु उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6055/07]

(3) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6056/07]

(4) लघु उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6057/07]

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6058/07]

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6059/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 6060/07]

(3) (एक) कांडला डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 6061/07]

(5) पोत परिवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6062/07]

(6). पोत परिवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6063/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री वायालार रवि की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 6064/07]

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6065/07]

(3) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 1205(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और थाईलैंड जाने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 के प्रचालन के छूट दी गई है।

(दो) उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2004 जो 26 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2006 जो 6 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ. 289(अ) जो 7 मार्च 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा थाईलैंड जाने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 के प्रचालन से दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है।

(पांच) का.आ. 856(अ) जो 6 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित उत्प्रवासी महासंरक्षी को कतिपय शक्तियां सौंपी गई हैं।

(छह) का.आ. 2161(अ) जो 28 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित देशों में जाने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 के प्रचालन से छूट दी गई है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 6066/07]

(5) नागरिकता अधिनियम, 1995 की धारा 7ख की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 12(अ) जो 6 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उसमें उल्लिखित अधिकारों को प्राप्त करने का हक होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6067/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं, मेरे वरिष्ठ साथी श्री कमलनाथ की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6068/07]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6069/07]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6070/07]

(2) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6071/07]

(3) पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6072/07]

(4) पंचायती राज मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6073/07]

(5) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6074/07]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6077/07]

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6078/07]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6079/07]

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6080/07]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6081/07]

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6082/07]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6083/07]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6084/07]

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6085/07]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 6086/07]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6087/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) दसवी, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेहरवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

दसवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या बावन दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6088/07]

(दो) विवरण संख्या पैंतालीस चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6089/07]

(तीन) विवरण संख्या तैंतीस ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6090/07]

(चार) विवरण संख्या पैंतीस तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6091/07]

(पांच) विवरण संख्या सत्ताइस पंद्रहवा सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6092/07]

ग्यारहवीं लोक सभा

(छह) विवरण संख्या तैंतीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6093/07]

(सात) विवरण संख्या छत्तीस चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6094/07]

बारहवीं लोक सभा

(आठ) विवरण संख्या अड़तीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6095/07]

तेरहवीं लोक सभा

(नौ) विवरण संख्या सैंतीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6096/07]

(दस) विवरण संख्या अड़तीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6097/07]

(ग्यारह) विवरण संख्या बत्तीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6098/07]

(बारह) विवरण संख्या इकतीस पाचवां सत्र,

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6099/07]

(तेरह) विवरण संख्या इकतालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6100/07]

(चौदह) विवरण संख्या उनतालीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6101/07]

(पंद्रह) विवरण संख्या चौबीस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6102/07]

(सोलह) विवरण संख्या इक्कीस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6103/07]

(सत्रह) विवरण संख्या उन्नीस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6104/07]

(अठारह) विवरण संख्या सत्रह बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6105/07]

(उन्नीस) विवरण संख्या चौदह तेहरवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6106/07]

(बीस) विवरण संख्या तेरह चौदहवां सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6107/07]

चौदहवीं लोक सभा

(इक्कीस) विवरण संख्या ग्यारह दसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6108/07]

(बाईस) विवरण संख्या नौ तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6109/07]

(तेईस) विवरण संख्या सात चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6110/07]

(चौबीस) विवरण संख्या छह पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6111/07]

(पच्चीस) विवरण संख्या चार छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6112/07]

(छब्बीस) विवरण संख्या चार सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6113/07]

(सत्ताईस) विवरण संख्या दो आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6114/07]

(अट्ठाइस) विवरण संख्या एक नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6115/07]

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6116/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6117/07]

(3) (एक) गुजरात काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6118/07]

(5) (एक) महिला समाख्या, उत्तरांचल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या, उत्तरांचल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6119/07]

(7) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6120/07]

(9) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6121/07]

(11) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता संबंधी सन्नियम और प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 11 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 49-4/2006-एनसीटीई (एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता संबंधी सन्नियम और प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 49-4/2006-एनसीटीई (एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुआ था।

(12) उपर्युक्त (11) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6122/07]

(13) विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6123/07]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6124/07]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6125/07]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6126/07]

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6127/07]

(7) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6128/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-2007 की तीसरी तिमाही के दौरान बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूख की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6129/07]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6131/07]

(2) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6132/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6133/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6134/07]

(3) (एक) कैश्यु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैश्यु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6135/07]

(5) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कउंसिल एण्ड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कउंसिल एण्ड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एण्ड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्यक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6136/07]

(7) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6137/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6138/07]

(3) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6139/07]

(5) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6121/07]

(7) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6140/07]

(9) (एक) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6141/07]

(11) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6142/07]

(12) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6143/07]

अपराह्न 12.06 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक, 2007 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 19 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(iv) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 19 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 मार्च 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.07 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं स्वास्थ्य बीमा-एक समानान्तर अध्ययन के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07¼ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : मैं "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा रोजगार के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई" के बारे में शहरी विकास मंत्रालय में संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07¾ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

तेईसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं, कृषि संबंधी स्थायी समिति

[श्री अनिल बसु]

के निर्म्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन;

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन;

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ चौबीसवां और एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 124वें और 125वें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08¾ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

एक सौ दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं 'केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 110वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

श्री मणी कुमार सुब्बा, संसद सदस्य की नागरिकता से संबंधित मुद्दा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस सभा के एक माननीय सदस्य अर्थात् श्री एम.के. सुब्बा की नागरिकता से संबंधित मुद्दा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा सभा में 7 और 8 मार्च, 2007 को उठाया गया था। प्रो. मल्होत्रा के अनुरोध के अनुसार, मैंने 9 मार्च, 2007 को लोक सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उस बैठक में मैंने प्रो. मल्होत्रा से अनुरोध किया था कि वह इस मामले से संबंधित उनके पास उपलब्ध जानकारी मुझे दें। उससे पहले, उनके अनुरोध पर मैंने अपने कक्ष में श्री एम.के. सुब्बा द्वारा रखी गई बातें भी सुनी थी तथा उनसे कहा था कि वह सभा में प्रो. मल्होत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें और उनके पास उपलब्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करें।

मुझे 9 मार्च, 2007 को विभिन्न दस्तावेजों की फोटो प्रतियों सहित श्री सुब्बा का एक पत्र प्राप्त हुआ। मुझे 12 मार्च, 2007 को प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का भी एक पत्र प्राप्त हुआ। प्रो. मल्होत्रा ने अपने पत्र के साथ 6 मार्च, 2007 को सीएनएन-आईबीएन टीवी चैनल पर प्रसारित एक समाचार की प्रतिलिपि संलग्न की थी। समाचार का मुख्य सार यह था कि श्री एम.के. सुब्बा भारतीय नागरिक नहीं हैं।

श्री एम.के. सुब्बा ने अपने द्वारा दिए गए दस्तावेजों की सहायता से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वह भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने इसी मुद्दे पर सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में दिए गए निर्णय का उल्लेख भी किया था। श्री सुब्बा ने मुझसे यह अनुरोध भी किया है कि उन्हें इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक निजी स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाए।

मैंने इस मामले में विभिन्न दलों के माननीय नेताओं के विचारों को जानने के लिए 14 मार्च, 2007 को उनके साथ बैठक भी की।

इस मामले में अंतर्निहित दो प्रश्न इस प्रकार हैं—(1) क्या श्री एम.के. सुब्बा भारत के नागरिक हैं या नहीं, और (दो) क्या वह इस सभा का सदस्य होने के लिए निरर्ह हैं? इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर न्यायालयों द्वारा पहले प्रश्न के निर्धारण पर निर्भर करता है। मुझे बताया गया है कि श्री सुब्बा की नागरिकता का मामला वर्तमान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।

श्री सुब्बा की निरर्हता का प्रश्न, जो न्यायालय द्वारा उनकी नागरिकता के मामले के निर्णय के बाद ही उठ सकता है, जो मुझे एक सीमित मुद्दा प्रतीत होता है, यह है कि क्या अध्यक्ष, लोक सभा अथवा लोक सभा भी इस मामले में विचार करने या कोई निर्णय लेने में सक्षम है।

संविधान के अनुच्छेद 102 में अन्य बातों के साथ-साथ संसद के किसी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हता का इस आधार पर यह उपबंध है कि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न इस आधार पर उठता है कि वह भारत का नागरिक नहीं है, "तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।" अनुच्छेद 103 में यह उपबंध भी है कि "ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

संविधान के सुस्पष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, मेरी तथा विभिन्न दलों के नेताओं जिनके साथ मैंने 14 मार्च, 2007 को चर्चा की थी, की राय है कि न तो अध्यक्ष लोक सभा और न ही यह सभा इस मामले में कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

7 और 8 मार्च, 2007 को जब इस मामले को सभा में उठाया गया, तो उस समय लोक सभा के दस सदस्यों, जिन पर सभा में प्रश्नों को उठाने के लिए धन लेने का कथित आरोप था, के विरूद्ध मामले का उल्लेख किया गया था। उस मामले के साथ समानता स्थापित करते हुए यह मांग की गई कि इन मामलों को भी सभा की एक समिति को जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए सौंप दिया जाए जैसा कि दस सदस्यों के मामले में किया गया था।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दो मामलों के बीच समानता स्थापित करना उपयुक्त नहीं होगा। पूर्ववर्ती मामला जो 'कैश फार क्वैरी (प्रश्न के लिए पैसा)' के रूप में जाना जाता है, वह उक्त दस सदस्यों के संसदीय आचरण से संबंधित है। उक्त सदस्यों के विरूद्ध यह शिकायत थी कि उनका आचरण किसी संसद सदस्य के लिए शोभनीय नहीं था। अतः यह समझा गया कि यदि मामले की जांच किसी समिति

द्वारा की जाए जिसमें सभा के सभी वर्गों के सदस्य हों तो ऐसा करना उचित और उपयुक्त होगा। मैंने समिति गठित करने का निर्णय लिया और लोक सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने के पश्चात् समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर सभा के माननीय नेता द्वारा सदस्यों के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया गया जिसे सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्तमान मामले में श्री सुब्बा के विरूद्ध लगाए गए आरोपों का उनके संसदीय कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है। मेरी राय में, इस मामले की जांच के लिए सभा को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

इसको ध्यान में रखते हुए, मैं यह महसूस करता हूं कि इस मामले में सभा या पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अपराह्न 12.14 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

बजट सत्र के द्वितीय भाग का पुनः समय निर्धारण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को सूचित करना है कि संसदीय कार्य मंत्री से एक सुझाव मिला है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर विभिन्न दलों के नेताओं से इस आशय के अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि बजट सत्र के दूसरे भाग की बैठकों की तिथियां पुनर्निर्धारित की जाएं। 13 मार्च, 2007 को आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई जिसमें इस बात पर सहमति जतायी गयी कि बजट सत्र के दूसरे भाग का पुनर्निर्धारण किया जाए तथा वह बुधवार 18 अप्रैल, 2007, जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था, के स्थान पर अब गुरुवार 26 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होगा और 22 मई 2007 को समाप्त होगा।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अपराह्न 12.15 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं आपकी जानकारी के लिए पिछले सप्ताह में सभा द्वारा किए गए मुख्य कार्यों को संक्षेप में दोहराऊंगा।

गृहीत किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से मौखिक रूप से केवल 16 का उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 1,006 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप हमें बोलने भी नहीं देंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बिना सुने कैसे बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपके विषय के बारे में नहीं है।

[अनुवाद]

आप जानते हैं कि हर मंगलवार मैं वक्तव्य देता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय मैंने भी एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं अपनी बात पूरी करने के बाद आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को घोषणा करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। कृपया बैठ जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस अवधि के दौरान प्रश्नकाल के बाद और सभा के स्थगित होने से पहले 55 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए थे। साथ ही नियम 377 के अंतर्गत 66 मामले उठाए गए थे।

वित्तीय कार्य के संबंध में सभा ने बजट (सामान्य) 2007-2008, लेखा अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2007-2008 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 2006-2007 पर 17 घंटे और 30 मिनट संयुक्त चर्चा की। इससे पहले लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य) तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)को सम्बधित विनियोग विधेयकों के साथ पारित किया गया।

विधायी कार्य के संबंध में सभा में हो-हल्ले के कारण बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक 2007 तथा राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक 2007 को बिना चर्चा किए पारित कर दिया गया।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में सभा ने 15 दिसम्बर, 2006 को श्री नवीन जिन्दल द्वारा "देश से भुखमरी के पूर्णतः उन्मूलन के उद्देश्य वाली एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना बनाने और उसे लागू करने" के संबंध में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा शुरू की। यह वाद-विवाद 1 घंटा 51 मिनट तक चला और पूरा नहीं हो पाया।

इस अवधि के दौरान स्थायी समितियों द्वारा छः प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे।

पिछले सप्ताह के दौरान व्यवधानों तथा जबरदस्ती स्थगन के कारण 10 घंटे और 31 मिनट का समय बर्बाद हुआ। तथापि सभा आवश्यक कार्य निपटाने के लिए 4 घंटे और 51 मिनट देर तक चली।

इन 4 घंटे और 51 मिनट में से 1 घंटे और 31 मिनट का समय सभा के सामान्य कार्य के खत्म होने के बाद उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को दिया गया।

माननीय सदस्यों, कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) ग्रामीण विकास मंत्रालय की दसवीं योजनावधि की उपलब्धियां

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 36 मंत्री द्वारा वक्तव्य पर विचार करेंगे।

आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की दसवीं योजना की उपलब्धियों से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

*ग्रामीण विकास मंत्रालय में तीन विभाग अर्थात्, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग हैं। इस मंत्रालय का अधिदेश ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी का उपशमन करना, ग्रामीण आधारभूत सुविधा का विकास करना तथा ग्रामीण निर्धनों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है।

उपर्युक्त अधिदेश के अनुसरण, में, हमारा प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा है। मंत्रालय के लिए दसवीं योजना (2002-07) में 76,774 करोड़ रु. के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था, तथापि, पंचवर्षीय योजनावधि के कार्यों के दौरान मंत्रालय के लिए अनुमोदित वर्ष-वार संशोधित परिव्यय 114276.02 करोड़ रु. है जो 10वीं योजना के लिए वास्तव में अनुमानित परिव्यय से लगभग 48.8% अधिक है। इसके अलावा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 161.75 लाख मी. टन

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6167/07

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

खाद्यान्न का भी उपयोग किया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित परिव्यय के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	अनुमोदित संशोधित परिव्यय (करोड़ रु. में)
2002-03	18376.00
2003-04	19200.00
2004-05	18216.40
2005-06	27490.00
2006-07	30993.62
कुल	114276.02

ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की कार्यनीति के रूप में, मंत्रालय देशभर में योजनावधि के दौरान, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। तथापि, मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए, वर्ष 2004-05 में देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) भी शुरू किया गया था। 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य किसी एक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्रत्येक परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं, 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण परिवारों को जीविकोपार्जन संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। इन अधिसूचित जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) में मिला दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान, देश के अन्य 130 जिलों में एनआरईजीए को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत 28.2.2007 की स्थिति के अनुसार हुई वास्तविक उपलब्धियों में एसजीआरवाई के अंतर्गत शुरू किए गए 69.19 लाख अलग-अलग प्रकार के कार्यों का समापन शामिल है जिसके फलस्वरूप रोजगार के 355.48 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुए हैं जिसमें से 55.2% श्रमदिवस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और 25.7% श्रमदिवस महिलाओं के लिए थे। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, जिसे 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था, 6 लाख कार्यों पर रोजगार के 64 करोड़ श्रमदिवस सृजित करते हुए 1.66 करोड़ परिवारों को रोजगार दिए गए हैं। कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की प्रतिशतता क्रमशः 62% और 40% थी।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्व-रोजगार कार्यक्रम का दृष्टिकोण ग्रामीण निर्धनों द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने से पहले उन्हें स्व-सहायता समूहों में संगठित करना है। योजनावधि (28.2.2007 तक) के दौरान, 15.10 लाख स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 2.86 लाख स्व-सहायता समूहों ने आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए थे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 46.91 लाख स्वरोजगारियों (एसएचजी और व्यक्ति दोनों) को सहायता दी गई है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में से 46.5% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं और इनमें 54.14% महिलाएं थीं। स्वरोजगारियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का विपणन मंत्रालय की मुख्य चिंताओं में से एक है। विपणन आधारभूत सुविधा के विकास के लिए राज्यों को सहायता मुहैया कराने के अलावा, मंत्रालय ने स्वरोजगारियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सहित 63 'सरस' मेलों का आयोजन भी किया है।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान 68.85 लाख मकानों का निर्माण/उन्नयन पहले ही किया जा चुका है तथा लगभग 6 लाख मकान निर्माणाधीन हैं और उनके मार्च, 2007 तक पूरे हो जाने का अनुमान है। यह बताना भी उचित होगा

f क

75.3% मकान महिलाओं के नाम अथवा पति व पत्नी के नाम संयुक्त रूप से आबंटित किए गए थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कार्यों की संख्या 61.5% थी। मंत्रालय ने बीपीएल सूची में बीपीएल परिवारों की रैंकिंग के आधार पर राज्यों द्वारा स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने की पहलकदमी शुरू की है। यह सूची ग्राम पंचायत मुख्यालयों की दीवार पर पेंट की जानी चाहिए ताकि आईएवाई के आबंटन के लिए एक परिवार के चयन में पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है सभी संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क के जरिए संपर्क उपलब्ध कराना। फरवरी, 2007 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

216950 कि.मी. की लम्बाई वाले कुल 62895 सड़क कार्यों के लिए कुल 42582.19 करोड़ रु. की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। अब तक 111579.91 कि.मी. लम्बाई वाले 36874 सड़क कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) नामक तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10वीं योजना के दौरान, 62.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 13640 डीपीएपी परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना अवधि के दौरान 45.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 9034 डीडीपी परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया है। आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत, 10वीं योजना के दौरान 68.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 1369 परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत इस योजना अवधि के दौरान 3.12 लाख बसावटों तथा 2.05 लाख विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, देश के 569 जिलों को कवर किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार, केवल 22% ग्रामीण बसावटों में स्वच्छता सुविधाएं थीं जो अब बढ़कर 40% हो गई हैं। मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक अनेकांगी निगरानी प्रणाली बनाई है जिसमें फील्ड निरीक्षण, प्रगति पर आन लाइन डाटा एन्ट्री तथा स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट भेजना शामिल है। पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किए गए हैं। वर्ष 2005 में, 40 ग्राम पंचायतों तथा 2006 में 770 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2007 के लिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए 9703 ग्राम पंचायतों, 120 ब्लाकों तथा 2 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 28 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, 10वीं योजना अवधि के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

(i)	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण (बीपीएल)	293.12 लाख
(ii)	विद्यालय शौचालय	3.24 लाख
(iii)	महिला स्वच्छता परिसर (संख्या)	9421
(iv)	बालवाड़ी शौचालय (संख्या)	99825

अपराह्न 12.18 बजे

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने 25 फरवरी, 2005 को संसद को सम्बोधित अपने भाषण में ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रमुख योजना की घोषणा की थी जिसे अब चार वर्षों अर्थात् 2005-2009 की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली 'भारत निर्माण' नामक व्यावसायिक योजना के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत निर्माण के छह घटकों में से तीन घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को कार्यान्वित कर रहा है। हालांकि उपर्युक्त तीन घटकों की कार्यसूची के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, फिर भी भारत निर्माण के अंतर्गत विशेष पैकेज से कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। मैं इस महान सदन को इन तीनों घटकों के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति के बारे में बताना चाहूंगा।

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण सड़क संपर्कता को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था। ''भारत निर्माण'' के ग्रामीण सड़क घटक का लक्ष्य 1000 तथा इससे अधिक की आबादी (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500) वाली सभी बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। तदनुसार, 66802 बसावटों को थ्रूरूटों के माध्यम से 1.94 लाख कि.मी. लंबी सड़कों की मरम्मत करने के अलावा 1.46 लाख किमी. लम्बाई वाली नई सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। भारत निर्माण के पहले दो वर्षों के दौरान प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों से यह पता चला है कि 10303 बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, 32590 कि.मी. लम्बाई वाली नई सड़कें बन चुकी हैं तथा 36341 कि-

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा
संख्या एल.टी. 6168/07

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

लम्बाई वाले थ्रू-रूटों का उन्नयन हो चुका है तथा इस पर 2005-06 के दौरान 4219.98 करोड़ रु. और 2006-07 के दौरान 5376.28 करोड़ रु. खर्च हुए हैं। ग्रामीण सड़कों के लिए बजट 2007-08 में 11000 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने निर्माण कार्य की उचित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बनाई है। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य-स्थलों पर लगाए गए जन सूचना बोर्डों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, कार्यक्रम के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए आन-लाइन प्रबंधन निगरानी लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) तथा तकनीकी लेखा-परीक्षा प्रणालियां भी बनाई हैं।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण आवास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के वित्तीय संसाधनों में केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी 75:25 के आधार पर है। 1985 में इसकी शुरूआत से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए 1.54 करोड़ से अधिक आवासीय इकाईयां बनाई गई हैं।

भारत-निर्माण के ग्रामीण आवास घटक के अंतर्गत चार वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है। यह पैकेज देश में आवासहीनता को कम करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण आधारभूत सुविधा आधार को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए बनाया गया है। 2005-06 के दौरान 14.4 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 15.5 लाख मकान बनाए गए थे जिसपर 3654 करोड़ रु. खर्च हुए थे। जबकि 2006-07 के दौरान 15.3 लाख के लक्ष्य की तुलना में यह बताया गया है कि 9.14 लाख से भी अधिक मकान बन चुके हैं जिसपर 2672 करोड़ रु. खर्च हुए हैं तथा यह भी बताया गया है कि लगभग 9 लाख इकाइयां और बन रही हैं। इस प्रकार, विगत दो वर्षों के दौरान भारत निर्माण के अंतर्गत 24 लाख से भी अधिक मकान बन चुके हैं।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत निर्माण के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत कवर न की गई 55067 बसावटों को 2009 तक स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ऐसी सभी बसावटों जो स्रोतों के खराब हो जाने के कारण पूर्ण कवरेज से आंशिक रूप से कवर की गई श्रेणी में आ गई, तथा ऐसी बसावटों जहां जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं, को भी कवर करने का प्रस्ताव है। भारत निर्माण पैकेज के अंतर्गत 2005-06 तथा 2006-07 (नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार) के दौरान अब तक 163539 बसावटों और 112965 विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया गया है।

2005-06 के दौरान कवर की गई 97215 बसावटों में 1536 कवर न की गई (एनसी) बसावटें, 11585 आंशिक रूप से कवर (पीसी) बसावटें, 79544 निचली श्रेणी में आ गई बसावटें तथा 4550 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें शामिल हैं। 2006-07 के दौरान अब तक कवर की गई 66324 बसावटों में 400 कवर न की गई (एनसी) बसावटें, 5171 आंशिक रूप से कवर (पीसी) की गई बसावटें, 57939 निचली श्रेणी में आ गई बसावटें तथा 2814 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें शामिल हैं। 2005-06 के दौरान कवर किए गए विद्यालयों की संख्या 72464 थी, जबकि 2006-07 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 40501 विद्यालयों को कवर कर लिए जाने की सूचना मिली है। स्वजलधारा तथा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता तथा मानिटरिंग कार्यक्रम पेयजल आपूर्ति योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में निवेश से ग्रामीण भारत में प्रगति की क्षमता बढ़ेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण सड़क संपर्क, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लक्ष्यों को निर्धारित समय के भीतर हासिल करके भारत निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.19 बजे

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान के अधीन गारंटीकृत और

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 में दिनांक 20.3.2007 को प्रकाशित।

मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.20 बजे

(दो) सूक्ष्म वित्तीय सेक्टर (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकीकृत वित्तीय सेवाओं तक विशेष रूप से स्त्रियों और जनता के कतिपय असुविधाग्रस्त वर्गों तक सार्वत्रिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त सेक्टर के संवर्धन, विकास और क्रमिक वृद्धि के लिए और उससे ऐसे क्षेत्रों की समृद्धि को सुनिश्चित करने तथा ऐसे सूक्ष्म वित्त संगठनों के विनियमन के लिए जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विनियमित नहीं किए जा रहे हैं तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि एकीकृत वित्तीय सेवाओं तक विशेष रूप से स्त्रियों और जनता के कतिपय असुविधाग्रस्त वर्गों तक सार्वत्रिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त सेक्टर के संवर्धन, विकास और क्रमिक वृद्धि के लिए और उससे ऐसे क्षेत्रों की समृद्धि को सुनिश्चित करने तथा ऐसे सूक्ष्म वित्त संगठनों के विनियमन के लिए जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विनियमित नहीं किए जा रहे हैं तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने भी नोटिस दिया है। परंतु इस विषय पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपना निर्णय पहले ही दे चुके हैं। मैं सहमत हूं या नहीं इस सच्चाई के अतिरिक्त वह विनिर्णय बना रहेगा। इस विनिर्णय में संशोधन का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए, मुझे खेद है कि स्थगन प्रस्ताव के ये नोटिस गृहित नहीं किए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैंने विशेष आर्थिक क्षेत्र के किए जबर्दस्ती भूमि अधिग्रहण के कार्यान्वयन के बारे में नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* यह कैसे है?...*(व्यवधान)* मैंने कल नोटिस नहीं दिया था। आज, मैंने नोटिस दिया है। अतः माननीय अपाध्यक्ष महोदय द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 में दिनांक 20.3.2007 को प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विपक्ष के माननीय नेता की बात सुनने दीजिए लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह ग्राह्य नहीं है। मैं किसी को मना नहीं करना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस आज ही दिया है। जहां तक मुझे याद आता है तो उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कोई औपचारिक विनिर्णय भी नहीं दिया गया था परंतु यदि कोई दिया गया था तो संभव है कि वह इसी विषय से संबंधित हो, और वह आज नहीं कल दिया गया था। मैने जो नोटिस दिया है वह इस बारे में है कि हम चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही को पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम आपरेशन को रोकने में भारत सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए स्थगित किया जाए जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसानों पर क्रूरतापूर्वक बल प्रयोग की छूट दी गई थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपने राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में क्या किया है? जब उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर विनिर्णय दिया है तो इन्हें अनुमति कैसे दी जा सकती है?...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह ठीक-ठीक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संभव है, परंतु यह मामला राज्य के विषय से संबंधित है। यह केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए अलग प्रकार से हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप उचित तर्कों पर हमेशा ध्यान देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं और मैंने यह बात कही थी। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मार्क्सवाद ने पश्चिम बंगाल में स्वयं ही अपनी पोल खोल दी है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था नहीं है और छत्तीसगढ़ में लोगों की हत्या की जा रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं निर्णय करूंगां लेकिन मैं आपकी बात सुनलूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जो कुछ राजस्थान और अन्य राज्यों में हुआ मुझे उनसे संबंधित मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ..*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दिन के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

(एक) तमिलनाडु के पिछड़े जिलों को बढ़ावा देने के लिए एक विकास परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : तमिलनाडु के पिछड़े जिलों मदुरै, डिंडीगुल, रामनाथ पुरम, पुदुक्कोट्टै, सावगंगई, तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी के संवर्धन हेतु एक विकास परिषद का गठन किया जाए।

(दो) गुजरात में मेहसाणा और वीरमगांव के बीच अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलों की बढ़ती मांग के कारण मेहसाणा वीरमगांव रेल लाईन को

*सभा पटल पर रखे माने गए।

मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित किया गया है। जब मीटर गेज रेलवे लाइन चलती थी तो इस पर छः रेल सेवाएं चलती थीं, परन्तु जब से इसको ब्राड गेज लाइन में बदला गया है तब से एक ही रेल सेवा चालू है वह भी एक पैसेंजर सेवा। इस पर मैं अनेकों पत्र लिख चुका हूं और हर बार रेलवे अधिकारी कहते हैं कि इस रेलवे खंड में यात्री नहीं हैं। इसकी जांच रेलवे बोर्ड से कराया जाना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रेलवे प्रखंड पर रेलवे सेवा शुरू नहीं करने के बारे में समीक्षा की जाये और महसाणा से वीरमगांव तक ब्राड गेज रेलवे लाईन पर कम से कम छः रेल सेवाएं पहले की तरह चलाई जायें और इन रेल सेवाओं को दूसरे राज्यों की रेल सेवा से जोड़ा जाये।

(तीन) गुजरात में बनासकांठा के पालनपुर रेलवे के प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 पर शेड का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के बनासकांठा के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर आदर्श स्टेशन के अंतर्गत निर्माण किया गया है और सुविधाएं भी दी गई हैं परन्तु प्लेटफार्म एक, दो एवं तीन पर जो शेड हैं, वह बहुत ही छोटे हैं और आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम हैं जिसके कारण यात्रियों को सर्दी, गर्मी बरसात के मौसम में कई दिक्कत उठानी पड़ती हैं और उनका सामान भीग जाता है। इन प्लेटफार्म के शेडों को लम्बा और बड़ा किये जाने हेतु कई वर्षों से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक इन शेडों का निर्माण नहीं किया गया है। यहां के लोगों का कहना है कि पालनपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं भी आदर्श स्टेशन के तहत नहीं दी गई हैं। इसकी जांच करना भी आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक, दो एवं तीन पर शेडों को मांग के अनुरूप बनाया जाए।

(चार) असम के धुबरी जिले के सोनाहाट में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी) : वर्ष 2001 में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार ने इस संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर असम के धुबरी जिले के सोनाहाट में एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोला जाएगा। बांग्लादेश असम से कोयले, बोल्डर आदि को आयात करेगा। परंतु यह घोषणा छह महीनों के बाद भी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

धुबरी विशेषकर गोलकगंज वास्तविक नियंत्रण रेखा के लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमेटी के बैन तले वर्ष 2004 से तत्काल इस बाजार को खोलने की मांग कर रहे हैं। सोनाहाट के लोग इसके लिए अपेक्षित 10 एकड़ भूमि देने के लिए सहमत हो गए हैं। इस बाजार के खुलने के बाद हजारों गरीब और बेरोजगार लोगों को आजीविका के साधन प्राप्त हो जाएंगे।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बाजार को यथाशीघ्र खोला जाएगा।

(पांच) कर्नाटक के किसानों और रील कर्मियों के हितों का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक के रेशम उद्योग मंत्री ने दिनांक 21.02.2007 के अपने पत्र के द्वारा केंद्रीय वस्त्र मंत्री का केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 की ओर ध्यान आकर्षित किया था जिस पर राज्य में स्टेकहोल्डर्स की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। केंद्र ने यह आश्वासन दिया था कि कर्नाटक के हितों की रक्षा की जाएगी। भारत के वस्त्र राज्य मंत्री ने दिनांक 11.01.2007 को बंगलौर में सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई थी और मंत्री जी को राज्य की चिंताओं से अवगत कराया गया था?

स्टेक होल्डर्स ने मौजूदा प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया था और वे अधिनियम में संशोधन के चलते लागू की जाने वाली प्रणाली पर आशंकित हैं। यह अधिनियम उन लाखों किसानों का उल्लेख करता है जिनमें से अधिकांशतः छोटे सीमांत किसान कर्मकार, रील कर्मकार और अल्पसंख्यक समुदाय तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के कर्मकार हैं।

राज्य सरकार ने डीलरों को प्री-कोकून सेक्टर में व्यापार करने की अनुमति देने के विचार को छोड़ने और किसानों, बीज उत्पादकों और रील कर्मकारों को संभावित शोषण से बचाने की सलाह दी थी।

चूंकि यह मामला केंद्र के पास लंबित है इसलिए मैं केंद्र से आग्रह करता हूं कि वह किसानों की सहायता करने के लिए कृपया तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

(छह) अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के मूल नाम में संशोधन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियों में अधिकतम संख्या अरुणाचल प्रदेश में हैं जहां 26 प्रमुख जनजातियां और कई छोटी जनजातियां हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई जनजातियों के नामों की वर्तनी अशुद्ध थी अथवा गलत तरीके से लिखा गया था। कुछ नाम अपमानजनक और स्थानीय लोगों के लिए अज्ञात हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने शुद्धि हेतु मूल नामों की सिफारिश की है जो अब भी लम्बित है। मांगों में सर्वाधिक प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनजाति का नाम ''दातला'' जो अपमानजनक है को हटा कर ''न्यीशी'' किया जाना।

इसी प्रकार भारत का संविधान, अनुसूचित जनजाति (आदेश) 1951 के उपबन्धों के अंतर्गत राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार 'गालोंग' के स्थान पर 'गालो' शब्द लिया जाना चाहिए और मोन्या साजोलांग और बुगुन जैसे नए शब्द अन्तर्ष्टि किए जाने चाहिए।

मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों की लम्बे समय से लम्बित उचित मांग को पूरा करे।

(सात) मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने तथा डा. सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, डा. सर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय का यह हीरक जयंती वर्ष है। विश्वविद्यालय ही हीरक जयंती के कार्यक्रम में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति भी हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं इस बात का उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय को ही सबसे पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त होना चाहिए। यह विश्वविद्यालय कई दृष्टियों से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आज प्रदेश में जितने भी फार्मेसी कालेज हैं, सभी में टीचर सागर यूनिवर्सिटी के ही हैं। मध्य प्रदेश के शैक्षणिक जगत में भू-गर्भशास्त्र, अपराधशास्त्र एवं फार्मेसी की उच्च शिक्षा के लिए आज भी इसी विश्वविद्यालय को प्राथमिकता दी जाती है। डा. सर हरी सिंह गौर का सपना था इसे केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के समान बनाने का। इसे बनाने में उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी थी। मध्य प्रदेश में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि डा. सर हरीसिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित करने के साथ ही विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनवाने का सहयोग करें।

(आठ) उड़ीसा के जिला मुख्यालयों में थल सेना भर्ती केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नौरंगपुर) : उड़ीसा से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं। वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। उन्हे कटक तक आना पड़ता है क्योंकि सेना का एकमात्र भर्ती केन्द्र वहां स्थित है। सेना में नौकरी के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी बड़ी संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों और मुख्यत: जनजातीय इलाकों में रहते हैं। कटक आने जाने में पैसे के अलावा काफी समय भी लगता है। उनका धन तथा समय बचाने के लिए राज्य में ऐसे और केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।

इसके मद्देनजर मेरा सुझाव है कि राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक ऐसा सेना भर्ती केन्द्र स्थापित किया जाए।

(नौ) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : महोदय, मध्य प्रदेश में 13 जिलों को एस.ई.जेड में शामिल करने का निश्चय किया गया है, जिसमें जिला सिवनी शामिल नहीं है, जबकि जिला सिवनी एस.ई. जेड में शामिल किये जाने के अनुकूल है। जिले में बड़ी मात्रा में अनुपजाऊ जमीन बिना उपयोग के खाली पड़ी हुई है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में जिला सिवनी में फोर लेन का कार्य चल रहा है साथ ही पावरग्रिड भी स्थापित है।

जबलपुर एवं नागपुर के मध्य तथा नेशनल हाईवे पर सिवनी बसा हुआ है। जनहित में सिवनी को एस.ई.जेड में शामिल करना आवश्यक है, ताकि खाली पड़ी अनुपजाऊ भूमि का उपयोग हो सके तथा इससे क्षेत्र का विकास होगा।

(दस) महाराष्ट्र में गैर-अधिसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महाराष्ट्र में गैर अधिसूचित जनजातियों (वी जे एन टी) को वर्ष 1974 से सेवा में भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के लाभ दिए गए थे। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागराज के मामले में एक आदेश पारित किया है और यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 16 (4क) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है और वी जे एन टी तथा विशेष पिछड़ा श्रेणी पर यह लागू नहीं होता है। इस आदेश में माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वी जे एन टी की सही संख्या बताने के लिए पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। इसके कारण 2.5 करोड़ से अधिक वी जे एन टी परेशान हैं क्योंकि उन्हें पहले की भांति महाराष्ट्र राज्य सरकार सेवा में मिलने वाले आरक्षण के लाभ पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार ने वी जे एन टी के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए गैर अधिसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है और यह सरकार के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त आयोग सरकार के पास अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो सरकार वी जे एन टी की उचित स्थिति जान सकेगी। अब संविधान में संशोधन करने का समय आ गया है जैसा कि अजा/अजजा अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के लिए पहले किया गया था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गैर अधिसूचित जनजाति आयोग को एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहे तथा उस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार को अजा/अजजा के समान वी जे एन टी को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए।

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विष्णु देव साय (रायगढ़) : महोदय, रायगढ़ औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र में मात्र दो रेलवे स्टेशनों में से प्रमुख है। यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र भी है एवं एक औद्योगिक नगरी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र की अधिकांश जनता अनुसूचित जनजाति की है एवं अत्यधिक गरीब है और उनके लिए यही सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निम्नलिखित ट्रेनों कर रायगढ़ में स्टापेज दिया जाये:—

1. संत ग्यानेश्वरी एक्सप्रेस, ट्रेन क्र. 2152, जो कुर्ला से हावड़ा तक चलती है।

2. हापा हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन क्र. 2905, जो हापा से कुर्ला तक चलती है।

3. समरसता एक्सप्रेस, ट्रेन क्र. 2102, जो कुर्ला से हावड़ा तक चतली है।

इन ट्रेनों को रायगढ़ स्टापेज देने से एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के करीब दो करोड़ लोगों की भावनाओं एवं संवेदनाओं को संतुष्टि मिलेगी वहीं दूसरी ओर रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा जिले से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को न्याय मिल सकेगा।

(बारह) दिल्ली में तमिल श्रोताओं के लिए रेनबो एफ एम पर प्रतिदिन एक घंटे का रेडियो प्रोग्राम तमिल में प्रसारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : एफ एम रेडियो रेनबो एफ एम नामक एक लोकप्रिय कार्यक्रम कई भाषाओं में प्रसारित करता है। यह कार्यक्रम कई महानगरों और राज्यों की राजधानियों में शुरू किया गया है। तमिल कार्यक्रमों के साथ-साथ तेलगु मलयालम, कन्नड और हिन्दी कार्यक्रमों का भी चेन्नई के आल इण्डिया रेडियो से प्रसारण किया जाता है। किन्तु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां लगभग 10 लाख तमिल आबादी है वहां रेनबो एफ एम का तमिल में प्रसारण नहीं किया जाता है। तमिल भाषा को प्राचीन भाषा घोषित किया गया है। यह समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली प्राचीन तथा जीवंत भाषा हैं। हमारे पास समर्थ कलाकार, विद्वान और प्रसारणकर्ताओं के साथ-साथ इच्छुक और आलोचक श्रोता दिल्ली में हैं जिससे दिल्ली में तमिल कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण संभव है।

आल इन्डिया रेडियो के बाहय सेवा प्रभाग के भाग के रूप में दक्षिण पूर्व एशियाइ प्रसारण सेवा की तमिल इकाई 1941 से आल

[श्री पी. मोहन]

इंडिया रेडियो के दिल्ली केन्द्र के परिसर से कार्य कर रही है जहां से एफएम के प्रसारण होते हैं। किन्तु अब दिल्ली में दिल्ली से तमिल प्रसारण नहीं सुना जा सकता है। अतएव मैं केन्द्र सरकार विशेषतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती से अनुरोध करता हूं कि रेनबो एफ एम से प्रतिदिन एक घंटे तमिल में रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण करने हेतु कदम उठाए।

यह एक घंटे का दैनिक एफ एम तमिल प्रसारण सेवा आगामी तमिल नव वर्ष दिवस 14 अप्रैल अथवा हमारी स्वतंत्रता की 60वीं वर्ष गांठ पर 15 अगस्त से आरम्भ की जाए।

(तेरह) पश्चिम बंगाल के मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर) : आवश्यक रेल सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन (उत्तरी और दक्षिण 24 परगना जिले) जिसका बड़ा हिस्सा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 16 मथुरापुर (अजा) में पड़ता है, के लोगों को प्रतिदिन बड़ी असुविधा तथा कष्ट झेलना पड़ता है और मैं रेल नेटवर्क सुविधाओं के विस्तार का अनुरोध करूंगा: (i) जयनगर से रायडिघी, (ii) कैनिंग से जामतला, (iii) जयनगर से धामखाली और (iv) पार्क सर्कस से धामखाली तथा बरूईपुर डायमण्ड हार्बर खण्ड में दोहरी लाइन बिछाया जाना (जिसमें बरूईपुर-मगरहट उपखण्ड में लगातार कार्यान्वयन की आवश्यकता है, इस उपखण्ड में कार्य शुरू होना शेष है) और बरूईपुर-लक्ष्मीकांत पुर-काकद्वीप-नामखाना खण्ड। यह कहना व्यर्थ है कि इस खण्डे में एकल लाइन पर चलने वाली लोकल रेलगाड़ियों के डिब्बों में भारी भीड़ के कारण अमानवीय स्थिति में लोग सफर करते हैं।

साथ ही, सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर-काकद्वीप-नामखाना खण्ड में निशिन्दपुर और काशीनगर के बीच माधव नगर रोड पर हाल्ट स्टेशन बनाने के विचार पर इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की आवश्यकता को देखते हुए पुनर्विचार करने की जरूरत है।

अतएव मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र सुन्दरबन के लोगों जिसमें से अधिकांश गरीब अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग समुदाय के हैं, की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नहरों के रख रखाव और उससे गाद निकालने में स्थानीय लोगों को काम पर लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में करारी मनियर में पानी छोड़ा जाए। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में पानी, नहरों में आने के लिए रोस्टर के अनुरूप जल वितरण हेतु समझौता करें। रामगंगा, सोनारी मनियर में कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में कार्यवाही तत्काल हो। सिंचाई विभाग में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत नहरों में कार्य कराया जाये। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में नहरों के टेल तथा मनियरों एवं राजबहों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(पन्द्रह) बिहार के समस्तीपुर में फल और सब्जी विक्रेताओं को सुलभ ढुलाई सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से वहां बूढ़ी गंडक नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, बिहार के समस्तीपुर जिला में बड़ी तादाद में फल और सब्जी की खेती होती है। कल्याणपुर प्रखण्ड का सोमनाहा पंचायत और आसपास का क्षेत्र उसमें अव्वल स्थान रखता है, परन्तु बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे सोमनाहा सब्जी और फल का बाजार ठीक सामने दूसरे किनारे पर बसा पूसा बाजार है, जहां राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा है। सोमनाहा में नदी पर पुल न रहने की वजह से सब्जी किसानों को लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा कर पूसा जाना पड़ता है। उस बिन्दु पर नदी के दोनों किनारों पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हुई हैं।

अतः किसानों के हित का ख्याल रखते हुए सरकार से अनुरोध है कि नाबार्ड योजना या किसी और के तहत उक्त पुल को बनवाया जाये।

(सोलह) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमियों के कल्याण और विकास हेतु नई वित्तीय योजनाओं की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई जी) दोनों की स्थापना देश

के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निवेश से लघु तथा मध्यम उद्यमियों को रोजगार देने के मुख्य उद्देश्यों से की गई थी। वर्ष 1996 में 'कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम' की शुरूआत से इन उद्यमियों को 'पैटर्न स्कीम' नामक योजना के माध्यम से सहायता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत खादी उद्योग को 0 प्रतिशत दर और ग्रामोद्योग को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर सीधे ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी तथा साथ ही इस योजना के अंतर्गत विभिन्न अनुदान और तकनीकी सहायता भी दी गई थी। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को एक निश्चित ऋण राशि तक कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम की शुरूआत से ही उद्यमियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्हें बैंकों की विभिन्न जटिल गारंटी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। सीबीसी योजना में ब्याज दर भी काफी अधिक है। हाल ही में शुरू की गई नई मार्जिन मनी स्कीम में भी जटिल गारंटी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।

पैटर्न स्कीम से सी बी सी तथा मार्जिन मनी स्कीम में आने से गम्भीर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई है। इस क्षेत्र के सैंकड़ों उद्यमियों को अब राजस्व वसूली के संबंध में उठाए जा रहे कदमों का सामना करना पड़ रहा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए मैं केन्द्र सरकार के सकारात्मक विचार हेतु निम्नलिखित सुझाव देता हूं।

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास हेतु व्यापक नई प्राथमिकताओं की घोषणा करना।

(ख) कम आय वाले शिल्पकारों के लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण करने वाली नई योजनाएं बनाना।

(ग) सी बी सी योजना के अंतर्गत वर्तमान ब्याज दरों को कम करना तथा शास्ति ब्याज में कटौती रखना।

(घ) सी बी सी योजना के अंतर्गत अगले दो वर्षों के लिए सभी पुन: अदायगियों पर ऋण स्थगन की घोषणा करना।

(ङ) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को पर्याप्त बजटीय सहायता देना।

(सत्रह) केरल के वायानाड में कृषि खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : वायानाड अपने समृद्ध कृषि संसाधनों के लिए जाना जाता है जिसमें काफी, अदरक, चाय, केला, काली मिर्च, सुपारी, टैपियोका, वनिला इत्यादि जैसी फसलें अग्रणी हैं। औद्योगिक रूप से वायानाड़ एक पिछड़ा जिला है। दुर्भाग्यवश कृषि संबंधी संकट के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की है। इसी कारण राज्य सरकार ने इस जिले में कृषि के विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि केरल सरकार ने इस जिले के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सबसे उपयुक्त उद्योग के रूप में पहचान की है और वर्ष 2006 में वायानाड़ में कृषि प्रसंस्करण पार्क की घोषणा की है।

केरल सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में के आई एन एफ आर ए ने पहले ही इस योजना के लिए वायानाड़ में लगभग 400 एकड़ भूमि खरीदने के लिए कदम उठाए हैं।

अत मैं सरकार से वायनाड़ में कृषि खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) किसानों की जनसंख्या के अनुपात में कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : ग्रामीण विकास सहित कृषि तथा उससे सम्बद्ध सेवाओं के लिए कुल बजट आबंटन केन्द्रीय तथा राज्य बजटों का केवल 20 प्रतिशत है। पर्याप्त आगम के अभाव में कृषि उत्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ा है। इसके अतिरिक्त किसान को वर्षा तथा अनिश्चित जल आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करके सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उचित प्रावधान करना है।

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में केन्द्र सरकार ने सिंचाई के लिए क्रमश: 0.25 प्रतिशत तथा 0.20 प्रतिशत का प्रावधान किया है। कृषि, सिंचाई, पेयजल तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की भारी आवश्यकता को देखते हुए इस आबंटन को कई गुना बढ़ाना होगा।

महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से 65 प्रतिशत कृषि जनसंख्या के समानुपात में इस आबंटन को बढ़ाने तथा हमें अनुगृहीत करने का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) सिक्किम राज्य को "शांति बोनस" दिए जाने की आवश्यकता

श्री नकुल दास राई (सिक्किम) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम राज्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से रणनीतिक स्थिति में अवस्थित है यह

[श्री नकुल दास राई]

चीन, नेपाल और भूटान का सीमावर्ती राज्य है तथा सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। वर्षों से शांति और राजनैतिक स्थिरता इस राज्य की पहचान बन गयी है। पिछले वर्ष नथुला पास खुलने से सिक्किम भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सहायक राज्य बन गया है।

जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र दुर्भाग्यवश उग्रवाद से प्रभावित है हमारे राज्य में ऐसी कोई हिंसक गतिविधि नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सर्वश्रेष्ठ है। राज्य के आर्थिक विकास को राज्य सरकार द्वारा शीर्ष प्राथमिकता दी गई है।

यहां शांति के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है और सिक्किम के लोग इसका प्रमाण हैं। राज्य के लोगों द्वारा सामुदायिक भाईचारा तथा संयम बनाए रखा जाता है। सिक्किम राज्य की विशेषता बहुआयामी है। यहां भांति-भांति के समुदाय शांतिपूर्वक रहते हैं और सरकार द्वारा इनको पूरी सुरक्षा दी जाती है। सिक्किम के लोगों की राष्ट्रवादी विचारधारा तथा राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को सहायता देने से राज्य में लोकतंत्र रच बस गया है।

इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि सिक्किम को भारत का एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए इसे शांति बोनस दिये जाने पर विचार किया जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसा पहले भी हुआ है कि राज्यों को शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए शांति बोनस दिया गया है। केन्द्र को सिक्किम के लोगों के उत्थान के लिए इन शांतिप्रिय लोगों को सहायता भी देनी चाहिए।

(बीस) केरल सरकार द्वारा दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों के आलोक में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : भारत सरकार से शत प्रतिशत सहायता के अंतर्गत एक स्वःरोजगार कार्यक्रम पी एम आर वाई योजना काफी वर्षों से चल रही है। यह बेहद जरूरी है कि इस योजना के कार्यकरण का आकलन समय-समय पर किया जाए ताकि इस योजना की वास्तविक उपलब्धियों का पता चल पाए तथा देश में इसके कार्यान्वयन से जुड़े लोगों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं की जांच की जा सके क्योंकि इस योजना का उद्देश्य देश में लाखों शिक्षित बेरोजगारों को स्वः रोजगार प्रदान करना है।

केरल सरकार ने इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन तथा इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कतिपय सुधारों का प्रस्ताव किया था जैसे ब्याज दर में कमी, आय सीमा में अर्हता बढ़ाना, परियोजना लागत में बढ़ोतरी करना, राज सहायता बढ़ाना और भारत सरकार के वित्तीय संस्थानों की सूची में आर आर बी तथा ग्रामीण बैंकों को शामिल करना।

मैं सरकार से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब अनुपूरक कार्य सूची के अंतर्गत मदें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एल.टी. 6144/07]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष जी, मैं, खान मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6053/07]

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6145/07]

(2) विधि और न्याय मंत्रालय के वर्ष 2007-08 की परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6146/07]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6148/07]

(2) जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2007-08 की परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6149/07]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6150/07]

(2) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6151/07]

(3) पेय जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6152/07]

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6153/07]

(2) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6154/07]

(3) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6155/07]

(4) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6156/07]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6157/07]

[श्री प्रेमचन्द गुप्ता]

(2) कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2007-08 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6158/07]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी 6159/07]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 21 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-13/2005-एवाई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 6160/07]

(2) (एक) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना (स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं), चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना (स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं), चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना (स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं), चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी 6161/07]

(4) (एक) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना (स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना (स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना (स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी 6162/07]

(6) (एक) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कन्नूर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कन्नूर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कन्नूर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 6163/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 2103(अ) जो 15 दिसम्बर 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतास को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2139(अ) जो 22 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-जमशेदपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2152(अ) जो 26 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पुर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2077(अ) जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से शुरू और उसी पर समाप्त चार लेनों वाले बाईपास के प्रयोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क को अधिसूचित किये जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 6164/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वेनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 20 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डब्ल्यूकेजीवी/एचक्यू/एसबीएन/173 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 15 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसजीबी/एचओ/पर-5253 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उत्कल ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12/7/2006-आर.आर.बी. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6166/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं वर्ष 2007-2008 के लिए प्रमुख कार्यक्रमों के परिणामो बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6130/07]

अपराह्न 4.05 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

कावेरी जल विवाद अधिकरण का अंतिम आदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, हम मद संख्या 41 पर आते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शोर शराबे के बीच मैंने इसे स्वीकार कर लिया है; और इसे अनुमति दे दी है। यह राष्ट्रीय सम्पदा से संबंधित है जिसके बारे में विभिन्न राज्यों के लोगों के स्वाभाविक रूप से अपने दृष्टिकोण हैं और वे इनमें भागीदार हैं। निस्संदेह यह एक ऐसा मुद्दा है जो इससे संबंधित राज्यों के नागरिकों को प्रभावित करता है।

यह मंच इस देश के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि सभी मुद्दों पर सकारात्मक और निष्पक्ष रूप से चर्चा की जाए।

इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से एक दूसरे की भावनाओं को आहत किये बिना इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने और इस ढंग से चर्चा में भाग लेने का अनुरोध करता हूं कि जिससे इस सभा और इसके सदस्यों की गरिमा बढ़े।

अब, श्री अनंत कुमार अपने विचार प्रस्तुत करें।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कावेरी नदी के पानी पर अन्तिम निर्णय के मुद्दे को इस सम्माननीय सभा में उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, इस अन्तिम निर्णय ने कर्नाटक राज्य के प्रति घोर अन्याय किया है...*(व्यवधान)* यह निर्णय पूरी तरह से भ्रामक है और इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)*। इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता...*(व्यवधान)* इसे अधिसूचित नहीं किया जाए...*(व्यवधान)* अंतिम निर्णय को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए. ..*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.06 बजे

(इस समय पर श्री ए. कृष्णास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के पास खड़े हो गए।)

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.06½ बजे

लोक सभा अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.30 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं अपना भाषण जारी रखता हूं–

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय,... *(व्यवधान)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र–*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, तीन पत्रों को सभा-पटल पर रखा जाना है।

श्री संतोष मोहन देव आप खेद प्रकट कर सकते हैं।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, कुछ समय पूर्व आपके द्वारा मेरा नाम पुकारे जाने के समय उपस्थित न रहने के लिए मैं बिना शर्त क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं वर्ष 2006-2007

(अप्रैल-सितंबर) हेतु सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं. एल.टी. 6147/07]

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर ।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं अनुपस्थित रहने के लिए सभा से बिना शर्त क्षमा मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, धन्यवाद।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं. एल.टी. 6075/07]

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गइ। **देखिए** सं. एल.टी. 6076/07]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम.वी. राजशेखरन।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : महोदय, आपके द्वारा मेरा नाम पुकारे जाने के समय अनुपस्थित रहने के लिए मैं बिना शर्त क्षमा चाहता हूं।

महोदय, मैं वर्ष 2007-2008 हेतु योजना आयोग के परिणामी बजट (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं. एल.टी. 6165/07]

अपराह्न 4.31 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा—*जारी*

कावेरी जल विवाद अधिकरण का अंतिम आदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री अनंत कुमार।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, पंचाट दर्शाता है कि अधिकरण ने अप्रत्यक्ष रूप से 1924 के समझौते को लागू किया है, जोकि ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के लिए हानिकारक है ... *(व्यवधान)* कर्नाटक के लोगों की यही राय है...*

अपराह्न 4.32 बजे

(इस समय श्री ए. कृष्णास्वामी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृतात मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि कोई चर्चा संभव नहीं है। मैंने इस मामले पर चर्चा की है। मैंने इस मामले पर चर्चा भी की है और माननीय नेताओं की राय ली थी। चूंकि सभा सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकती इसलिए सभा 26 अप्रैल, 2007 को प्रातः 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 4.33 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार 26 अप्रैल 2007/6 वैशाख 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	301
2.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री हरिसिंह चावड़ा	302
3.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	303
4.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री किन्जरपु येरननायडु	304
5.	श्री उदय सिंह डा. चिन्ता मोहन	305
6.	श्री अर्जुन सेठी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	306
7.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली श्री कैलाश मेघवाल	307
8.	श्री एम. श्रीनिवासुल रेड्डी श्री हंसराज गं. अहीर	308
9.	श्री टी.के. हमजा श्री एस. अजय कुमार	309
10.	श्री देविदास पिंगले श्री शिशुपाल एन. पटले	310
11.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री एम. अंजनकुमार यादव	311
12.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री चंद्रकांत खैरे	312
13.	श्रीमती कृष्णा तीरथ	313
14.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	314
15.	श्री राम कृपाल यादव	315
16.	श्री फ्रांसिस फैन्थम	316
17.	श्री अबु अयीश मंडल	317
18.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री तुकाराम गणतराव रेंगे पाटील	318
19.	श्री संतोष गंगवार श्री रशीद मसूद	319
20.	श्री शैलेन्द्र कुमार श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2919
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2929, 3035, 3040, 3055, 3071
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2898, 3017
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2996, 3045, 3049, 3072
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3013
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2973, 3020, 3066
7.	आठवले, श्री रामदास	2966
8.	बैठा, श्री कैलाश	2954
9.	बर्मन, श्री रनेन	2913
10.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2935
11.	बसु, श्री अनिल	3052

1	2	3
12.	बग़ला, श्री जोवाकिम	2941
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2919
14.	भगोरा, श्री महावीर	2900
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	2907
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2932, 3016
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2967
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2904
19.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2903, 2947, 3010
20.	बोस, श्री सुब्रत	2909
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2935
22.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2952, 3038, 3061
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2919, 3056
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3011
25.	चौधरी, श्री अधीर	3018
26.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3038
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	2917, 2993, 3037
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2932, 2947, 2949, 3059
29.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	2936, 2999
30.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3058
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2995
32.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2946
33.	गंगवार, श्री संतोष	3002, 3030
34.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2982, 3028
35.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2947
36.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2960
37.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2933
38.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2957
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	2963, 3060, 3064
40.	जय प्रकाश, श्री	2912, 2987, 3065
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3050
42.	झा, श्री रघुनाथ	2968
43.	जोगी, श्री अजीत	2927
44.	करुणाकरन, श्री पी.	3053
45.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2953, 3001, 3028, 3030
46.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2930
47.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2914, 2931
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2911, 2986, 3024, 3043
49.	कृष्णा, श्री विजय	2974, 3021, 3036, 3060
50.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2943
51.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2918
52.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2979, 3022, 3038, 3039
53.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2916
54.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2944
55.	महरिया, श्री सुभाष	2945

1	2	3
56.	महतो, श्री नरहरि	2910, 2985
57.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2932, 2953, 3016
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	2977
59.	माझी, श्री परसुराम	2919
60.	मंडल, श्री सनत कुमार	2970
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	2946
62.	मिंडियम, डा. बाबू राव	2964, 3015, 3033, 3044, 3048
63.	मेघवाल, श्री कैलाश	3019, 3030, 3062, 3067
64.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2950, 3006
65.	मेन्या, डा. टोकचोम	2956, 3009
66.	मिश्रा, डा. राजेश	2919
67.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3038
68.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2962, 3014, 3063, 3070
69.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2928
70.	मुफ्ती, सुश्री महबूबा	2934
71.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2993, 3029
72.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2924, 3069
73.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2961, 3012
74.	नायक, श्रीमती अर्चना	2969
75.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2939
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2939, 2980, 3002
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2921, 3007

1	2	3
78.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3011
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2948, 2978, 3003, 3005, 3035
80.	पाठक, श्री ब्रजेश	3000, 3057
81.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2939, 2980
82.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2965, 3058, 3061
83.	प्रधान, श्री प्रशान्त	3053
84.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2948, 3017, 3032
85.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2939, 2949
86.	राजगोपाल, श्री एल.	2908
87.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2902, 2997
88.	राणा, श्री काशीराम	2951, 3034
89.	राव, श्री के.एस.	2948, 2958, 3003
90.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2925
91.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2937
92.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3056
93.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2981, 3023, 3041, 3047
94.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2959
95.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2906, 3003
96.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2976, 3035
97.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2919
98.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2983, 3031, 3068
99.	रिजीजू, श्री कीरेन	2923

1	2	3
100.	सज्जन कुमार, श्री	2919
101.	सांगवान, श्री किशन सिंह	2971
102.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2905, 2984
103.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2920,
104.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2919, 2994
105.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2942, 3004, 3032
106.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2929, 3035, 3040, 3055, 3071
107.	शिवन्ना, श्री एम.	2975
108.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	2899, 2989, 3026, 3042, 3046
109.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2990
110.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2944
111.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2946
112.	सिंह, श्री मोहन	2951
113.	सिंह, श्री राकेश	3051
114.	सिंह, श्री रेवती रमन	2940
115.	सिंह, श्री सुग्रीव	2948, 2978, 3003, 3005, 3035
116.	सिंह, श्री उदय	3058
117.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3038
118.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2929, 2971

1	2	3
119.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2915, 2948, 2991, 3027
120.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3038
121.	थामस, श्री पी.सी.	2926
122.	तुम्मर, श्री वी.के.	3031, 3034, 3068
123.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2939, 2980, 3002
124.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2922, 3008, 3037
125.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2938
126.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3038
127.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2948
128.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3001, 3040, 3055, 3071
129.	विरुपाक्षप्पा, श्री के.	2972
130.	यादव, श्री बालेश्वर	2901, 2988, 3025
131.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	2992
132.	यादव, श्री गिरिधारी	2899
133.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3000
134.	यादव, श्री मित्रसेन	2939, 2955
135.	यास्खी, श्री मधु गौड	3054
136.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2998

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	309
वाणिज्य और उद्योग	:	304, 305, 311, 312
गृह	:	301, 307, 313, 318, 320
मानव संसाधन विकास	:	302, 306, 308, 310, 315, 317, 319
खान	:	303, 314
लघु उद्योग	:	
वस्त्र	:	
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	316.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	2927, 2946, 2961, 2972, 3011, 3064
वाणिज्य और उद्योग	:	2900, 2902, 2904, 2905, 2906, 2909, 2910, 2913, 2914, 2917, 2919, 2929, 2933, 2941, 2942, 2943, 2944, 2953, 2959, 2970, 2973, 2976, 2978, 2983, 2984, 2985, 2991, 2994, 2997, 3001, 3003, 3006, 3020, 3024, 3043, 3052, 3056, 3058, 3061
गृह	:	2903, 2912, 2915, 2922, 2928, 2931, 2934, 2935, 2945, 2951, 2955, 2956, 2957, 2958, 2969, 2974, 2980, 2981, 2986, 2987, 2988, 2993, 3002, 3004, 3010, 3017, 3022, 3025, 3030, 3032, 3037, 3039, 3040, 3045, 3049, 3063, 3065, 3069, 3070, 3072
मानव संसाधन विकास	:	2898, 2918, 2924, 2926, 2938, 2939, 2940, 2948, 2954, 2966, 2975, 2982, 2990, 2995, 2998, 3000, 3008, 3009, 3012, 3017, 3026, 3028, 3035, 3041, 3047, 3050, 3051, 3053, 3054, 3055, 3057, 3059, 3062, 3066, 3067, 3071

खान	:	2920, 2921, 2936, 2947, 2963, 2964, 2965, 2967, 2977, 2992, 2996, 2999, 3029, 3048
लघु उद्योग	:	2907, 2979, 3005, 3019, 3021, 3023, 3034, 3036, 3042, 3060
वस्त्र	:	2908, 2911, 2925, 2949, 2952, 2989, 3013, 3015, 3016, 3027, 3031, 3038, 3068
जनजातीय कार्य	:	2899, 2923, 2930, 2937, 2950, 2962, 2968, 3014, 3033, 3044
महिला और बाल विकास मंत्रालय	:	2901, 2916, 2932, 2960, 2971, 3007, 3046.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू [illegible]ने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/26/17/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
और श्री इंटरप्राइजेज द्वारा मुद्रित।